भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 1993 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
1994 की संख्या 3

संघ सरकार

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली [redacted])

PARLIAMENT LIBRARY
(Central Govts Publications)
Acc. No. RC...89.89.L(1)
Date........28/6/1994

CAG
351·7232R
N4·3

विषय- सूची

	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्रस्तावनात्मक टिप्पणी		v
विहंगावलोकन		vii

भाग I- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली [redacted]

अध्याय-I

सामान्य

संगठन	1.1	1
प्राप्ति तथा व्यय की प्रवृत्तियां	1.2	2
क्षेत्रवार प्रवृत्तियां	1.3	3
1992-93 के दौरान व्यय का ब्यौरा	1.4	4
स्थानीय निकायों को कुछ कर प्राप्तियों एवं अनुदानों का सौंपा जाना	1.5	5
स्थानीय निकायों को दिए गए अनुदान ऋण एवं पेशगियां	1.6	6

अध्याय - II

लेखें

वित्त लेखें	2.1	8
विनियोग लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2	12

अध्याय -III

सिविल विभाग

शिक्षा

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (रा.शै.अ.प्र.प.)	3.1	18
व्यावसायिक शिक्षा योजना	3.2	32
निधियों का निष्क्रिय रहना	3.3	48

तकनीकी शिक्षा

शिल्पकार तथा प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम	3.4	49
बिजली तथा किराए के प्रति बकाया वसूली	3.5	64
स्टील की आपूर्ति के लिए अग्रिम का अनियमित भुगतान	3.6	65

मेडिकल, लोक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

सातवीं योजना में सरकारी अस्पतालों की स्थापना	3.7	66
दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल द्वारा की गई खरीदे	3.8	81
उपकरण का उपयोग न किया जाना	3.9	95
रसायनों के स्टॉकों का अप्रयुक्त पड़े रहना	3.10	97

पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवन

वन यूनिट की पुनरीक्षा	3.11	97
आवश्यकता से अधिक भण्डार की अधिप्राप्ति	3.12	109
पहचान पत्रों के लिए बकाया राशियां	3.13	110

उप आयुक्त

भू-व्यापार का कुप्रबन्ध	3.14	110

पुलिस

निकृष्ट योजना के कारण बैगेज स्केनर पर निष्फल व्यय	3.15	112

उद्योग

निधियों का अवरोधन	3.16	112

लोक निर्माण

एक पुल पर निष्फल व्यय	3.17	114

अध्याय - IV

राजस्व विभाग

सामान्य

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	4.1	115
कर राजस्व की संग्रहण लागत	4.2	116

बिक्री कर

पंजीकृत व्यापरियों की संख्या	4.3	117
उत्थित एवं लम्बित बिक्री कर मांगें	4.4	119
वसूली-प्रक्रिया में बिक्री कर मांगें	4.5	119
धोखेबाजी एवं अपवंचन	4.6	120

लेखापरीक्षा के परिणाम	4.7	121
बिक्रियों को छिपाये जाने के कारण कम उदग्रहण	4.8	121
कर से छूट की अनियमित अनुमति देना	4.9	122
ब्याज का अनुद्ग्रहण	4.10	131
सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण में गलती	4.11	131
परिकलन में गलती के कारण कर का कम उद्ग्रहण	4.12	133
पंजीकरण प्रमाण पत्र के अंतर्गत सम्मिलित न की गई खरीद	4.13	133

अध्याय - V

दिल्ली नगर निगम

लेखें	5.1	135
दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान		
220 कि.वा. उप स्टेशनों का निर्माण	5.2	139
दि.वि.प्र.सं. के सीमेंट भण्डारों में सामग्री प्रबन्ध	5.3	149
सामान्य विंग		
सफाई कर्मचारियों के लिए आवासों का निर्माण	5.4	159
रोड रोलरों का प्रचालन	5.5	165

नई दिल्ली नगर पालिका

लेखें	5.6	166
स्टाफ हेतु क्वार्टरों का निर्माण	5.7	168
ओखला में लघु वर्कशॉप का निर्माण	5.8	177

भाग-II दिल्ली विकास प्राधिकरण

अध्याय - VI

लेखे	6.1	180
आवासीय योजनाएं- लेखापरीक्षा पुनरीक्षा	6.2	183
दुकानों का निपटान न किया जाना- निधियों का अवरोधन	6.3	210

एशियाड टॉवर रेस्तरां - निष्क्रिय निवेश	6.4	212
खेल कॉम्प्लैक्सों के सदस्यों के प्रति भारी बकाया	6.5	213
गोल्फ ड्राइविंग रेंज पर निष्फल व्यय	6.6	215
प्राइवेट सुरक्षा किराए पर लेने के कारण निष्फल व्यय	6.7	215
उच्च दरों पर सीमेंन्ट की खरीद	6.8	216
घटिया सीमेंन्ट की खरीद	6.9	216
अनुमानित प्रभारों को जमा न कराने के कारण अतिरिक्त व्यय	6.10	218
अनुबन्ध को अनियमित ढंग से रदद करने के कारण अतिरिक्त व्यय	6.11	219
पुनः निविदाएं आमंत्रित करने के कारण अतिरिक्त व्यय	6.12	220
निर्माण कार्य का गैर योजनाबद्ध एवार्ड	6.13	221
निविदा प्रक्रिया में विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय	6.14	222
अनुबन्ध		225

प्रस्तावनात्मक टिप्पणी

31 मार्च 1993 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है। इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) दिल्ली [redacted] के वर्ष 1992-93 के लिये तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) के वर्ष 1991-92 के लिये लेखाओं से उद्‌भूत होने वाले मामलों को सम्मिलित किया गया है। यह लेखापरीक्षा प्रतिवेदन इन हस्तियों तथा उनके संघटक यूनिटों की नमूना लेखापरीक्षा तथा वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा - पुनरीक्षाओं के परिणाम प्रस्तुत करती है। ये वित्तीय लेन-देन संघ सरकार के लेखाओं के एक भाग होते है, संघ सरकार के बजट अनुदान तथा विनियोग रा.रा.क्षे. दिल्ली को गृह मंत्रालय के अंतर्गत दिए जाते हैं। दि.वि.प्रा. केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक हस्ती है। 1 दिसम्बर 1993 से रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार के लिए एक पृथक समेकित निधि सृजित की गई है।

कुछ स्वायत्त तथा सांविधिक निकायों, जिनके लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है, से संबंधित मामलों को इसमें सम्मिलित किया गया है। रा.रा.क्षे. दिल्ली के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सेवा अथवा उपयोगी संगठन, जिनका इस प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान,जल आपूर्ति तथा मलजल व्ययन संस्थान एवं नई दिल्ली नगर पालिका हैं।

इस प्रतिवेदन में 1992-93 के दौरान संचालित लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षा पुनरीक्षा से प्रोद्‌भूत मामलों का उल्लेख किया गया है। पूर्व वर्षों से संबंधित मामलों को सम्पूर्णता के लिए, जहां कहीं उपयुक्त समझा गया है, शामिल किया गया है तथा वैसे ही 31 मार्च 1993 के बाद लेन-देनों तथा प्रगतियों का भी, जहां कही सुसंगत समझा गया है, उल्लेख किया गया है।

विहंगावलोकन

31 मार्च 1993 को समाप्त हुए वर्ष के लिये इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को दो भागों में बांटा गया है:-

भाग-I	अध्याय I से V तक	रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार
भाग-II	अध्याय VI	दिल्ली विकास प्राधिकरण

इसमें 11 पुनरीक्षणों सहित 60 पैराग्राफ अन्तर्विष्ट हैं। प्रतिवेदन की मुख्य उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:-

भाग I राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार

I. लेखें

1992-93 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार की प्राप्तियां एवं व्यय क्रमशः 1451 करोड़ रु. तथा 1990 करोड़ रु. थी। करों की कुल प्राप्तियों का 94 प्रतिशत लेखाबद्ध किया गया। स्थानीय निकायों जैसे दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका तथा दिल्ली छावनी बोर्ड को दिए गए ऋण एवं पेशगियां, सहायक अनुदान, तथा अंशदान कुल व्यय का 42 प्रतिशत बने।

यद्यपि पब्लिक सैक्टर उपक्रमों में निवेश की गई राशि में 31 मार्च 1992 को 63 करोड़ रु. से 31 मार्च 1993 को 74 करोड़ रु. तक वृद्धि हुई थी, लेकिन अर्जित किया गया लाभांश केवल 0.35 करोड़ रु. था।

91 उप-शीर्षों के अन्तर्गत 20 करोड़ रु. का प्रावधान अप्रयुक्त रहा। इन मामलों में से 61 में समस्त प्रावधान का पुनर्विनियोग किया गया था। यह अपर्याप्त बजटिंग का द्योतक था।

(पैराग्राफ 1 तथा 2)

सिविल विभाग

शिक्षा

II. रा.शै.अ.प्र.प. में शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण

राज्य शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (रा.शि.अ.प्र.प. या परिषद), दिल्ली चार जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से कार्य कर रही है। परिषद की स्थापना शिक्षा महिला एवं बाल विकास तथा राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में उसकी नीतियों तथा मुख्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में दिल्ली प्रशासन को सहयोग तथा

परामर्श देने के उद्देश्य से की गई थी। कार्यक्रमों, एक मुख्य कार्यकलाप पर खर्च की गई राशि 1988-92 के दौरान प्राप्त किए गए कुल अनुदानों का केवल 9.7 प्रतिशत थी।

जैसा कि भर्ती नियमों में निर्धारित है, भर्ती किए गए अधिकांश शिक्षण स्टाफ अनिवार्य योग्यताओं एवं अनुभव से सम्पन्न नही थे।

1988-93 की अवधि के दौरान माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षण में लक्ष्यों की उपलब्धि में 75 प्रतिशत तथा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों में 51 प्रतिशत की कमी हुई थी।

परिषद द्वारा शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए अनुदेशात्मक सामग्रियों, शैक्षिक सामग्रियों तथा श्रृव्य-दृश्य कार्यक्रमों के विकास हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

जैसाकि वास्तव में योजना बनाई गई थी, परिषद के कार्य एवं प्रगति की पुनरीक्षा करने तथा उसके मामलों की जांच करवाने के लिए कोई समिति गठित नहीं की गई थी।

(पैराग्राफ 3.1)

III. **दिल्ली में व्यावसायिक शिक्षा**

सातवीं योजना के दौरान निदेशालय ने विद्यार्थियों को और अधिक रोजगार के सुयोग्य बनाने तथा कुशल मानवशक्ति की मांग को पूरा करने के लिए शिक्षा की दस जमा दो प्रणाली के अंतर्गत स्कूल में प्लस दो स्तर पर दिल्ली में व्यावसायिक शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु चिन्हित निधियों का केवल 38 प्रतिशत ही खर्च किया। 1990-93 के अनुवर्ती तीन वर्षों के दौरान व्यय का मुख्य भाग उपकरण की खरीद पर किया गया था। परिणामस्वरुप नए अनुभागों तथा पाठ्यक्रमों को खोलने के लिये, लक्ष्यों तथा व्यावसायिक शिक्षा हेतु विद्यार्थियों के अनुक्रमांक को प्राप्त नहीं किया जा सका। इन पाठ्यक्रमों की समाप्ति के बाद उनको रोजगार के सुयोग्य बनाने के लिए कोई सुविधाएं अभिज्ञात नहीं की गई थी।

1992-93 तक विविध रुप के उच्चतर माध्यमिक विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रवाह में लाए जाने के लिये 15 प्रतिशत के लक्ष्य के प्रति केवल 6 प्रतिशत की उपलब्धि ही हो सकी। अपर्याप्त प्रबन्ध तथा अनुश्रवण के परिणामस्वरुप योजना का दोषपूर्ण कार्यान्वयन हुआ, परिणामस्वरुप योजना के दो अनिवार्य उप यूनिट अर्थात व्यावसायिक सर्वेक्षण सैल तथा शैक्षिक सैल की स्थापना नहीं की जा सकी।

पर्याप्त आवास तथा पर्याप्त अनुक्रमांक की उपलब्धता के विषय में उपयुक्त सर्वेक्षण या योजना के बिना व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आरंभ करने के परिणामस्वरुप 147 स्कूलों के लिए अनुमोदित 248 पाठ्यक्रमों में

से 54 स्कूलों में 84 पाठ्यक्रम आरम्भ नही किए गए या बन्द कर दिए गए थे। 25 विद्यार्थियों की भर्ती के विचार के प्रति अधिकांश स्कूलों में अनुक्रमांक 10 से नीचे था।

विद्यार्थियों के प्रशिक्षण तथा रोजगार हेतु विद्यालयों तथा उद्योगों के बीच संयोजन सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

(पैराग्राफ 3.2)

IV. **निधियों का निष्क्रिय रहना**

एक सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना करने हेतु साहित्य कला परिषद द्वारा भूमि के स्तर का पता लगाए बिना दि.वि.प्रा.को 1989-90 में 26.65 लाख रु. का एक अग्रिम जारी किए जाने के परिणामस्वरूप निधियाँ निष्क्रिय रही।

(पैराग्राफ 3.3)

V. **दिल्ली में शिल्पकार एवं प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम**

सातवीं योजना अवधि के दौरान खोले गये तीन नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (औ.प्र.सं.) के लिये भवनों के निर्माण में विलम्ब के परिणामस्वरूप लागत में 2.10 करोड़ रु. की वृद्धि हुई। वर्तमान औ.प्र.सं.में दस इंजीनियरिंग व्यापारों में 90 प्रतिशत से अधिक मशीनरी तथा औजारों की कमी थी।

किए गए सर्वेक्षणों की अपर्याप्तता के कारण प्रशिक्षुता प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध सीटों की संख्या में 1985 में 4608 से 1993 में 4954 तक अर्थात 8 वर्षों की अवधि पर 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1992-93 में उपलब्ध सीटों में से 23 प्रतिशत सीटें अप्रयुक्त रहीं। भारी संख्या में छोड़े गए तथा कुछ अप्रचलित व्यापारों में प्रशिक्षण जारी रखने के बावजूद केन्द्रीय प्रशिक्षुता परिषद द्वारा छः वर्ष पूर्व सुझाये गए नए व्यापारों को आरम्भ करने के लिए कार्यवाही अभी की जानी थी।

आशुलिपि में परीक्षा के लिए तैयारी एवं मार्गदर्शन सुविधाओं के लिए अ.जा/अ.ज.जा. श्रेणी के 240 विद्यार्थियों के लक्ष्य के प्रति 1990-92 के दौरान 6.28 लाख रु. की लागत पर केवल 5 विद्यार्थी ही प्रशिक्षण पूरा कर सके।

(पैराग्राफ 3.4)

VI. **इस्पात की आपूर्ति हेतु अग्रिम का अनियमित भुगतान**

यद्यपि दि.न.नि. द्वारा भवन योजनाओं का अभी तक अनुमोदन नहीं किया गया था तथा संशोधित अनुमानों के लिए भारत सरकार का अनुमोदन प्रतीक्षित है तथापि दिल्ली तकनीकी संस्थान ने मार्च 1991 में इस्पात की खरीद हेतु भा.इ.प्रा.लि. को 1.07 करोड़ रु. अग्रिम अदा किया।

(पैराग्राफ 3.6)

लोक स्वास्थ्य

VII. सातवीं योजना में सरकारी अस्पतालों की स्थापना

चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार ने सातवीं योजना के अंत तक नौ अस्पातालों की स्थापना करने हेतु 89.97 करोड़ रु. संस्वीकृत किए। यद्यपि 34.32 करोड़ रु. खर्च किए जा चुके थे, लेकिन दिसम्बर 1993 तक केवल चार अस्पताल आंशिक रुप से कार्य कर रहे थे। दिल्ली के विभिन्न स्थानों में संस्वीकृत किए गए 100 बिस्तर वाले प्रत्येक चार अस्पताल तथा 500 बिस्तर वाला एक अस्पताल स्थल का चयन करने में विलम्ब, अस्पताल की भूमि पर अतिक्रमण, भूमि उपयोग पद्धति को परिवर्तित करने की अनुमति की अप्राप्ति, वास्तुकार के साथ किए गए समझौते को अंतिम रुप न दिए जाने, तथा परियोजना के निष्पादन हेतु उत्तरदायी एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी के कारण अपूर्ण रहे। परिणामस्वरुप, समाज के कमजोर वर्गों को दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं को नकारने के अतिरिक्त भूमि की खरीद तथा विकास पर किए गए 5.94 करोड़ रु. के निवेश अप्रयुक्त रहे।

(पैराग्राफ 3.7)

VIII. दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल द्वारा की गई खरीदें

दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने हेतु उपकरण तथा मशीनरी की खरीद पर 9.01 करोड़ रु. खर्च किए गए थे। 2.66 करोड़ रु. मूल्य की खरीदों की नमूना जांच से निम्नलिखित मुद्दे सामने आए:-

- म.नि.आ.एवं नि. के माध्यम से की गई खरीदों के कोई व्यय अभिलेख नहीं रखे गए थे जिसके परिणामस्वरुप बजटीय तथा वास्तविक व्यय के बीच बहुत अधिक भिन्नताएं देखी गई थी।

- अस्पताल में कोई न्यूरोसर्जन न होने के बावजूद 1.70 करोड़ रु. की लागत पर सी टी स्कैन खरीदा गया था।

- 52.8 लाख रु. मूल्य का उपकरण या तो दोषपूर्ण था या फिर मरम्मतों की प्रतीक्षा में निष्क्रिय पड़ा था। बाद में अस्पताल ने पुष्टि की कि 27.19 लाख रु. मूल्य के उपकरण की मरम्मत कर दी गई थी।

- उपकरण हेतु कोई लॉग बुके अनुरक्षित नहीं की गई थीं, जिसके परिणामस्वरुप उनकी उपयोगिता को सत्यापित नहीं किया जा सका।

(पैराग्राफ 3.8)

अन्य विभाग

IX. पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवन विभाग के वन यूनिट की कार्यप्रणाली

(क) वनविद्या

वन यूनिट एक हरित प्रतिबंधित क्षेत्र को सृजित तथा सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 1988 में विकास आयुक्त के अधीन सृजित किया गया था। वन यूनिट के मुख्य कार्यकलाप वनारोपण तथा वनसंरक्षण करना है। लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि:

- अभिलेखों के अभाव में पौधों की उत्तरजीविता दर को सत्यापित नहीं किया जा सका।
- अवैध रूप से वृक्ष कटाई हेतु क्षतिपूर्ति की दरो को 1963 से संशोधित नहीं किया गया था। समस्त मामलों में वसूली गई इमारती लकड़ी की लागत बाजार-दरों से बहुत कम थी।
- वन साधनों के प्रबन्ध हेतु कोई कार्यचालन योजना तैयार नहीं की गई थी।
- वन यूनिट में स्टाफ के लिए कोई अनुमोदित कार्य-प्रतिमान नहीं थे।

(ख) असोला स्थित वन्यजीवन शरण क्षेत्र

2.92 करोड़ रु. की संस्वीकृति के प्रति 4.83 करोड़ रु. का व्यय किए जाने के बावजूद तथा ढाई वर्षों से अधिक समय बीतने के बाद शरण-क्षेत्र को कार्यान्वित नहीं किया गया था।

शरण-क्षेत्र के लिये चार दीवारी के निर्माण पर 70.87 लाख रु. का अधिक व्यय किया गया था। आगे यद्यपि वहां पर जलापूर्ति के कोई प्रबन्ध नहीं थे फिर भी छिछले जोहड़ो के निर्माण पर 18.97 लाख रु. खर्च किए गए थे।

(पैराग्राफ 3.11)

X. भू-व्यापारों का कुप्रबन्ध

दिल्ली उप आयुक्त भूमि अधिग्रहण, जिसे सितम्बर 1991 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद उन्हें वापिस कर दिया गया था, हेतु भू-मालिकों को ब्याज सहित दी गई 9.16 करोड़ रु. राशि की क्षतिपूर्ति वसूलने में असफल रहा।

(पैराग्राफ 3.14)

XI. निष्फल व्यय

(क) सामान-स्कैनर की अधिप्राप्ति

नवम्बर 1990 में महत्वपूर्ण स्थानों के लिए 27.28 लाख रु. की लागत पर अधिप्राप्त किया गया सामान-स्कैनर के प्रतिष्ठापन न होने के परिणामस्वरूप उपकरण निष्क्रिय रहा।

(पैराग्राफ 3.15)

(ख) **प्रयोगशाला की स्थापना**

यद्यपि इस प्रकार की प्रयोगशाला को स्थापित करने की आवश्यकता कभी स्पष्ट नहीं थी फिर भी प्रशासन ने दिल्ली में बिजली के उपरकणों की जांच हेतु स्टाफ के वेतन सहित एक प्रयोगशाला की स्थापना पर 45 लाख रु. खर्च किए।

(पैराग्राफ 3.16)

(ग) **पुल का पुनर्निर्माण**

नजफगढ़ नाले के आर-पार विद्यमान पुल के पुनर्निर्माण का कार्य बाधा मुक्त स्थल की अनुपलब्धता, सामग्री की आपूर्ति में विलम्ब तथा ढांचे के आरेखणों की अनापूर्ति के कारण अपूर्ण रहा, जिसके परिणामस्वरुप 55.42 लाख रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

(पैरा 3.17)

राजस्व विभाग

XII. **राजस्व प्राप्तियां**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 1992-93 में कुल राजस्व प्राप्तियां 1451 करोड़ रु. थी, जो कि 1575 करोड़ रु. की प्रत्याशित प्राप्तियों से 8 प्रतिशत कम थी। 1359 करोड़ रु. की कर प्राप्तियां, जिसको राजस्व प्राप्तियों के समूह में लेखाबद्ध किया गया था, मुख्यत: बिक्री कर (930 करोड़ रु.) तथा राज्य उत्पाद शुल्क (278 करोड़ रु.) से प्राप्त हुई थी।

(पैराग्राफ 4.1)

XIII. **बिक्री कर**

44 मामलों में छिपाई गई बिक्रियों का पता न लगाए जाने के कारण कर का कम उद्ग्रहण तथा 3.19 करोड़ रु. राशि के अर्थदण्ड तथा ब्याज का अनुद्ग्रहण हुआ।

(पैराग्राफ 4.8)

22 मामलों में अनियमित रुप से छूट प्रदान करने के परिणामस्वरुप 10.26 करोड़ रु. के राजस्व की हानि हुई।

(पैराग्राफ 4.9)

4 मामलों में निर्धारिण करते समय घोषणा प्रपत्रों में असत्य अथवा अवैध घोषणाओं अथवा अन्तर्वेशनों का पता लगाने में असफल रहने के परिणामस्वरूप कर का कम उद्ग्रहण, अर्थदण्ड का अनुद्ग्रहण तथा 7.56 लाख रु. राशि के ब्याज की वसूली नहीं हुई।

(पैराग्राफ 4.11)

दिल्ली नगर निगम

XIV. लेखे

दि.न.नि. के समस्त तीनों विंगों के वार्षिक एवं विनियोग लेखाओं का संकलन तथा प्रमाणन कार्य बकाया में है, दि.वि.प्र.सं. के 1989-90 से बाद के वार्षिक लेखाओं तथा 1981-82 से बाद के विनियोग लेखाओं को अभी तक म्युनिस्पिल मुख्य लेखाकार द्वारा प्रमाणित किया जाना है।

(पैराग्राफ 5.1)

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान

XV. 220 कि.वा.उप स्टेशनों का निर्माण

दिल्ली में विद्युत संचारण की प्रणाली को मजबूत करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 117 करोड़ रु. की लागत पर दो 400 कि.वा. तथा आठ 220 कि.वा. उप स्टेशन संस्वीकृत किए गए थे। दि.वि.प्र.सं. द्वारा पांच 220 कि.वा. उप स्टेशनों को सितम्बर 1993 को चालू किया गया है।

वसंत कुंज में 8.71 करोड़ रु. की लागत पर पूर्ण किये गये 220 कि.वा. उप स्टेशन को वाणिज्यिक उपयोग हेतु अभी लगाया जाना है क्योंकि महरौली से फीडर लाइन का कार्य पूरा नहीं हुआ है।

रोहिणी में 1.78 करोड़ रु. की लागत पर 220 कि.वा. उप स्टेशन 1990 में दो ट्रांसफॉर्मरों के प्रतिष्ठापन से चालू किया गया था। दोंनों ट्रांसफार्मर प्रतिष्ठापन के 18 महीनों के भीतर खराब हो गए तथा इन ट्रांसफार्मरों की मरम्मत पर 0.76 करोड़ रु. के खर्च होने का अनुमान लगाया गया है।

(पैराग्राफ 5.2)

XVI दि.वि.प्र.सं. के भण्डारों में सीमेंट सामग्री का प्रबन्ध

यद्यपि दि.वि.प्र.सं. ने प्रत्येक वर्ष सीमेंन्ट की अपनी 30000 मी.ट. की अपेक्षा का निर्धारण किया लेकिन वह प्रत्येक वर्ष 18822 मी.ट. से अधिक उपभोग करने में समर्थ नहीं था।

दि.वि.प्र.सं. अपने अधिप्राप्ति के प्रयासों में भी असफल रहा तथा 1989-92 के दौरान आदेशित 95224 मी.ट. सीमेंन्ट में से भण्डार में केवल 50844 मी.ट. ही प्राप्त किया गया था।

दि.वि.प्र.सं. के बिल बनाने के विंग तथा खरीद के लेखाओं का समाधान नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप मार्च 1991 तक विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के प्रति 6.54 करोड़ रु. के अग्रिम असमायोजित पड़े थे।

प्राप्त किए गए थैलों पर की गई गुणवत्ता की जांच तथा भार तोलने की प्रक्रिया दोषपूर्ण तथा अपर्याप्त पाई गई थी।

(पैराग्राफ 5.3)

सामान्य विंग

XVII. सफाई कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण

मार्च 1993 तक दि.न.नि. के सफाई कर्मचारियों को किराया खरीद पर बेचे जाने वाले 305 करोड़ रु. की लागत पर 20000 मकानों के निर्माण के लक्ष्य के प्रति, दि.न.नि. चार वर्षों में राहिणी में 3.85 करोड़ रु.की लागत पर केवल 640 मकान ही निर्मित कराने में समर्थ था तथा कुल 2580 मकानों का ही निर्माण कराने में समर्थ हो पाएगा क्योंकि केवल 41.23 एकड़ भूमि ही उपलब्ध है।

दि.न.नि. इन मकानों को खरीदने के लिए निधियां बढ़ाने में कर्मचारियों की सहायता करने की योजना प्रस्तुत करने में असफल रहा तथा 640 मकानों के लिए आमंत्रित आवेदनों के प्रत्युत्तर में दिसम्बर 1993 तक केवल 38 कर्मचारी ही शुल्क तथा किश्त की राशि का भुगतान कर सके।

(पैराग्राफ 5.4)

XVIII. रोड रोलरों पर निष्फल व्यय

दि.न.नि. की वर्कशॉप में 19 रोड रोलर अनुरक्षित किए जाते हैं जिनको दि.न.नि. की सड़कों का निर्माण एवं अनुरक्षण करने वाले ठेकेदारों को किराए पर दिया जाता है। यह देखा गया था कि विभागीय कार्यों पर 189 दिनों के लिए अधिकतम चार रोड रोलरों का उपयोग किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 1989-93 वर्षों के दौरान 0.34 करोड़ रु. के राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त दि.न.नि. ने इस अवधि के दौरान अतिरिक्त पुर्जों की खरीद तथा इसके लिये स्टाफ के वेतन पर 0.42 करोड़ रु. का परिहार्य व्यय किया।

(पैराग्राफ 5.5)

नई दिल्ली नगर पालिका

XIX. स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण

न.दि.न.नि द्वारा परियोजना रिपोर्ट तैयार किए बिना 15.06 करोड़ रु. की लागत पर 1170 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया था। यद्यपि इन समस्त क्वार्टरों की मार्च 1993 तक तैयार होने की

आशा थी लेकिन आठ वर्षों में 8.81 करोड़ रु. की लागत पर केवल 600 क्वार्टरों का ही निर्माण किया गया था (अगस्त 1993)।

प्राइवेट एजेंसियों को दिए गए 17 निर्माणकार्यों में से 14 मामले मध्यस्थता के लिए भेजे गए थे तथा अभी तक 11 मामलों में निर्णय किया गया है तथा 0.43 करोड़ रु. का पंचाट ठेकेदारों के पक्ष में दिया गया था जो कि घटिया ठेका प्रबन्ध का द्योतक था।

चार निर्माण कार्य एक सरकारी संस्थान को 14 प्रतिशत जमा आधार की लागत पर सौंपे गए थे। ठेके में दण्ड तथा क्षतिपूर्ति निर्धारित करने की मानक शर्त निहित नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरुप न.नि.न.पा. निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के लिए अर्थ दण्ड के रुप में 0.36 करोड़ रु. का उद्ग्रहण करने में असमर्थ थी।

(पैराग्राफ 5.7)

XX. मिनी वर्कशॉप

अविवेकपूर्ण रुप से निर्माण कार्य सौंपने तथा अग्रिम रुप में औजारों की खरीद के परिणामस्वरुप ओखला स्थित एक मिनी वर्कशॉप पर किए गए 0.51 करोड़ रु. के निवेश निष्क्रिय रहे। केवल 40 प्रतिशत सिविल निर्माणकार्यों को अगस्त 1993 तक पूर्ण किए जाने की नियत तिथि के दो वर्ष बाद पूरा किया गया था।

(पैराग्राफ 5.8)

भाग-II दिल्ली विकास प्राधिकरण

XXI. लेखे

दि.वि.प्रा. विभिन्न कार्यकलापों से संबंधित लेन-देनों पर आधारित लेखे के आठ शीर्षों के अंतर्गत राशि प्राप्त करके व्यय करता है। दि.वि.प्रा. ने इन समस्त आठ शीर्षों को सम्मिलित करते हुए कभी आय एवं व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। तुलन-पत्र भी केवल तीन लेखा शीर्षों के सम्बन्ध में ही तैयार किए जा रहे हैं।

दि.वि.प्रा. के लेखाओं में विविध देनदारों (337.57 करोड़ रु.) तथा विविध लेनदारों (220.54 करोड़ रु.) तथा 320.18 करोड़ रु. मूल्य की सम्पत्ति एवं स्टॉक के सम्बन्ध में समर्थित अभिलेख या प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट के ब्यौरे नहीं दर्शाए जा रहे थे।

(पैराग्राफ 6.1)

XXII. आवासीय

दो मुख्य आवासीय योजनाओं अर्थात न्यू पैटर्न पंजीकरण योजना तथा स्वयं वित्पोषित योजना की लेखापरीक्षा पुनरीक्षा ने निर्माण में कुछ आवर्ती विशिष्टियों को दर्शित किया। कई मामलों में निर्माण कार्य दोषपूर्ण अथवा घटिया स्तर का अथवा असमान्य रुप से विलम्बित था। चूंकि डिजाइन आरेखणों तथा निर्धारित सामग्रियों

की आपूर्ति में निरन्तर विलम्ब हुए थे, इसलिए ठेकेदारों से अतिरिक्त लागत वसूल नहीं की जा सकी। इसके बजाय कई ठेकेदारों को मध्यस्थता के मामलों में भारी राशियां प्रदान की गई थी। मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:-

(क) न्यू पैटर्न पंजीकरण योजना

अप्रैल 1993 तक 12384 फ्लैट खाली पड़े रहे थे, जबकि सितम्बर 1979 से 53255 पंजीकर्ता फ्लैटों के आबंटन की प्रतीक्षा में थे।

दि.वि.प्रा. की किराया खरीद योजना के अन्तर्गत 92 प्रतिशत लाभभोगियों ने किश्तों का भुगतान करने में चूक की थी। 346.90 करोड़ रु. की बकाया राशि को वसूलने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

संदेहपूर्ण तकनीकी योग्यता तथा साधनों के ज्ञाता ठेकेदार को निर्माण कार्य सौंपने तथा एक अन्य निर्माण कार्य में अपर्याप्त रुप से पर्यवेक्षण करने के कारण घटिया निर्माणकार्य के गिराए जाने के कारण 1.55 करोड़ रु. का अतिरिक्त व्यय तथा निर्माण कार्य में विलम्ब हुआ।

इस तथ्य के बावजूद कि ठेकेदार की निर्माणकार्य का निष्पादन करने की गति धीमी थी, एक के बाद दूसरे निर्माण कार्य सौंपने के परिणामस्वरुप न केवल समस्त निर्माणकार्य पूर्ण नहीं हुए अपितु उसके परिणामस्वरुप 2.61 करोड़ रु. का अतिरिक्त व्यय भी हुआ।

उसकी पूर्ववर्तिता का सत्यापन किए बिना एक ठेकेदार को 96 नि.आ.व. तथा 96 म.आ.व. फ्लैटों के निर्माण का कार्य सौंपा गया था। ठेकेदार का कार्य पूर्ण न होने तथा लापता होने के परिणामस्वरुप 1.16 करोड़ रु. की हानि तथा 11 वर्षों से अधिक समय का विलम्ब हुआ।

(ख) स्वयं वित्तपोषित योजना

स्थल तथा निर्धारित सामग्रियां उपलब्ध कराने में असफल रहने से परिहार्य विलम्ब तथा क्षतिपूर्ति भुगतान पर 1.90 करोड़ रु. का अतिरिक्त व्यय हुआ।

विलम्बों तथा लेखाविधि में गलतियों के परिणामस्वरुप मादीपुर में फ्लैटों के निर्माण पर 0.39 करोड़ रु. का परिहार्य व्यय किया गया।

निर्माण में विलम्ब के परिणामस्वरुप योजना के पंजीकर्ताओं को ब्याज का भुगतान करने के कारण 36.14 करोड़ रु. का परिहार्य व्यय हुआ। चूंकि दि.वि.प्रा. इन ब्याज भुगतानों के संबंध में स्रोत पर आयकर वसूलने में असफल रहा था इसलिए आय कर विभाग ने दि.वि.प्रा. के बैंक लेखे से 3.95 करोड़ रु. की राशि जब्त कर ली।

इस योजना के अंतर्गत निर्मित 157.65 करोड़ रु. की लागत वाले 2653 फ्लैट आबंटन की प्रतीक्षा में थे। इसके अतिरिक्त दि.वि.प्रा. को इन रिक्त फ्लैटों पर दिए गए भू-किराए के कारण 0.58 करोड़ रु. की आय की हानि हुई थी।

आबंटितियों से अंतिम वसूली के उद्देश्य हेतु फ्लैटों की लागत का निर्धारण एक रुपता के आधार पर नहीं किया गया था। मादीपुर में निर्माण कार्य पूर्ण होने से दो वर्ष पहले लागत निर्धारण करने से 1.21 करोड़ रु. अधिक प्रभारित किए गए।

सरिता विहार के पॉकेट ए, बी तथा सी के 1498 फ्लैटों के लागत ब्यौरों ने 0.79 करोड़ रु. कम प्रभारित हुए दशयि।

सरिता विहार में पॉकेट डी एवं ई तथा एफ एवं जी में 697 फ्लैटों की लागत में एकत्रीकरण से पॉकेट एफ एवं जी के फ्लैटों में लगभग 25000 रु. प्रति फ्लैट तक लागत में वृद्धि हुई।

भूमितल आबंटितियों से अन्तर्श्रेणी समायोजन प्रभारों के 1.29 करोड़ रु. अनियमित रुप से संग्रहीत किए गए थे।

(पैराग्राफ 6.2)

XXIII. दुकानों का निपटान न किया जाना-निधियों का अवरोधन

शॉपिंग कम्प्लैक्सों के विकास से पहले बाजार-मांग का निर्धारण करने में असफल रहने के कारण 1974 से 1993 तक निर्मित। 11991 दुकानों में से 131.88 करोड़ रु. की लागत पर निर्मित की गई 5470 दुकानों का निपटान नहीं हुआ। न निपटायी गई दुकानों में से 20.44 करोड़ रु. मूल्य की 861 दुकानें 5 वर्षों से अधिक समय से खाली पड़ी थीः 1685 दुकानों के मामले में यहां तक कि आरक्षित मूल्य भी नियत नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 6.3)

XXIV. एशियाई टॉवर रेस्तरां - निष्क्रिय निवेश

दि.वि.प्रा. बिक्री की शर्तों को अंतिम रुप देने में असफल रहने के कारण 0.72 करोड़ रु. की लागत पर 1982 में निर्मित एशियाई टॉवर रेस्तरां निष्क्रिय पड़ा था।

(पैराग्राफ 6.4)

XXV. खेल कॉम्प्लैक्सों के सदस्यों के प्रति भारी बकाया

4 खेल कॉम्प्लैक्सों के सदस्यों से वसूली योग्य 2.26 करोड़ रु. में से दि.वि.प्रा. कुल राशि का केवल आधा हिस्सा ही वसूल कर सका क्योंकि उसने सदस्यता की शर्तों को लागू नहीं किया था।

(पैराग्राफ 6.5)

XXVI. गॉल्फ ड्राइंविंग रेंज पर निष्फल व्यय

दोषपूर्ण योजना के परिणामस्वरुप साकेत खेल काम्प्लैक्स में स्थित गॉल्फ ड्राइविंग कोर्स को एक घुड़सवारी स्कूल में परिवर्तित करने पर 0.27 करोड़ रु. का निष्फल व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 6.6)

भाग-I राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार

अध्याय I

सामान्य

1.1 संगठन

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) दिल्ली 891 वर्ग कि.मी. ग्रामीण तथा 592 वर्ग कि.मी. शहरी क्षेत्रों से बना 1483 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में फैला हुआ है। रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार का प्रशासक उप-राज्यपाल है।

- दिल्ली नगर निगम (दि.न.नि.), नई दिल्ली नगर पालिका (न.दि.न.पा.) तथा दिल्ली छावनी बोर्ड (दि.छा.बो.) स्थानीय निकाय हैं जो क्रमशः 1397.3 वर्ग कि.मी., 42.7 वर्ग कि.मी. तथा 43 वर्ग कि.मी. में आने वालों को नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है।

- संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) को भूमि उपयोग पद्धति, आवासीय, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास तथा आवासीय योजनाओं के निष्पादन सहित दिल्ली के विकास का कार्य सौंपा गया है।

- दिल्ली शहरी कला आयोग (दि.श.क.आ.) को रा.रा.क्षे. दिल्ली में शहरी तथा पर्यावरणीय डिजाइन के सौन्दर्य को सुरक्षित, विकसित तथा अनुरक्षित करने का दायित्व सौंपा गया है।

- दिल्ली पर्यटन तथा परिवहन विकास निगम लिमिटेड (दि.प.प.वि.नि.), दिल्ली वित्तीय निगम (दि.वि.नि.), दिल्ली राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (दि.रा.ख.वि.नि.), दिल्ली राज्य सिविल आपूर्ति निगम लिमिटेड (दि.रा.सि.आ.नि.), दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड (दि.ल.उ.वि.नि.) तथा दिल्ली अनुसूचित जाति वित्तीय तथा विकास निगम लिमिटेड (दि.अ.जा.वि.वि.नि.) रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार के लोक क्षेत्र के उपक्रम हैं।

- रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार का बजट संघ सरकार के बजट का एक भाग होता है तथा गृह मंत्रालय के अनुदान (सं.93) के अन्तर्गत सम्मिलित होता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार की प्राप्तियां एवं व्यय भारत की समेकित निधि में लेखाबद्ध किए जाते हैं।

1.2 प्राप्तियां तथा व्यय की प्रवृत्तियां

1988-93 तक के पांच वर्षों के दौरान प्राप्तियां तथा व्यय निम्नानुसार थे:-

कुल प्राप्तियां तथा व्यय

करोड़ रुपयों में

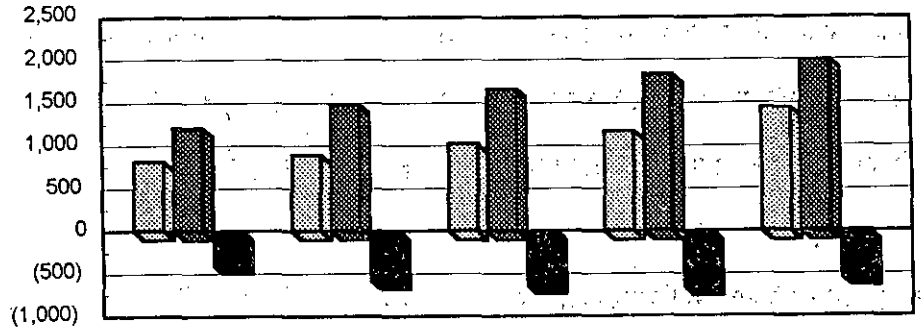

	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93
प्राप्तियां	814	893	1025	1175	1451
व्यय	1213	1484	1659	1834	1990
घाटा	(399)	(591)	(634)	(659)	(539)

टिप्पणी:- * प्राप्तियों तथा संग्रहण की लागत के ब्यौरे अध्याय- IV में दिए गए हैं।

1.3 क्षेत्रवार प्रवृत्तियां

1992-93 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न सेवाओं पर व्यय नीचे दिया गया है:-

क्षेत्र-वार कुल व्यय

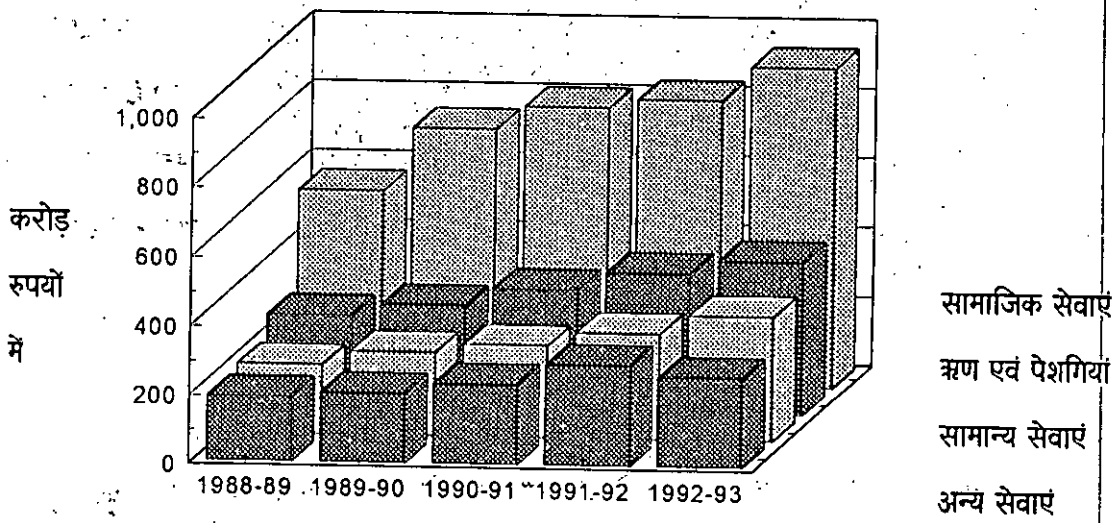

क्षेत्रवार राजस्व व्यय

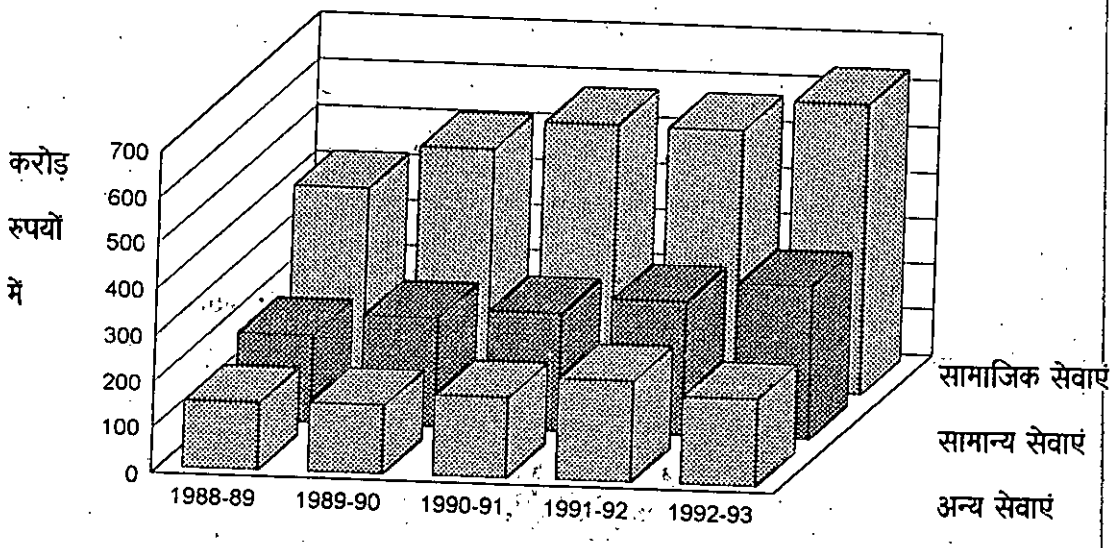

क्षेत्रवार पूंजीगत व्यय

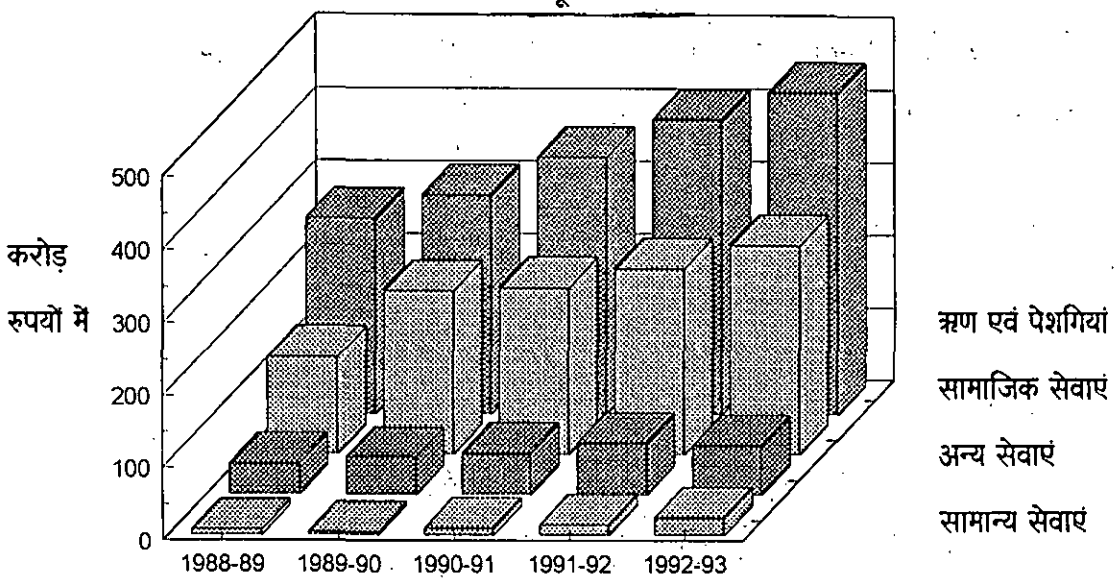

उपर्युक्त ग्राफों से यह देखा जाएगा कि यद्यपि प्रत्येक क्षेत्र के अन्तर्गत व्यय में एक समान वृद्धि हुई थी, प्रत्येक वर्ष विभिन्न क्षेत्रों को आबंटित अनुपातों में वर्षानुवर्ष परिवर्तन नहीं हुआ।

1.4 1992-93 के दौरान व्यय का ब्यौरा

1992-93 के दौरान क्षेत्रवार किया गया व्यय निम्नानुसार था:-

क्षेत्रवार कुल व्यय

1992-93

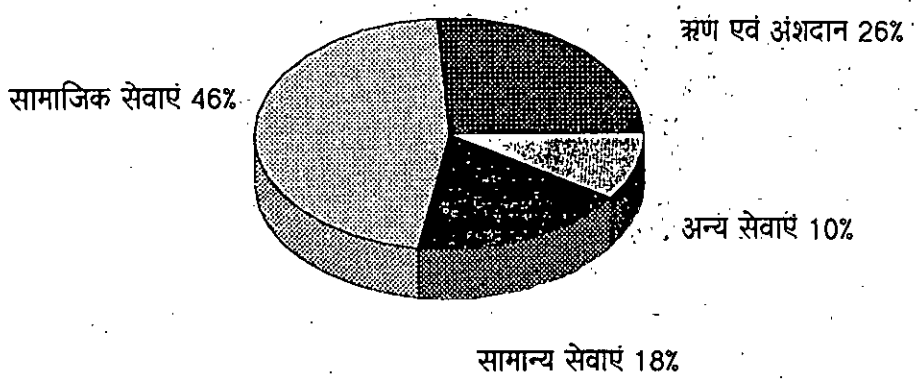

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि सामाजिक सेवाओं, सामान्य सेवाओं तथा अन्य सेवाओं पर किए गए व्यय में से कुछ स्थानीय निकायों को दिए गए सहायक-अनुदानों के रुप में था। विभिन्न सेवाओं पर वास्तव में किया गया प्रत्यक्ष व्यय निम्नानुसार परिकलित किया गया:-

सेवावार कुल व्यय

1992-93

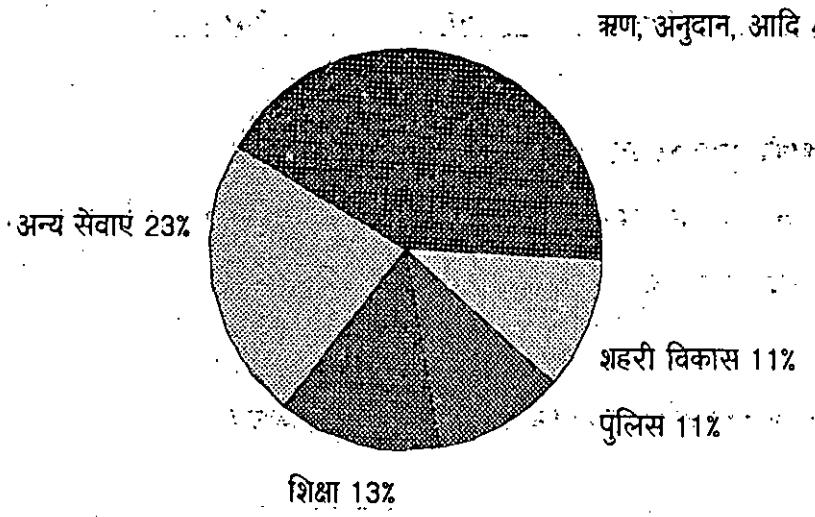

उपर्युक्त ग्राफ से यह देखा जाएगा कि 1992-93 के दौरान व्यय मुख्यतः ऋणों एवं पेशगियों, सहायक-अनुदानों तथा स्थानीय निकायों को दिये गए अंशदानों (42 प्रतिशत) पर किया गया था। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रुप से किया गया व्यय मुख्यतः पुलिस (11 प्रतिशत), शिक्षा (13 प्रतिशत) तथा शहरी विकास (11 प्रतिशत) पर था।

1.5 स्थानीय निकायों को कुछ कर प्राप्तियों तथा अनुदानों का सौंपा जाना

वाहनों पर करों, सीमा कर तथा मनोरंजन एवं बाजीकर से प्राप्त प्राप्तियों को सहायक अनुदान के रुप में स्थानीय निकायों को सौंपा जाता है तथा अंशदानों को शीर्ष 3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को सौंपने तथा क्षतिपूर्ति के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। वर्ष 1992-93 के दौरान स्थानीय निकायों को 7073 लाख रु. की राशि आबंटित की गई थी जो निम्नानुसार है:-

तालिका 1.5

(लाख रुपये में)

	दि नि नि	न दि न पा	दि छा बो	कुल
वाहनों पर कर	1920	333	59	2312
मनोरंजन कर	1565	154	3	1722
बाजी कर	0	127	0	127
सीमा कर	2791	92	29	2912
जोड	6276	706	91	7073

1.6 स्थानीय निकायों को दिए गए अनुदान, ऋण एवं पेशगियां

स्थानीय निकायों तथा दि.वि.प्रा. को 1988-93 तक के पांच वर्षों के दौरान अदा किए गए ऋण तथा अग्रिम एवं दिए गए अनुदान नीचे दिए गए है:-

स्थानीय निकायों को दिए गए सहायक अनुदानों की प्रवृत्ति

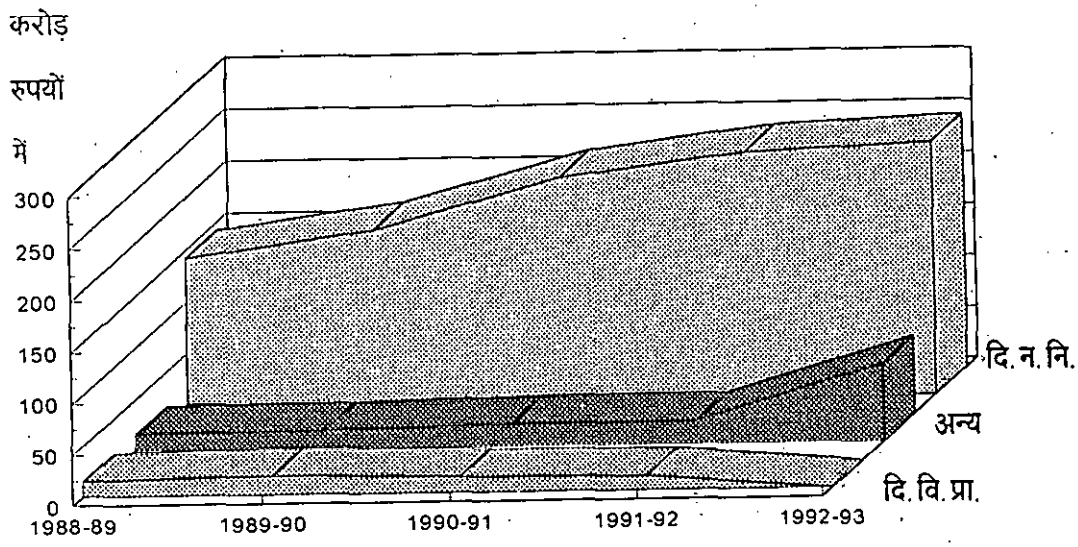

स्थानीय निकायों को दिए गए ऋण एवं अग्रिमों की प्रवृत्ति

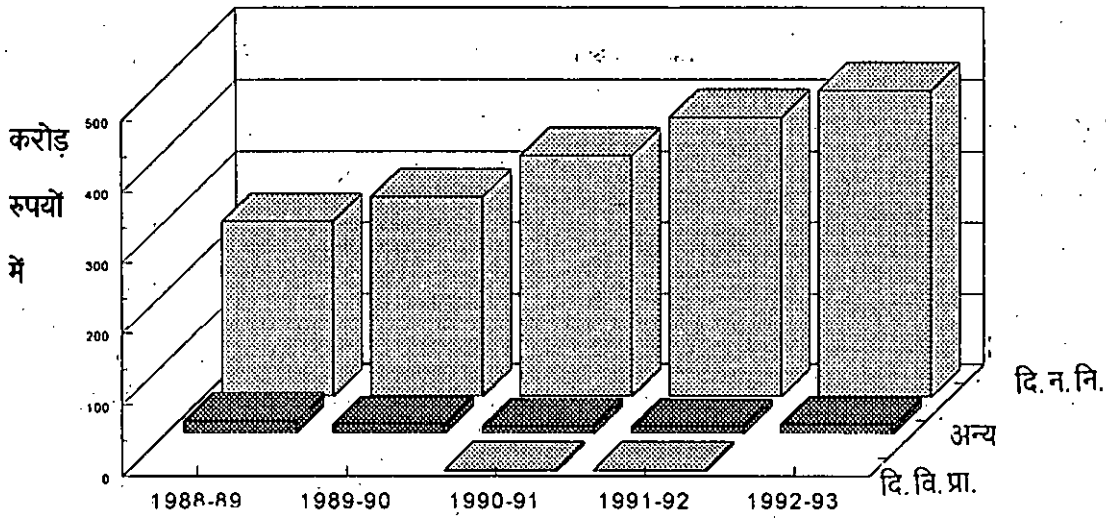

अध्याय II

रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार के लेखें

2.1 वित्त लेखे

2.1.1 लोक क्षेत्र उपक्रम

(क) निष्क्रिय निवेश

रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, सहकारी बैंकों तथा समितियों में 31 मार्च 1992 को 63 करोड़ रु. के प्रति 31 मार्च 1993 को 74 करोड़ रु. के निवेश किए गए। 1990-91 से 1992-93 तक के वर्षों के अंत में निवेशों पर प्राप्त लाभांश निवेश के आंकड़ों के साथ नीचे दिया गया है:-

निवेशों तथा अर्जित लाभांश की प्रवृत्ति

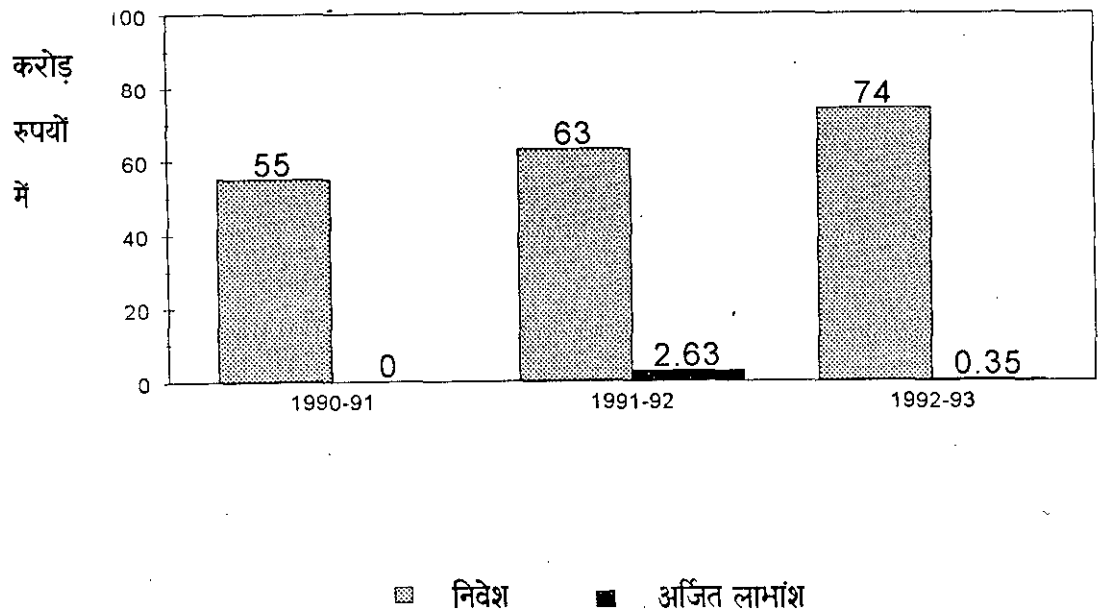

इस प्रकार, इन निकायों में किए गए निवेशों पर सरकार के लाभांश के रुप में नगण्य वापसी हुई है। यह अपनी अर्थक्षमता का सुधार करने के लिए अपने कार्य की पुनरीक्षा करने की आवश्यकता को दर्शाता है।

(ख) निवेश का लेखांकन न किया जाना

सरकार द्वारा निर्मित किए गए 2919 औद्योगिक कार्य केन्द्रों को जुलाई 1991 में दि.रा.औ.वि.नि. को स्थानान्तरित कर दिया गया था। इन कार्य केन्द्रों के निर्माण पर सरकार द्वारा किए गए 12 करोड़ रु. के

व्यय को दि.रा.औ.वि.नि. के साम्य शेयरों के प्रति अंशदान के रुप में माना जाना था। यद्यपि इस अंतरण को 1991-92 के संघ सरकार के वित्त लेखे में दर्शाया गया था लेकिन इसे रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार के 1992-93 के वित्त लेखाओं में नहीं दर्शाया गया है।

(ग) ऋणों की शर्तों का निर्धारित न किया जाना

जैसाकि संघ सरकार के वित्त लेखाओं में (विवरण सं. 3) उल्लेख किया गया है, निम्नलिखित ऋणों की शर्तों को अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। ऋणों की शर्तों का और विलम्ब किए बिना निर्धारण करने हेतु गृह मंत्रालय तथा रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार द्वारा कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है।

तालिका 2.1.1 (ग)

(करोड़ रुपयों में)

ऋणी लिमिटेड निगम का नाम	वर्ष जिसमें ऋण दिया गया	ऋणों की संख्या	ऋणों की कुल राशि
दिल्ली पर्यटन विकास	1988-89	3	24
दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास	1986-87	2	60

2.1.2 स्थानीय निकायों के प्रति देर से बकाया ऋण तथा ब्याज

31 मार्च 1991, 1992 तथा 1993 को पुनर्भुगतानों का समायोजन करने के बाद स्थानीय निकायों तथा दि.वि.प्रा. के पास बकाया कुल ऋणों तथा अग्रिमों को नीचे दिया गया है:-

स्थानीय निकायों के प्रति बकाया रहे ऋणों की प्रवृत्ति

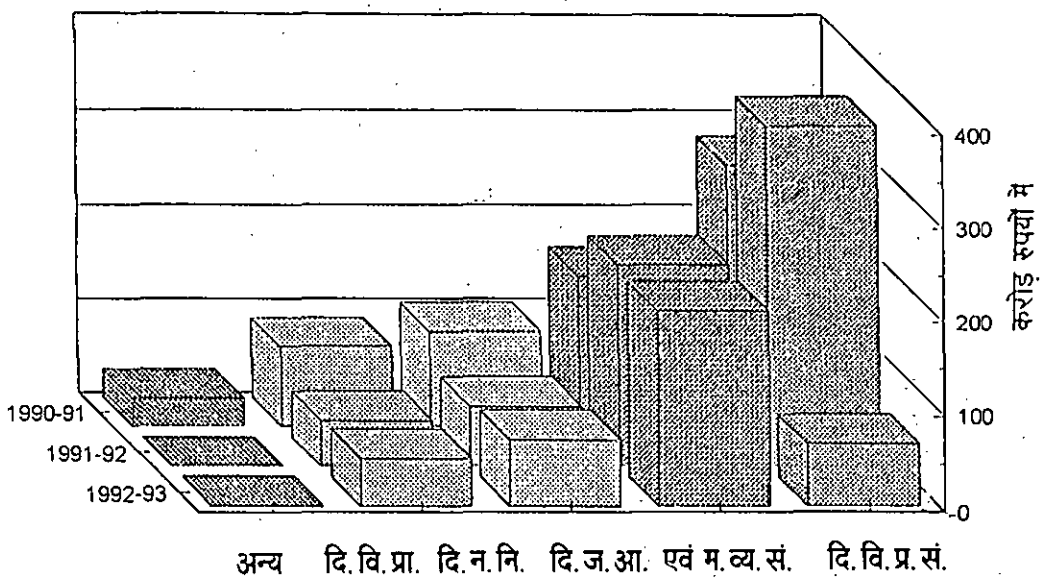

स्थानीय निकायों के ऋणों पर बकाया ब्याज की प्रवृत्ति

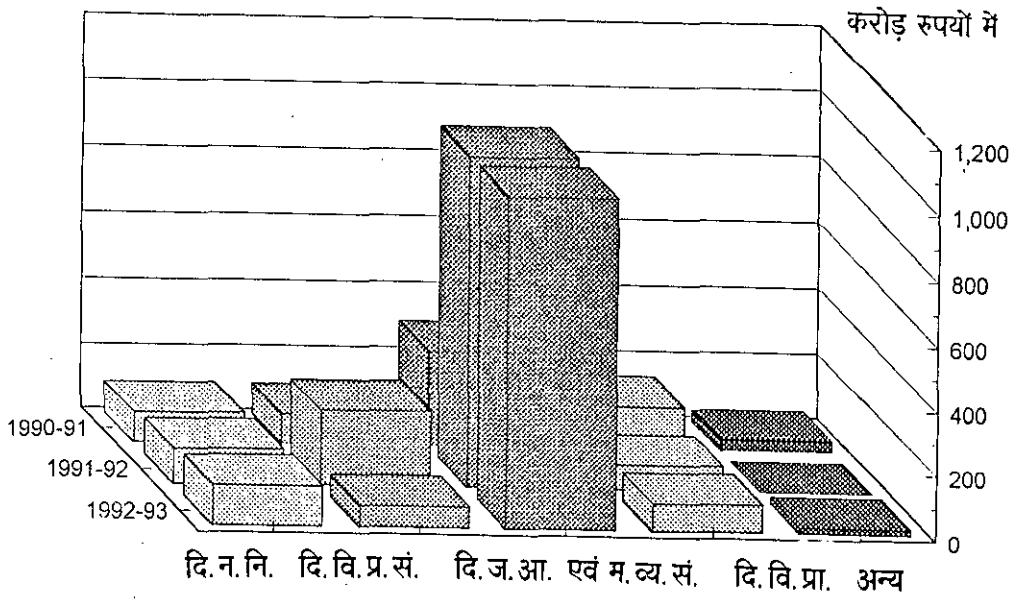

दिल्ली जल आपूर्ति एवं मलजल व्ययन संस्थान (दि.ज.अ. एवं म.व्य.सं.), अतिदेय ब्याज के भुगतान का मुख्य चूककर्ता था, 1990-91 में देय राशि 296 करोड़ रु. से 1992-93 में 1019 करोड़ रु. तक बढ़ गई थी। वसूली सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय तथा रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार द्वारा कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है।

31 मार्च 1993 को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (दि.वि.प्र.सं.) के प्रति ऋणों में (1991-92 में 362 करोड़ रु. से 1992-93 में 66 करोड़ रु. तक) तथा अतिदेय ब्याज में (1991-92 में 236 करोड़ रु. से 1992-93 में 66 करोड़ रु. तक) तेजी से कमी होने पर, रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार ने बताया कि इन पर देय ब्याज सहित 31 मार्च 1989 तक संस्वीकृत ऋणों को सितम्बर 1989 में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा छोड़ दिया गया

था तथा 31 मार्च 1989 के बाद संस्वीकृत ऋणों की ऋण की 50 प्रतिशत राशि से प्राप्त होने वाली ब्याज देयता सहित चिरस्थायी ऋणों के रुप में माना जा रहा है। जनवरी 1994 में भेजें गए दि.वि.प्र.सं. के प्रति बकाया ऋणों तथा ब्याज के आंकड़े निम्नानुसार थे:-

तालिका 2.1.2

(करोड़ रुपयों में)

को	ऋण	ब्याज
31 मार्च 1991	8.73	9.00
31 मार्च 1992	30.45	30.62
31 मार्च 1993	66.31	66.31

तथापि लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि मंत्रालय के आदेशानुसार 31 मार्च 1989 को देय ऋण की मूल राशि को चिरस्थायी ऋण के रुप में परिवर्तित किया गया था जिस पर 31 मार्च 1989 तक कोई ब्याज देय नहीं था। उसके बाद इस आधे ऋण की राशि ब्याज मुक्त की जानी थी, तथा जैसाकि भारत सरकार के विभागीय उपक्रमों को वितरित ऋणों के संबंध में प्रभारित किया जा रहा था, शेष आधी राशि पर उन्हीं दरों पर ब्याज प्रभारित किया जाना था।

यह भी देखा गया था कि सरकार द्वारा भेजे गए अतिदेय ब्याज के आंकड़ों अर्थात् 31 मार्च 1993 को 66.31 करोड़ रु. में 31 मार्च 1989 को देय मूल राशि की आधी राशि पर ब्याज को शामिल नहीं किया गया था।

2.2 विनियोग लेखापरीक्षा के परिणाम

2.2.1 अधिक बचतें तथा अधिक व्यय

अनुमोदित मांगों के प्रति 1992-93 के दौरान वास्तव में किए गए व्यय की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:-

वास्तविक अनुदान/विनियोग, अनुपूरक

वास्तविक व्यय तथा बचतें

करोड़ रुपयों में

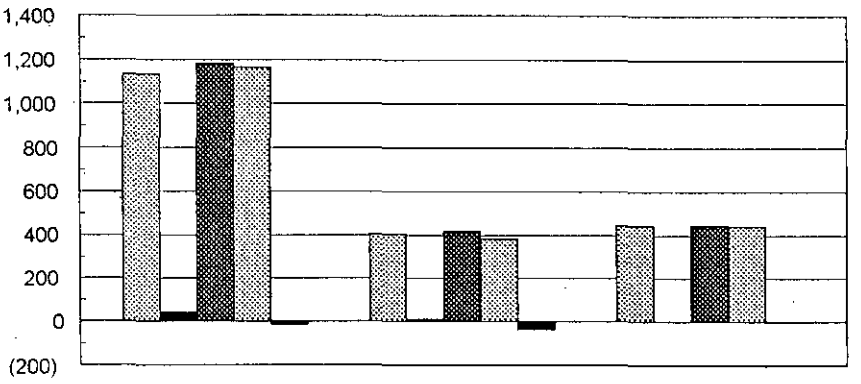

		I राजस्व:	II पूंजीगत	III ऋण एवं अग्रिम
वास्तविक अनुदान/विनियोग	▨	1136	407	446
अनुपूरक	■	44	12	0
कुल	▩	1180	419	446
वास्तविक व्यय	▨	1163	383	444
बचत	■	(17)	(36)	(2)

उपर्युक्त ग्राफ तथा तालिका से देखा गया कि समग्र बचतें (3 प्रतिशत) महत्वपूर्ण नहीं थीं। तथापि उपशीर्षों के अन्तर्गत विनियोग लेखे की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 10 उपशीर्षों के बजट अनुमान अवास्तविक रुप से अधिक थे तथा प्रत्येक उपशीर्ष में बचतें 26 प्रतिशत से 94 प्रतिशत तक की रेंज में थी। 13 उप शीर्षों के मामले में लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि बजट अनुमान अपर्याप्त थे जिसके परिणामस्वरुप व्यय 4 प्रतिशत से 376 प्रतिशत की रेंज तक अधिक था। इन मामलों के ब्यौरे क्रमशः अनुबंध "2 क" तथा "2 ख" में दिए गए हैं।

2.2..2 अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग तथा अनुपूरक अनुदान

यह पाया गया था कि 15 मामलों में उप शीर्षों के अन्तर्गत पुनर्विनियोग अथवा अनुपूरक अनुदान या तो अनावश्यक था या फिर बहुत अधिक था क्योंकि उप-शीर्षों के अन्तर्गत वास्तविक प्रावधान जिसमें पुनर्विनियोग या अनुपूरक अनुदान के द्वारा निधियां अंतरित की गई थी, पर्याप्त राशि से बहुत अधिक था। परिणामस्वरुप उप-शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचतों ने या तो इन उप-शीर्षों में पुनर्विनियोग/अनुपूरक अनुदान की राशि को बढ़ाया और या पुनर्विनियोग/अनुपूरक अनुदान की बहुत अधिक राशि अप्रयुक्त रही। यह व्यय पर पर्याप्त नियंत्रण रखने की कमी का सूचक था। इस प्रकार के मामलों के ब्यौरे अनुबंध "2ग" तथा "2घ" में दिए गए हैं।

2.2.3 निधियों का अप्राधिकृत पुनर्विनियोग

(क) संसद की लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर सरकार ने यह निर्धारित किया है कि पुनर्विनियोग हेतु कोई आदेश, जिसका उप-शीर्षों के अन्तर्गत बजट प्रावधान का 25 प्रतिशत से अधिक या 1 करोड़ रुपए, जो भी अधिक हो, बजट प्रावधान बढ़ाने का प्रभाव हो, वित्तीय वर्ष की अनुपूरक मांगों के पिछले बैच के साथ संसद को सूचित किया जाएगा तथा यदि इस प्रकार का पुनर्विनियोग अनुपूरक मांगों के पिछले बैच के बाद किया जाता है तो विभाग के वित्तीय सलाहकार द्वारा वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।

वर्ष 1992-93 के लेखाओं की नमूना जांच से यह पाया गया था कि तीन मामलों में जिसके विस्तृत ब्यौरे नीचे दिए गए हैं, जहां पुनर्विनियोग से एक करोड़ रुपए की दोहरी सीमाएं तथा संस्वीकृत प्रावधानों का 25 प्रतिशत बढ़ गया है वहां रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार ने न तो संसद को वृद्धि के बारे में सूचित किया था और न ही व्यय विभाग का पूर्वानुमोदन ही प्राप्त किया था।

तालिका 2.2.3 (क)

(करोड़ रु. में)

	उपशीर्ष	बजट प्रावधान	पुनर्विनियोग की राशि
1)	मुख्य शीर्ष "2055"	5.62	1.43
	क- 14 पुलिस		
	क- 14(5) जिला पुलिस		
	क- 14(5)(9) उत्तरी जिला		
2)	मुख्य शीर्ष- "2056"	4.52	1.65
	क-15 - जेलें		
	क-15(1) निर्देशन तथा प्रशासन		
	क-15(1)(1) जेल स्थापना		
3)	मुख्य शीर्ष- "3054"	6.00	1.64
	व- 6 सड़कें तथा पुल		
	व- 6(1)- जिला तथा अन्य सड़कें		
	व- 6(1)(1) अन्य व्यय		

रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार ने लेखापरीक्षा में इन पर आपत्ति किए जाने के बाद इन मामलों में से दो को (क्रम सं.2 तथा 3) मंत्रालय में अनुमोदन हेतु भेजा था। मंत्रालय का अन्तिम अनुमोदन प्रतीक्षित था (दिसम्बर 1993)। तीसरे मामले के संबंध में रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार ने बताया कि जहां सीमा मानक उद्देश्य (विस्तृत शीर्ष) के अधीन अधिक नहीं हुई थी, वहां अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक नहीं था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि लो.ले.स. की सिफारिशों तथा उस पर आधारित भारत सरकार के आदेशों में यह स्पष्ट रुप से निर्धारित था कि उप शीर्ष के अन्तर्गत जहां निर्धारित सीमा बढ़ गई है वहां वित्त मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(ख) वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के का.ज्ञा.सं. एफ-I (10)ई-II (ए) 92 दिनांक 14.9.1992 में निहित अनुदेशों के अनुसार समस्त पुनर्विनियोग, जिनसे उप शीर्ष के अन्तर्गत एक करोड़ रुपए से अधिक तक बजट प्रावधानों में वृद्धि होने का प्रभाव होगा, केवल सचिव, व्यय विभाग के अनुमोदन से ही किए जाते रहेंगे।

यह पाया गया था कि निम्नलिखित सात मामलों में पुनर्विनियोग एक करोड़ रु. से अधिक हो गया था लेकिन सचिव, व्यय विभाग का पूर्वानुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था:-

तालिका 2.2.3 (ख)

(करोड़ रुपयों में)

	उपशीर्ष	पुनर्विनियोग की राशि
1.	मुख्य शीर्ष "2055" क- 14 पुलिस क- 14(3)(1)(1) सुरक्षा	1.54
2.	मुख्य शीर्ष "2055" क-14 पुलिस क- 14(3)(1)(2) विशेष ब्रांच	1.04
3.	मुख्य शीर्ष "2055" क- 14 पुलिस क- 14(5)(2) दक्षिणी जिला	1.18
4.	मुख्य शीर्ष "2055" क- 14 पुलिस क- 14 (5)(6) पश्चिमी जिला	1.02
5.	मुख्य शीर्ष "2055" क- 14 पुलिस क- 14(4)(2)(1) दिल्ली सशस्त्र पुलिस प्रथम बटालियन	1.18
6.	मुख्य शीर्ष "2202" झ- 1 सामान्य शिक्षा झ- 1 (2)(6) राजकीय माध्यमिक विद्यालय	1.31
7.	मुख्य शीर्ष "2202" झ-1 सामान्य शिक्षा झ-1 (2)(9)(1) 11-14 तथा 14-17 की आयु वर्ग में अतिरिक्त स्कूली सुविधाओं का प्रावधान	1.73

रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार ने बताया कि जहां मानक उद्देश्य (विस्तृत शीर्ष) के अधीन एक करोड़ रुपए की सीमा को बढ़ाया नहीं गया था वहां अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक नहीं था। यह उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि भारत सरकार के आदेशों में यह स्पष्ट रुप से निर्धारित था कि जहां उप शीर्ष के अन्तर्गत निर्धारित सीमा बढ़ाई गई है वहां वित्त मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2.2.4 योजनाओं का कार्यान्वयन न होने के कारण बचतें

योजनाओं का कार्यान्वयन न होने के कारण 91 उप शीर्षों के अन्तर्गत बजट अनुमानों में किए गए 20 करोड़ रु. का प्रावधान संपूर्णतः अप्रयुक्त रहा। इन मामलों में से 61 में समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोग के द्वारा शून्य तक घटा दिया गया था। पचास लाख रु. से अधिक प्रावधान शामिल होने वाले इस प्रकार के मामलों के ब्यौरे अनुबंध "2ड." में दिए गए हैं।

2.2.5 व्यय की कमी में वसूलियों का खराब बजट बनाना

अनुदान हेतु मांगे व्यय अर्थात् भण्डार के उपयोग से प्राप्त होने वाली वसूलियां आदि पिछले समय में अधिप्राप्त या अन्य विभागों को अंतरित व्यय को मिलाकर सकल राशि के लिए हैं।

राजस्व भाग में 20 करोड़ रु. की अनुमानित वसूलियों के प्रति वास्तविक वसूलियां 38 करोड़ रु. की थी। पूंजीगत भाग में 230 करोड़ रु. की अनुमानित वसूलियों के प्रति वास्तविक वसूलियां 197 करोड़ रु. की थी। पचास लाख रुपए से अधिक मुख्य अन्तरों के ब्यौरे अनुबंध "2 च" में दिए गए हैं।

2.2.6 निधियों का विलम्बित अभ्यर्पण

अनुदान या विनियोग में बचतों का ज्ञान होने के तत्काल बाद वर्ष के अंतिम दिन की प्रतीक्षा किए बिना सरकार को अभ्यर्पित की जानी होती हैं ताकि सरकार उनको अन्य क्षेत्रों, जहां निधियों की कमी है, में उपयोग करने के लिए समर्थ हो। बचतों को संभावित भावी आधिक्य के लिए आरक्षण में नहीं रखा जाना चाहिए।

1992-93 के लेखाओं में यह देखा गया था कि 55 करोड़ रु. की अंतिम बचतों में से केवल 26 करोड़ रु. की राशि ही वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को अभ्यर्पित की गई थी। इससे यह प्रकट होता है कि व्यय का कोई प्रभावकारी नियंत्रण एवं अनुश्रवण नहीं था।

अध्याय III

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के सिविल विभाग

शिक्षा

3.1 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (रा.शै.अनु.प्र.प.)

3.1.1 प्रस्तावना

राजकीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (रा.शै.अ.प्र.प. अथवा परिषद), सभी यूनिटों जैसे कि विज्ञान शाखा, दूरदर्शन शाखा, राजकीय शिक्षा संस्थान, पाठ्य पुस्तक शाखा, शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शक ब्यूरो, के कार्यकलापों को समन्वित कर एक छत्र के नीचे लाते हुए शिक्षा के स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से शिक्षा निदेशालय के एक भाग के रुप में, 1980-81 में स्थापित की गई थी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर विचार करने से पता चला कि रा.शै.अ.प्र.प. एक स्वायत्त निकाय बन गई थी तथा एक समिति के रुप में पंजीकृत की जानी चाहिए। तदनुसार, रा.शै.अ.प्र.प.,दिल्ली शिक्षा, स्त्री एवं शिशु विकास, राष्ट्रीय एकता तथा अन्य सम्बन्धित मामलों के क्षेत्र में इसकी नीतियों तथा मुख्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में दिल्ली प्रशासन की सहायता करने तथा उनको परामर्श देने के उद्देश्य से, समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत, मई 1988 में पंजीकृत की गई थी।

3.1.2 संगठनात्मक ढांचा

परिषद में, अध्यक्ष के रुप में उपराज्यपाल दिल्ली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रुप में कार्यकारी पार्षद (शिक्षा), उपाध्यक्ष के रुप में सचिव, शिक्षा, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार सहित 12 सदस्य निहित हैं। कार्यकारी समिति, जो रा.शै. अ.प्र.प. की शासी निकाय है, उसमें अध्यक्ष के रुप में सचिव शिक्षा, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार सहित 9 सदस्य निहित हैं। परिषद के मामलों का प्रशासन निदेशक, रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा चलाया जाता है। रा.शै.अ.प्र.प. के अधीन चार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (जि.शि.प्र.सं.) कार्य करते हैं।

3.1.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

अप्रैल से सितम्बर 1993 के दौरान 1988-89 से 1992-93 की अवधि से सम्बन्धित रा.शै.अ.प्र.प. तथा चार जि. शि.प्र.सं. के अभिलेखों की जांच की गई थी।

3.1.4 विशिष्टताएं

- आयोजित कार्यक्रमों पर किया गया व्यय कुल व्यय का एक बहुत छोटा सा अंश था। वर्ष 1990-91 के बजट अनुमान कार्यकारी समिति के समक्ष नहीं रखे गए थे तथा इस प्रकार 72.91 लाख रु. का व्यय अभी नियमित किया जाना था।

- प्रारम्भ में जिन 11 विभागों पर विचार किया गया था, उनमें से छः विभाग कार्य कर रहे थे। कुल 25 संकाय सदस्यों में से 10 शिक्षक शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे थे। चूंकि यह परिषद केवल सर्विस प्रशिक्षण का आयोजन कर रही थी, अन्य शिक्षकों की भूमिका के बारे में न तो स्पष्ट रुप से व्याख्या की गई थी और न ही उसे विभाजित किया गया था।

- अधिकतर नियुक्त किए गए शैक्षिक स्टाफ में निर्धारित आवश्यक योग्यताएं एवं अनुभव नहीं थे।

- एक संकाय विकास भत्ता प्रदान किया गया था जिसके लिए लक्ष्य न तो स्पष्ट रुप से परिभाषित किए गए थे और न ही प्राप्त किए गए थे।

- परिषद ने एक वीडियो कैमरे की खरीद की, जबकि किसी राजकीय तकनीकी शैक्षिक संस्थान का गठन नहीं किया गया था।

- परिषद ने एक वाहन की हकदारी के प्रति पिछले चार वर्षों से स्टाफ कारों के रुप में सात वाहन खरीदे तथा उपयोग किए थे। इनमें से पांच अनियमित रुप से व्यक्तिगत अधिकारियों को आबंटित किए गए थे।

- वर्ष 1988-89 से 1992-93 के दौरान, इन- सर्विस प्रशिक्षण के लक्ष्यों की प्राप्ति में माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए 75 प्रतिशत तथा प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए 51 प्रतिशत की कमी थी।

- वर्ष 1990-91 के दौरान परिषद ने अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क के रुप में 16.40 लाख रु. की राशि एकत्रित की थी जिसे लेखाबद्ध नहीं किया गया था।

- जैसे कि मूल रुप से योजना बनाई गई थी, परिषद के कार्य तथा प्रगति के पुनरीक्षण के लिए किसी समिति का गठन नहीं किया गया था।

3.1.5 योजना एवं वित्त

रा.शै. अ.प्र.प. का वित्तपोषण मुख्यत: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) दिल्ली की सरकार द्वारा किया जाता था। चार जि.शै.प्र.सं. का वित्तपोषण प्रत्यक्ष रुप से भारत सरकार, मानव संसाधन विकास (मा.सं.वि.) मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा किया जाना था। तथापि, परिषद के लेखाओं से पता चला कि 1990-91 तथा 1991-92 के वर्षों के लिए जि.शि.प्र.सं.को कुछ अनुदान रा.शै.अ.प्र.प. के माध्यम से दिए गए थे। अवरोक्त ने तब इन अनुदानों को "अन्य प्रभार" शीर्ष के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया, जो अनियमित था।

1988-92 के दौरान प्राप्ति एवं व्यय निम्न प्रकार से था:

तालिका-3.1.5: रा.शै.अ.प्र.प./जि.शै.प्र.सं. की प्राप्तियां एवं व्यय

(लाख रु. में)

	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92
रा.शै.अ.प्र.प.				
प्राप्तियां	36.19	50.72	76.23	81.67
(सहायक अनुदान)				
व्यय				
वेतन	4.58	16.24	26.75	28.62
कार्यक्रम	शून्य	4.37	8.51	9.93
अन्य प्रभार				
i) राजस्व	8.92	9.76	7.47	12.08
ii) पूंजीगत	16.62	27.67	9.07	6.29
iii) जि.शै.अ.प्र.प.को				
सहायक अनुदान	शून्य	शून्य	21.11	20.30
जोड़	**30.12**	**58.04**	**72.91**	**71.22**

	1988-89	1889-90	1990-91	1991-92
जि.शै.प्र.प.				
सहायक अनुदान)				
प्राप्तियां	19.04	53.62	52.01	90.14
व्यय				
वेतन	शून्य	18.78	38.69	41.72
कार्यक्रम	शून्य	6.64	5.35	5.80
अन्य प्रभार				
i) राजस्व	--	4.43	4.77	7.34
ii) पूंजीगत	18.46	13.12	7.44	25.40
जोड़	18.46	42.97	56.25	80.26

कार्यक्रमों पर किया गया व्यय जिसे परिषद तथा जि.शै.प्र.प.के मुख्य कार्यकलाप के रुप में माना गया था, कुल व्यय का एक बहुत छोटा सा अंश था।

चूंकि योजनागत तथा योजनेत्तर व्यय के लिये पृथक लेखे अनुरक्षित नहीं किए जा रहे थे, जिस ढंग में योजनागत निधियों को प्रयोग में लाया जा रहा था, उन पर कोई नियंत्रण नहीं था। परिषद ने दिसम्बर 1993 में बताया कि इस प्रक्रिया का वर्ष 1993-94 से अनुसरण किया जाएगा।

और भी प्रक्रियात्मक दोष थे। वर्ष 1990-91 के लिए बजट- अनुमान कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत नहीं किए गए थे तथा 72.91 लाख रु. का व्यय ऐसे अनुमोदन के बिना किया गया था। परिषद ने दिसम्बर 1993 में बताया कि ऐसा गलती से हुआ था।

वर्ष 1988-89 के दौरान, 30.12 लाख रु. के कुल व्यय में से 13.62 लाख रु. (45 प्रतिशत) का व्यय वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन को किया गया था। इसी प्रकार, 1989-90 के दौरान 67 प्रतिशत व्यय वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान किया गया था।

3.1.6. ढांचा

क) विभाग

गठन के समय यह विचार किया गया था कि परिषद के अन्तर्गत 11 विभाग खोले जाएंगे। प्रारम्भ में परिषद ने 6 विभागों के साथ कार्य करना प्रारम्भ किया। तथापि, इन विभागों के लिए न तो कोई विशिष्ट कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे और न ही उनकी भूमिका स्पष्ट रुप से विभाजित की गई थी।

1990-91 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत चार और विभाग जैसे विज्ञान एवं अंकगणित शिक्षा, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान शिक्षा, भौतिक एवं कला शिक्षा तथा अलाभकारी वर्ग की शिक्षा, खोले जाने थे। तथापि, परिषद ने अप्रैल 1993 में बताया कि इन चारों में से कोई भी नहीं खोला गया था। इन विभागों को प्रारम्भ न करने के लिए कोई कारण नहीं बताए गए थे।

ख) स्टाफ

25 संकाय सदस्यों में से 10, शिक्षक शिक्षा, विस्तार एवं समन्वय विभाग के अन्तर्गत थे। अन्य 5 विभागों में 15 संकाय सदस्य थे। तथापि, चूंकि इन विभागों के कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं थे, लेखापरीक्षा के लिए उनका मूल्यांकन करना सम्भव नहीं था। परिषद ने अप्रैल 1993 में बताया कि वे केवल इन- सर्विस प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर ही अपना ध्यान केन्द्रित कर रहे थे।

ख (i) अनुपयुक्त स्टाफ की भर्ती

संकाय पदों (प्राध्यापक,वरिष्ठ प्राध्यापक, रीडर) के लिए रा.शै. अ.प्र.प. द्वारा 1989 में निर्मित किये गये भर्ती नियमों के अन्तर्गत आवश्यक शैक्षिक योग्यताएं तथा अनुभव निर्धारित थे। नियुक्तियां, चयन समिति, जिसे इण्टरव्यू के माध्यम से अभ्यर्थियों को छांटना था, की सिफारिशों के आधार पर निदेशक द्वारा की जानी थीं।

अभिलेख की संवीक्षा से पता चला कि कार्यकारी समिति द्वारा निर्मित भर्ती नियम अभी तक भी अधिशासी निकाय द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए थे। आगे यह देखा गया था कि 24 संकाय सदस्यों में से केवल आठ, निर्धारित योग्यताएं एवं अनुभव रखते थे। शेष 16 उनके द्वारा धारित पदों के योग्य नहीं थे। उनमें से नौ निर्धारित योग्यताएं नहीं रखते थे तथा शेष सात निर्धारित अनुभव, जैसा कि ड्राफ्ट भर्ती नियमों में उल्लिखित था, नहीं रखते थे। इन अयोग्य संकाय सदस्यों के वेतन तथा भत्तों के प्रति वर्ष 1992-93 तक 23.87 लाख रु. की राशि खर्च की गई थी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मा.सं.वि.मं.) के दिशानिर्देशों के परिशिष्ट से अनुबन्ध 12 में जि.शै.प्र.सं. की विभिन्न शाखाओं में शैक्षिक पद की प्रत्येक श्रेणी के लिए आवश्यक योग्यताएं एवं अनुभव निर्धारित हैं।

अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि :

- पूर्व-सेवा शिक्षक शिक्षा (पू.से.शि.शि.) शाखा में कार्यरत 18 में से 15 वरिष्ठ प्राध्यापक एवं प्राध्यापक उनके द्वारा धारित पदों के योग्य नहीं थे।

- प्रौढ़ शिक्षा/अनौपचारिक शिक्षा (प्रौ.शि./अनौ.शि.)के लिए जिला संसाधन यूनिट (जि.सं.यू.) में कार्यरत आठ में से सात वरिष्ठ प्राध्यापक तथा प्राध्यापक उनके द्वारा धारित पदों के योग्य नहीं थे।

- शेष पांच शाखाओं में कार्यरत 29 में से 23 वरिष्ठ-प्राध्यापक तथा प्राध्यापक उनके द्वारा धारित पदों के योग्य नहीं थे।

मार्च 1992 तक अयोग्य स्टाफ के वेतन तथा भत्तों पर 64.47 लाख रु. का व्यय किया गया था। वर्ष 1992-93 के लिये आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

परिषद ने दिसम्बर 1993 में बताया कि जि.शै.प्र.सं. के लिए भर्ती नियम, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के आधार पर बनाए गए थे; परन्तु कुछ मामलों में दिल्ली में जि.शै.प्र.सं. की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संशोधन किए गए थे। उनका उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि परिषद के पास न तो इस प्रकार के संशोधन करने का विवेकाधिकार था और न ही इन्हें औपचारिक रूप से अधिसूचित अथवा पारित किया गया था।

ख (ii) संकाय विकास भत्ता (सं.वि.भ.)

रा.शै.अ.प्र.प. के नियमों तथा विनियमों के नियम 67 के अनुसार परिषद के शैक्षिक स्टाफ पर सेवा की वही शर्तें तथा अवधि लागू होनी चाहिए थी जो राष्ट्रीय शै.अ.प्र.प. के के शैक्षिक स्टाफ पर लागू थी। राष्ट्रीय शै.अ.प्र.प. के शैक्षिक स्टाफ को कोई सं.वि.भ. नहीं दिया गया था।

तथापि, इस नियम के विपरीत, परिषद की कार्यकारी समिति ने अपने संकाय सदस्यों को कुछ शर्तों के अध्यधीन उनके शिक्षण कौशल के सुधार तथा उनके ज्ञान को अद्यतन करने के लिए सं.वि.भ. देने का निर्णय लिया।

परिषद ने बताया कि संकाय सदस्यों ने यह प्रमाणित किया था कि उनके द्वारा सं.वि.भ.की राशि, कुछ कागजों की फोटोप्रतियां कराने, स्टेशनरी तथा यात्रा-खर्चों पर व्यय की गई थी।

अभिलेखों की परीक्षा-जांच से मालूम हुआ कि पिछले चार वर्षों के दौरान संकाय सदस्यों में से केवल एक सदस्य ने एक शैक्षिक जर्नल में प्रकाशन हेतु केवल एक कागज प्रस्तुत किया था। इस प्रकार, संकाय सदस्यों द्वारा सं.वि.भ. की स्वीकृति के लिए किसी शर्त का पालन नहीं किया गया था।

यह देखा गया था कि सं.वि.भ. 1988-93 के दौरान निदेशक, संयुक्त निदेशक तथा उप सचिव को भी दिया गया था तथा 1993-94 के दौरान भी जारी था, हालांकि इन तीनों कर्मचारियों में से कोई भी परिषद के संकाय का सदस्य नहीं था।

इस प्रकार सं.वि.भ. के भुगतान पर 2.92 लाख रु. का व्यय असंगत था।

परिषद ने दिसम्बर 1993 में बताया कि राष्ट्रीय शै.अ.प्र.प. का स्टाफ बहुत से ऐसे लाभ प्राप्त कर रहा था जिनके लिए रा.शै.अ.प्र.प. का स्टाफ पात्र नहीं था। केवल यही एक ऐसा लाभ था जो राष्ट्रीय शै.अ.प्र.प. का स्टाफ प्राप्त नहीं कर रहा था। यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि नियमों के अधीन वही सेवा शर्तें लागू होनी थी जो राष्ट्रीय शै.अ.प्र.प. के स्टाफ पर लागू थी।

ग) शैक्षिक सामग्री

परिषद को शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु एक शैक्षिक संसाधन केन्द्र के रुप में कार्य करना था तथा शैक्षिक सामग्री, शैक्षिक उपकरणों, श्रव्य तथा दृश्य कार्यक्रमों के उत्पादन का उत्तरदायित्व लेना था। इन क्षेत्रों में उपलब्धियों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा को दिए गए उत्तर में परिषद ने बताया कि के.मा.शि.बो. द्वारा ली गई माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक परीक्षाओं के लिए सभी विषयों में नमूना प्रश्न पत्रों के विकास के लिए दिसम्बर 1991 में अभिविन्यास कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी। इसके पश्चात उच्चतर माध्यमिक विद्यार्थियों (अप्रैल 1993) के लिए गणित में नमूना प्रश्न-पत्रों के विकास हेतु शिक्षकों तथा विशेषज्ञों की बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की गई। यह स्पष्ट नहीं था कि शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए शैक्षिक सामग्री के विकास के रुप में परिषद के इस कार्यकलाप को किस प्रकार की उपाधि दी जा सकती थी।

ग(i) पुस्तकालय पुस्तकों का लेखांकन न किया जाना

भूतपूर्व राजकीय शिक्षा संस्थान का पुस्तकालय दिसम्बर 1988 में परिषद को स्थानान्तरित किया गया था। परिषद ने सितम्बर 1993 तक पुस्तकों का कोई प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया था।

परिषद ने दिसम्बर 1993 में बताया कि शिक्षा निदेशालय द्वारा पुस्तकालय उन्हें नहीं सौंपा गया था। उनका उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि जनवरी 1989 के एक आदेश द्वारा पुस्तकालय, परिषद के स्वामित्व में सौंप दिया गया था।

ग(ii) शैक्षिक टी.वी. (शै.टी.वी.) हेतु उपकरण की खरीद

1982-87 के लिए बनाई गई इनसैट उपयोग योजना में यह निर्णय लिया गया था कि शैक्षिक कार्यक्रम प्रस्तुति के लिए दूरदर्शन 50 प्रतिशत उत्तरदायित्व बरदाश्त करेगा। शेष 50 प्रतिशत का उत्तरदायित्व मा.सं.वि.मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा वहन किया जायेगा जिसने जुलाई 1987 में केन्द्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थानों (के.शै.त.सं.) तथा राजकीय शैक्षिक तकनीकी संस्थानों (रा.शै.त.सं.), जहां पर ये विद्यमान थे, शै.टी.वी. कार्यक्रम प्रस्तुति केन्द्रों के गठन का प्रस्ताव रखा था। रा.शै.त.सं. को शै.टी.वी. की प्रस्तुति तथा दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर प्रदर्शन तथा प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों का उत्तरदायित्व लेने के योग्य बनाने के लिए मंत्रालय ने रा.शै.त.सं. से जुलाई 1987 में स्टूडियो स्थापित करने तथा उपसाधनों सहित स्टूडियो उपकरण मैं.जी.सी.ई.एल. बडौदा से लेने को कहा।

यद्यपि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार अथवा रा.शै.अ.प्र.प. अथवा मा.सं.वि. मंत्रालय द्वारा कोई रा.शै.त.सं. स्थापित नहीं किया गया था, रा.शै. अ.प्र.प. दिल्ली ने मार्च 1990 में 11 लाख रु. की लागत पर उपसाधनों सहित एक स्टूडियो कैमरा तथा 47,880 रु. में दो रंगीन टी.वी. एवं दो वी.सी.आर. खरीदे। इसी प्रकार, मार्च 1991 तथा मार्च 1992 में वि.टी.वी.(विद्यालय टी.वी.) प्रस्तुति योजना के अन्तर्गत 1.99 लाख रु. तथा 4.22 लाख रु. की कीमत का उपकरण खरीदा गया था।

इस उपकरण के प्रचालन हेतु अन्य आवश्यकताओं की साथ-साथ योजना नहीं बनाई गई थी, जैसे, इस मशीन को चलाने के लिए योग्य स्टाफ की नियुक्ति, सम्पादन मेज तथा अन्य उप-साधन नहीं खरीदे गए थे।

1990-93 के दौरान इस उपकरण का 26 फिल्मों के प्रस्तुतिकरण में उपयोग किया गया था। इनमें से 23, वास्तव में केवल घटनाओं की रिकार्डिंग ही थीं। केवल तीन ही शैक्षिक फिल्में थीं। इनमें से किसी का भी प्रदर्शन नहीं किया गया था। रा.शै.अ.प्र.प.ने अगस्त 1993 में बताया कि इन फिल्मों की वीडियो कैसेटें बदल कर तैयार की गई थी तथा इन-सर्विस शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान दिखाई जा रही थी।

इन फिल्मों की लागत का भी लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि प्रस्तुति के कोई पृथक लेखे अनुरक्षित नहीं किए जा रहे थे।

इस प्रकार, योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था क्योंकि जिन विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ पहुंचाया जाना था, उन्हें रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा तैयार की गई 26 फिल्मों में से एक भी नहीं दिखाई गई थी। परिणामस्वरुप, 1989-92 के दौरान स्टूडियो उपकरण तथा वि.टी.वी. पर किया गया 17.69 लाख रु.का व्यय निष्फल था।

परिषद ने दिसम्बर 1993 में बताया कि इस उपकरण की खरीद का प्रावधान आठवीं योजना के अन्तर्गत किया गया था। वास्तव में खरीद उससे भी पूर्व 1989-90 में कर ली गई थी। परिषद ने बताया कि

फिल्में प्रदर्शित नहीं की गई थी बल्कि इन-सर्विस प्रशिक्षण के दौरान केवल अध्यापकों को ही दिखाई गई थी। इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि योजना के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई थी।

घ) सहायक अनुदानों का अनुपयोग

1989-90 के दौरान, भारत सरकार ने जि.शै.प्र.सं., मोतीबाग में सिविल निर्माण कार्यों के लिए व्यय की अनावर्ती मदें अनुमोदित की तथा विशेष मरम्मत कराने के लिये 2 लाख रु. तथा संस्थान के नए भवन (शैक्षिक तथा प्रशासनिक विंग) के निर्माण के लिए 3.60 लाख रु. संस्वीकृत किए।

जि.शै.प्र.सं. द्वारा प्राप्त 5.60 लाख रु. में से, 3 लाख रु. संगोष्ठी कक्ष के निर्माण हेतु दिल्ली ऊर्जा विकास एजेंसी (दि.ऊ.वि.ए.) को नवम्बर 1990 में भुगतान किए गए थे, 2 लाख रु. सावधि जमा के रुप में तथा शेष 0.60 लाख रु. चालू खाते में बैंक में जमा कराए गए थे।

सावधि जमा के रुप में रखे गए 2 लाख रु. में से 1.29 लाख रु. की राशि अपवर्तित कर के अगस्त 1992 में एक अन्य डिपोजिट निर्माण कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग को अदा कर दी गई थी। 1.31 लाख रु. की अव्ययित राशि जमा 0.54 लाख रु. का ब्याज जुलाई 1993 में शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को वापिस कर दिए गए थे।

विशेष मरम्मत का कार्य लो.नि.वि. द्वारा किया गया था तथा भुगतान, शिक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार द्वारा किया गया था क्योंकि भवन वास्तव में उनसे संबंधित था। परिणामस्वरुप, 2 लाख रु. की राशि उपयोग में नहीं लाई जा सकी। प्रारम्भ से ही इस राशि को सावधि जमा में रखना अनियमित था तथा भारत सरकार द्वारा जारी संस्वीकृति, जिसमें यह कहा गया था कि अनुदान की अव्ययित राशि या तो वापिस की जानी थी अथवा अनुदान को उसी उद्देश्य हेतु उपयोग करने के लिए अगले वर्ष में अग्रेषित करने के लिए अनुमति प्राप्त की जानी थी, के विपरीत था।

ड.) वाहन उपयोग

सरकारी परिषद, रा.शै.अ.प्र.प. के वाहनों की खरीद की संस्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी थी। 1988-89 से 1991-92 के वर्षों के दौरान, परिषद ने परिषद तथा जि.शै.प्र.सं. के अधिकारियों द्वारा उपयोग हेतु एक तिपहिया तथा दो 15 सीटों वाली बसों सहित 8 वाहन खरीदे थे। अभिलेख यह नहीं दशति थे कि क्या इन खरीदों के लिए सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त की गई थी।

इन वाहनों में से छः, रा.शै.अ.प्र.प. एवं जि.शै.प्र.सं. के व्यक्तिगत अधिकारियों के प्रयोग हेतु, प्रदान किए गए थे, यद्यपि इन छः अधिकारियों में से केवल एक (निदेशक, रा.शै.अ.प्र.प.) ही इस अनुलाभ का पात्र था।

चूंकि पांच वाहनों का अप्राधिकृत अधिकारियों द्वारा उपयोग किया गया था, इन वाहनों पर किया गया व्यय अनियमित था तथा सम्बन्धित अधिकारियों से वसूली योग्य था। निदेशक, रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा प्रयोग में लाए गए वाहन के अतिरिक्त, वर्ष 1989-90 से 1992-93 के लिए वाहनों के लिए वसूली योग्य वेतन तथा समयोपरि भत्ते की राशि 5.94 लाख रु. परिकलित की गई थी। परिषद ने 1989-90 से 1992-93 के वर्षों के लिए पैट्रोल, मरम्मत तथा इन वाहनों के अनुरक्षण पर 14.03 लाख रु. का व्यय किया था।

परिषद ने दो जि.शै.प्र.सं. के लिए दो पन्द्रह सीटों वाली बसें भी खरीदी थीं जबकि जि.शै.प्र.सं. के गठन तथा उसके द्वारा अनुमोदित मदों के परिमाप के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में इन वाहनों की खरीद का कोई प्रावधान नहीं था। यह विचलन दिसम्बर 1993 में परिषद द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

3.1.7 इन - सर्विस प्रशिक्षण

क(i) सातवीं योजना में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा चलाए गए स्कूलों में लगभग 30,000 माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक अध्यापक कार्यरत थे। रा.शै.अ.प्र.प. से प्रत्येक वर्ष एक मास में 6,000 अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाना अपेक्षित था ताकि प्रत्येक अध्यापक पांच वर्षों में एक बार इन-सर्विस प्रशिक्षण प्राप्त कर ले।

यह देखा गया था कि 1988-89 से 1992-93 के वर्षों के दौरान किसी भी अध्यापक को एक मास के लिए इन-सर्विस प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। तथापि, इस अवधि के दौरान अध्यापकों को अल्पावधियों के लिए प्रशिक्षण दिया गया था, जैसाकि नीचे विवरण दिया गया है।

तालिका 3.1.7 क(i): रा.शै.अ.प्र.प.में प्रशिक्षण दिवसों में कमी

वर्ष	लक्ष्य			उपलब्धियां				
	प्रशिक्षित किए जाने वाले अध्यापकों की सं.	प्रशिक्षण की अवधि (दिनों में)	प्रशिक्षण दिवसों की संख्या	प्रशिक्षित किए गए अध्यापकों की संख्या	प्रशिक्षण की अवधि (दिनों मे)	प्रशिक्षण दिवसों की संख्या	कमी (प्रशिक्षण दिवसों में)	प्रतिशतता कमी
1988-89	6000	30	180000	शून्य	शून्य	शून्य	-180000	100
1989-90	6000	30	180000	3658	15	54870		
				1210	7	8470		
						63340	-116660	70
1990-91	6000	30	180000	1730	15	25950		
				537	7	3759		
						29709	-150291	83
1991-92	6000	30	180000	555	15	8325		
				4415	7	30905		
						39225	-140775	78
1992-93	6000	30	180000	5571	15	93565	- 86435	48
				(जुलाई 1992 तक)				
जोड़			900000			225839	674161	75

इस प्रकार, 1988-89 से 1992-93 की अवधि के दौरान प्रशिक्षण दिवसों के लक्ष्यों की उपलब्धि में कुल 75 प्रतिशत की कमी थी।

क(ii) जि.शै.प्र.सं. ने भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार इन-सर्विस अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए।

तालिका 3.1.7 क(ii) जि.शै.प्र.सं.में प्रशिक्षण दिवसों में कमी

वर्ष	लक्ष्य			उपलब्धि				
	प्रशिक्षित किए जाने वाले अध्यापकों की संख्या	प्रशिक्षण की अवधि (दिनों में)	प्रशिक्षण दिवसों की संख्या	प्रशिक्षित किए गए अध्यापकों की संख्या	प्रशिक्षण की अवधि (दिनों में)	प्रशिक्षण दिवसों की संख्या	कमी (प्रशिक्षण दिवसों में)	प्रतिशतता कमी
1989-90	2400	18	43200	2914	10	31390	-11810	27
1990-91	2400	18	43200	1301	11	14411	-28789	67
1991-92	2400	18	43200	938	15	13680	-29520	68
1992-93	2400	18	43200	1683	15	25245	-17955	42
जोड			172800			84726	-88074	51

1989-90 से 1992-93 की अवधि के दौरान प्रशिक्षण दिवसों के लक्ष्य की उपलब्धि में कुल 51 प्रतिशत की कमी थी।

इन-सर्विस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रत्येक वर्ष ग्रीष्म अवकाश अर्थात 15 मई से 14 जुलाई के दौरान चलाए जाते हैं। इस प्रकार, रा.शै.प्र.अ.प. में संकाय सदस्यों की सेवाओं का एक वर्ष में दो से तीन मास के लिए ही लाभ उठाया जा रहा था। रा.शै.प्र.अ.प. यदि केवल ग्रीष्म अवकाश के बजाए पूरे वर्ष के लिए ही प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का प्रबन्ध करती तो स्टाफ का लाभकर उपयोग किया जा सकता था तथा प्रशिक्षण दिवसों की संख्या में कमी इतनी अधिक अर्थात 75 प्रतिशत तक नहीं होती।

रा.शै.अ.प्र.प. तथा जि.शै.प्र.सं. ने भी विद्यालय, अर्थात प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों, प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा में कार्यरत अधिकारियों के अध्यापकों के सामूहिक अभिविन्यास कार्यक्रम के अन्तर्गत एक से ग्यारह दिन की अवधि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए थे।

परिषद ने दिसम्बर 1993 में बताया कि लक्ष्य के अनुसार प्रत्येक वर्ष 6000 अध्यापकों को एक मास की अवधि के लिए प्रशिक्षण देना व्यावहारिक नहीं था तथा तद्नुसार तीन सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि 1993-94 की वार्षिक योजना में भी योजनागत लक्ष्यों को संशोधित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। परिषद ने उत्तर में बताया कि वे प्रशिक्षण अवधि को कम करने पर विचार कर रहे थे।

क (iii) अनियमित कार्यक्रम व्यय

रा.शै.अ.प्र.प. तथा जि.शै.प्र.सं. 1989-93 की अवधि के दौरान इन-सर्विस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी अध्यापकों को 20 रु. प्रति दिन प्रति अध्यापक दे रही थी। मा.सं.वि.मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, 20 रु. प्रतिदिन केवल बाहर के प्रशिक्षणार्थियों को ही दिए जा सकते थे। इस प्रकार से किया गया 62.11 लाख रु. का भुगतान अनियमित था।

ख) अनुसंधान परियोजनाएं

इसे प्रारम्भ करते समय यह विचार किया गया था कि शैक्षिक नीति तथा अनुसंधान के मामलों में परिषद विज्ञमण्डल के रुप में कार्य करेगी। यद्यपि, परिषद विभिन्न क्षेत्रों में अनुसांधान कर रही थी, तथापि, वे ऐसे अनुसंधान के लाभों अथवा ठोस उपलब्धियों को विनिर्दिष्ट करने में असमर्थ थे।

ग) **इन-सर्विस अध्यापक शिक्षा केन्द्र**

परिषद द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान एक इन-सर्विस अध्यापक शिक्षा केन्द्र की स्थापना की जानी थी। तथापि, परिषद ने बताया कि उक्त अवधि (अप्रैल 1993) के दौरान इसे स्थापित नहीं किया जा सका।

घ) **कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र**

सितम्बर 1991 में रा.शै.अ.प्र.प.के. ने बताया कि कम्प्यूटर साक्षरता एवं विद्यालय (क.सा.वि.अ.) परियोजना विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा विद्यालय शिक्षा में कार्यरत अधिकारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं थी। अत: निम्न कार्य को प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक साफ्टवेयर सहित आई बी एम अनुकूल निजी कम्प्यूटरों के साथ एक कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया था:

- उन स्कूलों में अध्यापकों को प्रशिक्षण, जहां व्यावसायिक क्रम में कम्प्यूटर पाठ्यक्रम पहले से ही प्रारम्भ किए जा चुके थे;

- उन स्कूलों में अध्यापकों को प्रशिक्षण, जहां कम्प्यूटर विज्ञान एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाने प्रस्तावित किए गए थे;

- दिल्ली में विद्यालय शिक्षा में कार्यरत सभी स्तर के अधिकारियों को, वास्तविक जीवन में कम्प्यूटर के विभिन्न प्रयोगों से परिचित कराने के लिए, प्रशिक्षण;

- विभिन्न प्रसिद्ध वर्ड-प्रोसेसिंग अथवा लेखा साफ्टवेयर उपयोगों में अल्पावधि प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम चलाया जाना।

मार्च 1992 में, रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र के लिए साफ्टवेयर सहित 3.96 लाख रु. के मूल्य के निम्नलिखित कम्प्यूटर खरीदे गए थे।

1.	पी सी/ए टी 80386	दो	2.24 लाख रु.
2.	पी सी/ए टी 80286	दो	1.00 लाख रु.
3.	डॉट मैट्रिक्स प्रिन्टर्स	तीन	0.72 लाख रु.

परिषद ने सितम्बर 1993 तक कम्प्यूटर विज्ञान में कोई प्रमाण-पत्र अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ नहीं किया था। दी गई प्राप्त मशीनों की थोड़ी सी संख्या तथा यह तथ्य कि कोई साफ्टवेयर नहीं खरीदा गया था, किसी भी अर्थपूर्ण कार्यक्रम का चलाया जाना व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता था।

3.1.8. शिक्षा निदेशालय

क) अभिलेखों की अनुपलब्धता

शिक्षा निदेशक के आदेशानुसार रा.शै.अ.प्र.प./रा.शै.सं. के पास उपलब्ध भौतिक सुविधाएं एवं ढांचा, दिसम्बर 1988 से नव स्थापित स्वायत्त परिषद को हस्तान्तरित कर दिया गया था। 1980-88 अवधि से सम्बन्धित अभिलेख, परिषद अथवा शिक्षा विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे। विभाग ने नवम्बर 1993 में बताया कि इन अभिलेखों को ढूढ़ने के प्रयास किए जा रहे थे जो मिलने पर उपलब्ध करा दिये जाएंगें।

ख) वर्ष 1990-91 के दौरान रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा 16.40 लाख रु. की राशि पी.जी.टी./ टी.जी.टी. के लिए प्रवेश परीक्षाएं लेने के लिए 50 रु. प्रति अभ्यार्थी की दर पर शुल्क के प्रति एकत्रित की गई थी, परन्तु यह राशि न तो रा.शै.अ.प्र.प. की बहियों में लेखाबद्ध की गई थी तथा न ही उनके बैंक खाते में दर्शाई गई थी। यद्यपि, जुलाई 1991 में प्रवेश परीक्षा शुल्क को रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार को अन्तरित करने का निर्णय लिया गया था, परिषद द्वारा सितम्बर 1993 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

ग) राष्ट्रीय शै.अ.प्र.प. ने रा.शै.अ.प्र.प. दिल्ली में क.सा.अ.वि. परियोजना के अन्तर्गत सितम्बर 1990 में एक कम्प्यूटर अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया। प्रारम्भ में इस केन्द्र के साथ 39 विद्यालय सम्बद्ध किए गए थे परन्तु बाद में इन में से 8 वापिस ले लिए गए थे। राष्ट्रीय शै.अ.प्र.प. द्वारा 57 साफ्टवेयर पैकेजों सहित 202 बी.बी.सी. माइक्रो-कम्प्यूटर आपूर्त किए गए थे। कम्प्यूटर अनुरक्षण निगम, इस परियोजना के अन्तर्गत हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर आपूर्त तथा अनुरक्षित करने के लिए एक अधिकृत एजेन्सी थी। यद्यपि परिषद ने दिसम्बर 1993 में स्पष्ट किया कि कम्प्यूटर कक्षाएं चलाई जा रही थी, केन्द्र, विद्यालयों में इन कम्प्यूटरों की उपयोगिता को निर्दिष्ट करने वाले कोई अभिलेख नहीं दिखा पाया था।

3.1.9 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

प्रारम्भ करते समय यह विचार किया गया था कि रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार, परिषद के कार्य और प्रगति की पुनरीक्षण तथा प्रगति के लिए तथा परिषद के मामलों में पूछताछ करने तथा परिणामों की सूचना देने के

लिए, एक अथवा अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति करेगी। तथापि, सितम्बर 1993 तक कोई पुनरीक्षण समिति स्थापित नहीं की गई थी।

उपर्युक्त मुद्दे नवम्बर 1993 में गृह मंत्रालय को भेजे गए थे। उनका उत्तर दिसम्बर 1993 तक प्रतीक्षित है।

3.2 व्यावसायिक शिक्षा योजना

3.2.1 प्रस्तावना

शिक्षा आयोग द्वारा शैक्षिक पुनर्निमाण हेतु दी गई सिफारिशें (1964-66) भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 (रा.शि.नी.) में अपनाई गई थी। इस नीति के कार्यान्वयन के भाग के रूप में व्यावसायिक शिक्षा, विद्यालयों में शिक्षा की दस जमा दो प्रणाली को आरम्भ करने के साथ शैक्षिक-वर्ष 1977-78 से रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार के अधीन, जमा-दो स्टेज पर शुरु की गई थी।

योजना के मुख्य उद्देश्य, शिक्षा को उत्पादकता के साथ सम्बद्ध करना, विद्यार्थियों को अधिक रोजगार योग्य तथा स्व अथवा श्रम रोजगार के योग्य बनाना, कुशल जनशक्ति की मांग को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान एवं कला से परिचित कराना था।

3.2.2. लेखापरीक्षा का कार्य-क्षेत्र

1988-89 से 1992-93 की अवधि के दौरान आगामी योजनागत योजना का कार्यान्वयन, शिक्षा निदेशालय (निदेशालय) की व्यावसायिक शिक्षा ब्रांच तथा 23 विद्यालयों के संदर्भ में, जुलाई-सितम्बर 1993 में लेखापरीक्षा द्वारा परीक्षा जांच की गई थी। लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण उपलब्धियां आगे के पैराग्राफों में दी गई हैं।

3.2.3 विशिष्टताएं

- **सातवीं योजना के दौरान निदेशालय ने दिल्ली में व्यावसायिक शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु निधियों का केवल 38 प्रतिशत खर्च किया। आगे के तीन वर्षों 1990-93 के दौरान, यद्यपि व्यय आवंटन का 80 प्रतिशत था, व्यय का मुख्य भाग उपकरणों की खरीद पर था। परिणामस्वरुप नए अनुभागों तथा पाठ्यक्रमों को खोलने तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के नामांकन हेतु लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके।**

- निदेशालय भी एक समानान्तर केन्द्रीय प्रायोजित योजना "शिक्षा का व्यापारीकरण" के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी था, परन्तु केन्द्रीय सरकार से प्रतिपूर्ति लेने, अथवा योजना के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए थे।

- 1992-93 तक उच्चतर माध्यमिक विद्यार्थियों के व्यावसायिक धारा में विपथन के 15 प्रतिशत के लक्ष्य के प्रति, लक्ष्य का केवल 6 प्रतिशत ही प्राप्त किया जा सका।

- जैसाकि योजना में निर्धारित किया गया था, पर्याप्त प्रबंधन एवं अनुश्रवण प्रणालियां मुहैया नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरुप दोषपूर्ण कार्यान्वयन हुआ।

- योजना के दो अनिवार्य उप-यूनिट अर्थात व्यावसायिक सर्वेक्षण कक्ष तथा शैक्षिक कक्ष स्थापित नहीं किए गए थे।

- विना उपयुक्त सर्वेक्षण अथवा योजना के व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के परिणामस्वरुप 54 विद्यालयों में 84 अनुमोदित पाठ्यक्रम वन्द करने पड़े अथवा प्रारम्भ नहीं किए गए। लेखापरीक्षा में नमूना जांच किए जाने वाले अधिकतर विद्यालयों में, विचार किये गये 20 से 25 विद्यार्थियों की भर्ती के प्रति नामांकन 10 से भी कम था।

- 5 विद्यालयों में "एयरकन्डीशनिंग एवं रेफरिजिरेशन पाठ्यक्रम" प्रारम्भ करने लिए खरीदा गया 50.86 लाख रु. की कीमत का उपकरण, प्रतिष्ठापन की प्रतीक्षा में निष्क्रिय पड़ा हुआ था। 1992 से पाठ्यक्रम केवल एक विद्यालय में, संयंत्रों को लगाए विना, शुरु किया गया था। इस पाठ्यक्रम के लिए औजारों के उपकरणों की खरीद पर किया गया आधे से अधिक व्यय के.मा.शि.बो. की निर्धारित सूची के अनुसार नहीं था।

- 13.91 लाख रु. की कीमत की मशीनरी तथा औजार 1991-92 तथा 1992-93 में 5 जिला व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए खरीदे गए थे, यद्यपि इन केन्द्रों की स्थापना नहीं हुई थी।

- **अध्यापकों के लिए भर्ती नियमों को अन्तिम रुप न दिए जाने के कारण व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभावों सहित अंशकालिक अध्यापकों के माध्यम से चलाए जा रहे थे।**

- **विद्यार्थियों के प्रशिक्षण तथा नियोजन के लिए उद्योगों के साथ संयोजन हेतु विद्यालय स्तर अथवा प्रबन्ध समिति स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।**

3.2.4 संगठनात्मक ढांचा

योजनागत योजना "व्यावसायिक शिक्षा" सरकार तथा सरकार से सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा निदेशालय (निदेशालय) की व्यावसायिक शिक्षा ब्रांच द्वारा कार्यान्वित की गई थी। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिये पाठ्यक्रम का प्रावधान केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (के.मा.शि.बो.) द्वारा किया गया था।

3.2.5 वित्तीय प्रबन्ध

निदेशालय ने सातवीं योजना के लिए 531 लाख रु. का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसके प्रति रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार ने 230 लाख रु. आबंटित किए। आठवीं योजना के दौरान निधिकरण तत्वतः 1000 लाख रु. तक बढ़ गया था।

इस योजना पर समस्त व्यय योजनागत निधियों से पूरा किया जाता है। 1985-86 से 1992-93 की अवधि के लिए योजना के कार्यान्वयन पर किए गए व्यय तथा बजट आबंटन के वर्ष-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

तालिका सं. 3.2.5

(लाख रुपयों में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	बचत
1985-90	230	87	143
1990-91	75	62	13
1991-92	121	121	शून्य
1992-93	150	131	19
जोड़	**576**	**401**	**175**

निदेशालय, सातवीं योजना के दौरान, योजना के लिए प्रदान की गई योजनागत निधियों का केवल 38 प्रतिशत ही खर्च कर सका। व्यय मुख्यत: अंशकालिक स्टाफ के वेतन, मजदूरी तथा मानदेय पर था जिसके लिए 79.87 लाख रु. जारी किए गए थे। निदेशालय के पास वास्तविक व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। यद्यपि सातवीं योजना में प्रशासनिक पर्यवेक्षण कक्ष, व्यावसायिक सर्वेक्षण कक्ष तथा शिक्षा कक्ष को मुहैया करते हुए व्यावसायिक शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने का प्रावधान था, इन कक्षों की स्थापना हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। आठवीं योजना के प्रस्ताव में ढांचे का प्रबन्ध करने की आवश्यकता की पुनरावृत्ति की गई थी, 1990-93 के दौरान 346 लाख रु. के आंबटन के प्रति व्यय 314 लाख रु. (80 प्रतिशत) था। मुख्य व्यय, 142.75 लाख रु. के मूल्य के उपकरण की खरीद द्वारा लेखाबद्ध किया गया था।

निदेशालय ने अपने दिसम्बर 1993 के उत्तर में उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि की।

क) निधियों का तदर्थ विमोचन तथा व्यय का समाधान न किया जाना

योजना के अन्तर्गत वार्षिक बजट आबंटन में से, निदेशालय ने अनुपभोज्य वस्तुओं, कच्ची सामग्री, आकस्मिकताओं की खरीद के लिए तथा अंशकालिक अध्यापकों को वेतन के भुगतान हेतु विद्यालयों को निधियां प्रदान की। यह तदर्थ आधार पर किया गया था तथा विद्यालयों की किन्हीं मांगों पर आधारित नहीं था। निदेशालय ने दिसम्बर 1993 में बताया कि उपकरण तथा कच्ची सामग्री की आपूर्ति हेतु आवश्यक प्रतिमान, वित्त विभाग के परामर्श के साथ बनाए जा रहे थे।

एक उपयुक्त पद्धति के अभाव में विद्यालयों द्वारा किए गए वास्तविक व्यय के विवरण भी निदेशालय के पास उपलब्ध नहीं थे। उन्होंने बुक किए गए व्यय के आंकड़े स्वीकार कर लिए तथा विद्यालयों के अभिलेखों के साथ कभी भी कोई समाधान नहीं किया गया था।

ख) प्रत्यक्ष उपलब्धियां

रा.शि.नी. (1986) के अनुसार, व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 1990 तक उच्चतर माध्यमिक विद्यार्थियों का 10 प्रतिशत तथा 1995 तक 25 प्रतिशत कवर किया जाना था। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार ने 1992-93 तक 15 प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक विद्यार्थियों को व्यावसायिक धारा में अपवर्तित करने की योजना बनाई। निदेशालय ने किसी भी स्तर पर वास्तविक कवरेज का परिकलन नहीं किया था क्योंकि व्यावसायिक धारा के अन्तर्गत वार्षिक नामांकन से सम्बन्धित उनके पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी। वर्ष 1993 के लिए के.मा.शि.बो. द्वारा घोषित परिणामों के अनुसार, सामान्य धारा

में बैठने वाले 48000 विद्यार्थियों के प्रति, व्यावसायिक धारा में 2900 विद्यार्थी बैठे, जिससे 1992-93 तक 15 प्रतिशत के लक्ष्य के प्रति 6 प्रतिशत की उपलब्धि का पता लगा है।

1988-89 से 1992-93 के दौरान निर्धारित लक्ष्यों के प्रति निदेशालय द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्ष उपलब्धियों के विवरण निम्नानुसार हैं:-

तालिका 3.2.5(ख)

विवरण	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि		वार्षिक लक्ष्य		उपलब्धि	
	1988-91	1988-89	1989-90	1990-91	1991-93	1991-92	1992-93
1. जोड़े जाने वाले स्कूलों की संख्या	20	21	17	15	50	24	13
2. खोले जाने वाले अनुभागों की संख्या	50	57	41	18	100	32	19
3. नामांकन	500	627	460	102	2000	211	310

निदेशालय द्वारा प्रस्तुत किए गए उपर्युक्त विवरण निदेशालय के अभिलेखों से सत्यापित नहीं किये जा सके।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि निदेशालय सातवीं योजना के दौरान 38 प्रतिशत योजनागत निधियों का उपयोग करते हुए केवल विद्यार्थियों को कवर करने, अनुभागों को खोलने तथा विद्यार्थियों के नामांकन का ही लक्ष्य प्राप्त कर सका। तथापि, योजना के उपयुक्त कार्यान्वयन के लिए आवश्यक ढांचे का समुचित सृजन नहीं किया जा सका। आगामी वर्षों अर्थात 1990-93 के दौरान, निदेशालय ने आबंटित निधियों के 80 प्रतिशत का उपयोग किया, परन्तु स्कूलों को कवर करने, अनुभागों को खोलने तथा नामांकन में उपलब्धि बहुत कम थी। बहुत से स्कूलों में, ढांचे की कमी के कारण पाठ्यक्रम या तो शुरु ही नहीं किए जा सके अथवा बन्द कर दिए गए। यह इस तथ्य के कारण था कि 1990-93 के दौरान 346 लाख रु.के आबंटन में से केवल 142.75 लाख रु., उपकरणों की खरीद पर खर्च किए गए थे। इस प्रकार, योजना के दोषपूर्ण आयोजन एवं कार्यान्वयन के कारण, 1990-93 के दौरान व्यावसायिक धारा में विद्यार्थियों का नामांकन के लक्ष्यों की उपलब्धि में 80 से 90 प्रतिशत के बीच कमी थी। निदेशालय ने दिसम्बर 1993 में इस कमी को स्वीकार किया तथा बताया कि प्रत्यक्ष लक्ष्यों में कमी, नियमित अध्यापकों का प्रावधान न किए जाने तथा समर्थन स्टाफ की कमी के कारण थी।

निदेशालय ने भी आठवीं योजना के प्रस्ताव में योजना के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियों को स्वीकार किया:

- विद्यालयों में व्यावसायिक विषयों के लिए नियमित शिक्षण स्टाफ की कमी;
- योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए पर्याप्त प्रबन्धन पद्धति का प्रावधान नहीं किया गया था;
- इन पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों के लिए स्व रोजगार अथवा सेवा के लिए कोई अवसर निर्दिष्ट नहीं किए गए थे;
- विद्यार्थियों के प्रशिक्षण एवं नियोजन हेतु विभिन्न उद्योगों के साथ अपर्याप्त संयोजन;
- योजना के सम्बन्ध में माता-पिता तथा विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए जन मध्यस्थता तथा अन्य समर्थन की कमी;
- पाठ्य सामग्री की कमी।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि इन मार्गा विरोधों को हटाने के लिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

3.2.6 केन्द्रीय निधियों का उपयोग न किया जाना

निदेशालय, एक समानान्तर केन्द्रीय प्रयोजित योजना "शिक्षा का व्यावसायीकरण" जिसके अन्तर्गत 1987-88 में 10 विद्यालय तथा 40 अनुभाग अनुमोदित किए गए थे, के कार्यान्वयन के लिए भी उत्तरदायी था। केन्द्रीय सरकार ने अनुपभोज्य मदों की खरीद की लागत का 100 प्रतिशत, व्यावसायिक विद्यालयों में स्टाफ पर व्यय का 75 प्रतिशत तथा अन्य प्रबन्धन स्टाफ पर व्यय 50 प्रतिशत वहन करना था। वित्त विभाग ने योजनागत योजना के अन्तर्गत पदों के सृजन पर विचार करते समय, दिसम्बर 1990 में अवलोकित किया कि केन्द्रीय प्रायोजित योजना, यदि सम्पूर्ण रुप से कार्यान्वित की जाये तो अधिक विस्तृत तथा लाभदायक थी। योजना विभाग ने भी देखा कि केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं तथा राजकीय योजनागत योजनाओं दोनों के अन्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य एक जैसे ही थे तथा इस प्रकार विभाग को केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं से अधिकतम लाभ उठाना चाहिए तथा राजकीय योजनागत निधियों पर बोझ कम करना चाहिए। यह देखा गया था

कि राजकीय योजना पर बोझ कम करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत आने वाले स्कूलों की संख्या को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए थे। निदेशालय ने 56 लाख रु. तक की निधियां प्रदान की थीं।

निदेशालय ने जुलाई तथा दिसम्बर 1993 में बताया कि आबंटित निधियों के प्रति वास्तविक व्यय के विवरण अभी सम्बन्धित विद्यालयों से एकत्र किए जाने थे तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजना के प्रतिमानों के अनुसार व्यय का केन्द्रीय भाग उन आंकड़ों के उपलब्ध होने पर ही वसूल किया जा सकता था।

3.2.7 ढांचा एवं अनुश्रवण

क) फरवरी 1987 में स्थायी वित्त समिति द्वारा अनुमोदित योजना में, योजना की आवश्यकताओं के अनुश्रवण तथा समन्वय के लिए एक प्रशासनिक तथा पर्यवेक्षण कक्ष के गठन तथा विद्यालयों में इसके प्रभावी कार्यान्वयन का प्रावधान था। इसके लिए निम्नलिखित पदों के सृजन का प्रस्ताव किया गया था:

उप निदेशक (व्यावसायिक शिक्षा)	1
सहायक निदेशक (व्यावसायिक शिक्षा)	2
वरिष्ठ पार्षद	4
पार्षद	4
कनिष्ठ पार्षद	4
तकनीकी सहायक	4
अन्य अनुसचिवीय स्टाफ	18

रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार ने प्रबन्धन केडर के अन्तर्गत केवल एक उप निदेशक (व्यावसायिक शिक्षा)का पद तथा अनुसचिवीय स्टाफ के 14 पद फरवरी 1991 में संस्वीकृत किए। उप निदेशक (व्यावसायिक शिक्षा) का पद अभी तक नहीं भरा गया था क्योंकि पदों के लिए भर्ती नियमों को अभी अन्तिम रुप दिये जाने थे।

ख) निदेशालय ने विद्यालय स्तर पर योजना के अनुश्रवण हेतु कोई पद्धति, जहां इसे कार्यान्वित किया जाना था, विकसित नहीं की थी। लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि योजना के अनुश्रवण तथा प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, निदेशालय ने अक्तूबर 1990 में 1.91 लाख रु. की लागत पर एक कम्प्यूटर (सुपर ए. टी.) प्रणाली खरीदी। कम्प्यूटर पद्धति को शिक्षा निदेशालय व्यावसायिक शाखा की बजाए पुराना सचिवालय में

स्थापित किया गया था। संयंत्र के बदलाव का कोई अधिकृतिकरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। पुनश्च सितम्बर 1993 की तरह कार्यक्रम का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था यद्यपि कार्यक्रम पन्द्रह वर्षों से अधिक समय से परिचालन में है।

ग) वर्तमान पाठ्यक्रमों की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए नियमित सर्वेक्षण करने हेतु सातवीं योजना के पहले वर्ष में जिला व्यावसायिक कक्ष बनाये जाने थे ताकि उनको समुदाय की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुरुप सुधारा जा सके। योजना के अन्तर्गत संस्वीकृत पदों को नहीं भरा गया था जिसके परिणामस्वरुप व्यावसायिक सर्वेक्षण नहीं किया जा सका।

घ) योजना में अध्यापकों के लिए पाठ्यक्रम सामग्री विकसित करने, अनुस्थापन पाठ्यक्रमों को व्यवस्थित करने के लिए सातवीं योजना के प्रथम वर्ष में एक शैक्षिक कक्ष के गठन की व्यवस्था की गई। कक्ष स्थापित नहीं किया गया था। निदेशालय ने दिसम्बर 1993 में बताया कि यह कक्ष अब राजकीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान का एक भाग होगा जिस के लिए आठवीं योजना में व्यवस्था की गई है।

3.2.8 कार्यान्वयन

क) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए संस्थानों के चयन से सम्बन्धित फाइलों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पाठ्यक्रम बिना किसी उपयुक्त नियोजन या पर्याप्त स्थान की उपलब्धता तथा माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों (20 से 25) की इच्छित भर्ती करने के लिए योग्य होने हेतु पर्याप्त नामांकन से सम्बन्धित सर्वेक्षण एवं नियोजन के बिना ही वे तरतीब ढंग से प्रारम्भ किए जा रहे थे। इस प्रकार 1992-93 तक 147 विद्यालयों में प्रारम्भ करने के लिए स्वीकृत 248 पाठ्यक्रमों में से 54 विद्यालयों में 84 पाठ्यक्रम तक प्रारम्भ नहीं किए गए थे अथवा उपर्युक्त कारणों से बन्द कर दिए गए थे।

आगे नमूना जांच किए गए 23 विद्यालयों में से 7 के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 1988-89 से 1991-92 की अवधि के दौरान प्रत्येक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम विद्यालयों में नामांकन 10 से नीचे था।

निदेशालय ने दिसम्बर 1993 में बताया कि प्रतिमानों के अनुसार नामांकन सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों को कड़े अनुदेश जारी कर दिए गए थे।

क(i) उपकरण की अधिप्राप्ति

निदेशालय ने 1988-89 से 1992-93 की अवधि के दौरान व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 142.75 लाख रु. मूल्य के उपस्कर खरीदे जिसमें से 136.73 लाख रु. मूल्य के उपस्कर 1991-93 की

अवधि के दौरान खरीदे गए। अधिकतम खरीदें इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित थीं जिन पर 104.17 लाख रु. (76.35 प्रतिशत) का व्यय लेखांकित किया गया।

निधियों की आवश्यकता से सम्बन्धित फाइलों की एक संवीक्षा से प्रकट हुआ कि कुल वार्षिक बजट आबंटनों में से निदेशालय ने खरीदे जाने वाले उपस्करों का ब्यौरा दर्शाए बिना विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए संयंत्रों की खरीद के लिए एकमुश्त संस्वीकृति प्राप्त की थी।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रत्येक व्यावसायिक पाठयक्रम के लिए पाठ्य विवरण और औजारों एवं उपस्करों की सूची प्रस्तुत की गई है। निदेशालय ने के.मा.शि.बोर्ड द्वारा निर्धारित किये गये पाठ्यक्रम "वातानुकूलन और रैफ्रीजीरेशन" से सम्बन्धित खरीदें करने के लिए अक्तूबर 1988 में निविदाएं आमंत्रित (नि.आ.) करते हुए एक सूचना जारी की। निम्नतम निविदा के अनुसार उपस्कर के प्रत्येक सैट का मूल्य 2.41 लाख रु. परिकलित किया गया। चूंकि ये निविदाएं अपूर्ण थीं, क्रय समिति द्वारा उन्हें स्वीकार नहीं किया गया तथा मार्च 1989, फरवरी 1990 तथा मार्च 1990 में बिना किसी परिणामों के नई निविदाएं आमंत्रित की गई। उसके बाद, दिसम्बर 1990 में निदेशालय ने के.मा.शि.बो. द्वारा निर्धारित किए गए के अतिरिक्त उपस्कर की खरीद के लिए एक नई निविदा आमंत्रित करने के लिये एक सूचना जारी की। उपस्कर की खरीद के लिए, उनके अलावा जो के.मा.शि.बो. द्वारा निर्धारित किए गए थे, किसी सक्षम प्राधिकारी अथवा विशेषज्ञ समिति के कोई ओदश अभिलेख में नहीं थे। निदेशालय ने 1991-93 के दौरान 50.86 लाख रु. की लागत पर उपस्करों के 5 सैट खरीदे।

निदेशालय ने बताया (सितम्बर 1993) कि "वातानुकूलन एवं रैफ्रीजीरेशन" पाठ्यक्रम के लिए औजार और उपस्कर एवं औजारों की मदों को श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत "शिल्पकारिता प्रशिक्षण योजना" के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक व्यापार परिषद (रा.व्या.व्या.प.) द्वारा निर्धारित उपस्करों की सूची के अनुसार खरीदा गया था क्योंकि के.मा.शि.बो. द्वारा निर्धारित उपस्करों की सूची पर्याप्त नहीं थी।

निदेशालय ने दिसम्बर 1993 में आगे बताया कि रा.व्या.व्या.प. द्वारा निर्धारित उपस्कर एवं औजारों की सूची के.मा.शि.बो. की अपेक्षा उनकी आवश्यकताओं के लिए अधिक उपयुक्त थी। यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निदेशालय इस सम्बन्ध में योजना, जो केवल के.मा.शि.बो. पाठ्यक्रम के लिए प्रदत्त थी, के अन्तर्गत कोई स्व निर्णय नहीं रखता है।

इसके अतिरिक्त खरीदों में 10.07 लाख रु. मूल्य के उपस्कर एवं औजार भी सम्मलित थे, जो शिल्पकारी प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत इस पाठ्यक्रम के लिए पाठ्य विवरण में निर्धारित भी नही किये गये थे। 10.07 लाख रु. में से 7.60 लाख रु. की एक राशि डायरैक्ट रिडिंग वाले 95 क्षमता विश्लेषकों (0-500

निर्मित) की खरीद पर खर्च की गई थी। निदेशालय ने बताया (दिसम्बर 1993) कि क्षमता विश्लेषक, वातानुकूलन और रैफ्रीजीरेशन तकनीक के लिए रा.व्या.व्या.प. द्वारा निर्धारित उपस्करों की सूची में थे। निदेशालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है। यद्यपि औजारों की यह मद शिल्पकारी प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत 1982 में निर्धारित औजारों की सूची में सम्मिलित की गई थी, यह मद योजना के लिये 1990 में संशोधित की गई औजारों की सूची में सम्मलित नहीं थी। इसके अलावा, निदेशालय ने प्रत्येक विद्यालय के लिए 1982 में निर्धारित एक जैसी औजारों की सूची के स्थान पर 7.60 लाख रु. की लागत पर पांच विद्यालयों के लिए 95 क्षमता विश्लेषक खरीदे।

उपस्कर के निरीक्षण हेतु तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह निर्धारित विशिष्टियों के समनुरुप था, शिक्षा विभाग ने सम्बन्धित व्यावसायिक विद्यालयों के प्राचार्यों, प्रभारी अधिकारी (व्यावसायिक शिक्षा) और सम्बन्धित पाठ्यक्रम के विषय विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुए मार्च 1988 में एक उप समिति गठित की। उप समिति कार्य नहीं कर सकी। खरीद वाउचरों की संवीक्षा से पता चला कि 142.75 लाख रु. के मूल्य के संयंत्रों के सम्बन्ध में, अच्छी हालत में प्राप्त किए जाने का प्रमाण पत्र, निदेशालय के प्रधान लिपिक द्वारा बिलों के पृष्ठों पर अभिलिखित किया गया था।

निदेशालय द्वारा केन्द्रीय रुप में खरीदे गए सभी उपस्कर उपयुक्त निरीक्षण के बाद सम्बन्धित विद्यालयों में प्राप्त किए जाने थे। इसके स्थान पर वे निदेशालय में प्राप्त किए गए थे और उनके स्टाक रजिस्टर में लिए गए थे। निदेशालय में अनुरक्षित स्टाक रजिस्टरों की नमूना जांच से पता चला कि ये उपयुक्त रुप से अनुरक्षित नहीं किए गए थे। कोई भी प्रविष्टि किसी भी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी। विद्यालयों ने केवल 4.93 लाख रु. मूल्य के संयंत्रों की प्राप्ति की पावती भेजी थी।

निदेशालय ने बताया (सितम्बर और दिसम्बर 1993) कि 137.82लाख रु. मूल्य के शेष उपस्कर विद्यालयों के भेज दिए गए थे परन्तु उन विद्यालयों द्वारा स्टाक में नहीं लिये जा सके क्योंकि स्टाक को लेने के लिए वहां कोई सक्षम व्यक्ति नहीं था।

क(ii) निधियों का अवरोधन

निदेशालय ने 1991-92 और 1992-93 के दौरान पांच विद्यालयों में वातानुकूलन एवं रैफ्रीजीरेशन पाठ्यक्रम के लिए 50.86 लाख रु. की लागत के उपस्कर खरीदे।

पांच विद्यालयों में अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि वातानुकूलन एवं रैफ्रीजीरेशन पाठ्यक्रम उनमें से केवल एक में शैक्षिक वर्ष 1992-93 से प्रारम्भ किया गया था और इस विद्यालय में भी सितम्बर 1993 तक उपस्कर स्थापित नहीं किया गया था। दो विद्यालयों में पाठ्यक्रम के लिए प्रदत्त उपस्कर स्टाक में नहीं

लिया गया था और पिछले एक वर्ष से उपयुक्त भण्डारण के बिना पड़ा हुआ था। आगे यह देखा गया था कि इस पाठ्यक्रम हेतु प्रत्येक विद्यालय के लिए खरीदे गए उपस्कर 1.80 लाख रु. मूल्य के कोल्ड स्टोरेज संयंत्र और 1.40 लाख रु. मूल्य के वातानुकूलन संयंत्र की तरह ही मूल्यवान (मंहगे) संयंत्रों में सम्मिलित थे जो विशिष्ट रुप से निर्मित कार्यशालाओं या शैडों में प्रतिष्ठापित किए जाने अपेक्षित थे। निदेशालय की पूंजी निर्माण कार्य शाखा ने कार्यशालाओं या शैडों के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को कोई आदेश नहीं दिए थे। अनुबन्ध के अनुसार इन उपस्कारों के लिए आपूर्ति की तिथि से एक वर्ष की गारंटी दी गई थी। हालातों के अन्तर्गत ये गारन्टियां आवश्यकता के मामले में निदेशालय को उपलब्ध नहीं होगीं।

इस प्रकार, इस पाठ्यक्रम के लिए 50.86 लाख रु.मूल्य का खरीदा गया उपस्कर निष्क्रिय पड़ा हुआ था। निदेशालय ने दिसम्बर 1993 में बताया कि विद्यालयों में इन पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे थे और उपस्कर को उपयोग में लाया जाएगा।

व्यावसायिक विद्यालयों के विद्यार्थियों और अध्यापकों को तकनीकी विशेषज्ञता एवं अग्रिम प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पांच जिला व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, प्रत्येक जिले में एक, स्थापित करने का निर्णय मार्च 1993 में लिया गया था। तथापि, निदेशालय ने इन केन्द्रों के लिए 1991-93 के मध्य 13.91 लाख रु. मूल्य की कार्यशाला मशीनें और औजार खरीदे। यह देखा गया था कि जिला व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए अभी तक न तो कार्यशालाएं/शेड और न ही अपेक्षित स्टाफ दिया गया था तथा खरीदा गया उपस्कर व्यावसायिक शाखा में निष्क्रिय पड़ा हुआ था।

निदेशालय ने दिसम्बर 1993 में बताया कि विद्यालय, जहाँ जि.व्या.प्र.के. खोले जाने थे, केवल मार्च 1993 में अभिज्ञात किए जा सके। इन केन्द्रों को स्थापित करने का प्रावधान आठवीं योजना में पहले से ही था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विद्यालयों के चयन और आवश्यक कार्यशाला शैडों तथा स्टाफ को प्रदान करने से पहले कार्यशाला मशीनों और औजार की खरीद के लिए कोई औचित्य नहीं था।

क (iii) निष्क्रिय पड़े हुए भण्डार

निदेशालय द्वारा केन्द्रीय रुप से प्रदत्त उपस्कर के अतरिक्त सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को चलाने हेतु भण्डारों और पुस्तकालय-पुस्तकें खरीदने के लिए वार्षिक निधियां भी आबंटित की गई थी। यह देखा गया था कि 54 विद्यालयों में शुरु करने के लिए संस्वीकृत 84 व्यावसायिक पाठ्यक्रम या तो प्रारम्भ ही नहीं किए गए थे अथवा छोड़ दिए गए थे। इस प्रकार निदेशालय से इन विद्यालयों को केन्द्रीय रुप से प्रदत्त या निदेशालय द्वारा आंबटित निधियों में से पिछले पांच वर्षों के दौरान विद्यालयों द्वारा खरीदे गए भण्डारों की मदों की सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। निदेशालय के पास

इस प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं थी। तथापि चयनित 147 विद्यालयों में से 23 के अभिलेखों की नमूना जांच से यह पता चला था कि 5 विद्यालयों, जहां विद्यालयों से कम प्रतिक्रिया के कारण पाठ्यक्रम शुरू नहीं किए गए थे अथवा मध्य में छोड़ दिए गए थे, में 5.48 लाख रु. मूल्य के भण्डार फालतू /निष्क्रिय पड़े हुए थे।

निदेशालय ने दिसम्बर 1993 में बताया कि अन्य विद्यालयों, जहां इनका उपयोग किया जा सके, को स्थानान्तरण करने के लिए इस प्रकार की मदों के ब्यौरे प्राप्त किये जा रहे थे।

क (iv) निधियों का अपवर्तन

यह देखा गया था कि कम्प्यूटर तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रम के मामले में के.मा.शि.बो. द्वारा निर्धारित हार्डवेयर 640 के.बी. मुख्य याद्दास्त के साथ 8088-2 कम्प्यूटर आधारित माइक्रो कम्प्यूटर था। निदेशालय ने मार्च 1991 में 1.92 लाख रु. मूल्य पर 12 माइक्रो कम्प्यूटर खरीदे। बाद में निदेशालय ने पाठ्यकम के लिए मार्च 1992, अगस्त 1992 और मार्च 1993 में माइक्रो कम्प्यूटर जो 26000 रु. उद्धृत किया गया, के स्थान पर 39000 रु. की दर पर 7.80 लाख रु. की कुल लागत पर 20 पी.सी./एक्स.टी. खरीदे। इनमें से 4.64 लाख रु. मूल्य के उपस्कर व्यावसायिक कम्प्यूटर पाठ्यक्रम से असम्बद्ध अन्य संगठनों एवं अधिकारियों को दिए गए थे।

निदेशालय ने दिसम्बर 1993 में बताया कि विभिन्न शाखाओं/अधिकारियों को जारी की गई कम्प्यूटर प्रणालियां व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत उपयोग हेतु वापिस ली जा रही थीं।

ख) स्टाफ

ख(i) नियमित शिक्षकों का प्रबन्ध न होना

यह देखा गया था कि यद्यपि व्यावसायिक शिक्षा का कार्यक्रम 1977-78 में प्रारम्भ किया गया था तथापि, इसे अभी तक अंशकालिक शिक्षकों की सहायता से चलाया जा रहा था। स्थायी वित्त समिति ने फरवरी 1987 में इस बात पर बल दिया कि विषयों में दक्षता प्राप्त करने हेतु यदि स्कूलों में अर्हता प्राप्त शिक्षकों का प्रबन्ध न किया गया तो कार्यक्रम अधूरा रहेगा। योजना में सातवीं योजना के दौरान क्रमिक रुप में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु 1405 नियमित शिक्षकों की नियुक्ति करने की व्यवस्था की गई थी लेकिन बीमा पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त कोई नियमित शिक्षक नियुक्त नहीं किया गया था। निदेशालय ने दिसम्बर 1993 में बताया कि नियमित शिक्षकों की नियुक्ति हेतु भर्ती नियमों को अभी तक अंतिम रुप नहीं दिया गया था।

ख (ii) राजकीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान की स्थापना न होना

1992-93 की वार्षिक योजना में, व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को शैक्षिक सहायता जैसे पाठयचर्या, पाठ्य सामग्री, संसाधन सामग्री का विकास उपलब्ध कराने तथा सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करने के लिए राजकीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (रा.व्या.शि.सं.) की स्थापना करने की व्यवस्था थी। रा.व्या. शि.सं. की स्थापना को आवश्यक समझा गया था क्योंकि रा.शि.अ.प्र.प. (राजकीय शिक्षा एवं अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद) के पास पर्याप्त मूलभूत सुविधाएं तथा व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के हित की देखभाल करने वाले अर्हता प्राप्त कार्मिक नहीं थे। निदेशालय ने बताया कि रा.व्या.शि.सं. की स्थापना करने का प्रस्ताव भेज दिया गया था तथा रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार के विचाराधीन था।

ख (iii) प्रयोगशाला सहायकों की भर्ती

शिक्षा विभाग ने इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 1988 से 1991 तक प्रयोगशाला सहायकों के 81 पद संस्वीकृत किए। भर्ती नियमों, जो 13 पाठ्यक्रमों में से नौ के लिए जनवरी 1992 में ही अनुमोदित किए गए थे, को अंतिम रुप न दिए जाने के कारण इन पदों पर भर्ती रुकी हुई थी।

निदेशालय ने जनवरी तथा फरवरी 1993 के दौरान विभिन्न व्यावसायिक पाठयक्रमों के लिए 46 प्रयोगशाला सहायकों की भर्ती की जिसमें से 7 सहायकों की उन स्कूलों में तैनाती कर दी जहां प्रयोगशाला सहायकों की आवश्यकता होने वाले पाठ्यक्रम आयोजित नहीं किए जा रहे थे। आगे, सात प्रयोगशाला सहायक सात अन्य उन स्कूलों में तैनात किए गए थे, जहां इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम प्रचालन में थे लेकिन प्रयोगशाला सहायकों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए कार्यशाला या शैडों को उपलब्ध नहीं कराया गया था। इस प्रकार, सितम्बर 1993 तक इन स्कूलों में प्रयोगशाला सहायकों के वेतन तथा भत्तों पर किया गया लगभग 2 लाख रु. की राशि का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ।

निदेशालय ने दिसम्बर 1993 में बताया कि जहां कहीं आवश्यक हैं, कार्यशाला/शैडों का निर्माण कार्य आरम्भ किया जा रहा था। उन्होंने यह भी बताया कि सात प्रयोगशाला सहायकों का प्रयोगशाला की स्थापना करने में उपयोग किया जा रहा था। यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इनमें से किसी स्कूल के पास कार्यशाला/शैड नहीं था जहां प्रयोगशालाएं स्थापित की जा सके।

ग) पाठ्यक्रम

ग(i) अनौपचारिक व्यावसायिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन न किया जाना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (रा.शि.नी.), 1986 में प्लस दो स्तर के औपचारिक पाठ्यक्रमों के अलावा, नव-शिक्षितों, युवक, जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करली थी, स्कूल से निकाले गए, कार्य में लगे हुए लोगों तथा

बेरोजगारों अथवा आंशिक रुप से रोजगार में लगे हुए लोगों को उपलब्ध कराए जाने वाले अनौपचारिक मोड़कारी तथा जरुरत पर आधारित व्यावसायिक कार्यक्रमों की व्यवस्था थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा रा.शि.नी. (1986) के कार्यान्वयन हेतु जारी किए गए कार्यवाही प्रलेख में यह भी विचार किया गया था कि व्यावसायिक संस्थान, चयनित सीनियर सैकेण्डरी स्कूल तथा विशेष संस्थान अपने आपको ग्रामीण तथा संगठित क्षेत्र में क्रमिक रुप में अनौपचारिक कार्यक्रमों के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा देने में कार्यरत रखेंगे।

निदेशालय ने 25 अभिज्ञात पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने की एक योजना बनाई जो नवम्बर 1989 में अनुमोदित की गई थी। योजना में यह व्यवस्था थी कि इन पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में पाठ्यचर्या सम्बन्धित क्षेत्रों से सुविज्ञों को शामिल करते हुए कार्यशालाएं आयोजित करके बनाई जाएगी।

आठवीं योजना (1992-97) में, प्रत्येक वर्ष 20 केन्द्रों में अनौपचारिक व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए प्रस्तावित किया गया था जिसके लिए अतिरिक्त स्टाफ का प्रस्ताव किया गया था।

यह देखा गया था कि यद्यपि कार्यक्रम का अनुमोदन हुए 3 वर्ष से अधिक समय बीत चुका था तथापि कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 25 अभिज्ञात पाठ्यक्रमों हेतु पाठ्यचर्या तक नहीं बनाई गई थी।

निदेशालय ने दिसम्बर 1993 में बताया कि विलम्ब इस तथ्य के कारण हुआ था कि औपचारिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु प्रबन्ध ढांचा उपलब्ध नहीं कराया गया था।

ग(ii) पैरा-मेडिकल व्यावसायिक पाठ्यक्रम

सातवीं योजना प्रलेख में पैरा-मैडिकल तथा प्रौद्योगिकीय पाठ्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया था। यह देखा गया था कि सातवीं योजना अवधि के दौरान पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्य-विवरण तथा अनुदेशात्मक सामग्री के विकास हेतु राज्य स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। शिक्षा विभाग ने 12वीं के स्तर पर स्वास्थ्य संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने के लिए निश्चयमात्रा तथा प्रबन्धों का पता लगाने के लिए 1990 में एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने निर्णय लिया कि 4 पाठ्यक्रम जिनके नाम सहायक नर्स या दाई, प्रयोगशाला तकनीशियन, एक्स-रे तकनीशियन तथा नेत्र तकनीशियन हैं, जिनके लिए आवश्यक पाठ्य विवरण तथा पाठ्यचर्या 1991-92 के शैक्षिक वर्ष से के.मा.शि.बो. द्वारा तैयार किया गया था, कुछ स्कूलों में प्रारंभ किए जाने चाहिए।

निदेशालय ने एक्स-रे-तकनीशियन तथा प्रयोगशाला तकनीशियन पाठ्यक्रम 1991-92 के शैक्षिक सत्र से केवल दो स्कूलों में ही आरम्भ किए।

निदेशालय ने जून 1992 में 1992-93 सत्र के दौरान 15 अल्पसंख्यक क्षेत्रीय स्कूलों तथा 47 अन्य स्कूलों में स्वास्थ्य संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए प्रस्तावित किया, लेकिन इन स्कूलों में

स्वास्थ्य संबंधित पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए सहयोगी अस्पतालों तथा संस्थानों के अभिज्ञान के लिए कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई थी।

निदेशालय ने दिसम्बर 1993 में बताया कि चिकित्सा विभाग तथा अस्पतालों के परामर्श से अधिक से अधिक स्कूलों में पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम आरम्भ करने के प्रयास किए जा रहे थे।

ग (iii) इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम

सातवीं योजना में, स्कूलों में प्रौद्योगिकीय व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आरंभ करने के लिए भी प्रस्तावित किया गया था। तदनुसार 1988 में 14 स्कूलों में निम्नलिखित इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम आरम्भ किए गए थे:-

- वातानुकूलन तथा प्रशीतन प्रौद्योगिकी
- ऑटोमोबाइल प्रौद्योगिकी
- इलैक्ट्रिकल पौद्योगिकी
- इलैक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी
- कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी

यह देखा गया था कि इन पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रथम बैच के लिए 1990 में हुई परीक्षा के परिणाम बहुत खराब थे। खराब परिणाम पूर्णकालिक शिक्षकों तथा उचित कार्यशालाओं की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण थे।

इन समस्याओं का समाधान करने के विचार से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जून 1990 में एक बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि:-

- शिक्षा निदेशालय जुलाई 1990 तक एक कार्यशाला स्थापित करने के प्रबन्ध करेगा
- पूर्णकालिक शिक्षकों के पद सृजित किये जायेगें तथा पदों को भरने के लिए भर्ती नियमों को शीघ्र अंतिम रुप दिया जायेगा।

यह देखा गया था कि इन पाठ्यक्रमों के लिए न तो कार्यशालाएं और न ही नियमित शिक्षकों की व्यवस्था की गई थी, जिसके परिणामस्वरुप 14 स्कूलों में से 11 स्कूलों ने 1990-91 से पाठ्यक्रमों को छोड़ दिया था।

निदेशालय ने बताया कि दिसम्बर 1993 को इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए अपेक्षित अधिकांश उपकरण खरीद लिए गए थे तथा नियमित शिक्षकों की भर्ती प्रक्रियाधीन थी।

घ) स्कूल - उद्योग संयोजन का विकास न होना

रा.शि.नी. (1986) पर भारत सरकार के कार्य प्रलेख कार्यक्रम में प्रभावकारी तथा लागत रहित व्यावसायिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु स्कूलों तथा उद्योगों के बीच संयोजन विकसित करने की नीति पर बल दिया गया था। रा.शै.अ.प्र.प., जिसे व्यावसायिक कार्यक्रमों के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए बहुत अधिक संख्या में दिशा-निर्देश विकसित करने का कार्य सौंपा गया था, ने 1987 में "स्कूल-उद्योग संयोजन के विकास हेतु दिशा निर्देश" पर एक प्रलेख प्रकाशित किया।

अन्य बातों के साथ दिशा-निर्देशों में प्लस 2 संस्थानों के अध्यक्षों द्वारा निम्नलिखित प्रारंभिक कदम उठाए जाने की भी व्यवस्था थी:-

- विभिन्न मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना।
- आवश्यकताओं के निर्धारण के आधार पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का चयन करना।
- सहयोगी संस्थानों का अभिज्ञान होना।
- सम्पर्क एजेंसियों का अभिज्ञान होना।

दिशा-निर्देशों में स्कूल-उद्योग संयोजन के विकास में प्रबन्ध स्तर की भूमिका को भी सूचीबद्ध किया गया था। चयनित स्कूलों तथा व्यावसायिक शाखा के अभिलेखों की जांच परीक्षा से प्रकट हुआ कि इस दिशा में या स्कूल-स्तर पर या प्रबन्ध स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

निदेशालय ने दिसम्बर 1993 में बताया कि संस्थानों के अध्यक्षों को रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसरण में स्कूल-उद्योग संयोजन विकसित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा जा रहा था।

ड.) भर्ती नियमों का संशोधन न किया जाना

योजना के अनुसार रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार ने भर्ती नीतियों की पुनरीक्षा करनी थी तथा सरकारी एवं अर्द्धसरकारी संस्थानों, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में भर्ती के नियमों को व्यावसायिक क्षेत्र के स्नातकों को स्पष्ट वरीयता देने के लिए संशोधित किया जाना था। यह देखा गया था कि व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में दिए जाने वाले प्रयोगशाला सहायक पद के अलावा रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार के अधीन विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए नीतियों तथा भर्ती नियमों के संशोधन हेतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

निदेशालय ने बताया कि प्लस दो व्यावसायिक स्नातकों को समायोजित करने के लिए दिसम्बर 1993 में विभिन्न पदों के लिए भर्ती नियमों की पुनरीक्षा रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार के सेवा विभाग के साथ आरम्भ की गई थी।

मुद्दे अक्तूबर 1993 में गृह मंत्रालय को भेजे गए थे; दिसम्बर 1993 तक उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

3.3 निधियों का निष्क्रिय रहना

मार्च 1989 में दि.वि.प्रा. ने साहित्य कला परिषद को सूचित किया कि उसने सिद्धान्त रूप में एक सभागार के निर्माण हेतु 30 लाख रु. की अनुमानित लागत पर एक भूखण्ड आबंटित करने का निर्णय लिया था तथा उसका सही स्थान बाद की तिथि को सूचित किया जाएगा। परिषद ने सही स्थान निर्धारण तथा आबंटित किये जाने वाले भूखण्ड के माप का पता लगाए बिना मार्च 1989 में दि.वि.प्रा. को 9.90 लाख रु. की राशि अदा की। परिणामत:, जुलाई 1989 में दि.वि.प्रा. ने जिला केन्द्र भीकाजी कामा प्लेस में 26.65 लाख रु. की लागत पर 1600 वर्ग मी. का एक भूखण्ड आबंटित करने का निर्णय किया। परिषद ने जनवरी 1990 में दि.वि.प्रा.को 16.75 लाख रु. की शेष राशि अदा कर दी तथा भूखण्ड मई 1990 में परिषद को आबंटित किया गया था। जब अक्तूबर 1990 में परिषद के सचिव तथा दि.वि.प्रा. के कनिष्ठ अभियंता भूखण्ड का कब्जा लेने के लिए स्थल पर पहुंचे तो यह देखा गया कि भूखण्ड का स्लम निवासियों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ था।

परिषद ने भूखण्ड का शीघ्र कब्जा लेने के लिए सितम्बर 1991 में दि.वि.प्रा. के उप-सभापति के साथ मामला आरम्भ किया। उ.स. ने सितम्बर 1991 में उसके निकटवर्ती भूखण्ड का आबंटन करने का सुझाव दिया। दि.वि.प्रा. ने मार्च 1993 में दूसरा भूखण्ड नीलामी द्वारा खुले बाजार में बेच दिया। जुलाई 1993 में लेखापरीक्षा के अनुरोध पर परिषद ने दि.वि.प्रा. को 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ब्याज सहित जमा की गई राशि वापिस करने का अनुरोध किया।

दि.वि.प्रा.ने 26.65 लाख रु. की समस्त राशि बिना किसी ब्याज के सितम्बर 1993 में वापिस कर दी।

परिषद ने, यह पता लगाए बिना कि क्या भूमि बाधारहित उपलब्ध थी, दि.वि.प्रा.को 26.65 लाख रु. का भुगतान कर दिया, जिसके परिणामस्वरुप समस्त राशि तीन वर्षों से अधिक समय के लिए बिना उपयोग के रही तथा दक्षिणी दिल्ली में एक सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना करने का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो सका।

मामला सितम्बर 1993 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा गया था; दिसम्बर 1993 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

3.4 शिल्पकार तथा प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम

3.4.1 प्रस्तावना

प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार (निदेशालय) दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों, एक शिल्पकारों तथा दूसरा प्रशिक्षुओं के लिए, को आयोजित करती है। दिल्ली में प्रशिक्षार्थियों को उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने में सहायता करने हेतु शिल्पकार प्रशिक्षण योजना व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 1956 में आरम्भ की गई थी। 1993 तक 13 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (औ.प्र.सं.) के माध्यम से 50 इंजीनियरिंग तथा गैर इंजीनियरिंग व्यापारों में 7996 प्रशिक्षार्थियों (1992-93) की कुल अन्तर्ग्रहण क्षमता को प्रशिक्षण दिया जा रहा था।

प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना उद्योगों में कुशल श्रमिकों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु उद्योग में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं का उपयोग करने हेतु 1963 में आरम्भ की गई थी। 44 व्यापारों में प्रशिक्षण बेसिक प्रशिक्षण केन्द्र (बे.प्र.के.), वर्तमान औ.प्र.सं. तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों के माध्यम से दिया जा रहा था।

3.4.2 व्यय

सातवीं योजना (1985-90) तथा 1990-91, 1991-92 की वार्षिक योजनाओं तथा आठवीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान व्यय नीचे दिए गए विस्तृत ब्यौरों के अनुसार था:-

तालिका 3.4.2

(लाख रुपयों में)

वर्ष	व्यय					
	पूंजीगत	वेतन एवं भत्ते	मशीनरी तथा उपकरण	सामग्री तथा आपूर्ति	विविध	कुल
सातवीं योजना (1985-90)	290.30	1453.06	158.03	135.10	250.02	2286.51
1990-91	61.38	396.34	92.45	35.81	68.59	654.57
1991-92	47.66	436.75	41.03	42.12	87.33	654.89
1992-93	161.63	489.13	45.78	26.09	90.30	812.93
जोड़	**560.97**	**2775.28**	**337.29**	**239.12**	**496.24**	**4408.90**

3.4.3 लक्ष्य तथा उपलब्धियां

निम्नलिखित तालिका सातवीं योजना (1985-90) में उपलब्ध कराई गई प्रशिक्षार्थियों के लिए लक्षित सीटों तथा उनके प्रति उपलब्धियों की संख्या दर्शाती है:

तालिका 3.4.3

व्यापार	लक्षित वृद्धि	उपलब्धियां	प्रतिशतता
शिल्पकार	1880	668	64
प्रशिक्षु	1702	203	88

3.4.4 संगठनात्मक ढांचा

निदेशालय का अध्यक्ष निदेशक है जिसकी एक उप निदेशक, 4 सहायक निदेशक, 3 औद्योगिक सम्पर्क अधिकारियों तथा एक प्रशिक्षण मूल्यांकन अधिकारी द्वारा सहायता की जाती है। उप प्रशिक्षुता परामर्शदाता, प्रशिक्षुता अधिनियम के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं की देख-रेख करता है। निम्नलिखित तालिका मार्च 1993 को विभिन्न शिक्षण तथा गैर शिक्षण स्टाफ की संस्वीकृत/विद्यमान पद संख्या को दर्शाती है:

तालिका 3.4.4

विवरण	पदों की संख्या	
	संस्वीकृत	अधिकृत
प्रधानाचार्य	14	9
उप प्रधानाचार्य	6	2
शिक्षण कर्मचारी	777	646
गैर शिक्षण कर्मचारी	448	379

इस प्रकार, शिक्षण स्टाफ की 17 प्रतिशत तक तथा गैर शिक्षण स्टाफ की 15 प्रतिशत तक कमी है।

3.4.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

फरवरी - जून 1993 के दौरान लेखापरीक्षा में, कार्यालय प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार तथा 6 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा बेसिक प्रशिक्षण केन्द्र की जांच परीक्षा करते हुए योजनाओं के कार्यन्वयन की पुनरीक्षा की गई थी।

3.4.6 विशिष्टताएं

- सातवीं योजना अवधि के दौरान तीन नए संस्थान खोले गए थे, जबकि विद्यमान 11 संस्थानों में औजारों तथा उपकरणों की गंभीर कमियां बनी हुई थी ।
- प्रशिक्षण सामग्री की खरीद हेतु 1981 में नियत किए गए प्रतिमानों को बाद में संशोधित नहीं किया गया था।
- तीन औ.प्र.सं. के भवन निर्माण में विलम्ब होने के परिणामस्वरुप किराए पर हुए 7.02 लाख रु. के परिहार्य व्यय के अतिरिक्त 210 लाख रु. की लागत में वृद्धि हुई।
- रोजगार उपायों का पता लगाए बिना 1985-92 के दौरान 1504 सीटों तक क्षमता में वृद्धि की गई थी।
- किए गए सर्वेक्षणों में अपर्याप्तता के कारण प्रशिक्षुता कार्यक्रम के लिए सीटों की संख्या में केवल न्यूनतम वृद्धि (1985 में 4608 से 1993 में 4954 तक) हुई थी। अभिज्ञात सीटों का 23 प्रतिशत 1992-93 में अप्रयुक्त रहा।
- अधिक संख्या में प्रशिक्षण बन्द होने के बावजूद कुछ अप्रचलित व्यापारों में प्रशिक्षण जारी रहे। केन्द्रीय प्रशिक्षुता परिषद द्वारा छः वर्ष पूर्व सुझाये गए नए व्यापार अभी आरम्भ किए जाने थे।
- 1983 में संस्वीकृत किए गए एक उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र ने वर्ष 1990 में ही कार्य करना आरम्भ किया।
- अ.जा./अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए आशुलिपि में शिक्षा एवं मार्गदर्शन सुविधाओं पर 6.28 लाख रु. खर्च किए गए थे लेकिन 240 लक्षित विद्यार्थियों में से केवल 5 विद्यार्थियों ने ही प्रशिक्षण पूर्ण किया था।

3.4.7 संसाधनों में कमियां

क) अपर्याप्त मशीनें तथा औजार

34 इंजीनियरिंग तथा 16 गैर इंजीनियरिंग व्यापारों में प्रशिक्षण देने वाले 14 संस्थानों में से 1956-79 के दौरान नौ संस्थान स्थापति किए गए थे। निदेशालय द्वारा 1988-89 में की गई एक आंतरिक

पुनरीक्षा से प्रकट हुआ कि दी गई अस्सी प्रतिशत मशीनें पुरानी तथा अप्रचलित थी। 8 संस्थानों के सम्बन्ध में मशीनरी के प्रतिस्थापन हेतु 800 लाख रु. की आवश्यकता होगी।

निदेशालय द्वारा 1989 में संघटित एक समिति ने 1063 लाख रु. की अनुमानित लागत पर मानक औजार सूची (मा.औ.सू.) में शामिल न किए गए कुछ आधुनिक औजार तथा उपकरण की खरीद करने का सुझाव दिया।

निदेशालय को 1988-93 के दौरान 422 लाख रु. प्रदान किए गए थे जिसमें से वह आधुनिक मशीनरी की अधिप्राप्ति तथा पुराने एवं अप्रचलित उपकरणों के बदलाव पर 390 लाख रु. खर्च करने में समर्थ था।

निदेशालय अथवा संस्थान के पास मानक औजार सूची (मा.औ.सू.) में दिए गए औजारों के प्रति वास्तव में उपलब्ध उपकरणों तथा मशीनों के पूर्ण ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे। लेखापरीक्षा द्वारा जून 1993 में नमूना जांच किए गए पांच संस्थानों के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार यह देखा गया था कि मा.औ.सू. में दी गई संख्या के प्रति मशीनों तथा औजारों की निम्नानुसार कमी थी:

तालिका 3.4.7.(क) प्रतिशतता कमी

	व्यापार का नाम	भा.प्र.सं.								बेसिक प्र.के.		औसतन कमी	
		अ.की सं.*		पूसा		शाहदरा		तिलक नगर		पूसा			
		उपकरण	औजार	उपकरण	औजार	उपकरण	औजार	उपकरण	औजार	उपकरण	औजार	उपकरण	औजार
							(प्रतिशतता कमी)						
	अभियांत्रिक												
1.	बिजली मिस्तरी	93	72	100	87	58	76	82	3	--	--	93	77
2.	यांत्रिक इलेक्ट्रानिक्स	77	93	25	52	76	77	34	15	64	40	63	56
3.	यांत्रिक रेफ्रिजरेटर एवं वातानुकूलन	78	84	61	80	54	75	25	14	86	75	63	74
4.	फिटर	47	50	58	84	93	71	43	39	17	49	80	64
5.	मशीन चालक	80	86	--	--	20	32	15	13	--	--	58	58
6.	टर्नर	55	25	49	84	--	--	18	19	--	--	48	60
7.	वैल्डर	--	78	60	84	75	67	92	11	--	--	72	70
8.	यांत्रिक ट्रेक्टर	--	--	44	87	62	93	--	--	--	--	54	91
9.	यांत्रिक डीजल	--	--	81	88	43	80	--	--	--	--	77	85
10.	यांत्रिक स्कूटर एवं आटो साइकिल												
	गैर अभियांत्रिक												
11.	डाटा तैयार करना एवं कम्प्यूटर सोफ्टवेयर	--	--	36	--	--	--	--	--	--	--	36	--
12.	आशुलिपि	44	--	--	96	56	57	--	--	--	--	15	97
13.	कटिंग एण्ड टेलरिंग	36	78	--	--	12	26	30	72	24	31	26	45

* अरब की सराय

उपरोक्त तालिका से यह देखा जाएगा कि 10 अभियांत्रिक व्यवसायों और 3 गैर अभियांत्रिक व्यवसायों में मशीनरी तथा औजारों में क्रमश: 93 प्रतिशत तथा 91 प्रतिशत तथा 36 प्रतिशत एवं 97 प्रतिशत तक की कमी थी।

निदेशालय ने नवम्बर 1993 में बताया कि बहुत से व्यवसायों की मानक औजार सूची रोजगार एवं प्रशिक्षण महा निदेशालय (रो.एवं प्र.म.नि.) द्वारा बहुत समय से संशोधित नही की गई थीं, क्योंकि इसमें औजारों और उपकरणों की बहुत सी मदें शामिल थी जो बेकार मानी गई हैं और ऐसी मदें प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध नहीं करायी जाती हैं।

तथापि, विद्यमान संस्थानों में मशीनों तथा औजारों की गम्भीर कमियां थी, 660 अभ्यर्थियों की सीटों की कुल क्षमता सहित, 1985-90 के दौरान 3 नए भा.प्र.सं. खोले गए थे। इसके अतिरिक्त, विद्यमान संस्थानों की सीटों की क्षमता भी 884 तक बढ़ायी गयी थी। 1985-90 के दौरान खोले गए 3 संस्थानों में से 2 में उपकरणों की 50 प्रतिशत तक तथा औजारों की 71 प्रतिशत तक (मार्च 1993) कमियां थी।

कमियों के बावजूद लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि व्यावसायिक प्रशिक्षकों की प्रभावशक्ति की वृद्धि के लिए तीन संस्थानों को उपलब्ध कराए गए 4.82 लाख रु. के दृश्य एवं श्रव्य उपकरणों में से दो संस्थानों द्वारा 2.12 लाख रु. मूल्य के उपकरण (भा.प्र.सं. शाहदरा 1.61 लाख रु. तथा अरब की सराय 0.51 लाख रु.) किसी भी तरह से प्रयोग में नहीं लाए गए थे।

दूसरे संस्थान (पूसा) में 5.39 लाख रु. लागत की दो मशीनें मरम्मत की प्रतीक्षा में दो वर्ष से अधिक समय से अनप्रयुक्त पड़ी हुई थी। निदेशालय ने नवम्बर 1993 में बताया कि आवश्यक मरम्मत के पश्चात मशीनें परिचालन में थी।

ख) कच्चे माल की कमी

रो.एवं प्रशि. महा निदेशालय द्वारा 1981-82 में निर्धारित मानकों में अभियांत्रिक व्यवसाय के लिए 625/-रु. प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिवर्ष तथा गैर अभियांत्रिक व्यवसाय के लिए अनुपभोज्य मूल्य, प्रशिक्षण सामग्री तथा विद्युत और जल प्रभारों को कवर करते हुए 505 रु. प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिवर्ष का प्रावधान था। ये मानक बाद में संशोधित नहीं हुए थे।

6 संस्थानों की नमूना जांच से पता चला कि कच्चे माल से सम्बन्धित संस्थानों द्वारा आकलित अपेक्षाएं इन मानकों पर आधारित नहीं थी। तथापि, निदेशालय इन अपेक्षाओं की भी पूर्ति नहीं कर सका। 1990-93 के दौरान कमी 44 प्रतिशत की सीमा तक थी जो निम्न प्रकार से है:-

तालिका 3.4.7 (ख) कच्चे माल की कमी

(लाख रुपयों में)

संस्थान का नाम	निर्धारित राशि			संस्वीकृत राशि			वास्तविक व्यय			प्रतिशत कमी
	90-91	91-92	92-93	90-91	91-92	92-93	90-91	91-92	92-93	
भा.प्र.सं. अरब की सराय	5.55	4.99	8.90	3.83	4.72	2.33	3.66	3.87	2.49	44%
भा.प्र.सं. नरेला	1.72	3.35	1.71	1.26	2.50	1.10	1.48	2.44	1.86	28%
भा.प्र.सं. तिलक नगर	2.50	2.38	2.32	2.20	1.71	0.98	2.10	1.35	1.39	32%
भा.प्र.सं. पूसा	3.51	4.63	3.96	3.78	3.83	2.67	4.45	4.07	2.37	15%
भा.प्र.सं. शाहदरा	4.61	3.90	3.02	4.15	3.67	2.41	3.45	3.71	2.19	11%
भा.प्र.सं. जाफरपुर	1.84	2.59	1.53	1.54	1.30	0.92	0.95	1.34	0.95	37%
जोड़	19.73	21.84	21.44	16.76	17.73	10.41	16.09	16.78	11.25	29%

निदेशालय ने जून 1993 में स्वीकार किया कि निधियों की कमी के कारण संस्थान की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं की जा सकी तथा सामग्री की कमी की पूर्ति के लिए प्रशिक्षणार्थियों के लिए कुछ विशेष अभ्यास छोड़ दिए गए थे। ऐसी कमियों से जो प्रशिक्षणार्थियों के प्राथमिक अभ्यासों के कार्यक्षेत्र को कम करती है, कार्यक्रम पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

भारी कमियों के बावजूद, 1985-92 के दौरान 2.81 लाख रु. मूल्य के खरीदे गए औजार एवं कच्चा माल चार संस्थानों के पास बगैर प्रयोग के पड़े हुए थे। इसके अतिरिक्त, 1975-90 के दौरान चार संस्थानों में 7.72 लाख रु. मूल्य के भंडारों का गबन सूचित किया गया था। 4.66 लाख रु. के गबन के मामले में, एक स्टोर कीपर की सेवाएं दिसम्बर 1990 में खत्म कर दी गयी थी और दूसरे 2.46 लाख रु. के मामले में स्टोर कीपर को दिसम्बर 1990 में आरोप पत्र दिया गया था। इन मामलों में गबनित भंडारों के मूल्य (7.12 लाख रु.) की अभी भी वसूली की जानी थी। 0.60 लाख रु. के गबन को शामिल करते हुए दो अन्य मामलों में चूककर्ताओं के प्रति कार्यवाही दिसम्बर 1993 तक अभी प्रारम्भ की जानी थी।

ग) गैर प्रशिक्षित प्रशिक्षक

प्रशिक्षण स्टाफ में शिल्प प्रशिक्षक, पर्यवेक्षक, प्रशिक्षक और फोरमैन प्रशिक्षक शामिल हैं। उन अभ्यार्थियों को प्राथमिकता दी जानी थी जिन्होंने केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान (के.प्र.सं.) अथवा उन्नत प्रशिक्षण संस्थान (उ.प्र.सं.) से प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया था। यदि गैर प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षक नियुक्त किए जाते हैं तो उन्हें इस प्रशिक्षण में जब भी भेजा जाए, जाना होगा।

7 संस्थानों से प्राप्त सूचना के अनुसार 359 प्रशिक्षकों में से 60 प्रतिशत ने के.प्र.सं./उ.प्र.सं. से कोई उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था।

घ) भवनों का विलम्बित निर्माण

14 संस्थानों (13 औ.प्रशि.सं. तथा एक बे.प्र.सं.) में से, 11 के अपने भवन थे, 2 अस्थाई रुप से अन्य सकारी भवनों में तथा एक किराए के भवन में कार्य कर रहे थे। 4 संस्थानों (3 भा.प्र.सं. तथा एक बे.प्र.सं.) के भवनों के निर्माण से सम्बन्धित अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जांच से पता चला कि संस्थानों के भवनों के निर्माण में विचारणीय विलम्ब था जिससे 1993 तक 3892 विद्यार्थी- प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण सुविधाओं से वंचित रह गए थे यद्यपि, संघ शासित प्रदेश दिल्ली में सुविधाओं के लिए विचारणीय मांग थी। इसके अतिरिक्त विलम्ब के परिणामस्वरुप किराए के 7.02 लाख रु. परिहार्य व्यय के अतिरिक्त 209.53 लाख रु. की मूल्य वृद्धि हुई थी जिस पर की गयी चर्चा निम्नलिखित है।

घ(i) खिचड़ीपुर में भा.प्रौ.सं.का निर्माण

दि.वि.प्रा. द्वारा फरवरी 1981 में खिचड़ीपुर में एक 5 एकड़ भूमि का प्लाट आबंटित किया गया था। इस स्थल के चारों तरफ एक चारदीवारी लो.नि.वि.द्वारा 1982 में निर्मित की गई थी। भवन के निर्माण के लिए लो.नि.वि. द्वारा नवम्बर 1982 में प्रस्तुत किया गया 104.87 लाख रु. का एक अनुमान निदेशालय द्वारा दिसम्बर 1982 में अनुमोदित किया गया था। लो.नि.वि. द्वारा जून 1984 में अनुमान 136.37 लाख रु. इस आधार पर संशोधित किया गया था कि मूल नक्शे जो प्रथम अनुमान के आधार पर थे, दिल्ली शहरी कला आयोग (दि.श.क.आ.) द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए थे। पुनः जनवरी 1986 में लो.नि.वि. द्वारा अनुमान, सामग्री तथा श्रमिकों के मूल्य में बढ़ोतरी के करण 172.26 लाख रु. तक संशोधित किए गए थे। भवन का निर्माण जो 2 वर्षों की अवधि में अर्थात 1984 तक जैसा कि मूलतः योजना बनायी गयी थी, पूर्ण किया जाना था, 5 वर्षों के विलम्ब के पश्चात् 1989 में पूरा हुआ था। जून 1984 में संशोधित अनुमानों की तुलना में 35.89 लाख रु. की मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरुप विलम्ब हुआ था। आगे विभाग को भवनों के किराए के रुप में जिसमें पांच वर्षों के दौरान औ. प्रशि. सं. को ठहरना था 5.40 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा था। यद्यपि, सन् 1984 से संस्थान को 428 विद्यार्थियों का प्रबन्ध करना था , यह क्षमता केवल 1989 में उपलब्ध हुई थी इसके पश्चात इसे अपने भवन में भेज दिया गया था।

घ(ii) नरेला में भा.प्रौ.सं. का निर्माण

औ.त.सं. के निर्माण के लिए नरेला में ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया 15 एकड़ भूमि का एक प्लाट, निदेशालय द्वारा मई 1988 में लिया गया था। दि.वि.प्रा.ने उल्लेख किया कि नरेला में औ.त.सं. की अपेक्षा पर नरेला परियोजना के प्रथम फेज में विचार किया जाएगा जो उस समय योजनागत स्थिति में थी, और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात औ.त.सं.के लिए विशिष्ट जगह पर सुझाव दिया जाएगा। निदेशालय ने 1990 में 49.87 लाख रु. के मूल्य पर अपनी औद्योगिक एस्टेट नरेला में दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम (डी.एस.आई.डी.सी.) से 5 एकड़ भूमि प्राप्त की थी। यह निर्णय लेने से पूर्व दि.वि.प्रा. से नरेला परियोजना की स्थिति प्राप्त नहीं की गयी थी। 1990-91 में डी.एस.आई.डी.सी. को इस भूमि की चारदीवारी निर्मित करने के लिए अधिकार पत्र दिया था। 1991-92 में डी.एम.आई.डी.सी. ने 8.31 लाख रु. के जमा के प्रति 5.77 लाख रु. मूल्य पर दीवार बनायी थी। 2.54 लाख रु. का शेष निदेशालय द्वारा दिसम्बर 1993 तक अभी भी प्राप्त किया जाना था।

अक्तूबर 1989 में डी एस आई डी सी ने भवन निर्माण के लिए 262.85 लाख रु. का एक अनुमान प्रस्तुत किया था। पिलिन्थ क्षेत्र में 7700 वर्ग मीटर से 10000 वर्ग मीटर तक तथा सूचकांक मूल्य में बढ़ोतरी के कारण यह अगस्त 1992 में 515 लाख रु. तक संशोधित हुआ था। भारत सरकार की संस्वीकृति लेने से बचने के लिए, परियोजना दो भागों में विभाजित की गयी थी, प्रथम फेज में परियोजना ने 6014.90 वर्ग मीटर का क्षेत्र कवर किया था तथा दूसरे फेज में प्रशासनिक ब्लाक के निर्माण से संबंधित कार्य की योजना बनायी गयी थी। प्रथम फेज के लिए उनके 303.75 लाख रु. के अनुमानों के प्रति मार्च 1993 में डी.एस.आई.डी.सी. को अग्रिम के रुप में 53 लाख रु. की राशि अदा की गयी थी। इस प्रकार भवन निर्माण का समापन जो 1991 में होना था, इसे केवल 1993 में लिया जा सका और अब इसका दिसम्बर 1994 तक समापन होना निर्धारित था। निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने में अनुचित विलम्ब के फलस्वरुप अनुमानित मूल्य में 173.64 लाख रु. की वृद्धि हुई थी। एक भा.प्रौ.सं. (भा.प्रौ.सं.नरेला के नाम वाला) 108 प्रशिक्षणार्थियों की क्षमता वाली सीटों सहित 1989-90 में नरेला से 1.1 कि.मी. दूर किंग्जवे कैंप में किराए के भवन में चालू किया गया था। इसके परिणामस्वरुप, निदेशालय ने, आगे भवन के किराए पर जिसमें इस बीच संस्थान चल रहा था 1.08 लाख रु. प्रतिवर्ष की दर से परिहार्य व्यय वहन किया था।

घ(iii) जाफरपुर में औ.प्र.सं. का निर्माण

ग्राम पंचायत द्वारा एक भा. औ. सं. खोलने के लिए जाफरपुर गांव में दिया गया एक 15 एकड़ भूमि का प्लाट 1983-84 में निदेशालय द्वारा लिया गया था। 11.25 लाख रु. मूल्य पर (1985-86) लो. नि.

वि. द्वारा स्थल के चारों तरफ एक चारदीवारी निर्मित की गयी थी। प्रथम फेज में लड़कियों के संस्थान के लिए 7.5 एकड़ भूमि पर एक भवन का निर्माण किया जाना था जो 1987-88 तक पूर्ण किया जाना था। इससे पूर्व 96 प्रशिक्षणार्थियों की क्षमता सहित औ.त.सं. तिलक नगर के एक भवन में लड़कियों के लिए एक संस्थान 1985-86 में चालू किया गया था। द्वितीय फेज में 576 प्रशिक्षणार्थियों की क्षमता सहित 1988-89 में औ. त. सं. नए भवन में बदला जाना था। तृतीय फेज में, बाकी की 7.5 एकड़ भूमि में, लडकों के लिए एक ग्रामीण औ त सं स्थापित करने की योजना बनायी गयी थी। लो. नि. वि. द्वारा भवन के निर्माण के लिए मार्च 1991 में 240.97 लाख रु. के व्यय की संस्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया गया था। निदेशालय ने नवम्बर 1993 में बताया कि भवनों का निर्माण चालू हो चुका था और मार्च 1995 तक पूर्ण किया जाना लक्षित हुआ था।

घ(iv) मूल प्रशिक्षण केन्द्र का विस्तारण

प्रशिक्षु अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों के पास उपलब्ध कार्यशाला तल प्रशिक्षण सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए, 1985 में पूसा में एक मूल प्रशिक्षण केन्द्र विस्तारण की योजना बनायी गयी थी। योजना के अंतर्गत, सातवीं योजना के दौरान 13 व्यवसायों में 316 प्रशिक्षणार्थियों सहित 21 अनुभागों को समाविष्ट करते हुए केन्द्र के विद्यमान परिसर में एक भवन बनाने की योजना बनायी गयी थी। के.लो.नि. विभाग द्वारा 419.68 लाख रु. के मूल्य पर भवन का निर्माण जुलाई 1990 में निदेशालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। भवन का निर्माण 1993 तक पूर्ण होना था। तथापि, जून 1993 में 68 प्रतिशत निर्माण कार्य अभी भी पूर्ण होना था।

निदेशालय ने नवम्बर 1993 में बताया कि विभिन्न भवनों के निर्माण में विलम्ब, विभिन्न एजेंसियों (लो. नि. वि., डी. यू. ए. सी., दि. न. नि. एवं दि. वि. प्रा.) के भवनों के निर्माण एवं डिजाइन के कार्य में शामिल होने के कारण था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वास्तव में निदेशालय को यह पता था कि ये समस्त एजेन्सियां शामिल है और आवश्यक अनुमोदनों में सम्भावित समय का प्रावधान कर लेना चाहिए था।

ड.) विस्तृत संख्या में छोड गए

संघ शासित प्रदेश दिल्ली में शिल्पकार प्रशिक्षण सुविधाओं की विचारणीय मांग थी। विभिन्न अभियांत्रिक और गैर अभियांत्रिक व्यवसायों में दाखिले के लिए 1991 में प्राप्त 69005 आवेदनों के प्रति, दिल्ली के विभिन्न भागों में स्थित 13 भा.प्रौ.सं. में 5597 प्रशिक्षणार्थी दाखिल हुए थे। संस्थानों को, अभियांत्रिक व्यवसायों में अपनी भरती क्षमता से अधिक 20 प्रतिशत अभ्यर्थियों को और गैर अभियांत्रिक व्यवसायों में नीति अनुसार 10 प्रतिशत अधिक को भरती करना था ताकि छोड़े जाने वालों के कारण सीटें खाली न रहें। 6 भा.प्रौ.सं. के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जांच से पता चला कि विद्यार्थियों की संख्या, सत्र में

अभ्यर्थियों के छोड़ जाने के कारण, जिन्होंने अंतिम रुप से प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया था, भरती क्षमता से बहुत कम थी। 1989-91 के दौरान सीट क्षमता की तुलना में ऐसे छोड़ जाने वालों की प्रतिशतता 13 से 19 प्रतिशत तक थी।

प्रशिक्षण सुविधाओं के स्रोतों की कमी के कारण भारी संख्या में छोड़ जाने वालों की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

निदेशालय ने नवम्बर 1993 में बताया कि प्रशिक्षणार्थियों का छोड़ जाना, घरेलू प्रतिबन्धों तथा उच्च सत्रों में अध्ययन आदि के लिए दाखिला लेने के कारण था। तथापि, निदेशालय द्वारा विभिन्न कारणों के कारण छोड़ जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों का डाटा प्रस्तुत नहीं किया गया था।

3.4.8 औद्योगिक सैक्टर में संयोजन

क) रोजगार सम्भाव्यता

भा.प्रौ.सं. को खोलने से पूर्व व्यवसायी व्यक्तियों के लिए जिन्हें प्रशिक्षित किया जाना था रोजगार सम्भाव्यता का पता लगाना आवश्यक था। 1985-92 के दौरान 3 भा.प्रौ.संस्थाओं के खोले जाने के बावजूद कुल सीटें 1504 तक बढ़ायी गयी थी, निदेशालय ने किसी स्तर पर रोजगार सम्भाव्यता प्राप्त नहीं की थी। दिसम्बर 1992 के अंत में रोजगार कार्यालय के लाइव रजिस्टर में 22991 भा.प्रौ.सं. पास अभ्यर्थी और 6558 व्यवसायी शिक्षार्थन पास अभ्यर्थी नियुक्ति की प्रतिक्षा में थे। निम्नलिखित तालिका 1988-1992 के दौरान रखे गये अभ्यार्थियों की संख्या, पास हुए अभ्यर्थियों की संख्या लेकिन जो अभी नियुक्ति की प्रतीक्षा में हैं, को दर्शाती है:-

तालिका 3.4.8(क) स्थापन में कमी

अभ्यर्थियों की संख्या

समाप्त होने वाला	नियुक्ति के लिए प्रतीक्षित		वर्ष के दौरान रखे गए	
वर्ष	ट्रेडमैन	प्रशिक्षु	ट्रैडमैन	प्रशिक्षु
(दिसम्बर को)				
1988	11088	2814	137	101
1989	15897	3201	157	208
1990	12791	4490	220	172
1991	14342	5673	252	145
1992	22991	6558	27	23

प्रत्येक भा.प्रौ.सं. द्वारा, प्रत्येक अभ्यर्थी का पता, उसके द्वारा लिया गया कार्य, स्थायी रोजगार, स्वयं की नियुक्ति आदि के पूर्ण विवरण, योजना के प्रभाव के आंकलन और इसे पुनर्फीड करने के लिए एक अभिलेख कार्ड का अनुरक्षण भी किया जाना अपेक्षित था। ऐसा पाया गया था कि न तो किसी भा. प्रौ. सं. और न ही निदेशालय द्वारा अपेक्षित कार्ड का अनुरक्षण किया गया था। तथापि यह सूचित किया गया था (मार्च-अप्रैल 1993) कि निदेशालय के स्थापन कक्ष ने 792 अभ्यर्थियों की अपेक्षाओं के प्रति विभिन्न औद्योगिक स्थापना को 1988-1992 के दौरान 7921 अभ्यर्थियों के नाम भेजे थे। निदेशालय के पास वास्तव में नियुक्त हुए अभ्यर्थियों की स्थिति उपलब्ध नहीं थी।

पास हुए अभ्यर्थियों के रोजगार डाटा की अनुपस्थिति में विभिन्न व्यवसायों में प्रदान किए गए प्रशिक्षण की उपयोगिता का पता नहीं लगाया जा सकता था।

निदेशालय ने नवम्बर 1993 में बताया कि भारतीय औद्योगिक संगठन के साथ अक्तूबर 1993 में एक समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ पाठ्यक्रम चयन के क्षेत्रों में, पाठ्यक्रम विकास, विद्यार्थियों के स्थापन आदि को अच्छा, औद्योगिक-संस्थान प्रभाव उपलब्ध कराएगा और उचित औद्योगिक वृद्धि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक गुणवत्ता सुधार लाने में भी मदद करेगा।

ख) पाठ्यक्रमों का अनुचित चयन

एक नमूना जांच से पता चला कि व्यवसाय जैसे नमूना रचनाकार, इलेक्ट्रोप्लेटर, मोल्डर, निष्पादन मशीन मरम्मतकर्ता, लोहार एवं हीट ट्रीटर, प्रैस कैमरामैन, जिल्दसाज, बुनाई मशीन और लैटर प्रैस मशीन माइन्डर बहुत अप्रिय थे चूंकि न केवल प्रारम्भ में इन व्यवसायों को चुनने वाले प्रशिक्षणार्थियों की संख्या बैठने के स्थान की क्षमता से बहुत कम थी इन व्यवसायों को छोड़ गए व्यक्तियों की औसतन प्रतिशतता भी बहुत अधिक थी (क्षमता के 33 से 53 प्रतिशत की सीमा तक)। निदेशालय ने औद्योगिक अपेक्षाओं के विपरीत इन पाठ्यक्रमों को लगातार चालू रखने की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण करने के लिए किसी भी समय कोई सर्वेक्षण नहीं किया था।

निदेशालय ने नवम्बर 1993 में बताया कि औद्योगिक अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु पाठ्यक्रमों को पुनर्अभिमुख करने के लिए, उन पाठ्यक्रमों के लिये जो प्रचलन में नहीं थे, प्रशिक्षण सुविधाएं बन्द करने हेतु पहले ही कार्यवाही की गयी है।

ग) शिक्षार्थन प्रशिक्षण

ग(i) औद्योगिक स्थापनाओं का निरीक्षण एवं सर्वेक्षण

शिक्षार्थन अधिनियम, 1961 के अंतर्गत, प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड संगठन अपने काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर विभिन्न पद नामित व्यवसायों में प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षु लगाने के लिए

सांविधिक रुप से बाध्य है। प्रशिक्षण के दो भाग हैं, मूल प्रशिक्षण तथा कार्यशाला-तल-प्रशिक्षण। 500 श्रमिकों से अधिक की संख्या वाली स्थापनाएं मूल और इसके साथ कार्यशाला-तल-प्रशिक्षण के लिए जिम्मेवार है। जहां स्थापनाओं में सख्या 500 से कम है, निदेशालय मूल प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी है।

दिल्ली में उभरकर आने वाली स्थापनाओं के सर्वेक्षण के लिए, उनके पास उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं की पहचान के लिए कोई पद्धति निर्धारित नहीं की गई थी। दिल्ली में स्थापनाओं की गणना 1978 में संचालित की गयी बतायी गई थी। निदेशालय ने बताया कि उस समय पदनामित व्यवसायों में लगी 5000 स्थापनाओं में से 1100 इस योजना के अंतर्गत लायी गयी थी। सितम्बर 1992 तक दिल्ली में स्थापनाओं की संख्या 25,000 तक बढ़ गयी थी। विभाग द्वारा केवल 6676 पदनामित व्यवसायों में लगी हुई बताई गई थी। इस स्थिति से सम्बन्धित पेपर जिसमें 6676 के आंकड़े परिकलित हुए थे, लेखापरीक्षा को नहीं दिखाए गए थे। तथापि, इनमें से विभाग द्वारा रो. एवं प्रशि. महानिदेशालय को भेजी गयी रिपोर्ट के अनुसार 5290 (79 प्रतिशत) किसी सर्वेक्षण के अध्यधीन नहीं थी।

चूंकि पर्याप्त यूनिटों का सर्वेक्षण नहीं किया गया था, अधिनियम के अंतर्गत औपचारिक रुप से पहचान की गयी यूनिटों की संख्या 1985 में 1342 से 1993 में 1386 सीमान्त तक बढ़ गयी थी, जिसमें से 1165 कवर हो गयी थी।

इन स्थापनाओं में प्रशिक्षुओं की सीटों की संख्या 1985 में 4608 से 1993 में 4954 तक बढ़ गयी थी। 1992-93 में 23 प्रतिशत पहचान की गयी सीटें अनप्रयुक्त पड़ी रही थी।

उप शिक्षार्थन सलाहकार ने अप्रैल 1993 में बताया कि कार्यशाला-तल-प्रशिक्षण आंकलन के लिए स्थापनाओं का नियमित द्विवर्षी सर्वेक्षण तकनीकी स्टाफ की कमी के कारण नहीं किया जा रहा था। लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि छः सर्वेक्षक जो पद पर थे, उन्होंने पिछले आठ वर्षों के दौरान प्रतिशीर्ष प्रतिवर्ष केवल एक सर्वेक्षण किया था।

ग (ii) नए व्यवसायों में प्रशिक्षण

अधिनियम के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए पहचान किए गए 128 व्यवसायों में से केवल 44 में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा था। दो नए व्यवसाय (प्लेट पेकर - लिथोग्राफिक तथा लिथो आफसैट मशीन माइन्डर) जिनमें 400 प्रशिक्षणार्थियों को लगाने के लिए सातवीं योजना (1985-90) में योजना बनायी गयी थी, अभी प्रारम्भ किये जाने थे (जून 1993)। इसके अतिरिक्त, नवम्बर 1987 में केन्द्रीय शिक्षार्थन परिषद द्वारा सुझाए गए व्यवसाय जैसे मुद्रण और रसायन जून 1993 तक प्रारम्भ नही किए गए थे।

ग(iii) प्रशिक्षण लागतों की गैर वसूली

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, बड़ी स्थापनाओं के सम्बन्ध में जिन्होंने 500 से अधिक श्रमिक लगाए हुए थे और जिनके पास अपनी मूल प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, मूल प्रशिक्षण का मूल्य, उनकी मार्फत प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संबंधित भा.प्रौ.सं./मू.प्रशि.के. द्वारा वसूल किया जाना था। 1985 से 1993 के दौरान, बड़ी स्थापनाओं की मार्फत विभिन्न भा. प्रौ.सं./मू.प्रशि.के. द्वारा 582 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षित किए गए थे और उनसे 9.08 लाख रु. के प्रशिक्षण प्रभार, वसूली योग्य थे। वसूल की गयी राशि से सम्बन्धित सूचना, यदि कोई हो, निदेशालय के पास उपलब्ध नहीं थी।

3.4.9 विदेशी सहायता का नौन - आप्टीकल उपयोग

क) लक्ष्यों की अप्राप्ति

संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा भारत सरकार की सहायता से सरकारी, लोक एवं प्राइवेट सैक्टर स्थापनाओं में विभिन्न उन्नत सुविज्ञ प्रवीणता के लिए औद्योगिक श्रमिकों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने को दृष्टिगत रखते हुए, भा.प्रौ.सं. तिलक नगर में उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण पद्धतियां (उ.व्य.प्रशि.प.) 1983 में लागू की गयी थी।

फेज-I में योजनाबद्ध किए गए चार में से दो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, यांत्रिक आटोमोबाइल तथा यांत्रिक अनुरक्षण 1990-91 में प्रारम्भ किए गए थे और फेज-II में योजनाबद्ध भारतीय मानकों तथा रीडिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग (भा.मा.री.इ.ड्रा.) व्यवसायों को 1991-92 में प्रारम्भ किया गया था। 1982-83 से 1992-93 के दौरान, स्टाफ के वेतन एवं भत्ते पर 14.29 लाख रु. और मशीनरी एवं उपकरण पर 11.36 लाख रु. खर्च किए गए थे। 1990-93 के दौरान, 584 अभ्यर्थियों के बैठने की क्षमता के प्रति केवल 183 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया था और योजनाबद्ध 73 पाठ्यक्रमों के प्रति 36 पाठ्यक्रम संचालित किए गए थे।

1990-93 के दौरान 183 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से 51 स्वयं प्रवर्तित थे और योजना के अंतर्गत कवर नहीं थे।

आगे ऐसा महसूस किया गया था कि यांत्रिक अनुरक्षण व्यवसाय के लिए बहुत ही कम उत्साह था। 1991-92 और 1992-93 के दौरान 256 के लक्ष्य के प्रति केवल 41 व्यक्ति प्रशिक्षित किए गए थे। संगठित किए जाने वाले प्रत्येक पाठ्यक्रम में आठ व्यक्ति प्रशिक्षित किए जाने थे। 1992-93 के दौरान ऐसा पता लगा था कि ऐसे 6 संगठित पाठ्यक्रमों में प्रत्येक में केवल एक व्यक्ति प्रशिक्षित किया गया था। एक पाठ्यक्रम में केवल दो व्यक्ति प्रशिक्षित किए गए थे और दूसरे पाठ्यक्रम में केवल तीन व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया था। 1991-92 में प्रारम्भ किये गए भा.मा.री.इ.ड्रा. व्यवसाय में, 1991-93 के दौरान संचालित चार पाठ्यक्रमों में

प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 1 और 5 के बीच थी। अनुक्रिया की कमी से प्रकट हुआ कि केन्द्र को खोलने से पूर्व कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

फेज-I में योजनाबद्ध विद्युतीय अनुरक्षण व्यवसाय, औजारों एवं उपकरणों तथा तकनीकी स्टाफ की गैर उपलब्धता के कारण बार बार कहने पर भी प्रारम्भ नही किया जा सका (अप्रैल 1991) जबकि अभियांत्रिक प्रौद्योगिकी अधिष्ठापन व्यवसाय खर्चीले औजारों एवं उपकरणों तथा कम प्रतिक्रिया होने के कारण छोड़ दिया गया था। फेज-II में योजनाबद्ध किए गए यांत्रिक रेफ्रिजरेशन तथा वातानुकूलन व्यवसाय में प्रशिक्षण अभी भी प्रारम्भ किया जाना था (मई 1993)।

विश्व बैंक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्राप्त 10.49 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता विस्तृत रुप से अनुप्रयुक्त पड़ी रही।

वित्तीय वर्ष के बिल्कुल अंत में निधियां जारी होने से विश्व बैंक सहायता निदेशालय द्वारा बगैर उपयोग के रही बतायी गई (नवम्बर 1993)।

ख) योजनाओं को लागू करने में अक्षमता

व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आधुनिक विविध तथा पुर्नगठित करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से, 1989 में, भारत सरकार द्वारा एक परियोजना प्रारम्भ की गयी थी। छः वर्षों (1989-95) की अवधि के दौरान परियोजना में कार्यान्वयन के लिए 735.99 लाख रु. वाली 10 योजनाएं शामिल थी।

रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार ने अक्तूबर 1989 में एक राजकीय परियोजना कार्यान्वयन यूनिट गठित की थी। 1989-93 के दौरान यूनिट के स्टाफ के वेतन एवं भत्तों पर 7.55 लाख रु. का व्यय किया गया था। वर्ष 1989-93 के दौरान 532.70 लाख रु. की प्रक्षेपित लागत के प्रति सरकार द्वारा 8 योजनाओं पर जारी की गयी राशि 205.56 लाख रु. थी और 6 योजनाओं पर खर्च की गयी राशि 141.11 लाख रु. थी। 1989-93 के दौरान रो.एवं प्रशि. महानिदेशालय, श्रम मंत्रालय द्वारा आपूर्त की गयी 84.34 लाख रु. मूल्य की मशीनरी व्यय में शामिल थी।

1990-93 के दौरान सरकार द्वारा जारी 21.04 लाख रु. के प्रति दो योजनाओं (उपकरण अनुरक्षण पद्धति तथा उन्नत स्तरीय व्यवसायिक प्रशिक्षण) पर किया गया व्यय केवल 0.13 लाख रु. था। अन्य दो योजनाओं (स्वयं रोजगार के लिए पोस्ट भा.प्रौ.सं. पाठ्यक्रम और मूल प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना) जिनके लिए 8.89 लाख रु. जारी किए गए थे, प्रारम्भ नहीं की गयी थी (मई 1993)। दो योजनाओं (सम्बन्धित अनुदेश केन्द्र की स्थापना और दो भा.प्रौ.संस्थानों में महिलाओं के लिए प्रवेश) के लिए कोई राशि जारी नहीं की गयी थी।

3.4.10 प्रभावकारिता का मूल्यांकन

क) विश्लेषित परिणाम

1988 से 1992 के दौरान, विभिन्न व्यवसायों में 17835 अभ्यर्थियों ने शिल्पकार व्यवसाय परीक्षा तथा 4418 अभ्यर्थियों ने शिक्षार्थन व्यवसाय परीक्षा, पास की थी। वार्षिक लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि 1988 से 1992 के दौरान परीक्षा पास करने वालों की प्रतिशतता शिल्पकार प्रशिक्षणार्थियों के सम्बन्ध में 81 से 87 प्रतिशत के बीच और प्रशिक्षु प्रशिक्षणार्थियों के सम्बन्ध में 76 से 84 के बीच थी।

क(i) आशुलिपि में खराब परिणाम

वर्ष 1989-92 के लिए अंग्रेजी आशुलिपि पाठ्यक्रम में पास होने वालों की दर 25-34 प्रतिशत तथा हिन्दी में 38-66 प्रतिशत थी। खराब परिणामों के कारणों का निदेशालय द्वारा कभी भी विश्लेषण नहीं किया गया था।

क(ii) अ.जा./अ.ज.जा. के लिए शिक्षा एवं मार्गदर्शन सुविधाएं

अ.जा./अ.ज.जा.के विद्यार्थियों के लिए रोजगार कार्यालय के पास पंजीकृत, 11 माह की अवधि वाला एक शिक्षा एवं मार्गदर्शन पाठ्यक्रम 1986 में प्रारम्भ किया गया था। इस प्रयोजन के लिए सृजित 5 पदों में से जून 1988-फरवरी 1989 के दौरान 4 भरे गए थे। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जून 1990 में प्रारम्भ किया गया था। 1986-92 के दौरान 6.28 लाख रु. का व्यय योजना पर खर्च किया गया था (मशीनरी 0.51 लाख रु., वेतन तथा भत्ते 5.77 लाख रु.)।

1986-92 के दौरान 240 अभ्यर्थियों को, प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लक्ष्य के प्रति, केवल 5 अभ्यर्थियों ने 1990-92 के दौरान वास्तव में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया था।

ख) अनुश्रवण की कमी

निदेशालय द्वारा प्रत्येक संस्थान का एक तिमाही में कम से कम एक बार, प्रशिक्षणार्थियों की प्रवीणता का अपेक्षित स्तर और निर्धारित स्लेबी एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की पुष्टि सुनिश्चित करने के लिए, निरीक्षण किया जाना अपेक्षित था।

1991-92 तथा 1992-93 के दौरान, 10 संस्थानों का दो या तीन बार तथा उनमें से 4 का केवल एक बार निरीक्षण किया गया था। 1990-91 के दौरान कोई भी निरीक्षण नहीं किया गया था। आगे निरीक्षण रिपोर्टों में, क्या किसी स्तर पर प्रशिक्षणार्थियों के लिए व्यावसायिक जांच परीक्षा ली गयी थी या प्रशिक्षकों की दक्षता की जांच की गयी थी, कोई उल्लेख नहीं था। निदेशालय द्वारा किए गए निरीक्षण से संबंधित निर्धारित द्विवार्षिक रिटर्नें रो.एवं प्रशि. महानिदेशालय को प्रस्तुत नहीं की गयी थी।

तथापि, शिल्पकारों तथा प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण योजना 30 से अधिक वर्षों से परिचालन में थी, इनका कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था (जून 1993)। इसके अतिरिक्त एन.सी.वी.टी. द्वारा 1965 में की गयी सिफारिश के अनुसार प्रशिक्षण के मानकों में सुधार लाने के लिए ठोस सलाह को दृष्टिगत रखते हुए भा.प्रौ.सं. के मूल्यांकन के लिए एक समिति गठित नहीं की गयी थी।

उपरोक्त मुद्दे श्रम मंत्रालय को सितम्बर 1993 में भेजे गए थे; उनका उत्तर दिसम्बर 1993 तक प्रतीक्षित है।

3.5 किराए दारों से विद्युत देयताओं एवं किराए की बकाया वसूली

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (औ.प्र.सं.) पूसा के अभिलेखों से सूचित हुआ कि संस्थान से सम्बद्ध छात्रावास भवन में 150 कमरों में से 84 कमरे 21 से 29 वर्षों तक की अवधि के लिए भारत सरकार एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के छः विभागों के कार्यालयों द्वारा अधिवासित थे। छः किराएदारों में से दो अर्थात पूसा पालीटैकनिक और श्रम शक्ति रोजगार केन्द्र के अपने विद्युत आपूर्ति प्रबंध थे तथा शेष किराएदारों को छात्रावास में प्रतिष्ठापित मीटर से विद्युत आपूर्त की जाती थी। विद्युत बिलों की अदायगी औ.प्र.सं. पूसा द्वारा अपने बजट अनुदान में से की जा रही थी। इन चार विभागों से कोई वसूली नहीं की जा रही थी। तथापि, लेखापरीक्षा में बताए जाने पर 1.54 लाख रु. की राशि की वसूली दो विभागों अर्थात रा.कै.को. और व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र से की गई थी।

मार्च 1993 को 10.53 लाख रु. की राशि दो किराएदारों अर्थात केन्द्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रोजगार सेवाएं तथा व्यावसायिक मार्ग निर्देशन यूनिट से उनके द्वारा उपयुक्त विद्युत के लिए बकाया थी।

इन विभागों से कोई किराया वसूल नहीं किया जा रहा था क्योंकि लोक निर्माण विभाग द्वारा किराया निश्चित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त ये कमरे संस्थान की आवश्यकताओं से अधिक नहीं थे क्योंकि संस्थान पांच विभागों द्वारा इन छात्रावास के कमरों के आधिवास के कारण प्रशिक्षणार्थियों के आवास में परेशानियां अनुभव कर रहा था।

संस्थान द्वारा बिजली की 10.53 लाख रु. की बकाया राशि वसूलने के लिये अथवा छात्रावास कमरों का किराया निश्चित करने और वसूल करने या इन किराएदारों से खाली कराने के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई थी।

मामले को अक्तूबर 1993 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा गया था। दिसम्बर 1993 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

3.6 स्टील की आपूर्ति के लिए अग्रिम का अनियमित भुगतान

दिल्ली प्रौद्योगिकी संस्थान (दि.प्रौ.सं.) ने, दि.प्रौ.सं. के प्रस्तावित कैम्प में द्वारका परियोजना पपनकलां परियोजना में एक नए भवन के निर्माण हेतु इस्पात मूल्य के प्रति 31 मार्च 1991 को स्टील अथार्टी आफ इण्डिया लिमिटेड (स्टील.अथा.आफ इ.लि.) को 106.80 लाख रु. अदा किए थे।

वित्तीय वर्ष के अंत में बगैर आसन्न अपेक्षाओं के सरकारी लेखे से राशि का आहरण अनियमित था। मामला विभाग को फरवरी 1993 में भेजा गया था। अपने उत्तर में, विभाग ने बताया कि विभिन्न कारणों से परियोजना में विलम्ब हुआ था तथा निर्माण कार्य 1993-94 में प्रारम्भ हो सका था। ऐसा भी दावा किया गया था कि स्टी.अथा.आफ इण्डिया लिमिटेड को दिए गए अग्रिम का भुगतान "स्टील की आपूर्ति में विलम्ब का निष्पादन, सुनिश्चित और प्लग" करने के लिए दिया गया था।

आगे लेखापरीक्षा की जांच से प्रकट हुआ कि मार्च 1991 में स्टी.अथा.आफ इ.लि. द्वारा प्राप्त अग्रिम भुगतान के प्रति इस्पात की आपूर्ति अभी भी की जानी थी। विभाग का यह अभिमत कि निर्माण कार्य 1993-94 में प्रारम्भ होगा सही नहीं है चूंकि दिल्ली शहरी कला आयोग द्वारा भवन का नक्शा केवल फरवरी 1992 में अनुमोदित हुआ है। भवन नक्शे के लिए दि.वि.प्रा. का अनुमोदन अभी भी प्रतीक्षित है और दि.न.नि. ने परियोजना की स्वीकृति देनी है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने यह भी दर्शाया कि परामर्श देने वाले वास्तुकारों द्वारा तैयार किए गए अनुमान अभी भी बोर्ड आफ गवर्नर द्वारा अनुमोदित किए जाने थे। सरकार ने, जुलाई 1991 में संस्थान के निर्माण के लिए 17.40 करोड़ रु. की लागत का निर्माण कार्य प्रारम्भ में अनुमोदित किया, 63.44 करोड़ रु. तक परियोजना के सितम्बर 1992 तक बढ़ाए जाने वाले मूल्य अनुमान अभी भी सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने थे। निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है और इस्पात की अपेक्षा भी अभी तक प्रकट नहीं हुई है।

इस प्रकार विभाग द्वारा योजना की कमी के कारण 106.80 लाख रु. की सरकारी राशि का अवरोधन हुआ था।

मामला जून 1993 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा गया था; दिसम्बर 1993 तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

मेडिकल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

3.7 सातवीं योजना में सरकारी अस्पतालों की स्थापना

3.7.1 प्रस्तावना

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (स्वा.से.नि.) रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार सामान्य जनता विशेषत: उनको जो समाज के कमजोर वर्ग से सम्बद्ध है, को मेडिकल सुविधाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है।

मेडिकल सुविधाओं के विस्तार के विचार से और दिल्ली में अस्पतालों की अवस्थिति में कुल असंतुलन को कम करने के लिए भी स्वा.से.नि. ने सातवीं योजना के अन्त तक 9 नए अस्पतालों के निर्माण और 2 वर्तमान अस्पतालों (सिविल अस्पताल और जोशी यादगार अस्पताल) में प्रत्येक में 30 से 100 बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के लिए योजना बनाई। तथापि केवल चार अस्पताल बनाए गए थे और अंशत: कार्य करना प्रारम्भ किया था (सितम्बर 1993)।

3.7.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

स्वा.से.नि. (अस्पताल कक्ष एवं नियोजन विंग) और 6 अस्पतालों के अभिलेखों की सितम्बर-अक्तूबर 1993 के दौरान नमूना जांच की गई थी।

3.7.3 लक्ष्य एवं उपलब्धियां

अनुमानित लागत, पूरा होने की लक्ष्य तिथि पूरा होने/अंशत: पूरा होने की तिथियां, बिस्तरों की संख्या और मार्च 1993 तक अस्पतालों पर किया गया व्यय नीचे दिया गया है:

तालिका 3.7.3

अस्पताल का नाम	स्थान	लक्ष्य		उपलब्धियां	
		अनुमानित लागत मूल/संशोधित (लाख रुपयों में)	पूरा होने की संभावित तिथि	बिस्तरों की संख्या	मार्च 1993 तक व्यय (लाख रु. में)
संजय गांधी मैमोरियल	मंगोलपुरी	194/791	1990 में पूरा हुआ	50	613.58
राव तुलाराम मैमोरियल	जफ्फरपुर	471.44 व्य.वि.स.का संशोधित ज्ञापन प्रक्रियाधीन	1995		921.97
लाल बहादुर शास्त्री	खिचड़ीपुर	503.21 अभी तैयार किया जाना है	दिसम्बर 1993		662.36
बाबू जगजीवन राम	जहांगीर पुरी	400/654.86 अभी तैयार किया जाना है	आठवीं योजना के अन्दर		349.38
सरकारी अस्पताल	पूथ खुर्द	500/2620.43	1988		28.35
सिरसपुर	सिरसपुर	अभी तैयार नहीं किया गया	?		46.35
मैदान गढ़ी	मैदान गढ़ी	अभी तक तैयार नहीं किया गया	?		12.13
गुरु गोविन्द सिंह	रघुबीर नगर	1867.41/1696	1997		210.84
डां.बी आर अम्बेडकर	रोहिणी	4877/8044.22	2002		296.35
सिविल अस्पताल*	सिविल लाइन	135		30*	194.06
एन सी जोशी मैमोरियल*	करौलबाग	49		30*	97.07
समग्र जोड़		8997.07/14965.17			3432.44

* वर्तमान

3.7.4 संजय गांधी मैमोरियल अस्पताल मंगोलपुरी

मंगोलपुरी में मार्च 1987 तक पूरी तरह निर्माण और परिचालन किए जाने के लिए 194 लाख रु. की लागत पर एक 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण के प्रस्ताव को केन्द्र सरकार ने नवम्बर 1981 में अनुमोदित किया था।

ओ पी डी ब्लाक, आपातकालीन, प्रशासनिक ब्लॉक, एक्स-रे और आपरेशन थ्येटर को सम्मिलित करते हुए मुख्य भवन का निर्माण जुलाई 1982 में प्रारम्भ हुआ था और रसोई, स्टोर, वार्ड ब्लॉक, लॉण्डरी हाउस सर्जन/ नर्सों के लिए छात्रावास का निर्माण जनवरी - मार्च 1983 में/ तृतीय व्यय वित्त समिति (व्य.वि.स.) ने जनवरी 1991 में तैयार किए ज्ञापन में कहा कि निर्माण में निम्नलिखित कारणों से विलम्ब हुआ था:-

- वरिष्ठ वास्तुकार द्वारा दिए गए अनुदेशों का उपयुक्त रुप से अनुपालन नहीं किया गया था और बाद में संशोधनों की आवश्यकता पड़ी थी।
- कुछ मामलों में मूल निर्माण वरिष्ठ वास्तुकार द्वारा बनाई गई विशिष्टयों के अनुसार था परन्तु प्रमाणित मेडिकल आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त नहीं पाई गई थी और बाद में सुधार करना पड़ा था।
- समय के विभिन्न अवसरों पर निर्माण के लिए कच्चे माल की कमी।
- नए भवन के जुडने/वातानुकूलन संयंत्र और स्टाफ क्वार्टरों की संख्या में वृद्धि के कारण जिसकी गृह मंत्रालय ने सितम्बर 1984 में स्वीकृति प्रदान की थी, के साथ कार्य का क्षेत्र बदल गया था।

विलम्ब और क्षेत्र में परिवर्तनों के परिणामस्वरुप अनुमानों को सितम्बर 1984 में 457 लाख रु. और फरवरी 1993 में 791 लाख रु. संशोधित किया गया था। परियोजना 614 लाख रु. की लागत पर मार्च 1990 में पूरी की गई थी।

पेय जल और बिजली की कम आपूर्ति और स्टाफ की कमी के कारण अस्पताल के अन्दर के ब्लाक ने 50 बिस्तरों के साथ दिसम्बर 1987 में अंशत: कार्य करना प्रारम्भ किया। एक्स-रे यूनिट और आपरेशन थ्येटर (आ. थ्ये.) ने केवल मार्च 1988 में कार्य करना प्रारम्भ किया।

केन्द्रीय बन्धयीकृत आपूर्ति विभाग की स्थापना के लिए अस्पताल द्वारा भवन को अप्रैल 1987 में लिया गया था और 2.24 लाख रु. मूल्य के विभिन्न उपस्कर/उपकरण प्राप्त किए गए और मार्च 1990 में प्रतिष्ठापित किए गए थे। सेवाएं प्रारम्भ नहीं की जा सकी थी क्योंकि इस यूनिट के लिए संस्वीकृत तकनीकी स्टाफ स्वा.से.नि. द्वारा प्रदान नहीं किए गए थे।

विभिन्न वर्गों के 98 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण जो मार्च 1984 एवं दिसम्बर 1984 के मध्य प्रारम्भ किया गया था, नवम्बर 1988 में पूरा हुआ था। इनमें से 26 क्वार्टर जुलाई 1991 तक खाली पड़े हुए थे जिसके बाद इससे छोटी टाइप के 16 क्वार्टर आबंटित किए गए थे। अस्पताल ने बताया (जुलाई 1991) कि 10 बड़े क्वार्टरों की कोई मांग नहीं थी और ये सितम्बर 1993 तक खाली रहे थे। अस्पताल, क्वार्टरों के आबंटन के सम्बन्ध में कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं कर रहा था जिसके अभाव में भुगतान किए मकान किराया भत्ता सहित इस कारण से हानि की मात्रा को यथार्थतः परिकलित नहीं किया जा सका (सितम्बर 1993)।

इस प्रकार अस्पताल जिससे मार्च 1987 तक मेडिकल सुविधाओं को पूरी सीमा तक प्रदान करने की आशा की गई थी, सितम्बर 1993 तक 50 बिस्तरों के साथ अंशतः कार्य करना प्रारम्भ कर सका।

3.7.5 राव तुलाराम मैमोरियल अस्पताल जफ्फरपुर

जफ्फर पुर में 472 लाख रु. की अनुमानित लागत पर 100 बिस्तरों के एक अस्पताल के निर्माण का केन्द्र सरकार द्वारा सितम्बर 1984 में अनुमोदित किया गया था। यह दिसम्बर 1987 तक पूर्णतः चालू किया जाना था।

दिल्ली नगर निगम (दि.न.नि.) की स्वीकृति की आशा में निर्माण मार्च 1985 में प्रारम्भ किया गया था। दि.न.नि. ने जल निकास, मल व्ययन और भवन के लिए नक्शे में कमी पायी और मार्च 1988 में 1.52 लाख रु. के संयुक्त शुल्क की मांग की जो स्वा.से.नि. द्वारा अदा कर दिया गया था। अस्पताल ने अगस्त -सितम्बर 1989 में कुछ एक संख्या में बाह्य रोगी सेवाएं (बा.रो.से.) प्रारम्भ की। प्रशासनिक ब्लॉक अप्रैल 1991 में तैयार हुआ था और हताहत तथा एक्स-रे ब्लॉक मई 1993 में और वास्तुकार से निर्बाधता एवं पूर्णता प्रमाण पत्र को लम्बित रखते हुए निदेशालय द्वारा इनको ले लिया गया था (सितम्बर 1993)।

कार्यकारी इंजीनियर (लो.नि.वि.) ने अस्पताल में पानी की आपूर्ति के लिए दिसम्बर 1982 में अधीक्षक अभियन्ता (आर.डब्ल्यू.एस.) से सम्पर्क किया जिसने उन्हें मई 1983 में अधीक्षक अभियन्ता (का.) झण्डेवालान के अनुमोदनार्थ जल आपूर्ति योजना प्रस्तुत करने की सलाह दी क्योंकि नजफगढ़ ब्लाक योजना के चालू होने में लगभग तीन वर्ष लगने थे। कार्यकारी अभियन्ता (लो.नि.वि.) ने वातानुकूलन, बागवानी तथा अग्निशमन आदि के लिए प्रतिदिन 4.10 लाख लीटर पानी की आवश्यकता अप्रैल 1987 में प्रस्तुत की और जल आपूर्ति कनैक्शन की स्वीकृति के लिये अनुरोध किया।

इसी बीच दो, ट्यूबवैलों की बोरिंग द्वारा पानी के संवर्धन के लिए प्रयत्न किए गए थे परन्तु पानी पीने योग्य नहीं पाया गया था। अप्रैल 1988 में एक जल आपूर्ति योजना स्वीकृत की गई थी परन्तु अस्पताल प्राधिकारियों द्वारा पर्याप्त पानी देने वाले ट्यूबवैलों के मुहैया कराने के अध्यधीन दि.न.नि. द्वारा आपूर्ति को

2.4 लाख लीटर तक कम कर दिया गया था। ट्यूबवैल का पानी मानव उपभोग के लिए अनुपयोगी पाया गया था और स्वा.से.नि. ने सितम्बर 1988 में एक बार फिर पानी कनैक्शन मुहैया कराने के लिए दि.न.नि. को अनुरोध किया। इस प्रकार स्वा.से.नि. जल आपूर्ति के लिए दि.न.नि. को बिना कोई परिणाम प्राप्त किए अनुनय करता रहा था। स्वा.से. नि. ने जुलाई 1992 में बताया कि यह अच्छा होता यदि नजफगढ़ टंकी से जफ्फर पुर अस्पताल तक 79.42 लाख रु. की अनुमानित लागत पर 9.5 कि.मी. की अतिरिक्त जल पाइप लाइन डाल दी जाती। प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय की संस्वीकृति जनवरी 1993 में दी गई थी। यद्यपि दिल्ली जल आपूर्ति और मल व्ययन उपक्रम को यह राशि फरवरी 1993 में अदा कर दी गई थी, कार्य सितम्बर 1993 तक भी प्रारम्भ नहीं किया गया था। तथापि 3 लाख लीटर पानी की मांग के प्रति लगभग 1.5 से 2 लाख लीटर समीप के ट्यूबवैलों से आपूर्त किया जा रहा था और 1700 रु. प्रतिदिन की लागत पर 1000 लीटर पानी टैंकर से आपूर्त किया जा रहा था, परिणामस्वरुप 0.51 लाख रु. प्रतिमाह का अतिरिक्त व्यय हुआ।

विलम्ब को बिजली की कमी के लिए भी आरोपित किया गया था। कार्यकारी अभियन्ता (लो.नि.वि.) ने 1450 कि.वा. के लिए अप्रैल 1987 में सेवा कनैक्शन के लिए आवश्यक आवेदन प्रस्तुत किया था परन्तु वाणिज्यिक अधिकारी दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (दि.वि.प्र.सं.) ने अक्तूबर 1987 में दि.न.नि. द्वारा स्वीकृत भवन नक्शा जो 1.52 लाख रु. के संयोजन शुल्क के साथ सम्बद्ध था, की सत्यापित प्रतिलिपि मांगी थी। नक्शा दि.न.नि. द्वारा नवम्बर 1989 में स्वीकृत किया गया था। इस सम्बन्ध में दिसम्बर 1990 में दि.वि.प्र.सं. के साथ एक बैठक भी हुई थी और 1450 कि.वा. तक बिजली भार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त बिजली कनैक्शन मुहैया कराने के लिए दि.वि.प्र.सं. को मार्च 1991 में 1.15 करोड़ रु. अदा किए गए थे। दि.वि.प्र.सं. ने अपेक्षित भार को जारी करने से पूर्व मार्च 1993 में अस्पताल से औपचारिकताएं (जैसे भवन की पूर्णता के प्रमाणपत्र का प्रस्तुतिकरण, रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार से लिफ्ट प्रमाण पत्र मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (अ.प्र.)और उच्च विद्युतगामी बल की स्थापना के लिए विद्युत निरीक्षक का प्रमाण पत्र) पूरी करने का अनुरोध किया। तथापि, स्वा.से.नि./लो.नि.वि. द्वारा औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण उसको सितम्बर 1993 तक नहीं लिया जा सका।

स्टाफ सम्बन्धी ढांचा- विलम्ब के लिए दूसरा कारण था। रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार द्वारा सभी विशिष्टियों में वा.रो.से. चलाने के लिए अक्तूबर 1989 से तीन चरणों में विभिन्न संवर्गों के 191 पदों की संस्वीकृति दी गई थी परन्तु बहुत से पद खाली रहे और स्टाफ सदस्यों जो नियुक्त किए गए थे, को उपयुक्त प्रतिस्थापन के बिना बार-बार स्थानान्तरित किया गया था। अन्तरंग, प्रसूति और आपातकालीन सेवाएं चालू

करने के लिए विभिन्न संवर्गों के 99 पदों की संस्वीकृति के लिए दूसरा प्रस्ताव जुलाई 1991 में प्रस्तुत किया गया था लेकिन रा.रा.क्षे.दि. की सरकार द्वारा सितम्बर 1993 में स्वीकृत नहीं किया गया था।

अस्पताल पहले ही 921.97 लाख रु. का व्यय कर चुका था जिसमें से जल एवं बिजली की आपूर्ति के लिए अग्रिम रुप से अदा किए गए 194.42 लाख रु. अवरोधित रहे। अस्पताल द्वारा केवल बा.रो.से. प्रारम्भ की गई थी जो किसी भी अस्पताल में सामान्य रुप से उपलब्ध थी। स्वा.से.नि. ने सितम्बर 1993 में बताया कि अस्पताल के 1995 के अन्त तक पूरा होने की संभावना थी।

3.7.6 लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल- खिचड़ीपुर

अस्पताल की स्थापना आयोग द्वारा छठी योजना के दौरान 150 लाख रु. के व्यय के साथ अनुमोदित की गई थी। प्रशासनिक स्वीकृति और केन्द्र सरकार की 503 लाख रु. के व्यय की संस्वीकृति मार्च 1987 में प्राप्त हुई थी।

अस्पताल के भवन का निर्माण लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) द्वारा अप्रैल 1988 में प्रारम्भ किया गया था और मार्च 1990 तक पूरा किया जाना था।

मार्च 1993 तक किया गया कुल व्यय 662.36 लाख रु. था। निर्दाह्य और मुर्दागृह जो पूरे हो गए थे के अलावा विभिन्न ब्लाक 40 से 95 प्रतिशत की सीमा तक पूरे हो गए थे। इसके अतिरिक्त सितम्बर 1993 को पानी और बिजली की आपूर्ति बहुत अपर्याप्त थी।

सचिव (मैडिकल) की अध्यक्षता में फ़रवरी 1990 में हुई बैठक में आन्तरिक ब्लाक के लिए संरक्षित भवन में विशिष्टयों की एक सीमित संख्या में बा.रो.वि. सेवाएं परिचालित करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार लाण्ड्री ब्लॉक में अस्थायी कामचलाऊ प्रबंध करने के बाद दिसम्बर 1991 में कुछ बा.रा.वि. सेवाएं प्रारम्भ की गई थी। इसी प्रकार आंख, का.ना.ग. और एक्स-रे सुविधाएं जनवरी 1992 में शुरु की गई थी। इन सेवाओं को चलाने के लिए संस्वीकृत 97 पदों के प्रति भरे गए 62 पद कार्यरत थे। वा.रो.वि. सेवाएं मई 1993 में बा.रो.वि. भवन में अन्तरित कर दी गई थी।

अस्पताल जिससे दिसम्बर 1993 तक पूर्ण रुप से मेडीकल सुविधाएं प्रदान करने की आशा की गई थी अभी तक (सितम्बर 1993) निर्माण स्थिति में था। विलम्ब भूमि का अतिक्रमण जो दि.वि.प्रा. द्वारा खाली नहीं कराया जा सका, दि.न.नि. द्वारा कूड़े को न हटाया जाना, जिसको इसी उद्देश्य के लिए लो.नि.वि. द्वारा जुलाई 1991 में 0.49 लाख रु. का भुगतान किया गया था, और बनाए गए नक्शे की पुनर्वैधता जो जून 1989 से दि.वि.प्रा. के पास लम्बित पड़ा हुआ था, के कारण था। इसके अतिरिक्त अस्पताल की ओर बना हुआ

तालाब एक स्वास्थ्य संकट था क्योंकि अस्पताल द्वारा अनुस्मारक दिए जाने के बावजूद दि.न.नि. द्वारा इसको सितम्बर 1993 तक नहीं भरा गया था।

3.7.7 बाबू जगजीवन राम अस्पताल जहांगीर पुरी

केन्द्रीय सरकार द्वारा जहांगीर पुरी में 400 लाख रु. की लागत, जिसको मई 1987 में 655 लाख रु. तक संशोधित कर दिया गया था, पर एक 100 बिस्तर वाले अस्पताल के निर्माण की स्वीकृति सातवीं योजना में दी गई थी। अस्पताल मार्च 1990 तक पूरा होना निश्चित था।

अस्पताल का नक्शा दि.वि.प्रा. को केवल जून 1988 में प्रस्तुत किया गया था और 10 माह बीत जाने के बाद अप्रैल 1989 में स्वीकृत किया गया था। लो. नि.वि. ने स्वा. से. नि. को दिसम्बर 1989 में सूचित किया कि अस्पताल भवन के निर्माण की मार्च 1993 तक पूरा होने की आशा थी।

जुलाई 1993 में कार्यकारी अभियन्ता (लो.नि.वि.) ने अधीक्षक अभियन्ता को सूचित किया कि बहुत से ब्लाकों और सेवाओं में निर्माण कार्य अंशत: पूरा हो गया था। तथापि निर्माण की गुणवत्ता बहुत खराब थी क्योंकि जैसा कि अस्पताल के मेडीकल अधीक्षक ने सितम्बर 1993 में कार्यकारी अभियन्ता को बताया था कि सभी भवनों मुख्यत: प्रथम तल पर बरामदे की छतों से बरसाती पानी विपुलता से चू रहा था। उनके प्रयत्नों के बावजूद लो.नि.वि. उपयुक्त मरम्मत नहीं कर सका और पानी चूना जारी रहा।

बा.रो.वि. ब्लॉक के निर्माण की प्रगति बहुत धीमी (18 प्रतिशत) थी, लो.नि.वि.और ठेकेदार के मध्य ठेका सम्बन्धी समस्याओं के कारण निर्माण रुका रहा (चूंकि पहले ठेकदार ने कार्य रद्द कर दिया पुन: दिया गया)। यह निर्णय किया गया कि आवश्यक सुधारों जिनके लिए नवम्बर 1992 में एक लाख रु. की राशि संस्वीकृत की गई थी, के बाद अस्पताल के अन्तरंग ब्लॉक में बा.रो.वि. सेवाएं सितम्बर 1992 में शुरु कर दी जायं।

तथापि, अन्तरंग ब्लाक के एक भाग को लो.नि.वि. से केवल जुलाई 1993 में लिया जा सका और कुछ भागों में बा.रो.वि. सेवाएं 95 कर्मचारियों की कुल संस्वीकृत संख्या के प्रति 35 मेडिकल और गैर मेडिकल कर्मचारियों की पूर्ण संख्या के साथ अगस्त 1993 में प्रारम्भ की गई। अपेक्षित विद्युत कनैक्शनों के जारी करने के लिए औपचारिकताएं अभी तक पूरी नहीं हुई थीं तथा अस्पताल कॉम्प्लैक्स के चारों ओर जल निकासी को सितम्बर 1993 तक भी व्यवस्थित किया जाना था।

मार्च 1993 तक एक अस्पताल जिससे मार्च 1990 तक पूर्णरूपेण मैडीकल सुविधाएं प्रदान करन की आशा की गई थी, परन्तु सितम्बर 1993 तक विशिष्टियों के रूप में केवल बा.रो.वि. सेवाएं प्रारम्भ कर सका, पर 349.38 लाख रु. खर्च किए जा चुके थे।

3.7.8 सरकारी अस्पताल पूठ खुर्द

ग्राम सभा पूठ खुर्द (अलीपुर ब्लॉक) द्वारा 100 बिस्तरों वाले एक अस्पताल के निर्माण के लिए अक्तूबर 1977 में 20 एकड़ भूमि दान में दी गई थी। भूमि का कब्जा लेने के लिए जो मार्च 1985 में ले लिया गया था उपराज्यपाल की प्रशासनिक स्वीकृति मई 1984 में प्रदान की गई थी। अप्राधिकृत अतिक्रमण को रोकने के लिए चार दीवारी के निर्माण हेतु प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए मुख्य अभियन्ता (लो.नि.वि.) से दिसम्बर 1985 में अनुरोध किया गया था।

परियोजना की कुल लागत 5 करोड़ रु. अनुमानित की गई थी और 1990 तक पूरा करने के लिए लक्ष्य रखा गया था। बाद में आगे प्रत्येक चरण पर विलम्ब हुआ था। आरेखणों के देर से तैयार किए जाने और पास किए जाने के कारण अगस्त 1986 में अस्पताल परियोजना निश्चित समय से पीछे चल रही बताई गई थी। चार दीवारी का निर्माण और भूमि को भरने का कार्य फरवरी 1987 में रोक दिया बताया गया था क्योंकि ग्राम सभा के प्रधान और उप प्रधान द्वारा भूमि का झगड़ा उत्पन्न कर दिया गया।

8.87 एकड़ भूमि के लिए कृषि से लोक सुविधाओं के लिए भूमि प्रयोग के प्रतिमान में परिवर्तन को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा फरवरी 1991 में स्वीकृत किया गया था। दि.वि.प्रा. ने स्वा.से.नि. से अस्पताल के लिए क्षेत्र को चिन्हित करने के लिए एक स्थान-नक्शा प्रस्तुत करने के लिए कहा। स्वा.से.नि.मिट्टी के परीक्षण न किए जाने और वास्तुकार के नियुक्त न किए जाने के कारण नक्शे में 8.87 एकड़ भूमि की सही परिधि सूचित नहीं कर सका। स्वा.से.नि. ने आगे बताया कि अस्पताल के पास संलग्न भवन जैसे शव गृह, विद्युत उपस्टेशन, निर्दाहक और ऊपरी टैंक आदि, सहित तीन से चार मुख्य ब्लाक होंगे। संलग्न भवन अस्पताल के समीप अवस्थित नही होंगे परन्तु अस्पताल के लिए आबंटित भूमि के 20 एकड़ में बिखरे होंगे। तदनुसार प्रस्तावित 8.87 एकड़ के स्थान पर 20 एकड़ भूमि के प्रयोग को दशति हुए एक स्थिति नक्शा अक्तूबर 1991 में प्रस्तुत किया गया था।

उपलब्ध भूमि पर अस्पताल के निर्माण के नियंत्रण एवं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए मार्च 1992 में यह निर्णय किया गया था कि 8.87 एकड़ भूमि की माप को स्पष्ट सीमांकन को अन्तिम रूप दिया जाएगा और भूमि के प्रयोग के परिवर्तन के लिए दि.वि.प्रा. को यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाए तथा शेष भूमि को बागवानी के लिए रखा जाय। प्रस्तावित स्थिति नक्शा अप्रैल 1992 में प्रस्तुत किया गया था। आपत्तियाँ/सुझावों

को आमंत्रित करते हुए लोक सूचना मई 1992 में जारी की गई थी। स्वा.से.नि. ने दिसम्बर 1992 में शहरी विकास मंत्रालय से एक अन्तिम अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया जो जनवरी 1993 में जारी की गई थी। 20 एकड़ भूमि में से 8.87 एकड़ माप के क्षेत्र के भूमि प्रयोग में परिवर्तन के लिए मार्च 1993 में दि.वि.प्रा.से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था।

दिसम्बर 1992 में नियुक्त एक निजी वास्तुकार द्वारा तैयार किए गए अभिन्यास और ढांचा आरेखण और दि.स्वा.नि. द्वारा अप्रैल 1993 में स्वीकृत किये गए थे। लो.नि.वि. ने 2132 लाख रु. की राशि के अनुमान जुलाई 1993 में प्रस्तुत किये।

2620 लाख रु. के लिए व्य.वि.स. का ज्ञापन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को सितम्बर 1993 में प्रस्तुत किया गया था। स्वा. से. वि. ने बताया कि निर्माण व्य.वि.स. के ज्ञापन के पास हो जाने के बाद प्रारम्भ किया जाएगा। अस्पताल के पूरा होने की लक्ष्य तिथि सितम्बर 1998 है।

37 लाख रु. योजनागत परिव्यय के प्रति अस्पताल के लिए प्रारम्भिक लागतों के रुप में 28.35 लाख रु. का व्यय किया गया था। 2620 लाख रु. के संशोधित अनुमान और भवन नक्शे दिल्ली शहरी आर्ट आयोग तथा दि.न.नि. द्वारा सितम्बर 1993 तक भी स्वीकृत किए जाने थे।

3.7.9 सिरस पुर अस्पताल

स्वा.से.नि. ने सातवीं योजना के दौरान एक 41 लाख रु. के परिव्यय से 100 बिस्तरों के अस्पताल के निर्माण के लिए ग्राम पंचायत सिरसपुर से जनवरी 1986 में 21.42 एकड़ भूमि का कब्जा लिया। भूखण्ड में जनवरी 1986 तक अशंतः अतिक्रमण हो गया था और पंचायत ने स्वा.से.नि. को फरवरी 1989 में आश्वासन दिया था कि अतिक्रमण साफ करा दिया जाएगा। यद्यपि कृषि से संस्थात्मक उद्देश्यों हेतु भूमि के उपयोग में परिवर्तन के लिए जून 1986 में आवेदन दिया गया था, शहरी विकास मंत्रालय से अ.प्र.केवल अप्रैल 1992 में प्राप्त हुआ था। तथापि, विभिन्न पार्टियों द्वारा कानूनी अदालतों में दावे और प्रतिदावे फाइल किए जाने के कारण भूमि की स्थिति अभी तक अस्पष्ट बनी हुई है। अदालत ने उपराज्यपाल को बातचीत आदेश द्वारा विभिन्न पार्टियों के झगड़ों को तय करने के लिए मार्च 1992 में एक बातचीत आदेश जारी करने का निर्देश दिया जो अभी तक प्रतीक्षित है।

भूमि को कार्यकारी अभियन्ता (लो.नि.वि.) द्वारा तैयार किए गए स्थल नक्शे में अक्तूबर 1986 में दो पाकेटों जैसे "क" और "ख" में विभाजित कर दिया गया था। अप्रैल 1993 में यह निर्णय किया गया था कि अस्पताल के मुख्य ब्लॉक का निर्माण 5.8 एकड़ माप वाली पाकेट "ख" में किया जाय। सितम्बर 1992 में एक

प्राईवेट वास्तुकार नियुक्त किया गया था। तथापि, अस्पताल भवन के अनुमान नवम्बर 1993 तक तैयार नहीं किए गए।

भूमि को भरने और चार दीवारी के निर्माण पर मार्च 1993 तक व्यय किए गए 46.35 लाख रु. जनता की किसी सेवा के बिना सितम्बर 1993 तक अवरुद्ध रहे।

3.7.10 मैदान गढ़ी अस्पताल

ग्राम पंचायत मैदान गढ़ी ने 100 बिस्तरों वाले एक अस्पताल के निर्माण के लिए जनवरी 1985 में 20 एकड़ भूमि दान में दी। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा सातवीं योजना के दौरान 100 लाख रु. का परिव्यय स्वीकृत किया गया था। 12.13 लाख रु. की लागत पर चार दीवारी, ट्यूबवैल और पम्पघर का निर्माण अक्तूबर 1986 तक पूरा किया गया था। स्वा.से.नि. द्वारा भूमि के प्रयोग में परिवर्तन का जून 1985 में किया गया अनुरोध दि.वि.प्रा. द्वारा जनवरी 1986 में रद्द कर दिया गया था। मई 1992 में दि.वि.प्रा. ने मामले की कार्यवाही के लिए स्थान के नक्शे की एक प्रतिलिपि मांगी। स्वा.से.नि. ने सर्वेक्षण नक्शा केवल मार्च 1993 में दिया था। दि.वि.प्रा. ने इसे अपूर्ण पाया और नए नक्शे उन्हें अगस्त 1993 में उपलब्ध कराए गए थे। इसी बीच, 12.13 लाख रु. का व्यय निष्फल हो गया।

3.7.11 गुरु गोविन्द सिंह अस्पताल- रघुबीर नगर

स्वा.से.नि. ने सातवीं योजना के दौरान 155 लाख रु. की लागत पर एक दुर्घटना एवं आपात कालीन अस्पताल केन्द्र के निर्माण के लिए दि.वि.प्रा. से जुलाई 1986 में 124 लाख रु. की लागत पर लगभग 21 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की। दि.वि.प्रा. ने स्वा.से.नि. को केवल 19.72 एकड़ भूमि सौंपी और भूमि के अन्तर मूल्य की 7.52 लाख रु. की राशि सितम्बर 1993 तक दि.वि.प्रा. से वसूल नहीं की गई थी।

अस्पताल के लिए खरीदी गई 19.72 एकड़ भूमि में से स्वा.से.नि. द्वारा स्थानीय कपड़ा बाजार के लिए भवन के निर्माण हेतु 43.53 लाख रु. में 5.44 एकड़ भूमि दि.वि.प्रा. के स्लम विंग को जून 1988 में पुनः बेच दी, परन्तु एक कपड़ा बाजार हेतु दी गई भूमि का मूल्य दि.वि.प्रा. द्वारा अप्रैल 1992 तक समायोजित नहीं किया गया था।

एक गैर सरकारी वास्तुकार मई 1990 में नियुक्त किया गया था जिसके साथ एक औपचारिक अनुबन्ध अक्तूबर 1991 में किया गया था। एक दुर्घटना एवं आपातकालीन केन्द्र का मूल विचार छोड़ दिया गया था और कुछ मैडीकल तथा सर्जीकल विशिष्टियों में मूल सुविधाएं प्रदान करते हुए एक सामान्य अस्पताल बनाने का निर्णय किया गया था।

परियोजना, अप्रैल 1992 में 1867.41 लाख रु. पर अनुमानित की गई तथा सितम्बर 1992 में 1696 लाख रु. तक संशोधित कर दी गई थी, म.नि.स्वा.से. द्वारा नवम्बर 1992 में स्वीकृत कर दी गई थी। वास्तुकार सलाहकार ने तब दि.न.नि. को नक्शे प्रस्तुत किये जो मार्च 1993 में स्वीकृत कर दिए गए थे। अस्पताल के विस्तृत आरेखण लो.नि.वि. द्वारा जांचाधीन थे और सितम्बर 1993 तक उनकी निकासी प्रतिक्षित थी। स्वा.से.नि. ने सितम्बर 1993 में बताया कि अस्पताल के मार्च 1997 तक पूरा हो जाने की संभावना थी।

स्वा.से.नि. ने भूमि की खरीद एवं समतल करने, आधार शिला रखने, प्रागंणदीवार के निर्माण और वास्तुकार सलाहकार को भुगतान पर मार्च 1993 तक 210.84 लाख रु. का व्यय किया जो जनता की कोई सेवा किए बिना अवरुद्ध रहा। जैसा कि स्वा.से.नि. द्वारा बताया गया था अस्पताल का निर्माण नवम्बर 1993 के अन्त तक प्रारम्भ किया जाना था।

इस प्रकार, भूमि के 1986 में अधिग्रहीत कर लिए जाने के बावजूद निर्माण अभी प्रारम्भ किया जाना था। 1696 लाख रु. की अनुमानित लागत के प्रति 210.84 लाख रु. का व्यय पहले ही किया जा चुका था।

3.7.12 रोहिणी में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर अस्पताल (500 बिस्तरों वाला)

नि.स्वा. से. ने मई 1986 में 235 लाख रु. की एक लागत पर 29.4 एकड़ भूमि के एक प्लाट का कब्जा लिया। यद्यपि दि.वि.प्रा. ने स्थल से विद्यमान नर्सरी को हटाने का दिसम्बर 1986 में वचन दिया, इसे सितम्बर 1993 तक नहीं हटाया गया था। 33 लाख रु. भूमि को भरने तथा चारदीवारी के निर्माण पर खर्च किए गए बताए गए थे।

भारत सरकार, म.नि.स्वा.से. के केन्द्रीय डिजाईन ब्यूरो से अस्पताल का नक्शा बनाने का अनुरोध किया था, परन्तु मई 1986 में उन्होंने जन-शक्ति की कमी तथा अन्य प्रतिबद्ध परियोजनाओं में पहले से व्यस्त होने के कारण अपनी असमर्थता व्यक्त की। लो.नि.वि. तथा रा. रा. क्षे. दिल्ली सरकार ने भी उन्हीं आधारों पर इस कार्य के करने हेतु अपनी असमर्थता व्यक्त की।

नि.स्वा.से. ने तब दिसम्बर 1989 में एक प्राईवेट वास्तुकार की नियुक्ति का निर्णय लिया। प्राईवेट वास्तुकार 3 प्रतिशत के परामर्श शुल्क पर अक्तूबर 1991 में नियुक्त किया गया था तथा 18.23 लाख रु. की राशि उसे मई 1992 में दी गई थी। आधारशिला समारोह नवम्बर 1991 में किया गया था जिस पर 2.78 लाख रु. का व्यय किया गया था।

लो.नि.वि. ने 4877 लाख रु. का प्राथमिक लागत अनुमान नि.स्वा.से. को जून 1992 में प्रस्तुत किया तथा 8044 लाख रु. का ई.एफ.सी. ड्राफ्ट ज्ञापन नवम्बर 1992 में तैयार किया गया था तथा स्वास्थ्य एवं

परिवार कल्याण मंत्रालय को आवश्यक अनुमोदन हेतु सितम्बर 1993 में प्रस्तुत किया गया था। वास्तुकार द्वारा तैयार की गई योजना/नक्शे, दिल्ली शहरी कला आयोग (दि.श.क.आ.) को मई 1992 में भेजे गए थे, उनका अनुमोदन सितम्बर 1993 तक प्रतीक्षित था।

1986 में भूमि प्राप्त किये जाने के बावजूद निर्माण कार्य अभी भी प्रारम्भ किया जाना था। ऐसा नि.स्वा. से. के प्राईवेट वास्तुकार की नियुक्ति का निर्णय करने में दो वर्ष लगाने, दि.श.क.आ. द्वारा अभी भी तैयार योजना/नक्शे अनुमोदित करने तथा दि.वि.प्रा. द्वारा नर्सरी को न हटाने के कारण था। इसी बीच, 4877 लाख रु. की एक अनुमानित लागत के प्रति 296.35 लाख रु. की राशि पहले ही आकस्मिकताओं पर खर्च की जा चुकी थी।

3.7.13 सिविल लाईन में सिविल अस्पताल

रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार के कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के अतिरिक्त सिविल अस्पताल मेडिको-कानूनी तथा शव-परीक्षण मामलों का कार्य भी करता है।

अस्पताल में आने वाले रोगियों की संख्या में धीमी वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए, रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार ने सातवीं योजना में 135 लाख रु. की लागत पर एक क्रमबद्ध ढंग से अतिरिक्त सुविधाएं प्राप्त करने तथा बिस्तरों की संख्या 30 से 100 तक बढ़ाने का मई 1986 में निर्णय लिया। प्रथम चरण में, वर्तमान भवन में कुछ परिवर्धन तथा परिवर्तन करके आकस्मिक ब्लॉक बनाने का प्रस्ताव था। द्वितीय चरण में, एक बा.रो.वि. का निर्माण किया जाना था तथा तृतीय तथा अन्तिम चरण में 100 बिस्तरों की क्षमता के एक अंतरंग वार्ड का निर्माण किया जाना था।

सातवीं योजना के दौरान 79.23 लाख रु. की राशि खर्च की गई थी। प्रथम चरण वर्तमान भवन में परिवर्तन तथा परिवर्धन करके जून 1989 में पूरा किया गया था जिसे बाह्य रोगियों को देखने, ऑपरेशन थियेटर तथा पैथोलोजिकल प्रयोगशाला को चलाने के लिए उपयोग में लाया जा रहा था।

द्वितीय चरण में, छः पुराने क्वार्टरों, जो पुलिस विभाग के अधिकार में थे, को ढहा कर बा.रो.वि. का निर्माण किया जाना था। पुलिस ने लो.नि.वि. से वैकल्पिक स्थान प्राप्त करने के पश्चात क्वार्टरों को खाली करने में दो वर्ष का समय लिया। भूमि के कब्जे के सम्बन्ध में औपचारिकताओं के समापन के पश्चात, वास्तुकार ने नियत नक्शे तैयार करने थे।

तृतीय चरण में, पुराने वर्तमान भवन, जिसमें वर्तमान अस्पताल वार्ड कार्य कर रहा था, को ढहा कर 100 बिस्तरों की क्षमता वाले एक अंतरंग वार्ड का निर्माण किया जाना था।

फरवरी 1990 की एक बैठक में मुख्य अभियंता लो.नि.वि. ने परामर्शदाता वास्तुकार की नियुक्ति के लिए ड्राफ्ट अनुबन्ध सौंपा तथा फरवरी 1990 तक पूर्ण किए जाने वाले अस्पताल परिसर के विस्तार के सम्बन्ध में अन्तरिम कार्यक्रम प्रारम्भ किया। प्राथमिक वास्तुशिल्पीय नक्शे, परामर्शदाता वास्तुकार द्वारा मार्च 1990 तक पूर्ण किए जाने थे, प्राथमिक अनुमान मई 1990 तक प्रस्तुत किए जाने थे, तथा परियोजना के जुलाई 1992 तक पूर्ण होने की आशा थी।

यह सुझाव दिया गया था कि जून 1990 में प्रस्तुत प्राथमिक नक्शे, जुलाई 1990 में अस्पताल प्राधिकारियों द्वारा दी गई टिप्पणियों के अनुसार संशोधित किए जाने चाहिए। आवश्यक फार्मों तथा दस्तावेजों सहित सम्पूर्ण नक्शे, मई 1991 में दि.न.नि. को भेजे गए थे, परन्तु प्लाट की पहचान तथा सम्पत्ति कर रसीद, जो अस्पताल द्वारा केवल फरवरी 1992 में उपलब्ध कराए गए थे, की कमी के कारण उनके द्वारा स्वीकृत नहीं किए गए थे। अस्पताल की रुपरेखा तथा भवन योजनाएं दिल्ली शहरी कला आयोग द्वारा फरवरी 1993 में अनुमोदित की गई थी तथा मार्च 1993 में आवश्यक अनुमोदन हेतु दि.न.नि. को प्रस्तुत की गई थी। वास्तुशिल्पीय नक्शे दि.न.नि. द्वारा अप्रैल 1993 में अनुमोदित किए गए थे। 488 लाख रु. के प्राथमिक अनुमान भी परामर्शदाता वास्तुकार द्वारा अप्रैल 1993 में कार्यकारी अभियन्ता (लो.नि.वि.) को प्रस्तुत किए गए थे।

परिणामस्वरुप, मार्च 1990 तक लक्षित 70 अतिरिक्त बिस्तर तथा एक बाह्य रोगी विभाग अभी भी उपलब्ध कराए जाने थे, यद्यपि मार्च 1993 तक 194.06 लाख रु. खर्च किए गए थे क्योंकि एक वास्तुकार की नियुक्ति केवल फरवरी 1990 में ही की गई थी। प्लाट (जो 1985 में उपलब्ध होना चाहिए था) की पहचान के विषय में सूचना उपलब्ध कराने में अस्पताल की असमर्थता के कारण और विलम्ब हुआ।

3.7.14 एन.सी. जोशी मैमोरियल अस्पताल, करोल बाग

जोशी मैमोरियल अस्पताल, करोल बाग में एक किराए के भवन में बने हुए डॉ. एन.सी.जोशी नर्सिंग होम के न्यासियों से, रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार द्वारा 1970 में अपने अधिकार में ले लिया गया था। 1983 में रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार ने इसकी क्षमता 30 से 100 बिस्तरों तक बढ़ाने का निर्णय लिया तथा इस सम्पत्ति के अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी। प्रतिपूर्ति के निर्धारण में 3 वर्ष लगे तथा सम्पत्ति अन्तिम रुप से 47.23 लाख रु. की लागत पर जून 1986 में अधिग्रहीत कर ली गई।

अस्पताल को सुधारने की योजना का 3 चरणों में कार्यान्वयन किया जाना था तथा यह सातवीं योजना के दौरान 49 लाख रु. की एक अनुमानित लागत पर पूरी की जानी थी। प्रथम चरण में, पहले से ही उपलब्ध खाली भूमि पर एक अस्थाई टेबूलर ढांचे का निर्माण किया जाना था। द्वितीय चरण में वर्तमान भवनों को ढहा

कर निर्माण शुरू किया जाना था। तृतीय चरण में विचार किया गया निर्माण, दि.वि.प्रा. से भूमि के अधिग्रहण के पश्चात ही प्रारम्भ हो सका था।

यद्यपि बा.रो.वि. के लिए टेबूलर ढांचे के निर्माण का प्रथम चरण, 29 लाख रु. की एक लागत पर फरवरी 1989 में पूरा किया गया था, जून 1990 तक पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के कारण 29 कमरों में से केवल छः कमरे ही उपयोग में लाए गए थे। समस्त भवन, वांछित विद्युत भार की आपूर्ति पर केवल अक्तूबर 1990 में ही उपयोग में लाया गया था।

योजना का दूसरा चरण कार्यान्वित नहीं किया गया था क्योंकि भवन लो.नि.वि. द्वारा अपने अधिकार में ले कर ढहाया नहीं गया था तथा योजना के अनुसार आगे का निर्माण कार्य निष्पादित नहीं किया जा सका। परियोजना का यह भाग सितम्बर 1993 तक अभी योजना के स्तर पर ही था।

तृतीय चरण में प्रारम्भ किया जाने वाला निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया था क्योंकि अपेक्षित भूमि, जिसके लिए 15 लाख रु. का अग्रिम भुगतान मार्च 1979 में किया गया था, अतिक्रमण के कारण दि.वि.प्रा. द्वारा सितम्बर 1991 तक नि.स्वा.से.को उपलब्ध नहीं कराया गया था। दि.वि.प्रा.से भी अतिक्रमण को समाप्त करने अथवा एक वैकल्पिक प्लॉट उपलब्ध कराने के लिए मार्च 1984 से कई बार अनुरोध किया गया था, परन्तु यह कार्यान्वित नहीं हुआ। दि.वि.प्रा. को सितम्बर 1992 में अन्तिम अनुस्मारक जारी किया गया था तथा उसके पश्चात कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

इस प्रकार, बिस्तरों की क्षमता को 30 से 100 तक बढ़ाने की योजना, वर्तमान ढांचे के न ढहाने, अतिक्रमण को न समाप्त करने, तथा वैकल्पिक प्लॉट के उपलब्ध न होने के कारण कार्यान्वित नहीं की गई थी, यद्यपि मार्च 1993 तक 97.07 लाख रु. का व्यय किया गया था।

3.7.15 सारांश

- अप्रैल 1990 तक निर्माण हेतु 9 तथा सुधार हेतु 2 लक्षित अस्पतालों में से, केवल 4 नये अस्पताल ही तैयार हुए थे तथा आंशिक रुप से कार्य कर रहे थे।
- 89.97 करोड़ रु. के प्रारंभिक अनुमानों के प्रति, मार्च 1993 तक इन अस्पतालों के निर्माण पर 34.32 करोड़ रु. खर्च किए गए थे।
- 1984 तक पूर्ण किए जाने के लिए लक्षित 100 बिस्तर के संजय गांधी मैमोरियल अस्पताल ने सुवाह्य जल, विद्युत तथा स्टाफ की कमी के कारण दिसम्बर 1987 में 50 बिस्तर के साथ आंशिक रुप से कार्य करना प्रारम्भ किया। 7.91 करोड़ रु. के संशोधित अनुमानों के प्रति मार्च 1990 तक परियोजना पर 6.14 करोड़ रु. खर्च किए जा चुके थे।

- 100 बिस्तर का राव तुला राम अस्पताल, जिसे दिसम्बर 1987 तक पूर्ण करने की योजना थी, सीमित विशिष्टताओं में बा.रो.वि. को प्रारम्भ करने के अतिरिक्त, सितम्बर 1991 तक पूर्ण नहीं किया गया था। 4.72 करोड़ रु. के अनुमोदित अनुमानों के प्रति 9.22 करोड़ रु. का व्यय किया जा चुका था।
- मार्च 1990 तक पूर्ण किए जाने के लिए निर्धारित 100 बिस्तर वाला लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल, 6.62 करोड़ रु. का व्यय किये जाने के बावजूद, मार्च 1991 से केवल सीमित विशिष्टताओं में बा.रो.वि. की सेवाएं ही चला रहा था।
- मार्च 1990 तक पूर्ण किए जाने के लिए निर्धारित 100 बिस्तर वाला बाबू जगजीवन राम अस्पताल, 3.49 करोड़ रु. का व्यय किये जाने के बावजूद, अगस्त 1993 से केवल सीमित विशिष्टताओं में बा.रो.वि. की सेवाएं ही चला रहा था।

- फूट खुर्द, सिरसपुर, मैदान गढ़ी, रघुबीर नगर में बनाए जाने वाले प्रत्येक में 100 बिस्तर के चार अस्पताल तथा 500 बिस्तर वाला रोहिणी में एक अस्पताल मुख्यतः स्थल के चयन में विलम्ब, वास्तुकार के साथ अनुबन्ध को अन्तिम रुप न दिए जाने, अस्पताल भूमि पर अतिक्रमण होने, भूमि के कृषिक से संस्थागत उपयोग के लिए अनुमति प्राप्त न होने तथा परियोजनाओं के निष्पादन हेतु उत्तरदायी विभिन्न एजेन्सियों के बीच समन्वय की कमी के कारण पूर्ण नहीं किए गए थे। परिणामतः ग्रामीण, गरीबों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों को चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने में विलम्ब के अतिरिक्त मार्च 1993 तक चारदीवारी के निर्माण तथा भूमि की खरीद एवं विकास पर किया गया 5.94 करोड़ रु. का व्यय अवरुद्ध रहा।
- सिविल अस्पताल तथा जोशी मैमोरियल अस्पताल की क्षमता में 30 बिस्तर से 100 बिस्तर के संवर्धन को प्राप्त नहीं किया गया था।

उपर्युक्त मुद्दे अक्तूबर 1993 में स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजे गए थे, उनका उत्तर दिसम्बर 1993 तक प्रतीक्षित है।

3.8 दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल द्वारा की गई खरीदें

3.8.1 प्रस्तावना

दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, हरी नगर, नई दिल्ली (अस्पताल) 54 बिस्तरों के साथ 1970 में प्रारम्भ किया गया था। बिस्तरों की संख्या समय-समय पर बढ़ाई गई थी तथा मार्च 1992 में 500 तक पहुंच गई थी। अस्पताल के विस्तार के साथ सुविधाओं को भी उन्नत तथा आधुनिक बनाने का प्रस्ताव किया गया था। इसे परिष्कृत उपकरण के प्रतिष्ठापन द्वारा प्राप्त किया जाना था। रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार के अध्यधीन सभी अस्पतालों के प्रापण प्रस्ताव एक तकनीकी परामर्शदाता समिति (त.प.स.) द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं।

3.8.2 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

इस अस्पताल की 1988-1993 की अवधि के लिए खरीदों की लेखापरीक्षा द्वारा सितम्बर-अक्तूबर 1993 के दौरान नमूना जांच की गई थी।

3.8.3 विशिष्टताएं

- यद्यपि पिछले पांच वर्षों (1988-93) के दौरान, अस्पताल द्वारा किया गया 45 प्रतिशत (1523 लाख रु.) व्यय, सामग्री उपकरणों एवं आपूर्तियों पर था, म.नि.आ.नि. के माध्यम से खरीदे गये उपकरण पर किए गए व्यय का कोई अभिलेख नहीं रखा गया था। परिणामस्वरुप, अस्पताल, व्यय पर कोई नियंत्रण निष्पादित करने के योग्य नहीं था तथा बजटीय तथा वास्तविक व्यय के बीच भिन्नताएं थीं।
- उपकरण तथा मशीनरी की खरीद पर किये गये 901 लाख रु. के व्यय में से 266 लाख रु. के मूल्य की खरीदों की, की गई नमूना जांच से निम्नलिखित तथ्य सामने आए :
- एक सी.टी. स्केन, 170 लाख रु. की एक लागत पर, नैदानिक उद्देश्यों के लिए खरीदा गया था, यद्यपि अस्पताल में कोई न्यूरोसर्जन नहीं था।
- अस्पताल को आपूर्त किए गए 35.06 लाख रु. मूल्य के चिकित्सा उपकरण, दोषपूर्ण थे। जिनमें से 17.4 लाख रु. मूल्य के उपकरण, एक से दो वर्ष बीत जाने के पश्चात् नवम्बर 1993 तक मरम्मत किये गये बताए गए थे।
- अस्पताल द्वारा खरीदे गए 17.80 लाख रु. के मूल्य के उपकरण, मरम्मत की कमी के कारण व्यर्थ पड़े हुए थे जिनमें से अस्पताल ने दावा किया कि 9.79 लाख रु. मूल्य के उपकरण सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रहे थे।

- 3.67 लाख रु. मूल्य के उपकरण खरीद के पश्चात् प्रतिष्ठापन की प्रतीक्षा में थे। 10.94 लाख रु. मूल्य के उपकरण, 2 वर्ष के विलम्ब के पश्चात् प्रतिस्थापित किए गए थे।
- 3.68 लाख रु. की लागत पर कॉलोनोफाइबरस्कोप के साथ की गई 1.9 लाख रु. के मूल्य की उप साधनों की खरीद का कोई औचित्य नहीं था।
- मई 1991 में 12 लाख रु. की छः प्रसूति मेजें खरीदी गईं थीं। ये विनिर्देशनों के अनुसार नहीं थीं तथा केवल जुलाई 1993 में प्रतिष्ठापित की जा सकी।
- सामग्री तथा औषधियों की अधिप्राप्ति में अनियमिताएं थीं जैसे कि निम्नतम दरों को नजर अन्दाज करने तथा फर्मों द्वारा कम आपूर्ति के लिए बिना किसी औचित्य के उच्च दरों पर की गई खरीदें।

3.8.4 वित्तीय प्रबन्ध

अप्रैल 1988 से मार्च 1993 तक की अवधि के दौरान अस्पताल का बजट प्रावधान तथा वास्तविक व्यय निम्नानुसार था :-

तालिका 3.8.4.-I

(लाख रुपयों में)

वर्ष	बजट आबंटन		अन्तिम आबंटन		वास्तविक व्यय	
	योजना	योजनेत्तर	योजना	योजनेत्तर	योजना	योजनेत्तर
1988-89	357	34	289	34	210	34
1989-90	405	40	385	92	327	92
1990-91	785	281	507	326	505	325
1991-92	525	413	562	413	560	411
1992-93	860	413	523	429	524	426
जोड़	2932	1181	2266	1294	2126	1288
जोड़ (योजना+योजनेत्तर)		4113		3560		3414

आधुनिकीकरण के प्रस्तावों में अप्रैल 1980 से मार्च 1990 तक म.नि.आ.नि. के माध्यम से 139.20 लाख रु. मूल्य के उपकरण तथा मशीनरी की अधिप्राप्ति शामिल थी।

पांच वर्ष के 3414 लाख रु. के कुल व्यय में से योजनागत योजना के अधीन 901 लाख रु. उपकरण तथा मशीनरी तथा 622 लाख रु. सामग्री, औषधियों तथा अन्य आपूर्तियों पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार खर्च किए गए थे :-

तालिका 3.8.4-II

(लाख रुपयों में)

	सामग्रियां एवं आपूर्तियां				मशीनरी एवं उपकरण			
वर्ष	बजट आबंटन	संशोधित आबंटन	वास्तविक व्यय	व्यय में विभिन्नता	बजट आबंटन	संशोधित आबंटन	वास्वतिक व्यय	व्यय में विभिन्नता
1988-89	40	53	44	(-) 9	62	90	33	(-)57
1989-90	69	71	95	(+) 24	80	136	78	(-)58
1990-91	119	485	102	(-)383	64	355	310	(-)45
1991-92	75	360	109	(-)251	102	377	369	(-) 8
1992-93	100	660	272	(-)388	272	110	111	(+) 1
जोड़	403	1629	622		580	1068	901	

इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान सामग्रियों, औषधियों तथा अन्य आपूर्तियों पर 350 लाख रु. का योजनेत्तर व्यय हुआ था।

अस्पताल द्वारा म.नि.आ. एवं नि. के पास प्रस्तुत किये गये मांगपत्रों के प्रति भुगतान एवं लेखा अधिकारियों (भु.ले.अ.) द्वारा किए गए भुगतानों पर निगरानी रखने हेतु कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए जा रहे थे। परिणामतः यह पता नहीं लगाया जा सका कि क्या म.नि.आ. एवं नि. को प्रस्तुत किए गए समस्त मांगपत्रों का पूर्ण रुपेण से निष्पादन किया गया था अथवा उन समस्त मामलों में, जहां भु.ले.अ. द्वारा व्यय अस्पताल के लेखे में डेबिट किया गया था, सामग्री/ उपकरण प्राप्त किए गए थे। अस्पताल अपने स्वयं के अभिलेखों के अभाव में अपने लेखाओं का भु.ले.अ. के लेखाओं के साथ समाधान भी नहीं कर रहा था। भु.ले.अ. द्वारा औषधियों/उपकरण की खरीद के प्रति डेबिट की गई राशियां स्वीकृत की जाती हैं और अस्पताल के लेखा शाखा द्वारा लेखाओं में समाविष्ट की जाती हैं। अस्पताल में इस प्रकार के अभिलेखों के अभाव में अधिक भुगतान की संभाव्यता का निर्णय नहीं किया जा सकता। इस मुद्दे पर लेखापरीक्षा के पूछताछ (जुलाई 1993) के संदर्भ में अस्पताल का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (अक्तूबर 1993)। इस प्रकार, जैसाकि उपर्युक्त तालिका में दर्शाया गया है, वास्तविक व्यय तथा अंतिम अथवा संशोधित आबंटन के बीच

विभिन्नताएं भु.ले.अ. द्वारा आवक दावों के असमायोजन की संभावना के कारण थी। यह अस्पताल द्वारा अपने वित्त प्रबन्धों पर अपर्याप्त नियंत्रण का सूचक है।

3.8.5 उपकरण की खरीद

अस्पताल द्वारा उपकरण की समस्त खरीदें अनुमोदन हेतु तकनीकी अनुमोदन समिति (त.अ.स.) को भेजी गई थी। त.अ.स. अप्रैल 1983 में सचिव (चिकित्सा) उसके अध्यक्ष के रुप में तथा संयुक्त सचिव (चिकित्सा) सदस्य- सचिव के रुप में लेकर संघटित की गई थी। इसके अतिरिक्त उसमें आठ अन्य सदस्य थे। त.अ.स. को रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के अंतर्गत अस्पताल द्वारा दिए गए खरीद के औचित्य तथा विनिर्देशनों के संदर्भ में समस्त अस्पतालों द्वारा उपकरण की खरीद हेतु दिये गये प्रस्तावों की जांच करनी थी।

लेखापरीक्षा में 1 लाख रु. तथा इससे अधिक मूल्य वाले उपकरण से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच की गई थी। चूंकि अस्पताल ने अप्रैल 1988 से मार्च 1993 की अवधि के दौरान म.नि.आ. एवं नि. के माध्यम से खरीदे गए इस प्रकार के समस्त उपकरणों की सूची अनुरक्षित नहीं की थी इसलिए उपकरणों की सही संख्या का पता नहीं लगाया जा सका। तथापि, उपलब्ध कराए गए अभिलेखों में से 266 लाख रु. मूल्य के उपकरणों की खरीद में नीचे बताये गये अनुसार अनियमितताएं पाई गईं थीं।

क) सी.टी. स्कैन की खरीद

त.अ.स. द्वारा दिसम्बर 1989 में 200 लाख रु. की लागत पर एक सम्पूर्ण शरीर के लिए सी.टी. स्कैन की खरीद का अनुमोदन किया गया था। इसे म.नि.आ. एवं नि. के माध्यम से 170 लाख रु. का खरीदा गया था। मांग आदेश मार्च 1990 में दिया गया था। फर्म द्वारा जून 1991 में आपूर्त किया गया उपकरण विनिर्देशनों के अनुसार नहीं था। जुलाई 1993 तक आवश्यक प्रतिष्ठापन प्रमाणपत्र भी जारी नहीं किया गया था।

यद्यपि वित्त विभाग ने अस्पताल प्राधिकारियों को इस मशीन को प्रभावशाली ढंग से प्रचालित करने के लिए स्थान तथा प्रशिक्षित मानवशक्ति का पता लगाने तथा उपलब्ध कराने के लिए कहा था तथापि जुलाई 1993 को इस संबंध में की गई किसी कार्यवाही का कोई प्रमाण नहीं था। इस मशीन की आपूर्ति के अनुबंध में, जापान में किसी अतिरिक्त लागत पर नहीं, के आधार पर दो रेडियोलोजिस्टों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी परन्तु अगस्त 1991 में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार इस प्रशिक्षण के लिए किसी को नहीं भेजा गया था। इसके परिणामस्वरुप फर्म को अदेय वित्तीय लाभ हुआ तथा अस्पताल भी उपकरण प्रचालित करने हेतु उपयुक्त प्रशिक्षित कार्मिकों से वंचित रह गया।

अस्पताल प्राधिकारियों ने फरवरी 1993 में यह माना कि सी.टी. स्कैन दुर्घटनाग्रस्तों के उपचार में उपयोग करने के लिए सर्वोत्तम थे लेकिन अस्पताल में कोई न्यूरोसर्जन नहीं था। प्राधिकारियों ने यह भी बताया कि सी.टी. स्कैन का उन मामलों में जहां रोगियों को ऑर्थोपैडिक उपचार की आवश्यकता थी, रोग निदान उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा था तथा इससे जहां ऑपरेशन सुविधाएं उपलब्ध थीं वहां लाभ उठाया जा सकता था। तथापि न्यूरोलोजिस्ट द्वारा उपचार के लिए अपेक्षित मामलों को अन्य अस्पतालों में भेजा जा रहा था।

अस्पताल प्राधिकारियों ने नवम्बर 1993 में बताया कि न्यूरोसर्जिकल सुविधाएं यथासमय उपलब्ध कराई जाएंगी।

ख) त्रुटिपूर्ण उपकरणों की आपूर्ति

ख(i) यद्यपि अस्पताल में कोई कार्डिया रोग निदान का कोई ढांचा नहीं था तथापि अस्पताल द्वारा अगस्त 1990 में म.नि.आ. एवं नि. के माध्यम से एक प्राइवेट फर्म से 6.2 लाख रु. की लागत पर कार्डियोलोजी में प्रयुक्त होने वाले एक हॉल्टर मॉनीटर की अधिप्राप्ति की गई थी। जनवरी 1991 में उपकरण के प्रतिष्ठापन के दौरान औषधि विभाग के अध्यक्ष द्वारा कुछ तकनीकी दोष देखे गए थे जिनको फर्म की सूचना में लाया गया था। यह बताते हुए कि मदें विनिर्देशन के अनुसार तथा संतोषजनक रुप में कार्य कर रही थी, प्रतिष्ठापन प्रमाणपत्र नवम्बर 1991 में जारी किया गया था।

तीन मास के बाद फरवरी 1992 में, विभाग ने पुनः सूचित किया कि उपकरण कार्य नहीं कर रहा था तथा क्रय प्रभाग को आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया। अस्पताल ने दिसम्बर 1992 में प्रमुख फर्म को, प्राधिकृत व्यापारी को मॉनीटर का सुधार करने का निदेश देने के बारे में लिखा। इसी बीच, प्राधिकृत व्यापारी किसी दूसरी फर्म में स्थानान्तरित हो गया था। इस फर्म को मई 1993 में त्रुटियों का सुधार करने का अनुरोध किया गया था। फर्म के अभियंता ने सितम्बर 1993 में त्रुटिपूर्ण भाग को हटा लिया तथा मरम्मत हेतु अपने साथ ले गया। नवम्बर 1993 तक अभी उसे अस्पताल में पहुंचाया जाना था।

अस्पताल प्रतिभूति जमा को जब्त करने से संबंधित अनुबंधीय शर्त 7 के अनुसार उसको बुलाकर दोषों का सुधार करने के लिए फर्म का अनुसरण करने में असफल रहा क्योंकि इस प्रकार की कोई जमा नहीं ली गई थी।

ख(ii) त.अ.स. ने जुलाई 1988 में ऑर्थोपैडिक विभाग के लिए 12 लाख रु. की लागत पर एक इमेज इन्टेंसीफाइर यूनिट की अधिप्राप्ति का अनुमोदन करके जनवरी 1990 में म.नि.आ. एवं नि. के पास मांगपत्र

प्रस्तुत किया। मार्च 1990 में ग्यारह फर्मों ने उत्तर दिया तथा एक प्राइवेट फर्म का 13.9 लाख रु. का प्रस्ताव स्वीकार्य पाया गया था। उपकरण अस्पताल में फरवरी 1991 में प्रतिष्ठापित किया गया था।

जबकि 1992 में उप चिकित्सा अधीक्षक ने उपकरण को विनिर्देशनों के अनुसार नहीं पाया था लेकिन ऑर्थोपैडिक विभाग के अध्यक्ष ने अप्रैल 1992 में यह प्रमाणित किया कि उपकरण विनिर्देशनों के अनुसार था तथा संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा था।

अक्तूबर 1992 में उपकरण को खराब हुआ सूचित किया गया था। आपूर्तिकर्ता ने जून 1993 में आग्रह किया कि अस्पताल उपकरण मरम्मत कराने के लिए अप्रैल 1992 से एक वार्षिक अनुरक्षण सेवा अनुबंध पर हस्ताक्षर करे। अभिलेखों से प्रकट हुआ कि फर्म को इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया था।

अस्पताल ने अपने उत्तर में बताया कि जुलाई 1993 में और दोषों का पता लगा तथा उन्हें फर्म की सूचना में लाया गया था। तथापि नवम्बर 1993 को समस्त दोषों का सुधार कर लिया गया था तथा अस्पताल द्वारा किए गए दावे के अनुसार उपकरण संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा था। इस प्रकार, उपकरण एक वर्ष के लिए खराब रहा।

ख(iii) त.अ.स. द्वारा दिसम्बर 1989 में 8 लाख रु. की लागत पर अधिप्राप्ति के लिए एक पलमॉनरि फंक्शन टेस्ट यूनिट की खरीद का अनुमोदन करके मार्च 1990 में म.नि.आ. एवं नि. के पास मांगपत्र प्रस्तुत किया गया था। जुलाई 1990 में म.नि.आ. एवं नि. द्वारा अग्रेषित किए गए सात उद्धरणों में से 11.46 लाख रु. की लागत पर एक प्राइवेट फर्म द्वारा प्रस्तावित उपकरण का अनुमोदन करके जनवरी 1991 में सुपुर्दगी समय सहित सितम्बर 1990 में आदेश प्रस्तुत कर दिया गया था। अस्पताल में मार्च 1991 में उपकरण पहुंचाया गया तथा जून 1991 में प्रतिष्ठापित किया गया था। संशोधित लागत के लिए त.अ.स. से कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।

जून 1991 में प्रतिष्ठापित उपकरण केवल दस रोगियों का परीक्षण करने के बाद सितम्बर 1991 में खराब हो गया लेकिन मरम्मतों के लिए फर्म को मार्च 1992 में ही प्रस्तावित किया गया था। विक्रेता ने यह गारंटी दी थी कि उपकरण वर्णन के अनुकूल चलता रहेगा तथा क्षमता के लिए प्रतिष्ठापन के बाद 12 महीनों या लदान के बाद 15 महीनों, जो भी पहले था, की अवधि का आश्वासन दिया था। विकृत होने के मामले में क्रेता उपकरण को अस्वीकृत करने के लिए अंतिम तथा पूरी तरह से हकदार था। अस्पताल ने पिछला विकल्प जून 1992 तक खोला था लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

नवम्बर 1993 के अपने उत्तर में अस्पताल ने दावा किया कि इस उपकरण का प्राधिकृत व्यापारी किसी दूसरी पार्टी में चला गया था जिसे दोषों के सुधार के लिए अनुस्मारक भेजे गए थे। तथापि मशीन निरन्तर खराब रही।

ख(iv) त.अ.स. ने दिसम्बर 1989 में 3.5 लाख रु. की लागत पर सिफेलोस्टेट सहित ऑर्थोपेंटोमोग्राम (ओ. पी. जी.) की खरीद का अनुमोदन करके मार्च 1991 में म.नि.आ. एवं नि. के पास एक मांगपत्र प्रस्तुत किया। विनिर्देशनों के अनुसार उपकरण अगस्त 1991 में प्राप्त किया गया था।

दिसम्बर 1992 में अस्पताल के डेंटल सर्जन द्वारा उपकरण का निरीक्षण किया गया था तथा पी.सी.बोर्ड तथा ओडोन्टोरामा पी.सी. के सामने के भाग में दोष होने के कारण खराब हुआ पाया गया था। आपूर्तिकर्ता फर्म ने अस्पताल के अनुरोध पर फरवरी 1993 में दोषपूर्ण पुर्जों को ले लिया लेकिन सुधार/प्रतिस्थापन अगस्त 1993 तक प्रतीक्षित था। उपकरण को अस्पताल में प्रतिष्ठापित नहीं किया जा सका क्योंकि लो.नि.वि. द्वारा इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित केबिन का निर्माण नहीं किया गया था। फर्म ने जनवरी 1993 में दावा किया कि उपरकण का चौदह महीने तक भंडार में रहने के कारण उसमें दोष उत्पन्न हो गया था।

अस्पताल ने नवम्बर 1993 में बताया कि दोषपूर्ण पुर्जे का फर्म द्वारा बिना लागत के प्रतिस्थापन किया गया था तथा उपकरण ने अगस्त 1993 तक कार्य करना आरंभ कर दिया था। इस प्रकार, उपकरण दो वर्षों के लिए अप्रयुक्त रहा।

ग) वारंटी अवधि की समाप्ति के उपरान्त उपकरणों का प्रतिस्थापन

त.अ.स. ने दिसम्बर 1989 में ई.एन.टी. विभाग के लिए 3 लाख रु. की लागत पर हेलोजन लाइट सहित एक ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप की खरीद का अनुमोदन किया। म.नि.आ. एवं नि. ने अस्पताल को सुविज्ञ परामर्श के लिए सात प्रस्ताव भेजे तथा विशेषज्ञ ने 6.69 लाख रु. की लागत पर एक प्राइवेट फर्म के प्रस्ताव को स्वीकार करने की सिफारिश की। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था लेकिन त.अ.स. को संशोधित लागत के अनुमोदन हेतु प्रस्तावित नहीं किया गया था।

अप्रैल 1991 में आपूर्ति आदेश प्रस्तुत किया गया था तथा उपकरण अगस्त 1991 में अस्पताल को सौंपा गया था लेकिन फर्म द्वारा उसे केवल जनवरी 1993 में प्रतिष्ठापित करके प्रचालित किया गया था। उपकरण की सुपुर्दगी तिथि से 15 माह अथवा अन्तिम गन्तव्य स्थान पर भण्डार पहुंचने की तिथि से 12 माह, जो भी पहले थी, अर्थात अगस्त 1992 तक की अवधि के लिए गारंटी दी गई थी। इसलिए अस्पताल के पास उपकरण की गारंटी का लाभ उठाने का कोई अवसर नहीं था।

अस्पताल द्वारा किए गए दावे के अनुसार नवम्बर 1993 तक उपकरण संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा था। उन्होंने मार्च 1993 से एक वर्ष की एक नई गारंटी भी प्राप्त करने का दावा किया है। लेखापरीक्षा में मामला उठाया जाने पर यह जुलाई 1993 में फर्म के साथ लिया गया था।

घ) मरम्मतों की प्रतीक्षा में निष्क्रिय पड़े रहे उपकरण

घ(i) अस्पताल ने एक प्राइवेट फर्म से 5.2 लाख रु. की लागत पर एक इलैक्ट्रॉनिक संवातक की खरीद हेतु जनवरी 1989 में म.नि.आ. एवं नि. के पास एक आदेश प्रस्तुत किया। यह उपकरण निविदा विनिर्देशनों के अनुसार नहीं था। यह संवातक अगस्त 1990 में आपूर्त किया गया था, लेकिन फरवरी 1991 में प्रतिष्ठापित किया गया। यद्यपि संबंधित विशेषज्ञ ने विनिर्देशनों के अनुसार एक अन्य फर्म से निम्नतम लागत पर एक और घुमाऊदार तथा कृत्रिम उपकरण की खरीद हेतु सिफारिश की थी, फिर भी इसकी खरीद की गई थी। इस प्रकार, इस खरीद के परिणामस्वरुप 1.50 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय हुआ।

इस उपकरण की गारंटी प्रतिष्ठापन की तिथि से 12 माह अर्थात फरवरी 1992 तक की दी गई थी। इस संबंध में, अस्पताल ने बताया कि अ.भा.आ.सं. तथा गो.ब. पन्त अस्पताल सहित कई अस्पतालों में इस उपकरण के संतोषजनक कार्य को देखते हुए इसको खरीदा गया था। तथापि, फरवरी 1992 में उपकरण में त्रुटि उत्पन्न हुई तथा इसके बारे में फर्म को सूचित किया गया था। तदन्तर, सितम्बर 1992 में उपकरण खराब हो गया तथा इसी बीच, अगस्त 1992 में कम्पनी का बिक्री वितरक इसे बदल गया। पांच महीनों के बाद अस्पताल ने जनवरी 1993 में नए वितरक से सम्पर्क किया और जिसका अप्रैल 1993 में एक अनुस्मारक दिया गया। यह दशनि के लिए, कि उपकरण की जुलाई 1993 में मरम्मत कर दी गई थी, अभिलेख में कुछ नहीं था।

अस्पताल प्राधिकारियों ने फर्म द्वारा दिनांक जुलाई 1993 का एक प्रमाणपत्र, कि उपकरण की मरम्मत जनवरी 1993 में हो गई थी, नवम्बर 1993 में भेजा। अस्पताल द्वारा किए गए दावे के अनुसार नवम्बर 1993 तक उपकरण सही स्थिति में कार्य कर रहा था लेकिन इसके अनुरक्षण एवं अंशशोधन की आवश्यकता थी।

घ(ii) त.अ.स. ने दिसम्बर 1989 में 1.5 लाख रु. की लागत वाले एक साइस्टोरिथ्रोस्कोप की अधिप्राप्ति का अनुमोदन करके मार्च 1990 में म.नि.आ. एवं नि. को एक मांगपत्र प्रस्तुत किया था। अस्पताल द्वारा अक्तूबर 1991 में 3.42 लाख रु. की लागत का एक साइस्टोरिथ्रोस्कोप प्राप्त किया गया था। संशोधित लागत को नियमित नहीं किया गया था।

इस मशीन को जुलाई 1992 में प्रतिष्ठापित एवं प्रदर्शित किया गया था। अगस्त 1992 में, स्पष्ट रुप से तकनीकी स्टाफ द्वारा दोषपूर्वक चलाने के कारण दो टेलीस्कोपों की क्षतिग्रस्तता के बारे में सूचित किया गया था।

अगस्त 1992 में आपूर्तिकर्ता को या तो इन दोनों टेलीस्कोपों को बदलने अथवा उनकी मरम्मत करने का अनुरोध किया गया था क्योंकि उनके कार्य न करने के परिणामस्वरुप अस्पताल में जोखिमपूर्ण कार्य हो गया था। फर्म ने जनवरी 1993 में अस्पताल को आश्वासन दिया कि वे या तो इन मदों को बदलने अथवा आवश्यक मरम्मत करने के लिए अपने प्रधान को अनुरोध करेंगे। अभिलेख में ऐसा कुछ नहीं दर्शाया गया था कि आवश्यक

प्रतिस्थापन/मरम्मत की गई थी तथा वह उपकरण संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा था। लापरवाह कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

अस्पताल प्राधिकारियों ने नवम्बर 1993 में बताया कि फर्म ने क्षतिग्रस्त उपकरण को निःशुल्क बदल दिया था। परिणामतः इस मामले में छान-बीन को रोक दिया गया था। उपकरण एक वर्ष से अधिक समय तक निष्क्रिय रहा।

घ(iii) त.अ.स. ने जून 1988 में, बालचिकित्सा विभाग के लिए 6 लाख रु. की लागत वाले एक टी.सी.पी.ओ-2 मॉनीटर की अधिप्राप्ति का अनुमोदन करके फरवरी 1989 में म.नि.आ. एवं नि. को एक मांगपत्र प्रस्तुत किया था। आठ प्रस्तावों में से एक प्राइवेट फर्म के 2.85 लाख रु. की लागत के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था।

जून 1991 में प्रतिष्ठापित किया गया पहला यंत्र जनवरी 1992 में खराब हो गया था। अस्पताल प्राधिकारियों ने फर्म को इसकी मरम्मत करने का अनुरोध किया था तथा उसके बाद अप्रैल 1992 में एक अनुस्मारक दिया लेकिन अभिलेख में ऐसा कुछ नहीं था जिससे यह प्रकट हो कि जुलाई 1993 में मॉनीटर की मरम्मत हो गई थी। इसके परिणामस्वरुप 2.85 लाख रु. का अवरोधन हुआ। अस्पताल प्राधिकारियों ने नवम्बर 1993 में बताया कि उपकरण की "यथासमय" में मरम्मत हो जाएगी।

घ(iv) त.अ.स. ने दिसम्बर 1989 में म.नि.आ. एवं नि. के माध्यम से एक लाख रु. की लागत पर लैक्टोस्क्रीन एच 2 श्वास विश्लेषक की खरीद का अनुमोदन किया जिसका त.अ.स. द्वारा जून 1990 में अतिरिक्त उपकरणों सहित 1.17 लाख रु. की लागत पर पुनः अनुमोदन किया गया था। अस्पताल में यह उपकरण जुलाई 1991 में प्राप्त हुआ तथा मई 1992 में प्रतिष्ठापित किया गया था। अगस्त 1992 में उपकरण भण्डार के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा यह उपकरण विखण्डित तथा खराब पाया गया था। फर्म को इस उपकरण की मरम्मत के लिए अगस्त 1993 में अनुरोध किया गया था। उपकरण की अगस्त 1993 तक मरम्मत की जानी थी।

अस्पताल प्राधिकारियों ने नवम्बर 1993 में बताया कि उपकरण संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे मानक अतिरिक्त उपकरणों सहित चार मुख्य सुवाह्य इकाईयों का बनाया हुआ था तथा भण्डार अधिकारी द्वारा की गई अभ्युक्तियां गलत थीं।

घ(v) त.अ.स. द्वारा दिसम्बर 1989 में 1.90 लाख रु. की लागत पर एक गैस्ट्रोस्कोप की अधिप्राप्ति का अनुमोदन किया था। म.नि.आ. एवं नि.ने मार्च 1991 में एक प्राइवेट फर्म मो 4.03 लाख रु. के उपकरण की आपूर्ति करने के लिए एक मांगपत्र भेजा। उपकरण फर्म द्वारा 5.16 लाख रु. की लागत पर आपूर्त किया गया था। संशोधित लागत के लिए त.अ.स. का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।

अगस्त 1991 में सुपुर्द किया गया उपकरण दिसम्बर 1991 में प्रतिष्ठापित किया गया था। यह उपकरण अगस्त 1992 में खराब हो गया था लेकिन मई 1993 तक इसे अस्पताल के प्रशासन के ध्यान में नहीं लाया गया था। फर्म को जून 1993 में उपकरण की मरम्मत करने के लिए अनुरोध किया गया था। अभिलेख में ऐसा कुछ नहीं था जिससे यह प्रकट हो कि उपकरण की मरम्मत की गई थी।

अस्पताल प्राधिकारियों ने दावा किया है कि म.नि.आ. एवं नि. से फर्म के साथ मामला उठाये जाने के लिये सिफारिश की गई थी। तथापि न तो इस प्रकार के पत्राचार के पूर्ण ब्यौरे दिए गए थे तथा न ही नवम्बर 1993 के उनके तर्क के समर्थन में कोई अभिलेख उपलब्ध कराए गए थे।

ड.) **उपकरणों का अप्रतिष्ठापन एवं विलम्बित प्रतिष्ठापन**

ड.(i) त.अ.स. द्वारा दिसम्बर 1989 में फ्रैनजल ग्लास वाले दो चैनल वाले ई.एन.जी. एम्पलसीफॉयर सहित एक वेस्टीबुलर एनालाइजर की खरीद का अनुमोदन किया गया था। उसे 2.94 लाख रु. की लागत पर म.नि.आ. एवं नि. के माध्यम से अधिप्राप्त करके सितम्बर 1991 में अस्पताल में पहुंचाया गया लेकिन प्रतिष्ठापित नहीं किया गया। अस्पताल प्राधिकारियों के अनुरोध पर म.नि.आ. एवं नि. ने आपूर्तिकर्ता को जनवरी 1992 तक उपकरण को प्रतिष्ठापित करने या अनुबंध की शर्तों के अधीन दाण्डिक कार्यवाही का सामना करने के लिए कहा। दिसम्बर 1992 तक, जब अस्पताल ने म.नि.आ.एवं नि. को भुगतान रोकने के लिए लिखा, अस्पताल या म.नि.आ. एवं नि. द्वारा की गई आगे की कार्यवाही का कोई साक्ष्य नहीं था। यह भी देखा गया था कि म.नि.आ. एवं नि. ने अनुबंध की शर्तों के अनुसार उपकरण के सही निष्पादन के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा 36700 रु. के जमा को सुनिश्चित नहीं किया था। परिणामत: वे अनुबंध का बलपूर्वक निष्पादन कराने की स्थिति में नहीं थे।

अस्पताल ने नवम्बर 1993 में बताया कि उपकरण सितम्बर 1993 में प्रतिष्ठापित किया गया था तथा फर्म से प्रतिष्ठापन की तिथि से एक वर्ष की नई गारंटी भी प्राप्त कर ली गई थी। तथापि, असामान्य विलम्ब के लिए कोई दाण्डिक कार्यवाही नहीं की जा सकी।

ड.(ii) रोग निदान हेतु म.नि.आ. एवं नि. के माध्यम से 3.67 लाख रु. की लागत पर खरीदा गया एक डबल-पंक्चर लैपेरोस्कोप जून 1990 में अस्पताल में प्राप्त किया गया था लेकिन उसको अभी अगस्त 1993 तक प्रतिष्ठापित नहीं किया गया था। अस्पताल ने मार्च 1993 में म.नि.आ. एवं नि. के माध्यम से आपूर्तिकर्ता को सूचित किया कि आपूर्त किया गया उपकरण निविदा विनिर्देशनों के अनुसार नहीं था तथा कुछ पुर्जे कम आपूर्त किए गए थे। अस्पताल ने नवम्बर1993 में बताया कि फर्म उपकरण शीघ्र प्रतिष्ठापित करने के लिए सहमत हो गई थी।

ड.(iii) त.अ.स. ने दिसम्बर 1989 में 8 लाख रु. की लागत पर वर्तमान अल्ट्रा-साउंड यूनिट को उन्नत तथा इंट्रा-वैजिनल तथा इंट्रा-रैक्ट्ल जांच के संयोजन हेतु डॉप्पलर का अनुमोदन किया। अप्रैल 1990 में म.नि.आ. एवं नि. को उन्नत अतिरिक्त उपकरणों के लिए मांगपत्र प्रस्तुत किया गया था। परेषित माल नवम्बर 1990 में पहुंचा लेकिन वहां डॉप्पलर के लिए गाड़ी समूह का नौपरिवहन कम था जोकि फरवरी 1991 में ही प्राप्त हुआ था। उपकरण दिसम्बर 1992 तक प्रतिष्ठापित नहीं किया गया था।

अस्पताल प्राधिकारियों ने नवम्बर 1993 में बताया कि उपकरण जुलाई 1993 में प्रतिष्ठापित किया गया तथा संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा था। इस प्रकार, उपकरण दो वर्षों से अधिक समय तक प्रतिष्ठापित किए बिना रहा।

च) औचित्य के बिना उपकरणों की खरीद

च(i) त.अ.स. द्वारा दिसम्बर 1989 में बिना किसी उपकरणों के 2 लाख रु. के लिये कोलोनो फाइबरस्कोप की अधिप्राप्ति का अनुमोदन किया गया था। उपकरण 1990-91 की वार्षिक योजना में शामिल नहीं किया गया था तथा इसलिए कोई निधियां उपलब्ध नहीं कराई गई थी। जब तक साख पत्र नहीं खोला गया था (वास्तव में मार्च 1991 में खोला गया) तब तक त.अ.स. के अनुवर्ती वर्ष में खरीद को आगे न ले जाने के अनुदेशों के बावजूद अस्पताल ने खरीद मामला तैयार करके मार्च 1990 में म.नि.आ. एवं नि. को एक मांगपत्र प्रस्तुत कर दिया था। 1.9 लाख रु. मूल्य के अतिरिक्त उपकरणों के सहित 3.68 लाख रु. की लागत वाले कोलोनो फाइबरस्कोप (मॉडल सी एल 20 एल), की खरीद हेतु सिफारिश की गई थी। लेखापरीक्षा को मुहैया कराए गए अभिलेखे में अतिरिक्त उपकरणों के औचित्य को नहीं दर्शाया गया था। अतिरिक्त उपकरणों की अधिप्राप्ति हेतु त.अ.स. का अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया गया था। अस्पताल प्राधिकारियों की संतुष्टि के अनुसार उपकरण जुलाई 19991 में प्रतिष्ठापित किया गया था।

अस्पताल ने नवम्बर 1993 में बताया कि प्रारंभ में म.नि.आ. एवं नि. को भेजे गए विनिर्देशनों में अतिरिक्त उपकरणों को शामिल किया गया था तथा इसलिए त.अ.स. को पुनः अनुमोदन हेतु प्रस्ताव नहीं भेजा गया था। इस प्रकार, अस्पताल ने लेखापरीक्षा की उपलब्धियों को स्वीकार कर लिया।

छ) खरीद का विनिर्देशनों के अनुसार न होना

त.अ.स. ने दिसम्बर 1989 में म.नि.आ. एवं नि. के माध्यम से 12 लाख रु. की एक लागत पर छः प्रासविक मेजों की खरीद का अनुमोदन किया जो फर्म द्वारा अस्पताल को मई 1991 में आपूर्त की गई थी।

जैसाकि स्त्री रोग विभाग के अध्यक्ष द्वारा सितम्बर 1991 में सूचित किया गया था, मेजे विनिर्देशनों के अनुसार नहीं थी तथा कुछ पुर्जों की मरम्मत की जानी अपेक्षित थी। अतः मेजे प्रतिष्ठापित नहीं की गई थी।

अस्पताल के अनुरोध पर म.नि.आ. एवं नि. ने फर्म से प्रतिष्ठापन की स्थिति का पता लगाने के लिए जनवरी 1993 तथा पुनः मार्च 1993 में सम्पर्क किया। इस समय के दौरान, स्त्री रोग विभाग के अध्यक्ष ने भी जनवरी 1993 में म.नि.आ. एवं नि. को सूचित किया कि फर्म ने 1991 में सुधार हेतु ली गई सामग्री को वापिस नहीं किया था तथा इस प्रकार मेजें लगभग 2 वर्षों तक अनुपलब्ध रहीं। यह भी ध्यान दिलाया गया था कि मेजों पर विनिर्माता का नाम नहीं दर्शाया गया था तथा यह संदेहपूर्ण था कि वे आयात की गई थी। उपर्युक्त मुद्दों पर स्पष्टीकरण प्राप्त किए बिना अस्पताल द्वारा जून 1993 में परेषित माल प्राप्ति प्रमाणपत्र (प.प्रा.प्र.) जारी कर दिया गया था। इस प्रकार, 12 लाख रु. का व्यय निष्फल रहा। इसके अतिरिक्त, आपूर्त किए गए उपकरण का स्तर भी संदेहपूर्ण था।

अस्पताल प्राधिकारियों ने नवम्बर 1993 में बताया कि स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा विभाग की पूर्ण संतुष्टि के लिए प्रदर्शन करने के बाद उपकरण को विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिष्ठापन हेतु पास किया गया। उपकरण को जून 1993 में प्रतिष्ठापित किया गया था तथा उसको संतोषजनक ढंग से कार्य करने वाला कहा गया था।

आदेशों को प्रस्तुत करने से पहले विस्तृत विनिर्देशनों को पास करने हेतु दिसम्बर 1991 में विनिर्देशन समितियां (वि.स.) संघटित की गई थी। मांगपत्र भेजने वाले प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना अपेक्षित था कि इन उपकरणों के संबंध में कार्यवाहियों पर वि.स. के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे तथा कार्यवृत्त म.नि.आ. एवं नि. को उपलब्ध कराए गए थे। संस्थान के अध्यक्ष के द्वारा वि.स. के कार्यवृत्त अस्पताल में सुलभ संदर्भ हेतु रखे जाने थे। एक सैट त.अ.स. के अभिलेख पूर्ण करने हेतु चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य विभाग को भेजा जाना था। लेखापरीक्षा परीक्षित किए गए अभिलेख से यह देखा गया था कि इन अनुदेशों का पालन नहीं किया गया था। अस्पताल को इस लेखापरीक्षा जांच की पुष्टि करने के लिए कहा गया था लेकिन नवम्बर 1993 तक उत्तर नहीं प्राप्त हुआ था।

यह भी देखा गया था कि उपकरणों के लिए कार्यपंजियाँ अनुरक्षित नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरुप उपकरणों की उपयोगिता को सत्यापित नहीं किया जा सका।

3.8.6 सामग्रियों, अन्य आपूर्तियों तथा औषधियों की खरीद

जैसाकि अप्रैल 1988 से मार्च 1993 की अवधि के लिए अस्पताल के आकस्मिक रजिस्टर से देखा गया, 50000 रु. तथा इससे अधिक मूल्य की प्रत्येक सामग्रियों तथा औषधियों के माल की खरीद से संबंधित अभिलेख की लेखापरीक्षा में जांच परीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआ:-

- अस्पताल ने 1988-89 के दौरान ऑर्थोपैडिक मदों की खरीद पर निम्नतम उद्धरण की उपेक्षा करते हुए जिसके लिए अस्पताल द्वारा तैयार किए गए तुलनात्मक विवरण में कोई औचित्य दर्ज नहीं किया गया था 2.80 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय किया। तीन मामलों में मूल्य विदेशी मुद्रा में उद्धृत किए गए थे जिसके बराबर रुपए तुलनात्मक विवरण में नहीं पाए गए थे तथा इस प्रकार लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सकी कि क्या इन मदों को निम्नतम दरों पर किफायती ढंग से खरीदा गया था। इसको अस्पताल के ध्यान में लाया गया था (जुलाई 1993) लेकिन कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्तूबर 1993)।
- अस्पताल ने 35000 रु. का अतिरिक्त व्यय करके 5750 रु. प्रति के निम्नतम उद्धरण की उपेक्षा करते हुए उपभोक्ता सहकारी भण्डार से भा.मा.सं. के चिन्ह वाले 9300 रु. प्रति की दर से 10 ट्रांस-ट्रॉली प्रक्रियाओं की खरीद की।

वैसे ही फर्नीचर की 9 मदों की खरीद में निम्नतम निविदा की इस तर्क के आधार पर उपेक्षा की गई थी कि निम्नतम निविदादाता द्वारा कोई नमूने आपूर्त नहीं किए थे। अन्य फर्मों से भी नमूने निविदाएं खोलने की तिथि के बाद ही प्राप्त हुए थे तथा निम्नतम निविदादाता को नमूने प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा गया था। इसके परिणामस्वरुप 63095 रु. का अतिरिक्त व्यय हुआ।

इस प्रकार अस्पताल ने निम्नतम उद्धरणों की उपेक्षा करके 98095 रु. का अतिरिक्त व्यय किया।

- असंवेदनता विभाग हेतु सर्जिकल वस्तुओं की वर्ष 1990-91 में की गई खरीद की नमूना जांच से निम्नलिखित प्रकट हुआ:-

- अस्पताल ने सर्जिकल वस्तुओं की समस्त खरीदें निम्नतम दरों के आधार पर नहीं की थी तथा उच्चतर दरों पर खरीदों का कोई औचित्य तुलनात्मक विवरण या अन्य प्रलेखों में दर्ज नहीं किया गया था। वर्ष 1990-91 के लिए 5.34 लाख रु. की लागत वाली 28 सर्जिकल वस्तुओं की मदों में से अस्पताल ने नौ मदें उच्च दरों पर खरीदी तथा 0.52 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय किया गया था।
- म.नि.आ. एवं नि. के माध्यम से खरीद करने से बचने के लिए अस्पताल प्राधिकारी अपनी आवश्यकताएं विखंडित कर रहे है तथा खुली निविदा उद्धरणों के आधार पर खरीदें कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, 1990-91 के दौरान अस्पताल के लिए IV सैटों की वार्षिक आवश्यकता को भण्डार अधिकारी द्वारा 20000 सैटों के रुप में परिकलित किया गया था (मई 1990)। इनको 96180 रु. की लागत पर सितम्बर 1990 से जनवरी 1991 के दौरान खरीदा गया था। वर्ष

1990-91 के लिए दूसरे 20000 सैटों की अतिरिक्त मांग उसी फर्म को भेजी गई थी (फरवरी 1991)। लेकिन आपूर्ति कार्योत्तर संस्वीकृति नियमित करके 96180 रु. की लागत पर केवल अप्रैल 1991 में ही की जा सकी। चिकित्सा अधीक्षक के प्रत्यक्ष आदेशों के बावजूद 1991-92 के लिये आवश्यकता की म.नि.आ. एवं नि. के पास प्रस्तुत नहीं किया गया तथा आवश्यकताओं को पुनः विखण्डित करते हुए खरीदें खण्डशः रूप में की गई थी। सितम्बर 1991 में 7500 सैट, अक्तूबर 1991 में 5000 सैट तथा जनवरी 1992 में दूसरे 5000 सैट।

- यद्यपि अस्पताल प्राधिकारियों ने सर्जिकल वस्तुओं की आपूर्ति के लिए अनुबंधों में एक शर्त सम्मिलित की जिसके अंतर्गत वस्तुओं की कम आपूर्ति चूककर्ता फर्मों की जोखिम तथा लागत पर अन्य स्रोतों से खरीद कर पूरी की जा सके लेकिन वे इस शर्त को प्रभावी करने में असफल रहे तथा कमियों को पूरा नहीं कर सके।
- एनसथीसिया विभाग हेतु एक फर्म को विनिर्देशन के अनुसार 29 मार्च 1992 तक पूर्ण की जाने वाली आपूर्ति के लिए 4.98 लाख रु. के मूल्य की 25 मदों की खरीद हेतु आदेश प्रस्तुत किया गया था (फरवरी 1992)। फर्म आपूर्ति पूर्ण नहीं कर सकी तथा उसने अप्रैल 1992 में 1.82 लाख रु. मूल्य की 12 मदों की आपूर्ति हेतु 15 मई 1992 तक समय बढ़ाने का अनुरोध किया जोकि मई 1992 में बढ़ा दिया गया था। अप्रैल 1992 में फर्म ने स्वयं अस्पताल को सूचित किया कि विदेशी बाजार में 1.72 लाख रु. मूल्य की 4 मदों की लागत में वृद्धि होने के कारण जब तक उनकी कीमतें न बढ़ जाएं तब तक वे आपूर्ति आदेश को पूर्ण करने में समर्थ नहीं होगें। अस्पताल प्राधिकारियों ने न तो आपूर्ति को पूर्ण करने के लिए आग्रह किया और न ही फर्म की लागत पर कमी को पूर्ण कर सके (सितम्बर 1993)।
- महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार एक रोगी, जिसकी संक्रामक रोक (एड्स, यकृत-शोध, जलांतक आदि) से मृत्यु होती, का शरीर दोहरे प्लास्टिक के थैले में लपेट कर उसपर "संक्रामक" का लेबल लगाना होता है।

इन दिशानिर्देशों की अनुपालना में अस्पताल प्राधिकारियों ने मार्च 1990 में 51360 रु. की लागत पर 200 प्लास्टिक के थैले खरीदे। अस्पताल प्राधिकारियों को 31 मार्च 1990 से पूर्व तथा उसके बाद पता लगाए गए संक्रामक रोगों के मामलों की संख्या सूचित करने का अनुरोध किया गया था (सितम्बर 1992 तथा जुलाई 1993) ताकि इन थैलों की आवश्यकता का निर्धारण किया जा सके, लेकिन उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 1993)। तथापि स्टॉक रजिस्टर से यह पता लगा था कि 200 थैलों में से केवल 16 थैले जारी किये गये थे

तथा फरवरी 1991 से एक भी थैले का उपयोग नहीं किया गया था। इस प्रकार, से थैले आवश्यकता की आशा का निर्धारण किए बिना ही खरीदे गए थे तथा आवश्यकता से काफी अधिक थे।

एक फर्म ने नवम्बर 1990 में अस्पताल को सूचित किया कि फरवरी 1989 में आपूर्त किया गया उनका उत्पाद कम्पांउड सोडियम लेक्टेट इंजेक्शन आई.पी. 540 मि ली. से अभिक्रिया उत्पन्न होती देखी गई थी तथा इसलिए अस्पताल ने 31836 रु. मूल्य की 3790 बोतलें फर्म के प्रतिनिधि को सौंप दीं (जनवरी 1991)। फर्म उसको बदल न सकी तथा जनवरी 1991 में उसकी लागत वापिस करने की इच्छा व्यक्त की लेकिन अस्पताल प्राधिकारी सितम्बर 1993 तक यह संपुष्टि नहीं कर सके कि क्या लागत की वापसी प्राप्त हो गई थी।

एक फर्म ने 7 अगस्त 1989 के आपूर्ति आदेश के प्रति निम्नलिखित औषधियां आपूर्ति की (अगस्त, सितम्बर 1989):-

तालिका संख्या 3.8.6

	औषधि	मात्रा
1.	इंजेक्शन हेतु जल	10000
2.	प्रोमीथेजाइन इंजेक्शन	5000
3.	क्लोरॉयनफेक्ल ईथर ड्रॉप्स	525
4.	पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन	775
5.	हाइड्रोजन पैरोक्साइड	100
6.	कैल्शियम ग्लुटामेट इंजेक्शन	500

अनुमोदन समिति द्वारा ये मदें अस्वीकृत कर दी गई थी तथा फर्म को उन्हें शीघ्रातिशीघ्र वापिस करने का अनुरोध किया गया था (मार्च 1990)। अभिलेख में ऐसा कुछ नहीं था जिससे यह प्रकट हो कि क्या फर्म ने बदली या वापसी हेतु समस्त स्टॉक वापिस ले लिया था। जब लेखापरीक्षा द्वारा उनसे यह पूछा गया तो अस्पताल- प्राधिकारी स्थिति की पुष्टि करने में भी असमर्थ थे (सितम्बर 1993)।

उपर्युक्त मुद्दे स्वास्थ्य मंत्रालय को सितम्बर 1993 में भेजे गए थे, दिसम्बर 1993 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

3.9 उपकरण का उपयोग न किया जाना

खाद्य मिलावट रोकथाम विभाग (खा.मि.रो.) ने अपनी खाद्य प्रयोगशाला के लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को पेश किए गए खाद्य एवं पेय पदार्थों में मिलावट का देशी उपकरण द्वारा पता न लगाए जाने के

कारण, विभाग को मिलावट का पता लगाने में समर्थ बनाने हेतु एक उच्च क्षमता वाला तरल क्रोमेटोग्राफ (उ.क्ष.त.क्रो.) आयात करने का निर्णय लिया। अक्तूबर 1989 में म.नि.आ. एवं नि. के पास एक मांगपत्र प्रस्तुत किया गया था। म.नि.आ. एवं नि. ने अप्रैल 1990 में 13 निविदाएं प्राप्त करके खोली तथा इन्हें विभाग को तकनीकी टिप्पणियों हेतु भेज दिया गया। विभाग ने अपनी सिफारिशें भेजने में छह माह (अक्तूबर 1990) का समय ले लिया।

जनवरी 1991 में 8.58 लाख रु. के एक उ.क्ष.त.क्रो. हेतु विदेशी आपूर्तिकर्ता को उसके भारतीय एजेन्ट मैसर्स ब्लू स्टार लिमि. के माध्यम से एक औपचारिक आपूर्ति आदेश प्रस्तुत किया गया था। फरवरी 1991 में भारतीय एजेन्ट ने म.नि.आ. एवं नि. के साथ-साथ विभाग को सूचित किया कि उनके प्रधान द्वारा "फ्लो सैल" मद को पृथक रूप से दर्शाया जा रहा था तथा इस प्रकार यह भाग 840 यू.एस. डॉलर की अतिरिक्त कीमत पर ही आपूर्त किया जा सकता था। आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति आदेश में उपयुक्त संशोधन करने का अनुरोध किया गया था।

खा.मि.रो. ने एजेंट के दावे का विरोध किया क्योंकि आपूर्तिकर्ता के वास्तविक उद्धरण में इस मद को पूर्ण यूनिट के भाग के रूप में शामिल किया गया था तथा इसके बिना उ.क्ष.त. क्रो. प्रचालित नहीं होगा (अप्रैल 1991)। प्रेषित माल जून 1991 में दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचा लेकिन खाद्य प्रयोगशाला में अप्रैल 1992 में प्राप्त किया गया था। प्रेषित माल म.नि.स्वा. से. से म.नि.व्या.वि. की निकासी एवं सीमाशुल्क छूट प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा में हवाई अड्डे पर ही रुका हुआ था; हवाई पत्तन प्राधिकारियों को 35175 रु. विलम्बित निकासी हेतु विलम्बन शुल्क के रूप में अदा किये गए थे।

म.नि.आ. एवं नि. ने मई 1992 में मैसर्स ब्लू स्टार लिमिटेड को लागत के भीतर फ्लो सैल की आपूर्ति के लिए एक मास का समय दिया। पहले जुलाई 1992 में फर्म ने उत्तर दिया कि फ्लो सैल के लिए पृथक रूप से आदेश दिया जाना था। अंत में म.नि.आ. एवं नि. ने अप्रैल 1993 में 865 यू.एस. डॉलर पर फ्लो सैल की आपूर्ति हेतु आदेश प्रस्तुत किया जिसमें से मैसर्स ब्लू स्टार पचास प्रतिशत का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ। फ्लो सैल अक्तूबर 1993 तक प्राप्त नहीं किया गया था।

अप्रैल 1992 में प्राप्त किया गया उपकरण फ्लो सैल की कमी के कारण प्रयोगशाला में अप्रयुक्त पड़ा रहा था। इस प्रकार, उ.क्ष.त.क्रो. की अधिप्राप्ति पर किये गये 8.93 लाख रु. (विलम्बन प्रभार तथा एजेंट के कमीशन को शामिल करते हुए) के व्यय के बदले में खरीद के अभिप्रेत उद्देश्य के पूरा न होने के अलावा सरकारी निधियों का अवरोधन हुआ।

मामला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सितम्बर 1993 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 1993 तक प्रतीक्षित है।

3.10 रसायनों के स्टॉकों का अप्रयुक्त पड़े रहना

खाद्य मिलावट रोकथाम विभाग ने खाद्यान्नों के नमूनों पर जांच करने के लिए 1977 में एक खाद्य जांच प्रयोगशाला स्थापित की थी। खाद्य नमूनों पर माइक्रोबॉयोलोजिकल तथा टोक्सीकोलोजिकल जांचों सहित, जांचों के लिए कई रसायनों का उपयोग किया जाता है।

1988 में जब यह कार्य विभाग को स्थानान्तरित किया गया था तब दिल्ली नगर निगम द्वारा 1984 से पूर्व खरीदे गए रसायनों के स्टाक भी प्रयोगशाला को भेजे गए थे। प्रयोगशाला अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि अगस्त 1992 तक खरीदे गए 2.26 लाख रु. मूल्य के रसायन सितम्बर 1993 तक अप्रयुक्त पड़े हुए थे। मार्च 1993 में विभाग ने 5.63 लाख रु. की लागत के विभिन्न रसायनों के और स्टॉक खरीदे जिसमें से भी 4.84 लाख रु. लागत के रसायन सितम्बर 1993 तक अप्रयुक्त पड़े हुए थे।

विभाग ने एक लेखापरीक्षा पूछताछ के उत्तर में बताया कि रसायनों के पुराने स्टॉक कालातीत हो चुके थे; उसी समय यह तर्क दिया गया था कि दुर्लभ तथा नाजुक वातावरण के माइक्रोबॉयोलोजिकल रसायनों को पर्याप्त मात्रा में खरीदकर चार से पांच वर्षों तक उपयोग किया जा सकता है। 7.10 लाख रु. मूल्य के अप्रयुक्त रसायनों के स्टॉक से यह प्रकट होता है कि मार्च 1993 मे निधियों के व्यपगमन से बचने के लिए खरीद की गई थी।

मामला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को अक्तूबर 1993 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 1993 तक प्रतीक्षित है।

पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवन

3.11 वन यूनिट की पुनरीक्षा

3.11.1 प्रस्तावना

दिल्ली में वन्य विद्या का प्रबन्ध कई विभागों एवं स्वायत्त निकायों जैसे, लोक निर्माण विभाग, बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका आदि द्वारा किया जाता है। जून 1988 से एक वन यूनिट ने, विकास आयुक्त, जो पर्यावरण, वन एवं वन्य-जीवन विभाग का पदेन सचिव भी है, के अध्यधीन एक स्वतन्त्र यूनिट के रुप में कार्य करना प्रारंभ किया।

वन यूनिट के मुख्य उद्देश्य, पर्यावरणीय प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए एक हरित प्रतिरोधक का सृजन एवं परिरक्षण तथा जन भूमि पर अतिक्रमण को रोकना है। वन यूनिट के मुख्य कार्य (i) रोपण (ii) वनों का संरक्षण (iii) भूसंरक्षण तथा (iv) जंगली जीवन शरण-क्षेत्र का भूदृश्य निर्माण हैं।

3.11.2 क्षेत्र विस्तार

दिल्ली में ग्रामीण भूमि के 180000 एकड़ों (891 वर्ग कि.मी.) में से वन यूनिट, सघन क्षेत्र के 9156 एकड़ (5 प्रतिशत) तथा रेलपथ, नालों तथा बांधों के 1145 किलोमीटर के प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी है। अवरोक्त मामले में, वन यूनिट द्वारा अन्तग्रस्त भूमि का क्षेत्र परिकलित नहीं किया गया। यूनिट के पास उसके प्रबन्ध के अधीन क्षेत्रों को दशनि वाले नक्शे नहीं हैं। 9156 एकड़ सघन भूमि में से, केवल 2290 एकड़ वन श्रेणी के अध्यधीन हैं तथा शेष भूमि जंगली जीवन शरण क्षेत्र के लिए चिन्हित क्षेत्र के अन्तर्गत हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग भी दिल्ली के समस्त ग्रामीण क्षेत्र में वृक्षों के संरक्षण के लिए एक निस्पन्द एजेन्सी के रुप में कार्य कर रहा है।

3.11.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

1988-89 से 1992-93 की अवधि के लिए मुख्यालय तथा रेंज कार्यालयों द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों की लेखापरीक्षा में नमूना-जांच की गई थी। इसके अतिरिक्त, जंगली जीवन शरण-क्षेत्र के पूंजीगत निर्माण कार्यों से सम्बन्धित केशवपुर अपगामी सिंचाई योजना (के.अ.सिं.यो.) प्रभाग तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग के प्रभाग V के अभिलेखों की जांच की गई थी।

3.11.4 विशिष्टताएं

- पौधों की उत्तर जीविता के मूल्यांकन हेतु अभिलेखों तथा प्रक्रिया के अभाव में सूचित की गई पौधों की उत्तरजीविता का सत्यापन नहीं किया जा सका। 80 प्रतिशत की अपेक्षित उत्तरजीविता की दर के प्रति, वास्तविक उत्तरजीविता की दर 28 से 70 प्रतिशत के बीच थी।
- केन्द्रीय नर्सरियों की बिक्री के आंकड़ों की विशुद्धता का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि पौधों के उत्पादन तथा बिक्री के कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए थे।
- अवैध वृक्ष-काटने की दरें 1963 से संशोधित नहीं की गई थी। पूर्वानुमति से पेड़ गिराने वाले, अवैध रुप से पेड़ गिराने वालों की अपेक्षा बहुत अधिक प्रभारित किए जा रहे थे तथा नाममात्र अर्थदण्ड के भुगतान के पश्चात् उन्हें लकड़ी रखने की अनुमति दी गई थी।
- 292 लाख रु. की संस्वीकृत राशि के प्रति, 483 लाख रु. के व्यय के बावजूद, असोला में वन्य जीवन शरण-क्षेत्र का कार्यान्वयन नहीं हुआ था।
- यद्यपि अभिलेख यह दशति थे कि शरण-क्षेत्र के कुछ क्षेत्र अतिक्रमणाधीन थे, भूमि के अतिक्रमण से सम्बन्धित विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

- शरण- क्षेत्र के लिए चारदीवारी के निर्माण पर 70.87 लाख रु. का अधिक व्यय किया गया था।
- 10 छिछले तालाबों के लिए 4 लाख रु. के प्रावधान के प्रति, 18.97 लाख रु. की लागत पर 27 छिछले तालाबों का निर्माण किया गया था, यद्यपि उनमें जल-आपूर्ति का कोई प्रबन्ध नहीं है।
- मार्च 1990 से 5.32 लाख रु. मूल्य के जी.आई.पाईप प्रतिष्ठापन की प्रतीक्षा में स्टॉक में पड़े हुए थे।
- वन स्टाफ के लिए कार्य के कोई प्रतिमान निर्धारित नहीं किए गए थे। वन भूमि के कुशल प्रबन्ध हेतु कोई कार्य-योजना तैयार नहीं की गई थी।

3.11.5 संगठनात्मक ढांचा

वन यूनिट का मुखिया एक उप वन संरक्षक होता है। वह समग्र पर्यवेक्षण, नियोजन एवं सम्पर्क गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होता है। वन क्षेत्र को सात श्रेणियों अर्थात अलीपुर, महरौली, नांगलोई, नजफगढ़, शाहदरा, मोतीबाग तथा आई.टी.ओ., में बाँटा गया है। प्रत्येक श्रेणी की देखभाल एक वन रेंजर द्वारा की जाती है। रेंज अधिकारियों की वन-गार्डों, जो बीट अधिकारियों के रुप में कार्य करते हैं, द्वारा सहायता की जाती है। रेंज अधिकारी वन रोपण एवं संरक्षण तथा पुलिस के साथ सम्पर्क बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। विभाग भी असोला में 4707 एकड़ जंगली जीवन शरण-क्षेत्र का विकास कर रहा है। भट्टी गांव का 2166 एकड़ का एक अतिरिक्त क्षेत्र भी अप्रैल 1991 में जंगली जीवन शरण क्षेत्र के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया था। जंगली जीवन शरण क्षेत्र की एक वरिष्ठ वन-रेंजर, जिसकी वन गार्डों द्वारा सहायता की जाती है, द्वारा देखभाल की जाती है।

3.11.6 वित्तीय प्रबन्ध

वन यूनिट का वित्त पोषण, रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार के बजट से आबंटन द्वारा किया जाता है। निम्न तालिका मार्च 1993 को समाप्त हुए पांच वर्षों के दौरान किए गए व्यय को दर्शाती है।

तालिका 3.11.6 वन यूनिट पर शीर्ष-वार व्यय

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	शीर्ष/योजनाएं	राजस्व	पूंजीगत	जोड़
1.	निर्देशन एवं प्रशासन	9	-	9
2.	वृक्षारोपण	588	10	598
3.	जंगली जीवन शरण क्षेत्र का सृजन	103	470	573
4.	विविध योजनाएं	48	-	48
	जोड़	748	480	1228

असोला जंगली जीवन शरण क्षेत्र के सृजन पर पूंजीगत व्यय बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा किया जा रहा है क्योंकि 1987 में जब यह योजना अनुमोदित की गई थी, वन यूनिट की स्थापना नहीं हुई थी। असोला जंगली जीवन शरण- क्षेत्र के लेखाओं में दर्शाए गए 470 लाख रु. के पूंजीगत व्यय के प्रति, बाढ़ नियंत्रण विभाग ने 531 लाख रु. बुक किए थे (अप्रैल 1993)। जब लेखापरीक्षा ने इसका संकेत दिया (सितम्बर 1993) तो बाढ़ नियंत्रण विभाग ने नवम्बर 1993 में 470 लाख रु. के योग के आंकड़े प्रस्तुत कर दिए। इन दोनों राशियों के परिकलन के कोई कारण नहीं दिए गए थे। यह विभाग द्वारा किए गए व्यय पर नियंत्रण की कमी का सूचक है।

3.11.7 वृक्षारोपण

"वृक्षारोपण योजना" के अन्तर्गत, वन यूनिट से निम्नलिखित बातें अपेक्षित हैं:-

- सड़क के किनारों, नाला बांधों, रेल पथों, पंचायत तथा सरकारी व्यर्थ पड़ी भूमि तथा वनों आदि में वृक्षारोपण।
- रोपण स्टॉक को बढ़ाने के लिए स्थानिक नर्सरियों की स्थापना।
- वृक्षों की निगरानी तथा अनुरक्षण सुनिश्चित करना।

क) वृक्षों का आरोपण एवं उत्तरजीविता

मार्च 1993 को समाप्त हुए पिछले 5 वर्षों के दौरान, रेंजों तथा जंगली जीवन शरण-क्षेत्र असोला में लगाए गए तथा उनमें से शेष बचे वृक्षों की संख्या के रूप में उपलब्धि नीचे दी गई है:-

तालिका 3.11.7 (क) पौधों की उत्तरजीविता

(संख्या हजारों में)

	लगाए गए पौधे			उत्तरजीविता			उत्तरजीविता की प्रतिशतता	
वर्ष	रेंज	*ज.जी.श.	जोड़	रेंज	ज.जी.श.	जोड़	रेंज	ज.जी.श.
1988-89	1004	1132	2136	397	794	1191	40%	70%
1989-90	722	87	809	432	24	456	60%	28%
1990-91	328	640	968	183	308	491	56%	48%
1991-92	493	395	888	245	120	365	50%	30%
1992-93	573	447	1020	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.

* जंगली जीवन शरण क्षेत्र

इस प्रकार 80 प्रतिशत की अपेक्षित उत्तरजीविता दर के प्रति 1988-89 से 1992-93 के दौरान उत्तरजीविता रेंजों में 40 से 60 प्रतिशत के बीच तथा जंगली जीवन शरण क्षेत्र में 28 से 70 प्रतिशत के बीच थी।

ख) पौधों की उत्तरजीविता को सूचित करने का गलत ढंग

विभाग द्वारा पौधों की उत्तरजीविता को सूचित करने का ढंग निम्नलिखित कारणों से गलत पाया गया था:-

- विभाग ने वास्तव में उत्तरजीवित पौधों की संख्या निर्धारण के लिये दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए।

- जून से अगस्त तक लगाए गए पौधों की उत्तरजीविता, वृक्षारोपण के उपरान्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 7 से 9 मास के पश्चात् सूचित की गई थी जबकि बाढ़ नियंत्रण/लो.नि. विभागों में जहां वृक्षारोपण ठेकेदारों के माध्यम से किया जाता है, वृक्षारोपण का कार्य केवल 3 वर्षों के पश्चात् ही पूर्ण समझा जाता है। विभाग द्वारा पौधों की उत्तरजीविता को समय से पूर्व सूचित करने की प्रथा को लेखापरीक्षा में उठाया गया था तथा विभाग ने स्वीकार किया कि उत्तरजीविता को सूचित करने के पश्चात् पौधों की आकस्मिकताओं का वर्जन नहीं किया जा सकता था क्योंकि इस सम्बन्ध में आगे कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की जा रही थी।

- विभाग द्वारा एक विशेष रोपण क्षेत्र के अन्दर खड़े पौधों के विवरण देने वाली कोई योजना प्रयोग नहीं की गयी थी।

- पौधे, सूची बनाने तथा पहचान के लिए चिन्हित भी नहीं किए जा रहे थे, जिसके परिणामस्वरुप कभी भी पौधों की संगणना नहीं कराई गई।

इस प्रकार वास्तव में उत्तरजीवित पौधों के समुचित अभिलेखों के अभाव में, उत्तरजीवित पौधों के आंकड़ों की शुद्धता संदिग्ध है।

ग) नर्सरी पौधों का उत्पादन

वन यूनिट ने नर्सरियों में पौधों के पोषण हेतु 28.5 एकड़ भूमि चिन्हित की। इसमें से, 18 एकड़ दो केन्द्रीय नर्सरियों के तथा 10.5 एकड़ रेंजों के अन्तर्गत थी। रेंज नर्सरियों में उगाए गए पौधे, रेंजों में वृक्षारोपण

हेतु भी उपयोग में लाए जाते हैं। केन्द्रीय नर्सरियों (उत्तरी एवं दक्षिणी रेजों) में बड़े किए गए पौधे रेंजों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तथा सरकारी विभागों, संस्थानों, समितियों तथा रोपण गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों को 0.50 रु. से 7.00 रु. के बीच की दरों पर बेचे भी जाते हैं। 1988-89 से 92-93 के दौरान केन्द्रीय तथा रेंज नर्सरियों का उत्पादन निम्न प्रकार से सूचित किया गया था:

तालिका 3.11.7(ग) नर्सरी पौधों का उत्पादन

वर्ष	नर्सरियों में उत्पादित पौधों की संख्या (हजारों में)		
	केन्द्रीय नर्सरियां	रेंज नर्सरी	जोड़
1988-89	142	234	376
1989-90	169	177	346
1990-91	148	148	296
1991-92	259	197	456
1992-93	229	146	375
जोड़	947	902	1849

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि केन्द्रीय नर्सरियों में उत्पादन एवं बिक्री के कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए थे। तथापि, वन यूनिट की सामान्य रोकड़-बही के अनुसार, 1988-89 से 1992-93 के दौरान पौधों की बिक्रियों के प्रति नर्सरियों के माध्यम से जमा कराई गई राशि 1.43 लाख रु. थी। उत्पादन तथा बिक्री अभिलेखों के अभाव में रोकड़-बही के अनुसार बिक्री आंकड़ों की शुद्धता लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकी।

घ) वृक्षों का संरक्षण

दिल्ली में वृक्ष काटना पूर्ण रुप से प्रतिबन्धित हैं तथा उन मामलों में जहां वृक्षों को गिराना नितान्त अनिवार्य हो, जुलाई 1990 से दिसम्बर 1991 तक की अल्पावधि को छोड़कर, जब ये शक्तियां विभागों के प्रमुखों को प्रत्यायोजित की गई थी, उप राज्यपाल का पूर्व-अनुमोदन लिया जाना अपेक्षित था।

वन-सम्पत्ति को कानून के माध्यम से संरक्षण प्रदान करने के लिए, वन-यूनिट, अपनी शक्तियों का प्रयोग, भारतीय वन- अधिनियम, 1927 के अध्यधीन करती है। वन स्टाफ को ये शक्तियां समय-समय पर

जारी अधिसूचनाओं के अध्यधीन रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान की गई है।वन यूनिट, वृक्षों की अवैध कटाई के लिए अपराधियों से प्रतिपूर्ति प्रभारित करने के लिए, वनपालों को, भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 26/38 के अधीन चालान फार्म जारी करता है। 891 वर्ग कि.मी. ग्रामीण क्षेत्र में फैले वृक्षों का संरक्षण, वन यूनिट के अधीन वन-गार्डों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक वन-गार्ड द्वारा औसत 15 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का संरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा द्वारा विभाग से वर्ष 1988-89 से 1992-93 के प्रत्येक वर्ष के दौरान ढूंढे गए अपराधों तथा प्रभारित प्रतिपूर्ति के विवरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। सूचना लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने मार्च 1993 को समाप्त हुए पिछले पांच वर्षों के लिए 7 में 2 रेंजों के लिए उपरोक्त सूचना निम्नानुसार एकत्रित की थी:-

तालिका 3.11.7(घ)

	रेंज का नाम	मामलों की संख्या	वसूल की गई राशि (रुपए)
1	अलीपुर	142	25804
2.	नजफगढ़	87	9665
	जोड़	229	35469

दो रेंजों के अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित अनियमितताएं प्रकट हुईं:-

- लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि वृक्ष उप राज्यपाल की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना ही काटे जा रहे थे। मार्च 1992 से मार्च 1993 की अवधि के लिए अलीपुर रेंज के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 319 वृक्ष अवैध रुप से गिराए गए थे। ऐसे अपराधों के मामले उप वन संरक्षक, को भी प्रस्तुत नहीं किए जा रहे थे।

- रेंज अधिकारियों ने अवैध रुप से गिराए जा रहे वृक्षों के सभी मामले निपटा दिए थे। यह देखा गया था कि ऐसे कोई भी मामले पुलिस के पास पंजीकृत नहीं किए गए थे। बल्कि, प्रतिपूर्ति एवं लकड़ी की लागत के उद्ग्रहण एवं संग्रहण द्वारा नियमित कर दिए गए थे जिसके पश्चात् वह व्यक्ति, जिसने पेड़ काटे थे, उन्हें अपने साथ ले जा सकता था।

- जबकि विभाग द्वारा मार्च 1992 में निर्धारित किए गए अनुसार एक पौधे को उगाने की लागत 100 रु. के लगभग थी, रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार द्वारा 1963 में निश्चित की गई प्रतिपूर्ति अथवा अर्थदण्ड की

दरें वृक्षों के 6 से 36 इंच के घेरे के आधार पर 5 रु. से 25 रु. प्रति वृक्ष थी। उसके बाद ये दरें संशोधित नहीं की गई।

- लकड़ी की लागत प्रतिपूर्ति की निर्धारित (1963) दरों से दुगुनी दरों पर वसूल की जा रही थी। जिस प्राधिकार के अन्तर्गत ऐसा किया जा रहा था, वह लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। नमूना-जांच के दौरान यह पाया गया था कि दि.वि.प्र.सं. से 1976 वृक्षों को गिराने, जिसके लिए अनुमति प्रदान की गई थी, के लिए प्रतिपूर्ति के रुप में 5.77 लाख रु. वसूल किए गए थे (अप्रैल 1992)। तथापि, उन मामलों में जहां अलीपुर रेंज में दि.न.नि. तथा दि.वि.प्र.सं. के ठेकेदारों तथा अन्यों द्वारा वृक्ष अवैध रुप से काटे गए थे, 319 वृक्षों को गिराने के लिए केवल 8770 रु. की प्रतिपूर्ति वसूल की गई थी।

- चूंकि रेंज अधिकारी वृक्षों की कोई सूची अनुरक्षित नहीं करते हैं, अवैध रुप से काटे गए वृक्षों की वास्तविक संख्या का सत्यापन करना सम्भव नहीं है।

3.11.8 जंगली जीवन शरण क्षेत्र - असोला का सृजन

मार्च 1987 में, रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार के बाढ़ नियंत्रण विभाग ने 3.95 करोड़ रु की एक अनुमानित लागत पर 3250 एकड़ के एक क्षेत्र को कवर करते हुए दिल्ली के बाह्यांचल में असोला पर एक जंगली जीवन शरण-क्षेत्र की स्थापना के लिए पर्यावरण, वन तथा जंगली जीवन विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार की ओर से एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की। परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा कुछ आशोधनों के अध्यधीन जुलाई 1987 में अनुमोदित की गई थी। तदनुसार, योजना का पर्यावरण, वन एवं जंगली जीवन विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार द्वारा पुनर्मूल्यांकन किया गया था तथा अनुमानित लागत 2.93 करोड़ रु. तक घटा दी गई थी। परियोजना, क्रमबद्ध ढंग से मार्च 1991 के अन्त तक पूर्ण किए जाने के लिए निर्धारित थी।

क) वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियां

निम्नलिखित तालिका असोला शरण-क्षेत्र द्वारा मार्च 1993 के अन्त तक किए गए वास्तविक व्यय के साथ प्रक्षिप्त व्यय की तुलना करती है:-

तालिका 3.11.8(क) असोला जंगली जीवन शरण- क्षेत्र पर व्यय

(लाख रुपयों में)

वर्ष	प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार व्यय	वास्तविक व्यय
1986-87	-	*1
1987-88	32	11
1988-89	93	95
1989-90	129	80
1990-91	38	64
1991-92	-	180
1992-93	-	52
जोड़	292	483

* प्राथमिक खर्चों के कारण व्यय

483 लाख रु. का कार्य-वार ब्यौरा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। तथापि, यह देखा गया था कि कई मुख्य निर्माण कार्य, जिनके लिए प्रावधान परियोजना रिपोर्ट में विद्यमान थे जैसे, बाह्य सड़क (53.60 लाख रु.), प्रशासनिक ब्लॉक (10 लाख रु.), आवासीय स्थान (7.50 लाख रु.) जन-सुविधाएं (5.00 लाख रु.), बाह्य सेवाएं (17.00 लाख रु.) का निर्माण तथा अन्य विविध निर्माण कार्य, अप्रैल 1993 तक अभी प्रारम्भ किए जाने थे।

ख) भूमि का अधिग्रहण

लगभग 2707 एकड़ माप की गांव सभा भूमि असोला में जंगली जीवन शरण क्षेत्र के लिए अक्तूबर 1986 में अधिसूचित की गई थी। तदनन्तर गांव सभा भूमि के निकटवर्ती क्षेत्र की लगभग 2000 एकड़ भूमि नवम्बर 1987/फरवरी 1988 में अधिसूचित की गयी थी। आगे लगभग 33 एकड़ (142 बीघां) निजी भूमि जुलाई 1992 में अधिसूचित की गई थी। इस प्रकार, जंगली जीवन शरण-क्षेत्र, असोला के लिए कुल अधिसूचित भूमि 4740 एकड़ (अनुमानतः) थी जिसे असोला शरण क्षेत्र के लिए विकसित किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, गांव सभा भूमि के पास के गांव भट्टी की 2166 एकड़ भूमि भी जंगली-जीवन के लिए अप्रैल 1991 में अधिसूचित की गई थी। तथापि, इसके विकास हेतु योजनाओं को अभी अन्तिम रुप दिया जाना था।

यह भी देखा गया था कि बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा राजस्व विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार से जंगली-जीवन शरण-क्षेत्र, असोला के भू-भाग का कब्जा, भूमि की स्थिति के विवरण दर्ज किए बिना कागज पर ही ले लिया गया था। बाद में, भूमि का प्रत्यक्ष कब्जा लेते समय, बाढ़ नियंत्रण विभाग ने देखा कि अधिग्रहीत भूमि के बड़े क्षेत्र पहले से ही अतिक्रमणाधीन थे। लेखापरीक्षा द्वारा अतिक्रमणाधीन भूमि के विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहने पर, वन यूनिट ने कहा कि वे उपलब्ध नहीं थे, तथा स्वामी एजेन्सियों (वन यूनिट) से मांगे जाने चाहिए। वन विभाग ने भी अतिक्रमणाधीन भूमि के विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए थे। तथापि बाढ़ नियंत्रण विभाग के अभिलेखों से देखा गया कि निम्नलिखित भूमि अतिक्रमणाधीन थी।

तालिका सं.3.11.8(ख)

	स्थिति	क्षेत्र बीघों में
1.	देवली गांव की ओर जंगली जीवन शरण क्षेत्र की चार दीवारी	90.00
2.	गांव देवली की एकल पॉकेटें	114.30
3.	गांव तुगलकाबाद की एकल पॉकेटें	36.15
	जोड़	240.45

ग) निर्माण कार्य

ग.(i) चारदीवारी का निर्माण

परियोजना रिपोर्ट के अनुसार 18 कि.मी. लम्बाई की आधा मीटर ऊंची दीवार के ऊपर 2.5 मीटर ऊंची जालीदार तार, 90 लाख रु. की अनुमानित लागत पर डाली जानी निर्धारित थी। बाद में, परियोजना अनुमानों के अनुमोदन के पश्चात् नवम्बर 1987 तथा फरवरी 1988 में अधिसूचित क्षेत्र को बचाने तथा बनाई जाने वाली चारदीवारी की लम्बाई को 48 कि.मी. तक आशोधित करने का, अप्रैल 1988 में निर्णय लिया गया था। तथापि, 3 मीटर ऊंची जालीदार घेराबन्दी की मूल योजना के प्रति, वित्तीय अनुमानों में बिना कोई परिवर्तन किए, 2 मीटर ऊंची चिनाई की दीवार के निर्माण का निर्णय लिया गया था।

लेखापरीक्षा में चारदीवारी के निर्माण से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना-जांच से निम्नलिखित बातें सामने आईं:-

- 90 लाख रु. के प्रावधान के प्रति मई 1992 तक 2 मीटर ऊंचाई की 41 कि.मी. आर आर चिनाई की दीवार के निर्माण पर 160.87 लाख रु. का व्यय पहले से ही बुक किया जा चुका था। इस प्रकार 70.87

लाख रु. का व्यय, योजना को संशोधित किए बिना ही कर दिया गया था। शेष चारदीवारी के निर्माण पर मई 1992 के पश्चात् किया गया व्यय उपलब्ध नहीं था।

- लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि देवली गांव की ओर जंगली जीवन शरण-क्षेत्र की 1.5 कि.मी. चारदीवारी के निर्माण का ठेका, 90 बीघा भूमि, जहां 350 अप्राधिकृत ढाँचे विद्यमान थे, के अतिक्रमण के कारण, 0.75 कि.मी. की लम्बाई तक पूरा होने के पश्चात्, कम करना पड़ा था।

- सतबारी गांव में खसरा सं. 1088 तथा 1089 पर चारदीवारी के गलत निर्माण के सम्बन्ध में शरण क्षेत्र में तैनात वनपाल द्वारा दिसम्बर 1989 में की गई एक विशिष्ट शिकायत पर, बाढ़ नियंत्रण विभाग ने फरवरी 1990 में भूमि का पुनर्सीमांकन किया तथा पता लगा कि खसरा सं. 1088 तथा 1089 में 600 वर्ग मीटर माप की भूमि चार दीवारी से बाहर ही छोड़ दी गई थी। अगस्त 1990 में यह निर्णय लिया गया था कि पहले बनाई गई दीवार को तोड़कर 0.75 लाख रु. की अनुमानित लागत पर वास्तविक भूमि पर चारदीवारी का निर्माण शुरु किया जाए। तथापि, नवम्बर 1993 तक चार दीवारी से बाहर छोड़े गए क्षेत्र को पूरा करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

- चारदीवारी में दरारों को देख कर, वन विभाग ने सामग्री के नमूने एकत्रित किये तथा एक निजी प्रयोगशाला को जांच हेतु भेज दिये। विभाग द्वारा जांच रिपोर्ट जनवरी 1992 में विकास आयुक्त को भेज दी गई थी। रिपोर्ट के अंश लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

ग.(ii) ट्यूबवैल के निर्माण पर निष्फल व्यय

शरण- क्षेत्र में जल संसाधन उपलब्ध कराने के लिए, परियोजना रिपोर्ट में 9.00 लाख रु. की लागत पर पम्प गृह तथा पम्प सैटों सहित 3 ट्यूबवैलों के निर्माण का विचार किया गया था। तथापि, बिना किसी समुचित सर्वेक्षण के ठेकेदारों के माध्यम से 3.48 लाख रु. की लागत पर केवल दो ट्यूबवैलों (पम्प गृहों सहित) का निर्माण किया गया था। अभ्रक के अत्यधिक जमा हो जाने के कारण दोनों ट्यूबवैलों को छोड़ देना पड़ा था। बाद में, बाढ़ नियंत्रण विभाग ने अपने लघु सिंचाई मंडल के माध्यम से 5.82 लाख रु. की लागत पर 2 और ट्यूबवैलों का निर्माण किया। इस प्रकार विभाग ने 3.48 लाख रु. का निष्फल व्यय किया।

ग.(iii) छिछले जोहड़ों का निर्माण

परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, ट्यूबवैलों के सफल प्रतिष्ठापन के पश्चात् छिछले जोहड़ों का निर्माण किया जाना था। ट्यूबवैलों का शरणक्षेत्र में जंगली जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 10 छोटे छिछले जोहड़ों को पानी के वितरण हेतु लोहे के जस्तेदार (जी आई) पाइपों के साथ जोड़ा जाना अपेक्षित था।

छिछले जोहड़ों के निर्माण से सम्बन्धित अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने निम्नलिखित अनियमितताएं दर्शायीं:

- अनुमोदित योजना में 0.40 लाख रु. प्रत्येक की दर से 10 छिछले जोहड़ों के निर्माण हेतु 4 लाख रु. का प्रावधान किया गया था। इस प्रावधान के प्रति, अगस्त, सितम्बर 1988 के दौरान, 27 छिछले जोहड़ों पर 18.97 लाख रु. का व्यय किया गया था। 14.97 लाख रु. के अतिरिक्त व्यय के साथ-साथ 17 अतिरिक्त छिछले जोहड़ों के निर्माण हेतु सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।

- जंगली जीवन पशुओं की पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छिछले जोहड़ आपातिक आधार पर बनाए गए थे, परन्तु विचारित 3 में से केवल 2 ट्यूबवैल ही फरवरी 1993 से क्रियाशील हुए थे। पाईप, जिनके द्वारा पानी छिछले जोहड़ों में पहुंचाया जाना था, अभी जंगली-जीवन शरण-क्षेत्र में बिछाए जाने थे (अप्रैल 1993)। जल संसाधनों के सृजन के बिना अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यों के रुप में 27 छिछले जोहड़ों के निर्माण का औचित्य लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

- छिछले जोहड़ों के निर्माण का कार्य, 22.91 लाख रु. के योग के 0.41 से 1.14 लाख रु. प्रत्येक के 27 उप-कार्यों में विभाजित कर दिया गया था। उपनिर्माण कार्य, कार्य आदेश आधार पर (निविदाएं आमन्त्रित किए बिना) अगस्त 1988 में 12 विभिन्न ठेकेदारों को सौंपे गए थे। ये कार्य आदेश अनुमानित लागतों के 50 से 100 प्रतिशत अधिक पर सौंपे गए थे। कार्य आदेश आधार पर कार्य सौंपने तथा उसे खण्डित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति लेखापरीक्षा को नहीं दिखाई गई थी।

- छिछले जोहड़ों के निर्माण के 27 उपकार्यों में से, जो 3 सप्ताह में पूरे किए जाने निर्धारित थे, 18 कार्य 6 महीने से अधिक के विलम्ब के पश्चात्, 5 कार्य 3 महीने से अधिक के विलम्ब के पश्चात पूरे किए गए थे तथा एक कार्य को पूरा नहीं किया गया था। सभी मामलों में विलम्ब के प्रशासनिक कारण ही बताए गए थे। इस प्रकार, जिस उद्देश्य के लिए आपातिक आधार पर कार्य सौंपा गया था, वह पूरा नहीं हुआ था।

ग.(iv) जी.आई पाइपों की खरीद के कारण निधियों का अवरोधन

मार्च 1990 में, बाढ़ नियंत्रण विभाग ने जल के वितरण के लिए शरण-क्षेत्र में बिछाने के लिए 65 मि.मी. डायामीटर के 4497 मीटर जी आई पाइप 5.32 लाख रु. की लागत पर खरीदे, परन्तु पाइप लेखापरीक्षा की तिथि (अप्रैल 1993) तक नक्शों को अन्तिम रुप न दिए जाने के कारण स्टॉक में पड़े थे।

इस प्रकार, यद्यपि भारत सरकार द्वारा शरण-क्षेत्र 1987 में संस्वीकृत किया गया था तथा 483 लाख रु. खर्च किए जाने के बावजूद, शरण-क्षेत्र की अभी स्थापना की जानी है।

3.11.9 प्रबन्ध में कमियां

वन यूनिट को, दिल्ली में वनिक कार्य के बेहतर प्रबन्ध के लिए जून 1988 में एक उप वन संरक्षक की तकनीकी पर्यवेक्षता के अधीन लाया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा के समय विभाग के प्रबन्ध में निम्नलिखित कमियां देखी गई थी।

- जैसाकि राज्यों में वन मंडलों के लिए किया जाता है, वन यूनिट के अधिकार क्षेत्र के अधीन वन सम्पत्तियों तथा भूमि के विवरण रखने के लिए रेंज कार्यालयों तथा मुख्यालय के लिए कोई रजिस्टर अथवा अन्य अभिलेख निर्धारित नहीं किए गए थे।
- वन-भूमि के कुशल प्रबन्ध के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी।
- वन यूनिट का कार्य वनपालों/उप वनपाल, वन गार्डों तथा श्रमिकों से निहित 800 से अधिक क्षेत्रीय स्टाफ द्वारा चलाया जाता था परन्तु कार्य के कोई मानदण्ड अनुमोदित नहीं किए गए थे।

उपर्युक्त मुद्दे सितम्बर 1993 में गृह मंत्रालय के ध्यान में लाए गए थे, उनका उत्तर दिसम्बर 1993 तक भी प्रतीक्षित है।

3.12 आवश्यकता से अधिक भण्डार की अधिप्राप्ति

जनवरी 1989 में राजस्थान सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए 11.62 लाख रु.की लागत पर 1.60 लाख पहचान पत्रों की तैयारी करने का कार्य दिल्ली ऊर्जा विकास एजेंसी (दि.ऊ.वि.ए.) को सौंपा गया था।

जैसेकि राजस्थान सरकार ने इच्छा व्यक्त की कि ये पहचान पत्र टेम्पर-प्रूफ, जलसह, अश्रु विरोधी खरोंच विरोधी तथा चिरस्थायी हों, दि.ऊ.वि.ए. ने नवम्बर 1989 में 5.17 लाख रु. की लागत पर आयातित शीट से बनी दो लाख थैलियों की आपूर्ति हेतु एक फर्म के पास आदेश प्रस्तुत किया। फर्म ने जून 1990 में आपूर्ति पूर्ण की। दो लाख थैलियों में से केवल 92800 थैलियों का ही 1.08 लाख पहचान पत्रों की तैयारी करने में उपयोग किया गया था तथा उनको राज्य सरकार को सौंप दिया गया था। राज्य सरकार की संतुष्टि के अनुसार यह कार्य फरवरी-मार्च 1990 में पूर्ण किया गया था लेकिन दि.ऊ.वि.ए. द्वारा 4.92 लाख रु. की राशि सितम्बर 1993 तक प्राप्त नहीं की गई थी। सितम्बर 1993 को 2.54 लाख रु. की लागत की शेष 107200 थैलियां स्टॉक में पड़ी हुई थी।

इसी बीच, जबकि 107200 थैलियां स्टॉक में पड़ी रही, एजेंसी ने दो फर्मों से देशी उत्पाद सामग्री से बनी लगभग तीन लाख थैलियों की खरीद करके उनका उपयोग किया।

दि.ऊ.वि.ए. इस तथ्य से अवगत थी कि यदि थैलियों का उपयोग नहीं किया गया तो वे कुछ समय में विकृत हो जाएंगी। इस प्रकार, 107200 थैलियों का उपयोग न होने से 2.54 लाख रु. बेकार हो गये तथा इस व्यय की निष्फल सिद्ध होने की आशा है। इसके अतिरिक्त 4.92 लाख रु. की राशियां भी तीन वर्षों से अधिक समय तक वसूल नहीं की गई हैं।

मामला गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय को अगस्त 1993 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 1993 तक प्रतीक्षित है।

3.13 पहचान-पत्रों के लिए बकाया राशियां

रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार के विभागों एवं ऐजेंन्सियों के कर्मचारियों तथा स्लम (झुग्गी झोपड़ी) निवासियों के लिए पहचान-पत्रों की आवश्यकता थी। चूंकि दिल्ली ऊर्जा विकास एजेन्सी (दि.ऊ.वि.ए.), रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार ने लेमिनेटेड पोलारॉयड पहचान-पत्र बनाने में निपुणता प्राप्त कर रखी थी, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की विभिन्न एजेन्सियों ने अपने कर्मचारियों तथा स्लम निवासियों के लिए पहचान-पत्र बनवाने के लिए आदेश दिए थे।

दि.ऊ.वि.ए. के अभिलेखों की नमूना-जांच से प्रकट हुआ कि 1990 तक आपूर्त किए गए पहचान-पत्रों के प्रति रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार के विभिन्न विभागों तथा दि.वि.प्रा. से मार्च 1993 तक 18.68 लाख रु. की राशि बकाया थी, यद्यपि दि.ऊ.वि.ए. ने राशियों की वसूली हेतु किये गये प्रयासों के लिये दावा किया तथापि राशि बकाया ही रही।

मामला सितम्बर 1993 में गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 1993 तक प्रतीक्षित है।

उप आयुक्त

3.14 भू - व्यापार का कुप्रबन्ध

भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत, समाहर्ता, भूमि अधिग्रहण सैल (भू.अ.सै.) दिल्ली ने मई 1985 से फरवरी 1986 के बीच दक्षिणी दिल्ली के 13 गांवों में 67000 बीघा नाप की भूमि के अधिग्रहण के लिए अधिसूचनाएं जारी की।

इस अधिसूचना की वैधता को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में 73 समादेश याचिकाएं दायर की गई।

इसी बीच, समाहर्ता ने 42530 बीघा भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही शुरु कर दी। 7087 बीघा में से, जिसके लिए जुलाई 1987 तथा अगस्त 1988 के बीच कब्जा ले लिया गया था, 4040 बीघा दि.वि.प्रा. को सौंप दी गई थी। अवरोक्त के लिए प्रतिपूर्ति की देयता 9903 लाख रु. की थी इस राशि में से, केवल 916 लाख रु. वितरित किए गए थे।

नवम्बर 1988 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधिग्रहण की कार्यवाही को इस आधार पर रद्द कर दिया कि भू.अ.सै.द्वारा उप राज्यपाल, दिल्ली को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 5 क तथा 6 के अंतर्गत लोक उद्देश्य के लिए इसके अधिग्रहण को प्रमाणित करते हुए भेजी गई रिपोर्टें मूक आदेश थे। दिल्ली की रा.रा.क्षेत्र सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की। परन्तु, सितम्बर 1991 में उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय की परिपुष्टि कर दी।

मालिकों से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित प्रतिपूर्ति की राशि को वापिस दिया जाना तथा वैकल्पिक भूखण्डों, यदि उन्हें उनको उच्च न्यायालय के निर्णय के दो माह के अन्दर दिया गया हो, को अभ्यर्पित करना अपेक्षित था।

तद्नुसार, 73 भू-मालिकों में से 30 ने 84 लाख रु. की प्रतिपूर्ति राशि दिसम्बर 1988 तथा जुलाई 1989 के बीच चैकों तथा ड्राफ्टों द्वारा वापिस कर दी, जो चैक/ड्राफ्ट सरकारी खाते में तुरन्त जमा नहीं कराए गए थे तथा वे कालातीत हो गए थे, उनके नवीनीकरण के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। 831.72 लाख रु. की शेष राशि भी वसूल नहीं की गई थी। यह पूछे जाने पर कि क्या भूमि, भू-मालिकों को लौटा दी गई थी, विभाग ने अपने प्रत्युत्तर में बताया कि भूमि, भू-मालिकों द्वारा प्रतिपूर्ति की राशि वापिस करने के पश्चात ही लौटाई जाएगी। एक गांव के राजस्व अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि राजस्व अभिलेखों में भूमि, भू-मालिकों के नाम में ही चल रही थी तथा सरकार के नाम में परिवर्तित नहीं की गई थी। विभाग ने भी बताया (अक्तूबर 1993) कि इन 13 गाँवों के भू-मालिकों के प्रति किन्हीं वैकल्पिक भूखण्डों के आबंटन के लिए सिफारिश नहीं की गई थी।

इस प्रकार, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के निकृष्ट प्रबन्ध के कारण 916 लाख रु. के सरकारी धन का अवरोधन हुआ, न्यायालय के निर्णय के अनुसार ब्याज सहित 439 लाख रु.की राशि की वसूली अभी की जानी थी।

मामला, जून 1993 में गृह मंत्रालय को भेजा गया था; दिसम्बर 1993 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

पुलिस

3.15 निकृष्ट योजना के कारण बैगेज स्केनर पर निष्फल व्यय

राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठापन हेतु एक एक्स-रे बैगेज निरीक्षण प्रणाली की खरीद के लिए अगस्त 1990 में एक प्रस्ताव उपायुक्त पुलिस (उपा.पु.), राष्ट्रपति भवन द्वारा पुलिस आयुक्त को भेजा गया था।

बैगेज स्केनर, भारतीय इलैक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लि. से नवम्बर 1990 में प्राप्त हुआ था, परन्तु स्थल की अनुपलब्धता के कारण चिन्हित स्थान पर प्रतिष्ठापित नहीं किया जा सका। 30.36 लाख रु. की लागत का 40 प्रतिशत अर्थात 12.14 लाख रु. का आपूर्तिकर्ता को मार्च 1991 में भुगतान किया गया था। 15.24 लाख रु. की एक अन्य किश्त फर्म को दिसम्बर 1991 में दी गई थी। उपकरण का प्रतिष्ठापन न होने के कारण प्रतिष्ठापन प्रभारों तथा अतिरिक्त पुर्जों की लागत का भुगतान नहीं किया गया था। इस मशीन के प्रचालन हेतु प्रशिक्षण देने की शर्त भी फर्म द्वारा पूरी नहीं की गई थी।

स्कैनर अस्थायी रुप से प्रतिष्ठापित किया गया था तथा कॉमनवैल्थ संसदीय सम्मेलन के लिए सितम्बर 1991 में 10 दिन की अल्पावधि के लिए प्रयोग में लाया गया था। बाद में, स्कैनर को राष्ट्रपति भवन के बजाए दिल्ली पुलिस के प्रयोग हेतु दिसम्बर 1991 मे उपायुक्त, दिल्ली पुलिस, सुरक्षा एवं यातायात को अन्तरित कर दिया गया था। विभाग ने सितम्बर 1993 में अपने उत्तर में बताया कि स्कैनर को 1.4 लाख रु. की लागत पर इस उद्देश्य हेतु निर्मित एक अनुयान पर फिट कर दिया गया था तथा यह सुवाह्य बन गया था। तथापि, इसे सितम्बर 1991 से जुलाई 1993 के दौरान अति विशिष्ट व्यक्तियों के भ्रमणों को कवर करने हेतु केवल 27 दिन के लिए ही प्रयोग में लाया गया था।

इस प्रकार, बिना समुचित प्रतिष्ठापन अथवा उपयोग के स्कैनर की खरीद पर 28.78 लाख रु. का व्यय किया गया था।

मामला अगस्त 1993 में गृह मंत्रालय को भेजा गया था; दिसम्बर 1993 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

उद्योग

3.16 निधियों का अवरोधन

घरेलू उपकरणों की गुणवत्ता को सुधारने तथा उपभोक्ताओं को बिजली के खतरों से बचाने की दृष्टि से, भारत सरकार ने नवम्बर 1981 में बिजली के उपकरणों के परीक्षण हेतु ओखला में एक गुणवत्ता नियंत्रक प्रयोगशाला की स्थापना की। 1985-86 में, दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम द्वारा एक दूसरी प्रयोगशाला की स्थापना की गई।

1986 तक, रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार ने तीसरी प्रयोगशाला की स्थापना के प्रति 19.58 लाख रु. (1986 तक) का व्यय किया।

तृतीय प्रयोगशाला पर व्यय के विषय में नि.म.ले. के वर्ष 1984-85 के प्रतिवेदन के पैराग्राफ 4 में तथा नि.म.ले. के वर्ष 1985-86 के प्रतिवेदन के पैराग्राफ 2.7.5 में भी टिप्पणियां की गई थी क्योंकि प्रयोगशाला क्रियाशील नहीं हुई थी, तथा उपकरण की जांच हेतु प्रयोगशाला की स्थापना के लिए किया गया 19.58 लाख रु. का व्यय निष्क्रिय रहा था। मार्च 1989 में इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि उनकी विद्यमान प्रयोगशाला में उपलब्ध सुविधाओं का पूर्णतः उपयोग नहीं किया जा रहा था, उद्योग मंत्रालय ने तृतीय प्रयोगशाला की स्थापना की बुद्धिमत्ता पर प्रश्नचिन्ह लगाया।

इसके बावजूद, रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार ने 1987-93 के दौरान इस प्रयोगशाला पर 12.27 लाख रु. का और व्यय किया। इस व्यय को करने का उद्धृत आधार, भारत सरकार का विद्युतीय उपकरण गुणवत्ता नियंत्रण का मार्च 1988 का आदेश था जिसके कारण सात विद्युतीय उपकरणों के निर्माताओं का भारतीय मानक ब्यूरो से भा.मा.सं. चिन्ह प्राप्त करना अनिवार्य हो गया था। इससे पूर्व मार्च 1981 के आदेश द्वारा 40 घरेलू विद्युतीय उपकरणों के निर्माताओं के लिए संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में निर्माताओं अथवा व्यापारियों से प्रमाण पत्र करना आवश्यक हो गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा यह देखा गया था कि उद्योग आयुक्त ने जो इस उद्देश्य के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी के रुप में नियुक्त था, अगस्त 1982 तथा मार्च 1992 के बीच 2447 विनिर्माता प्रमाण पत्र तथा 541 व्यापारियों के प्रमाण पत्र जारी किए। उसके कार्यालय ने भी जनवरी 1984 से सितम्बर 1987 के बीच मारे गए छापों के दौरान 125 नमूने उठाए। इनमें से 105 नमूने, ओखला में भारत सरकार की प्रयोगशाला को भेजे गए थे, जिन में से केवल 30 नमूने भा.मा.सं. के विनिर्देशनों की पुष्टि करते थे। ओखला में जांच किए गए 75 नमूनों के विनिर्माताओं को चेतावनियां दी गई थी। छापों के दौरान उठाए गए शेष 20 नमूनों के विनिर्माताओं के विरुद्ध प्र.अ.सू. दर्ज की गई थी। इसके पश्चात् न तो इन छापों के संदर्भ में कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई थी और न ही एक नमूने के अतिरिक्त, जो दिसम्बर 1992 में उठाया गया था, कोई नमूने उठाए गए थे।

रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार की प्रयोगशाला के सम्बन्ध में, लेखापरीक्षा द्वारा 1987-1993 के दौरान यह देखा गया था कि 347 नमूने जांच हेतु लिए गए थे- जिन में से 107 नमूने भारतीय मानक ब्यूरो से तथा शेष विनिर्माताओं से स्वैच्छिक रुप से प्राप्त हुए थे। स्वैच्छिक रुप से प्राप्त 240 में से 150 नमूने भा.मा.सं. के विनिर्देशनों की पुष्टि करते थे।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि रा.रा. क्षे. दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली मे विद्युतीय उपकरणों की जांच हेतु, तृतीय प्रयोगशाला की स्थापना में प्रयोगशाला के स्टाफ के वेतन सहित 45.6 लाख रु. की राशि के

संसाधनों का निवेश करना तथा उन्हें अवरुद्ध करना जारी रखा, यद्यपि इस प्रकार की प्रयोगशाला की आवश्यकता कभी भी स्पष्ट रुप से सिद्ध नहीं हुई थी।

मामला अगस्त 1993 में उद्योग मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर दिसम्बर 1993 तक प्राप्त नहीं हुआ है।

लोक निर्माण

3.17 एक पुल पर निष्फल व्यय

बसई दारापुर में रिंग रोड (फेज IV) पर नजफगढ़ नाले के ऊपर विद्यमान एक पुल के पुनर्निर्माण का कार्य, कार्यकारी अभियन्ता द्वारा तय की गई 139.39 लाख रु. की राशि जो 132.08 लाख रु. की अनुमानित लागत से 5.53 प्रतिशत अधिक थी, पर दिसम्बर 1988 में एक ठेकेदार को सौंपा गया था, निर्माण कार्य जनवरी 1989 में प्रारम्भ किया जाना था तथा इसे जनवरी 1991 के प्रथम सप्ताह तक पूरा किया जाना था।

स्थल, ठेकेदार को, दिसम्बर 1989 में, अर्थात् कार्य सौंपे जाने के एक वर्ष पश्चात् अंशतः उपलब्ध कराया गया था। इसके पश्चात्, सामग्री कीं आपूर्ति में विलम्ब बाधाओं जैसे उच्च टेंशन लाईन, दूरभाष साईन, तथा स्थल के ऊपर से गुजरने वाली अन्य बिजली की तारों को न हटाए जाने के कारण, निर्माण कार्य में और प्रगति नहीं हो सकी। निर्माण कार्य को, जॉब मिक्स तथा भेदन तथा उपरि ढांचे के डिजाइन के अनुमोदन में विलम्ब के कारण, और आगे स्थगित कर दिया गया था।

ठेकेदार ने मार्च 1992 तक 55.42 लाख रु. के मूल्य का कार्य निष्पादित किया। सितम्बर 1992 में, ठेकेदार ने इस आधार पर, कि भेदनों, अच्छी नींव तथा आधार के लिए डिजाइनों की आपूर्ति में विलम्ब, तथा सामग्री की आपूर्ति न किए जाने के कारण नींव का कार्य बहुत अधिक बढ़ गया था, अनुबन्ध को समाप्त करने का अनुरोध किया। तथ्यों का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि संशोधित अनुमानों को अभी अन्तिम रुप नहीं दिया गया था।

अन्त में निर्माण-कार्य, मुख्य अभियन्ता द्वारा मई 1993 में, ठेकेदार से अनुरोध प्राप्त होने के आठ मास के पश्चात् बन्द कर दिया गया था। विभाग द्वारा शेष निर्माण को अन्य एजेन्सियों के माध्यम से पूरा करवाने के लिए नवम्बर 1993 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

इस प्रकार, चूंकि विभाग बाधा- मुक्त स्थल उपलब्ध नहीं करा सका, सामग्री की आपूर्ति में विलम्ब किया, तथा आवश्यक ढांचे के नक्शे उपलब्ध नहीं कराए, निर्माण कार्य अधूरा रह गया। इन सब चीजों के परिणामस्वरुप 55.42 लाख रु. का निष्फल व्यय हुआ।

मामला अगस्त 1993 में शहरी विकास मंत्रालय को भेजा गया था। दिसम्बर 1993 तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अध्याय IV

रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार के

राजस्व विभाग

सामान्य

4.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) दिल्ली की वर्ष 1992-93 के लिए 1575 करोड़ रु. की पूर्वानुमानित प्राप्तियों के प्रति कुल राजस्व प्राप्तियां 1451 करोड़ रु. थी। लेखाबद्ध किया गया कर राजस्व 1359 करोड़ रु. तथा शेष 92 करोड़ रुपये गैर-कर राजस्वों से था। वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 1991-92 (1173 करोड़ रु.) में हुई राजस्व प्राप्तियों पर 24 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई थी।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि नीचे दी गयी है:-

तालिका 4.1

(करोड रु. में)

	1990-91	1991-92	1992-93
कर	991	1137	1359
गैर कर	34	36	92
जोड	1025	1173	1451

करोड़ रुपयों में

कर और गैर कर प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

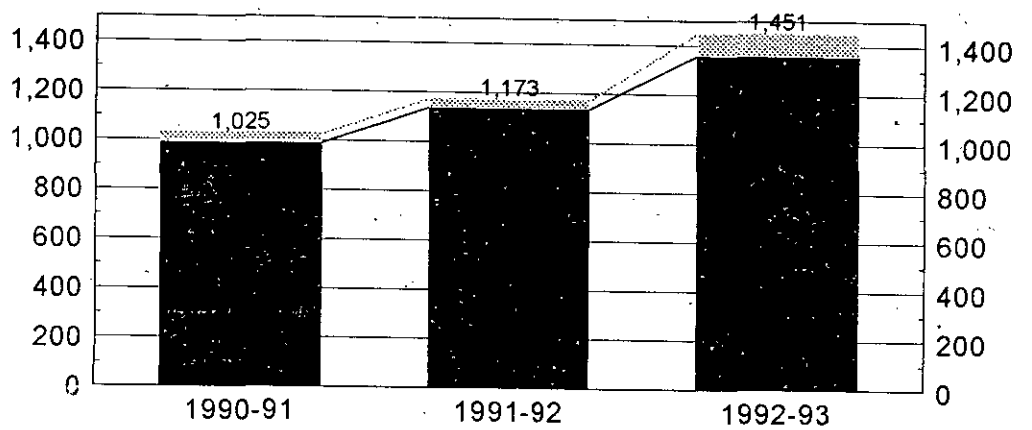

उपरोक्त से यह देखा जाएगा कि 1992-93 के दौरान राष्ट्रीय राजधीन क्षेत्र दिल्ली की सरकार का राजस्व कुल राजस्व का 94 प्रतिशत था।

पूर्व वर्ष पर प्रतिशतता की प्रवृत्ति में वृद्धि

कर, गैर कर तथा जोड़

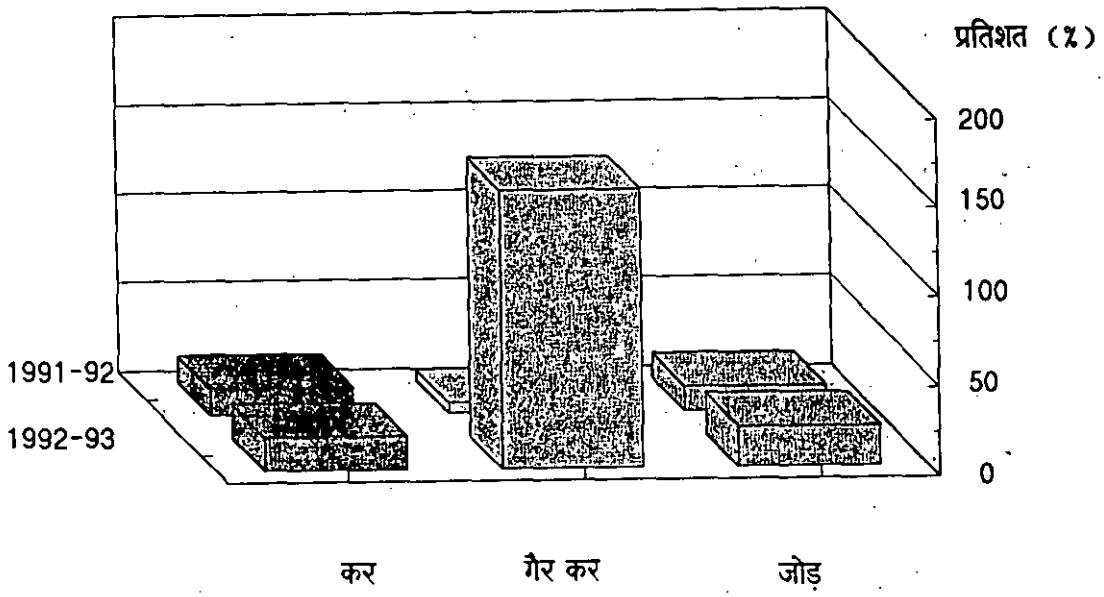

1990-91 से 1992-93 के दौरान गैर कर राजस्व 34 करोड़ रु. से 92 करोड़ रु. तक (287 प्रतिशत) बढ़ गया यद्यपि, कुल राजस्व के अनुसार यह 3.3 से 6.4 प्रतिशत तक भिन्न था।

4.2 कर राजस्व की संग्रहण लागत

मुख्य राजस्व प्राप्तियों के संबंध में सकल संग्रहण उनके संचयन पर व्यय तथा 1991-92 के लिए सकल संग्रहण से संग्रहण पर व्यय की सम्बन्धित अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता के साथ वर्ष 1990-91, 1991-92 एवं 1992-93 के दौरान सकल संग्रहणों पर ऐसे व्यय की प्रतिशतता नीचे दी गयी है:-

तालिका 4.2- कर राजस्व की संग्रहण लागत

(करोड़ रुपये में)

कर राजस्व प्राप्ति शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	संग्रहण प्रतिशतता के रुप में संग्रहण लागत	अखिल भारतीय औसत (1991-92 के लिए प्रतिशतता)
बिक्री कर	1990-91	688	4.90	1	2
	1991-92	778	5.50	1	
	1992-93	930	6.67	1	
राज्य उत्पाद	1990-91	162	0.75	1	3
	1991-92	215	0.96	नगण्य	
	1992-93	278	1.23	नगण्य	
यात्रियों तथा माल	1990-91	37	3.89	10	
पर कर	1991-92	39	3.94	10	
(टर्मिनल कर)	1992-93	33	3.36	10	
स्टेम्प ड्यूटी तथा	1990-91	32	0.18	नगण्य	5
पंजीकरण फीस	1991-92	48	0.17	नगण्य	
	1992-93	49	0.20	नगण्य	
मोटर वाहनों	1990-91	53	1.36	3	3
पर कर	1991-92	38	1.24	3	
	1992-93	37	1.36	4	

बिक्री कर

4.3 पंजीकृत व्यापरियों की संख्या

दिल्ली बिक्री कर (दि.बि.कर) अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत एक डीलर, जो एक व्यापारी है, यदि उसकी सकल टर्न ओवर वर्ष में एक लाख रुपये से अधिक हो जाती है तो उसे अपने आपको पंजीकृत कराना तथा कर का भुगतान करना अपेक्षित होता है। एक व्यापारी, जो एक विर्निर्माता है, यदि उसकी टर्न ओवर वर्ष में 30,000 रु. से अधिक हो जाती है तो उसे अपने आपको पंजीकृत कराना अपेक्षित होता है। हलवाइयों को, यदि उनकी टर्न ओवर वर्ष में 75000 रुपये से अधिक हो जाती है तो उन्हें अपने आपको पंजीकृत कराना अपेक्षित

होता है। व्यापारी, यदि वे अन्तर राज्यीय बिक्री या खरीद में लगे हुए हैं तो उन्हें अपने आपको केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कराना अपेक्षित है। रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार के बिक्री कर विभाग द्वारा 31 मार्च 1993 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत व्यापारियों के सम्बन्ध में दी गई सूचना (अगस्त 1993) नीचे दी गयी है:-

पंजीकृत व्यापारियों की संख्या में वृद्धि

31 मार्च 1993 को कुल संख्या

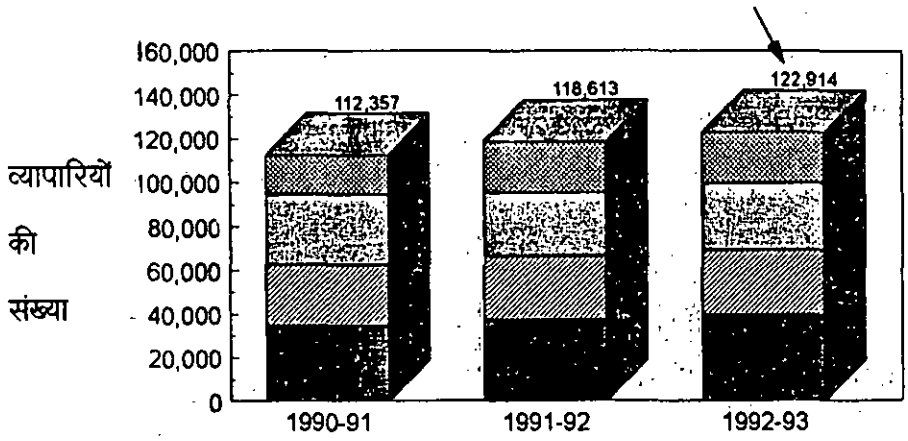

तालिका 4.3 बिक्री कर - पंजीकृत व्यापारी

वार्षिक टर्न ओवर	1990-91	1991-92	1992-93
10 लाख एवं +	34446	37174	39476
5 से 10 लाख तक	27764	29071	29483
1 से 5 लाख तक	32068	29071	30639
1 लाख और –	19079	23297	23316
जोड़	113357	*118613	122914
पिछले वर्ष पर प्रतिशतता की भिन्नता	4	5	4

* विभाग ने सूचित किया था (फरवरी 1993) कि पंजीकृत व्यापारियों की कुल संख्या 119243 थी जिसे 1993 के प्रतिवेदन सं. 3 में समाविष्ट किया गया था, पृथक-पृथक विवरणों को प्रस्तुत करते समय (अगस्त 1993) विभाग द्वारा 1991-92 के लिए पंजीकृत व्यापारियों की कुल संख्या 118613 दर्शायी गयी थी।

उपरोक्त से यह देखा जाएगा कि पिछले दो वर्षों के दौरान पंजीकृत व्यापारियों की संख्या में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं थी।

4.4 उत्थित एवं लम्बित बिक्री कर मांगें

31 मार्च 1993 को उत्थित एवं लम्बित मांगों से संबंधित सूचना विभाग से जून 1993 में मांगी गयी थी। अनुस्मारकों के बावजूद (सितम्बर- अक्तूबर 1993) वर्ष के अन्त में, उत्थित मांगों से संबंधित सूचना, संचित, कमी, माफी, बट्टे खाते डाली गयी तथा बकाया मांगों की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (दिसम्बर 1993)।

4.5 वसूली प्रक्रिया में बिक्री कर मांगें

उन मामलों में जहां व्यापारी निर्धारित अवधि में कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा उत्थित मांगों के प्रति शुल्क जमा कराने में चूक करता है, वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जाना अपेक्षित है।

31 मार्च 1993 को, 7263 निर्धारितियों से वसूली प्रमाण पत्रों के प्रति 1260.95 करोड़ रु. की राशि के बिक्री कर शुल्क संचयन के लिए लम्बित पड़े थे, जिनका वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

तालिका 4.5-वसूली प्रक्रिया में बिक्री कर मांगें

(करोड़ रुपयों में)

	उम्र	वसूली प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि
(i)	10 वर्ष और उससे अधिक	623	35.98
(ii)	10 वर्षों से कम तथा 5 वर्ष तक	4544	524.24
(iii)	5 वर्ष से कम तथा 2 वर्षों तक	1997	674.13
(iv)	दो वर्षों से कम	99	26.60
	जोड़	7263	1260.95

उपरोक्त से देखा जाएगा कि चूककर्ता व्यापारियों से वसूली योग्य कुल शुल्क लगभग 45 प्रतिशत पांच वर्षों से अधिक समय से पुराने थे।

4.6 धोखे बाजी तथा अपवंचन

विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार (सितम्बर 1993) दोनों स्थानीय तथा केन्द्रीय अधिनियमों के अन्तर्गत 37.70 करोड़ रुपये की राशि वाले धोखेबाजी तथा अपवंचन के 268 मामलें वर्ष 1992-93 के दौरान पकड़े गये थे।

निम्नलिखित तालिका ऐसे मामलों की स्थिति दर्शाती है जो वर्ष 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के प्रारम्भ में लम्बित पड़े थे, इन वर्षों के दौरान निपटाए गए थे तथा इन वर्षों के अंत में बकाया थे:-

तालिका 4.6- धोखे बाजी तथा अपवंचन

(करोड़ रुपयों में)

	1990-91				1991-92				1992-93			
	मामलों की संख्या		राशि		मामलों की संख्या		राशि		मामलों की संख्या		राशि	
	स्थानीय	केन्द्रीय	स्थानीय	केन्द्रीय	स्थानीय	केन्द्रीय	स्थानीय	केन्द्रीय	स्थानीय	केन्द्रीय	स्थानीय	केन्द्रीय
क (i) वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित मामले	315	297	9.18	3.56	243	218	17.27	8.92	152	133	13.65	9.12
(ii) वर्ष के दौरान पकड़े गए मामले	219	198	29.57	17.16	64	59	11.00	10.50	180	88	23.50	14.20
ख. वर्ष के दौरान मामले जिनमें जांच/कर निर्धारण किया गया था												
(i) उपरोक्त क (i) में से मामले	153	148	4.76	1.72	123	117	8.42	4.50	67	31	1.74	0.15
(ii) उपरोक्त क (ii) में से मामले	138	129	16.72	10.08	32	27	6.20	5.80	-	-	-	-
ग. मामले जो वर्ष के अन्त में लम्बित थे												
(i) उपरोक्त क(i) में से मामले	162	149	4.42	1.84	120	101	8.85	4.42	85	102	11.91	8.97
(ii) उपरोक्त क(ii) में से मामले	81	69	12.85	7.08	32	32	4.80	4.70	180	88	23.50	14.20

4.7 लेखापरीक्षा के परिणाम

- रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार के बिक्री कर, राज्य उत्पाद तथा अन्य राजस्व अर्जित करने वाले विभागीय कार्यालयों के अभिलेखों की वर्ष 1992-93 के दौरान नमूना जांच से 799 मामलों में कम कर निर्धारण/कम उद्ग्रहण/राजस्व की हानि के रुप में, 37.10 करोड़ रुपये की राशि का पता चला।
- इस अध्याय में 6 पैराग्राफ है जो लेखापरीक्षा के ध्यान में आए कुछ मुख्य मुद्दों को दर्शाते हैं। 21 व्यापारियों से सम्बन्धित 31.24 करोड़ रुपये की राशि शामिल करते हुए लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ विभाग द्वारा स्वीकार की गयी थी और इन मामलों में पुनर्कर निर्धारण हुआ था और 31.24 करोड़ रुपये की मांग उत्थित की गयी थी। 5 अन्य व्यापारियों के सम्बन्ध में 21.28 लाख रु. वित्तीय प्रभाव को शामिल करते हुए लेखापरीक्षा टीका-टिप्पणी का विभाग द्वारा विरोध किया गया था। इन मामलों में विभाग का अभिमत, उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों तथा दि.बि. कर अधिनियम के प्रावधानों सहित भिन्न पाया गया था और सम्बन्धित पैराग्राफों में उन पर टिप्पणी की गयी है।

4.8 बिक्रियों को छिपाये जाने के कारण कम उद्ग्रहण

दि.बि. कर अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमानुसार एक पंजीकृत व्यापारी दूसरे पंजीकृत व्यापारी से बगैर कर का भुगतान किए, यदि खरीद्दार व्यापारी द्वारा संघ क्षेत्र दिल्ली में पुनर्बिक्री के लिए माल अपेक्षित है या दिल्ली में विनिर्माण के उपयोग के लिए, माल की बिक्री जो दिल्ली में कर योग्य है, माल खरीद सकता है। इस छूट को प्राप्त करने का पात्र बनने के लिए खरीद्दार व्यापारी द्वारा विक्रेता व्यापारी को निर्धारित प्रपत्र एस.टी- । में एक घोषणा करनी अपेक्षित है। यदि व्यापारी माल के सम्बन्ध में गलत अभ्यावेदन देता है या माल की श्रेणी पंजीकरण प्रमाण पत्र में कवर नही है, अपनी बिक्री के विवरणों को छिपाता है या अपनी बिक्री के गलत विवरणों को फाइल करता है तो कर राशि की ढ़ाई गुणा शास्ति, जिससे बचा गया था, बिक्री पर भुगतान योग्य कर के अतिरिक्त उद्ग्रहणीय है। यदि व्यापारी देय कर के भुगतान करने में चूक करता है तो वह देय कर के अतिरिक्त (किसी जुर्माने सहित) राशि पर साधारण ब्याज जो दि.बि. कर अधिनियम, 1975 की धारा 27 के अन्तर्गत देय है, का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा।

(क) लेखापरीक्षा में 21 वार्डों के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 43 मामलों में (परिशिष्ट 4-क), कर निर्धारण प्राधिकारी बिक्री के छिपाए जाने का पता लगाने में फेल हो गये जिसके परिणाम स्वरुप 47.91 लाख रु. के कर तथा 39.09 लाख रु. के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त 118.76 लाख रु. का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था। विभाग ने त्रुटियों को स्वीकार किया, पुनर्कर निर्धारण किया तथा 11 मामलों में 75.77 लाख रु. की अतिरिक्त मांग को उत्थित किया।

(ख) दिल्ली में, विनिर्माण तथा फेरस (लोहमय) तथा गैर फैरस (अलोहय) धातुओं की पुनर्बिक्री के व्यापार में लगे एक पंजीकृत व्यापारी ने वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान, एक अन्य व्यापारी से प्रपत्र एस.टी.- 35 में निर्धारित घोषणाओं के आधार पर क्रमश: 626.75 लाख रु. तथा 1075.11 लाख रु. मूल्य का माल खरीदा था। तथापि, व्यापारी ने अपनी लेखा बहियों में केवल 616.27 लाख रु. तथा 860.04 लाख रु. की राशि की खरीदों को ही लेखाबद्ध किया था। इस प्रकार व्यापारी ने क्रमश: 10.49 लाख रु. तथा 215.07 लाख रु. की खरीद को छिपाया था, जिसके परिणामस्वरुप 226.33 लाख रु. (लाभ के प्रोरेटा मार्जिन को जोड़ने के उपरान्त) की तदनुरुपि बिक्री को छिपाया गया था। इसके परिणामस्वरुप परिकलित की गई 15.87 लाख रु. कर की और ब्याज की राशि 9.66 लाख रु. का कम उद्ग्रहण हुआ था। इसके अतिरिक्त 39.63 लाख रु. की राशि भी जुर्माने के रुप में उद्ग्रहणीय थी।

आगे एक व्यापारी ने 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान 160.38 लाख रु. मूल्य का खरीदा हुआ माल प्रपत्र एस.टी.- 35 में बगैर कर का भुगतान किए प्रपत्र एफ, पर स्थानान्तरित किया था। प्रपत्र एफ पर बदली के रुप में ये लेनदेन अनुमत्य नहीं थे क्योंकि इससे, दि.बि. कर अधिनियम 1975 की धारा 4(2)(क)(V) के अन्तर्गत छूट का प्रावधान नहीं है जिसके कारण 11.23 लाख रुपये के कर तथा 8.98 लाख रु. की राशि के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त 28.07 लाख रु. का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

इन मामलों की सूचना फरवरी तथा अक्तूबर 1993 के बीच गृह मंत्रालय को तथा विभाग को (सितम्बर 1992) में दी गयी थी, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 1993)।

4.9 कर से छूट की अनियमित अनुमति देना

दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अन्तर्गत तथा इसके अन्तर्गत गठित नियमों के अनुसार एक पंजीकृत व्यापारी द्वारा दूसरे पंजीकृत व्यापारी को माल की बिक्री, विक्रेता व्यापारी से उसकी टर्न आवर में से कटौती के रुप में, अपनी रिटर्न प्रस्तुत करते समय, प्रपत्र एस.टी-I अथवा एस.टी.- 35 अथवा "ग" में निर्धारित घोषणाओं द्वारा समर्थित ऐसी बिक्री या प्रपत्र या खरीददार व्यापारी/डिप्लोमेटिक मिशनों धन सम्बन्धी सीमाओं के अध्यधीन, एकल घोषणा के लिए दूतावास प्रमाण पत्रों को प्राप्त कर, अनुमति प्रदान की जाती है। तथापि, यदि कोई व्यापारी अपनी बिक्री के विवरणों को छिपाता है तो कर की राशि का ढ़ाई गुणा तक जुर्माना, जो परिहार्य था, बिक्री पर भुगतान योग्य कर के अतिरिक्त उद्ग्रहणीय है। इसके अतिरिक्त ब्याज भी उद्ग्रहणीय है।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत, भारत से बाहर किए जाने वाले निर्यात की बिक्री में छूट, यह प्रमाणित करने कि ऐसी बिक्रियां इन निर्यातों के संयोगवश थी, के दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर ही

प्रदान की जाती हैं। पंजीकृत व्यापारियों तथा केन्दीय/राजकीय सरकारों को प्रपत्र "सी" तथा "डी" द्वारा समर्थित अन्तर्राज्यीय बिक्रियों पर 4 प्रतिशत की रियायती दर का कर भी उद्ग्राह्य किया जाता है।

4.9.1 निर्यात अभिलेखों द्वारा कवर न की गयी छूटें

(क) 3 वार्डों (सं. 42, 46 तथा 49) के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 2312.73 लाख रु. राशि के निर्यात, निर्यात अभिलेखों से कवर नहीं थे जैसा कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित है। इसके परिणामस्वरुप 163.01 लाख रु. की राशि के कर तथा 106.29 लाख रु. के ब्याज का कम कर निर्धारण हुआ था। इसके अतिरिक्त 406.25 लाख रु. का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था। विवरण नीचे दिये गये है:

तालिका 4.9.1(क)

(लाख रुपयों में)

	वार्ड संख्या	कर निर्धारण वर्ष	मूल्य निर्यात में छूट प्रदान की गयी	निर्यात बिक्री के समर्पित अभिलेख	अभिलेखों द्वारा कवर न की गयी बिक्री	कर	ब्याज	जुर्माना	अभ्युक्तियाँ
1	42	1987-88	762.01	110.98	651.03	45.01	40.51	112.52	उत्तर प्राप्त नहीं
		1988-89	223.34	शून्य	223.34	16.63	13.81	41.38	हुआ है (दिसम्बर
		1989-90	497.68	76.50	421.16	29.48	15.92	73.70	1993)
		1990-91	399.36	87.89	311.47	21.80	7.85	54.51	
2	42	1987-88	293.00	85.12	207.88	14.55	13.39	36.38	उत्तर प्राप्त नहीं
		1988-89	228.89	86.55	142.34	9.96	7.37	24.91	हुआ है (दिसम्बर
		1989-90	216.23	103.48	113.75	7.89	2.84	19.73	1993)
		1990-91	284.77	7.49	224.28	15.70	3.77	39.25	
3	46	1987-88	28.69	21.47	7.22	1.08	0.57	2.37	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)
4	49	1987-88	119.98	103.72	16.26	0.91	0.26	1.50	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)
	कुल अनियमित छूट				2312.73	163.01	106.29	406.25	

(ख) सूखे मेवें तथा मशरुम के व्यापार में लगे, दिल्ली में, एक पंजीकृत व्यापारी ने वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान भारत से बाहर माल का निर्यात किया था तथा उसके द्वारा प्रस्तुत तथा निर्यात अभिलेखों (लदान बिल तथा बैंक के प्रमाण पत्र) के आधार पर ऐसी बिक्री पर छूट का दावा किया था, जो निम्न प्रकार से है:-

तालिका 4.9.1 (ख)

(लाख रुपयों में)

कर निर्धारण वर्ष	निर्यात में छूट प्रदान की गयी राशि	निर्यात बिक्री का समर्थन करने वाले अभिलेखों की राशि	अभिलेखों द्वारा कवर न की गयी बिक्री की राशि	कर	ब्याज	जुर्माना
1989-90	110.74	39.53	71.21	4.98	1.79	12.46
1990-91	169.57	60.88	108.69	7.61	2.74	19.02
	जोड़			**12.59**	**4.53**	**31.48**

इस प्रकार 1989-90 तथा 1990-91 वर्षों के दौरान निर्यात बिक्री पर 71.21 लाख रु. तथा 108.69 लाख रु. की छूट, जो अपेक्षित अभिलेखों द्वारा कवर नहीं की गयी थी, अनियमित थी तथा इसके परिणामस्वरुप 12.59 लाख रु. की राशि का कम कर निर्धारण हुआ था। 4.53 लाख रु. की राशि का ब्याज एवं 31.48 लाख रु. की अधिकतम शास्ति भी उद्ग्रहणीय थी।

व्यापारी ने कर निर्धारण वर्ष 1989-90 के दौरान 89.96 लाख रु. की मशरुम की खरीद दर्शायी थी जिसके प्रति उसने फरवरी 1990 तक 89.64 लाख रु. की बिक्री दर्शायी थी। तथापि, व्यापारी के एस.टी.-2 लेखे से पता चला कि व्यापारी ने केवल मार्च 1990 माह में 95.91 लाख रु. मूल्य की मशरुम खरीदी थी, खरीद तथा तदनुरुपि बिक्री को उसकी लेखा पुस्तकों में नहीं दर्शाया गया था। इस प्रकार व्यापारी ने वर्ष 1990-91 के दौरान केवल 54.83 लाख रु. मूल्य की मशरुम खरीदी थी और उनकी तदनुरुपि बिक्री 58.54 लाख रु. थी। इस प्रकार व्यापारी ने मार्च 1990 के दौरान 95.91 लाख रु. की मशरुम की खरीद को छिपाया था तथा इसके बाद 105.50 लाख रु. की बिक्री को (10 प्रतिशत तक सीमान्त लाभ को जोड़ने के बाद) छिपाया था। इसके परिणामस्वरुप 7.38 लाख रु. के कर तथा 3.99 लाख रु. की ब्याज की राशि का कम उद्ग्रहण हुआ था। इसके अतिरिक्त अधिकतम 18.46 लाख रु. का जुर्माना भी उउद्ग्रहणीय था।

इसको विभाग को बताया गया था (अप्रैल 1993); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)।

4.9.2 प्रपत्र एस टी-I अथवा एस.टी.-35 में निर्धारित घोषणाओं के बिना छूट

4 वार्डों (सं. 3, 35, 43 तथा 50) के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 77.05 लाख रु. की सीमा तक बिक्री पर छूट सांविधिक प्रपत्रों द्वारा समर्थित नहीं थी जिसके परिणाम स्वरुप 6.35 लाख रु. की कर की राशि तथा 4.93 लाख रु. के ब्याज की कम वसूली हुई। इसके परिणामस्वरुप अधिकतम 15.53 लाख रु. का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था। विवरण नीचे दिया गया है:-

तालिका 4.9.2

(लाख रुपयों में)

	वार्ड सं.	लेखांकन वर्ष	कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बिक्री पर प्रदान की गयी छूट की सीमा	सांविधिक प्रपत्रों द्वारा समर्थित बिक्री की सीमा	अधिक छूट	कर	ब्याज	जुर्माना	अभ्युक्तियां
1	3	1987-88	28.13	17.83	10.30	0.72	0.58	1.80	विभाग ने व्यापारी का कर निर्धारण किया (सितम्बर 1993) और 2.05 लाख रु. की मांग उत्थित की थी
2	3	1986-87	8.00	1.42	6.58	0.33	0.33	0.82	विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)
3	35	1987-88	12.42	6.38	6.03	0.60	0.46	1.51	विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)
4	43	1987-88	9.01	4.79	4.22	0.30	0.24	0.74	विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)
5	43	1987-88	80.04	76.87	3.17	0.22	0.18	0.55	विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)
6	50	1987-88	74.98 249.64	42.97 244.03	32.01 5.61	3.54	2.66	8.51	विभाग ने व्यापारी का पुनर्कर निर्धारण किया (अगस्त 1993) और 5.06 लाख रु. की मांग सृजित की थी
7	50	1987-88	125.64	116.51	9.13	0.64	0.48	1.60	विभाग ने व्यापारी का पुनर्कर निर्धारण किया (अगस्त 1993) और 2.13 लाख रु. की मांग उत्थित की थी
	कुल अनियमित छूट				77.05	6.35	4.93	15.53	

4.9.3 प्रपत्र एस.टी.-I के अन्तर्गत गलती से प्रदान की गयी छूट

दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक क्वॅट्ज घड़ियों के विनिर्माण तथा बिक्री तथा गतिविधि के व्यापार में लगे एक पंजीकृत व्यापारी ने दावा किया और उसे उसके द्वारा प्रस्तुत 37 सांविधिक प्रपत्र (एस.टी- I) के आधार पर अन्य पंजीकृत व्यापारी को की गयी बिक्री के कारण कटौती की अनुमति प्रदान की गयी थी। ये माल, प्रथम दृष्टि से की गयी बिक्री पर दिनांक 16 अप्रैल 1986 से कर योग्य है परन्तु प्रपत्र एस.टी. -35 यदि, प्रपत्र एस.टी.-37 में पूर्णत: प्राधिकृत है, के प्रति कर के भुगतान के बिना बेची जा सकती है। इस प्रकार प्रपत्र एस.टी.-I के आधार पर कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा दी गयी छूट की अनुमति अनियमित थी, जिसके परिणामस्वरुप 7.31 लाख रु. के कर तथा 5.85 लाख रु. की राशि के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसको जनवरी 1993 में विभाग को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)।

4.9.4 झूठी घोषणाओं पर बिक्री में छूट होना

दिल्ली में, बल्बों और ट्यूबों के विनिर्माण तथा बिक्री के व्यापार में लगे एक पंजीकृत व्यापारी ने दावा किया जमा प्रपत्र एस.टी.-I और एस.टी.-35 के आधार पर अन्य पंजीकृत व्यापारी को की गयी 370.57 लाख रु. की बिक्री कटौती की अनुमति प्रदान की गयी थी। तथापि प्रपत्रों की तिरछी जांच से पता चला कि छूट प्रपत्र या तो निर्धारित व्यापारी को जारी नहीं किए गए थे या फिर कम राशि के लिए सत्यापित किए गए थे। इसके परिणामस्वरुप 26.53 लाख रु. की अनियमित छूट प्रदान की गयी थी जिसका कर निर्धारण प्राधिकारी पता लगाने में असफल रहा। 1.33 लाख रु. के कर और 91858 रु. के ब्याज की राशि का कम उद्ग्रहण परिकलित हुआ। इसके अतिरिक्त 3.33 लाख रु. का अधिकतम जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

25000 रु. की धन सम्बन्धी निर्धारित सीमा को पार करते हुए एक से अधिक बिल सन्निहित करते हुए प्रपत्र सी के आधार पर कर निर्धारण प्राधिकारी ने 4 प्रतिशत की रियायती दर की छूट प्रदान की थी जो एक भी खरीद आर्डर द्वारा समर्थित नहीं थी। 128.36 लाख रु. की अन्त: राज्यकीय बिक्री पर कर की रियायती दर के परिणामस्वरुप 7.70 लाख रु. की राशि के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त 5.91 लाख रु. की राशि का अधिकतम ब्याज भी भुगतान योग्य था।

आगे, व्यापारी को, अन्य पंजीकृत व्यापारी को की गयी बिक्री के कारण 370.57 लाख रु. की कटौती की अनुमति प्रदान की गयी थी जब कि केवल 368.14 लाख रु. के मूल्य की बिक्री प्रपत्र एस.टी.-I तथा एस.टी.-35 में की गयी घोषणाओं द्वारा समर्थित थी। इसके परिणामस्वरुप 2.43 लाख रु. की बिक्री पर 12168 रु. की राशि का कर और 8426 रु. के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त 30421 रु. की राशि का अधिकतम जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

इस प्रकार कुल कम निर्धारण 19.69 लाख रु. (कर 9.15 लाख रु. का ब्याज 6.91 लाख रु. तथा जुर्माना 3.63 लाख रु.) परिकलित किया गया था।

इसको अक्तूबर 1991 में विभाग को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)।

4.9.5 प्रपत्र एस.टी.-I द्वारा कवर की गयी बिक्री से अधिक पर प्रदान की गई छूट

दिल्ली के एक व्यापारी के मामले में निम्नलिखित अनियमितताओं के परिणामस्वरुप कर, ब्याज तथा जुर्माने की राशि क्रमशः 1.57 लाख रु., 1.87 लाख रु. तथा 3.93 लाख रु. का कम उद्ग्रहण हुआ था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

तालिका 4.9.5

(लाख रुपयों में)

	अनियमितता की प्रकृति	अन्तर्ग्रस्त राशि	कर	ब्याज का कम उद्ग्रहण	जुर्माना
1.	एस.टी.-I प्रपत्र द्वारा गैर समर्थित बिक्रियों का कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पता न लगाया जाना	4.14	0.42	0.39	1.04
2.	एस टी-I प्रपत्र द्वारा समर्थित बिक्री लेकिन तिरछी जांच से पता चला - विक्रेता व्यापारी को फार्म जारी नहीं किए गए -2.45 रु. - क्रेता व्यापारी के पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द करने के उपरान्त अवधि से सम्बन्धित प्रपत्र -0.89 रु. - क्रेता व्यापारी के पंजीकरण प्रमाणपत्रों द्वारा कवर न की गयी मदें- 0.92 रु. - जाली एस.टी.-I प्रपत्र- 2.42 रु. - क्रेता व्यापारी के उपयोगिता लेखे (एस टी-2) सहित दो प्रपत्र सत्यापित नहीं हो सके - 1.45 रु.	8.13	0.81	0.84	2.03
3.	एस.टी.-I प्रपत्र द्वारा समर्थित न की गयी बिक्री का पता लगाया जाना लेकिन ब्याज उद्ग्रहण नहीं हुआ	5.27	--	0.36	--
4.	खरीदों का छिपाया जाना, व्यापारी ने व्यापार लेखे में 65.31 लाख रु. की बिक्री दर्शायी थी यद्यपि वास्तव में उसने अन्य पंजीकृत व्यापारी से सांविधिक प्रपत्र पर 68.42 लाख रु. की राशि का माल खरीदा था	3.43	0.34	0.28	0.86

विभाग ने व्यापारी का पुनः कर निर्धारण किया और 2.85 लाख रु. (कर 1.02 लाख रु., ब्याज 1.23 लाख रु. तथा जुर्माना 0.6 लाख रु.) की मांग उत्थित की थी। वसूली की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है (दिसम्बर 1993)।

4.9.6 प्रपत्र "सी" पर अनियमित छूट

(क) दिल्ली में तीन पंजीकृत व्यापारियों ने प्रपत्र "सी" के आधार पर 4 प्रतिशत की दर से कर की रियायत दर पर अन्तः राज्यीय बिक्री का दावा किया था। केन्द्रीय बिक्री कर में सन्निहित है कि यदि किसी प्रपत्र "सी" में एक से अधिक बिल हैं और उनका कुल मूल्य 25000 रु. से अधिक है तो उसके अन्दर कवर किए गए समस्त लेनदेनों को एक खरीद आर्डर द्वारा समर्थित होना चाहिए। लेखापरीक्षा में संवीक्षा से पता चला कि कुछ घोषणाओं में एक से अधिक बिल सन्निहित थे जिन्होंने निर्धारित अधिकतम धन सम्बन्धी सीमा 25000 रु. को पार कर लिया था। चूंकि ये घोषणाएं एकल खरीद आर्डर द्वारा समर्थित नहीं थी, इसके परिणामस्वरूप 38.64 लाख रु. की बिक्री पर अनियमित छूट के कारण 2.82 लाख रु. के कर तथा 1.76 लाख रु. की राशि के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ था। इसके अतिरिक्त तथ्यों को गलत ढ़ंग से प्रस्तुत करने हेतु व्यापारी से 3.57 लाख रु. का अधिकतम जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

मामले की सूचना जुलाई 1992 में विभाग को सूचित की गयी थी; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)।

(ख) एक अन्य मामले में, दिल्ली में एक पंजीकृत व्यापारी को, प्रपत्र "सी" के आधार पर वर्ष 1987-88 के दौरान 59 लाख रु. की राशि की अन्तः राज्यकीय बिक्री के सम्बन्ध में कर के भुगतान करने से छूट प्रदान की गयी थी। लेखापरीक्षा में यह देखा गया था (मई 1992) कि व्यापारी द्वारा प्रस्तुत एक प्रपत्र "सी" में 6.55 लाख रु. के बिल समाविष्ट थे जो खरीद्दार व्यापारी द्वारा प्रपत्रों को जारी करने के बाद की अवधि से सम्बन्धित थे। इसके परिणामस्वरुप 39327 रु. के कर तथा 28807 रु. के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त 58990/- रु. का अधिकतम जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

मामले की सूचना जून 1992 में विभाग को सूचित की गयी थी; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)।

(ग) एक अन्य मामले में, दिल्ली में, लैन्सों तथा फ्रेमों के विनिर्माण के व्यापार में लगे एक पंजीकृत व्यापारी ने अपने दावे के समर्थन में प्रपत्र एस.टी.-I में घोषणा प्रस्तुत करते हुए अन्य पंजीकृत व्यापारी को चोक कवरों, कन्टेनरों तथा खिलोने की बिक्री के कारण कर निर्धारण वर्ष 1985-86 में अपनी कुल/सकल टर्न ओवर से 9.50 लाख रु. की कटौती का दावा प्रस्तुत किया था। तथापि, ये मदें उसके अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र के अन्तर्गत कवर नहीं थी। अनियमित कटौती की अनुमति प्रदान करने के परिणामस्वरुप 94991 रु. की राशि के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त देय ब्याज भी उद्ग्रहणीय था।

लेखापरीक्षा में इसको इंगित किए जाने के परिणामस्वरुप (नवम्बर 1991) विभाग ने व्यापारी का पुनः कर निर्धारण किया (मई 1992) और 1.03 लाख रु. के ब्याज सहित 1.98 लाख रु. की अतिरिक्त मांग

उत्थित की। विभाग ने यह भी बताया (जुलाई 1993) कि व्यापारी ने कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उत्थित अतिरिक्त मांग के प्रति अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष एक अपील जारी की है। इस अपील पर निर्णय प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 1993)।

4.9.7 दूतावासों के प्रमाण पत्रों के प्रति छूट

दिल्ली में, लकड़ी के फर्नीचर के विनिर्माण और पुनर्बिक्री के व्यापार में लगे, दो पंजीकृत व्यापारियों ने 1987-88 तथा 1989-90 के दौरान राजनयिक मिशनों तथा उनके स्टाफ को 98.82 लाख रु. मूल्य के माल बेचे थे। कर निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण करते समय, अपेक्षित प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराए बिना दूतावासों/राजनयिक मिशनों को की गयी बिक्री पर कटौती की अनुमति प्रदान कर दी। इस अनियमित छूट प्रदान करने के परिणामस्वरुप 9.88 लाख रु. की राशि के कर तथा 8.30 लाख रु. का ब्याज उद्ग्रहण नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त 24.73 लाख रु. का अधिकतम जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

मामले की सूचना दिसम्बर 1992 में विभाग को दी गयी थी; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)।

4.9.8 अन्य पंजीकृत व्यापारियों को कीटनाशकों की बिक्री पर अनियमित छूट

दि.बि. कर अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अन्तर्गत केवल पौधों की सुरक्षा के लिए कीटनाशकों, की बिक्री पर कर भुगतानों की छूट है। इसी प्रकार, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8(2 क) के अन्तर्गत एक स्पष्टीकरण द्वारा किसी माल की खरीद तथा बिक्री पर कर की छूट प्रदान नहीं की जाएगी, यदि ऐसे माल की खरीद और बिक्री पर छूट केवल विशिष्ट परिस्थितियों में उचित राज्य के बिक्री कर नियम की विशिष्ट शर्तों के अध्यधीन है।

दिल्ली में, अपतृणनाशी तथा फफूंद नाशक की पुनर्बिक्री के व्यापार में लगे दो पंजीकृत व्यापारियों ने कर निर्धारण वर्ष 1987-88 के दौरान 481.94 लाख रु. की राशि के कीटनाशकों की बिक्री की थी। व्यापारियों को 64.20 लाख रु. (स्थानीय) तथा 329.68 लाख रु.(केन्द्रीय) के कीटनाशकों की बिक्री पर छूट प्रदान की गयी थी जिसके सम्बन्ध में न तो प्रयोजन ही उल्लेख किया गया था और न ही इन कीटनाशकों के पौधा सुरक्षा के उपयोग के बारे में कोई सबूत प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार प्रदान की गई छूट अनियमित थी ओर इसके परिणामस्वरुप 44.57 लाख रु. के कर तथा 36.72 लाख रु. की राशि के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ था। इसके अतिरिक्त, 70.37 लाख रु. की राशि का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

मामलें की सूचना अक्तूबर 1993 में विभाग को दी गयी थी; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)।

उपरोक्त मामले की सूचना फरवरी तथा अक्तूबर 1993 के बीच गृह मंत्रालय को दी गयी थी; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)।

4.10 ब्याज का अनुद्ग्रहण

दि.बि.क. अधिनियम, 1975 और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमानुसार, यदि कोई व्यापारी देय कर के भुगतान करने में फेल होता है तो वह इस प्रकार देय राशि पर एक माह की अवधि के लिए (रिटर्न प्रस्तुत करनें की अंतिम तिथि से तुरन्त बाद पड़ने वाली तिथि से) एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से और इसके पश्चात् डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह की दर से जब तक वह चूक करता है अथवा कर निर्धारण के समापन की तिथि तक, जो भी पहले हो, साधारण ब्याज अदा करने के लिए बाध्य होगा।

दिल्ली में तीन पंजीकृत व्यापारियों ने अन्य पंजीकृत व्यापारियों को की गयी 74.87 लाख रु. के मूल्य की बिक्री पर कटौती का दावा किया था, लेकिन अपने दावों के समर्थन में प्रपत्र एस.टी.-I में घोषणा प्रस्तुत नहीं कर सके थे। कर निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण को अंतिम रुप देते समय, कर तो लगा दिया लेकिन कर के गैर भुगतान के लिए 4.71 लाख रु. की राशि के ब्याज के उद्ग्रहण में असफल रहा।

फरवरी से अक्तूबर 1993 की अवधि के दौरान विभाग को इंगित किए जाने पर, विभाग ने दो व्यापारियों का पुनः कर निर्धारण किया तथा 0.81 लाख रु. की अतिरिक्त मांग उत्थित की। तीसरे मामले में विभाग ने बताया (अगस्त 1992) कि ब्याज उद्ग्रहणीय नहीं था। विभाग का अभिमत तर्क संगत नहीं है क्योंकि दि.बि.कर अधिनियम, 1975 की धारा 27 के अन्तर्गत कर की लघु वसूली पर ब्याज का उद्ग्रहण अनिवार्य है।

मामलों की सूचना फरवरी से अक्तूबर1993 के बीच गृह मंत्रालय को दी गयी थी; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)।

4.11 सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण में गलती

दि.बि. कर अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अन्तर्गत और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, यदि एक व्यापारी किसी अवधि के लिए निर्धारित तिथि तक रिटर्न प्रस्तुत करने में असफल होता है अथवा व्यापारी को दिए गए नोटिस की अनुपालना नहीं होती है और न ही वह प्रस्तुत होता है और न ही साक्ष्य प्रस्तुत करता है तो कर निर्धारण प्राधिकारी, व्यापारी को सुनने के लिए उचित अवसर प्रदान करके, अपने उचित निर्णयन के अनुसार व्यापारी का कर निर्धारण करने क लिए समर्थ है। लेकिन यदि व्यापारी पंजीकरण

प्रमाण पत्र के अन्दर कवर किए गए अपने माल या माल की श्रेणी के गलत/झूठा अभ्यावेदन करता है या अपनी बिक्री के विवरणों को छिपाता है और अपनी बिक्री के गलत विवरणों को फाइल करता है तो अधिकतम कर की राशि का ढाई गुणा जुर्माना, जो परिहार्य था, बिक्री पर भुगतान योग्य कर के अतिरिक्त (किसी जुर्माने का समावेश करते समय), दि.बि. कर अधिनियम, 1975 की धारा 27 के अन्तर्गत देय राशि पर साधारण ब्याज भुगतान करने के लिए बाध्य होगा।

निम्नलिखित चार मामलों में व्यापारी की टर्न ओवर कम बतायी गयी थी जिसके परिणामस्वरूप 174.85 लाख रु. के कर, 144 लाख रु. के ब्याज तथा 437.12 लाख रु. के जुर्माने का कम उद्ग्रहण हुआ।

तालिका 4.11

(लाख रुपयों में)

	वार्ड सं.	लेखांकन वर्ष	सांविधिक प्रपत्रों के प्रति खरीद	लेखापरीक्षा में परिकलित सकल टर्न ओवर	कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सकल टर्न ओवर का परिकलन	कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सकल टर्न ओवर को कम आंकना	देय कर लेकिन भुगतान नहीं किया गया	ब्याज	जुर्माना	अभ्युक्तियां
1	20	1987-88	210.17	220.07	105.01	115.36	9.09	7.86	22.72	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)
2	32	1987-88	1830.77	2014.47	9.25	2004.78	140.32	117.17	350.80	विभाग ने व्यापारी का पुनर्कर निर्धारण किया (अक्तूबर 1993) और 3012.46 लाख रु. की मांग उत्थित की। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 1993)
3	43	1987-88	58.98	60.28	40.34	19.94	1.49	1.19	3.73	विभाग ने व्यापारी का पुनर्कर निर्धारण किया (अगस्त 1993) तथा 20.40 लाख रु. की मांग उत्थित की
4	46	1988-89	316.69	342.11	4.22	335.21	23.95	17.78	59.87	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)
		1989-90	18.52	–	11.43	–	–	–	–	
			जोड़				174.85	144.00	437.12	

ये मामले फरवरी तथा अक्तूबर 1993 के बीच विभाग तथा गृह मंत्रालय को सूचित किए गए थे; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)।

4.12 परिकलन में गलती के कारण कर का कम उद्ग्रहण

दिल्ली में फेरस तथा गैर फेरस धातुओं के व्यापार में लगे एक पंजीकृत व्यापारी का एक तरफा निर्धारण हुआ था (मार्च 1992)। कर निर्धारण प्राधिकारी ने वर्ष 1987-88 के लिए व्यापारी की कुल टर्न ओवर 30 लाख रु. निर्धारित की थी तथा वसूली योग्य वास्तविक योग 3.87 लाख रु. (जनवरी 1993 तक 1.75 लाख रु. ब्याज का समावेश करते हुए) के प्रति 36320 रु. (ब्याज 15120 रु. तथा जुर्माना 200 रु. का समावेश करते हुए) की एक मांग उत्थित की थी। इसके परिणामस्वरुप 3.51 लाख रु. के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसका उल्लेख किए जाने पर (जून 1993) विभाग ने 3.87 लाख रु. (कर निर्धारण के समय उत्थित मांग को शामिल करते हुए) की मांग उत्थित की। वसूली की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है (दिसम्बर 1993)।

मामले की सूचना जून 1993 में गृह मंत्रालय को दी गयी थी; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)।

4.13 पंजीकरण प्रमाण पत्र के अन्तर्गत सम्मिलित न की गई खरीद

दि.बि. कर अधिनियम, 1975 की धारा 50(घ) के साथ पठित धारा 56(3) के अन्तर्गत, जब एक पंजीकृत व्यापारी माल को खरीदते समय, पंजीकरण प्रमाण पत्र के अन्तर्गत कवर न किए गए किसी माल या माल की श्रेणी के प्रस्तुतिकरण में कोई अपराध करता है और कहता है कि ये माल या माल की श्रेणी ऐसे प्रमाण पत्रों द्वारा कवर की गयी है तो उससे जुर्माने के अतिरिक्त, कर का अधिकतम ढाई गुणा जुर्माना उद्ग्रहणीय होगा तथा वह कारावास जिसकी अवधि छः माह तक बढ़ायी जा सकती है, या जुर्माना या दोनों तथा जहां यह अपराध लगातार हो रहा है, अपराध की अवधि के दौरान अधिकतम 200 रु. के दैनिक जुर्माने सहित, सजा पाने योग्य होगा।

दिल्ली में, चार पंजीकृत व्यापारियों ने सांविधिक प्रपत्रों के विरुद्ध गलत बयानी करके कि ये माल उनके प्रमाण पत्रों के अन्तर्गत कवर थे 71.86 लाख रु. के माल खरीदे थे जब कि ये मदें वास्तव में पुन:बिक्री के लिए उनके पंजीकरण प्रमाण पत्रों में शामिल नहीं थी। कर निर्धारण प्राधिकारी गलत ब्यानी को पकड़ने में फेल हो गये थे और व्यापारियों पर 12.64 लाख रु. का जुर्माना नहीं लगाया था जो दि.बि. कर अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अन्तर्गत वसूली योग्य था।

लेखापरीक्षा में इसका उल्लेख किए जाने पर विभाग ने दो व्यापारियों का पुन: कर निर्धारण किया तथा 4.76 लाख रु. की अतिरिक्त मांग उत्थित की जबकि बाकी के दो मामलों में विभाग के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 1993)।

मामले की सूचना फरवरी तथा अक्तूबर 1993 के बीच गृह मंत्रालय को दी गयी थी; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)।

अध्याय V

दिल्ली नगर निगम

5.1 लेखे

5.1.1 प्रस्तावना

दिल्ली नगर निगम (दि.न.नि.) की स्थापना, नई दिल्ली नगर पालिका तथा दिल्ली छावनी बोर्ड के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़ते हुए, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के अधिकार क्षेत्र के साथ, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत एक नगरीय निकाय के रुप में, अप्रैल 1958 में हुई थी।

दि.न.नि. को जनवरी 1990 में केन्द्रीय सरकार द्वारा हटा दिया गया था तथा दिल्ली नगर निगम अधिनयम, 1957 की धारा 490 के अन्तर्गत दिल्ली नगर निगम को प्रदत्त शक्तियां तथा अधिकार, मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन को दिए गए थें।

5.1.2 लेखें

दिल्ली नगर निगम (लेखाओं का अनुरक्षण) विनियम, 1959 में निर्धारित है कि दि.न.नि. के तीन विंग अर्थात (i) सामान्य विंग (ii) दिल्ली जल आपूर्ति एवं मल जल व्ययन संस्थान (दि.ज.आ.म.व्य.सं.) तथा (iii) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (दि.वि.प्र.सं.) बजट अनुमानों के लिये अनुमोदित प्रपत्र में सभी प्राप्तियों एवं व्यय के पृथक लेखे अनुरक्षित करेगें। इन विंगों के मासिक तथा वार्षिक लेखे, निगम मुख्य लेखापरीक्षक द्वारा सत्यापन के पश्चात् निगम मुख्य लेखाकार द्वारा निगम की स्थायी समितियों को भेजे जाते हैं।

5.1.3 लेखाओं में बकाया

मासिक, वार्षिक तथा विनियोजन लेखाओं को तैयार करने तथा निगम मुख्य लेखापरीक्षक (मु.ले.प.) द्वारा उनके प्रमाणीकरण की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:-

तालिका 5.1.3 - लेखाओं में बकाया

		सामान्य विंग	दि.वि.प्र.सं.	दि.ज.आ.म.व्य.सं.
1.	**वार्षिक लेखे**			
	वर्ष जब तक लेखे नि.मु.ले.प. को प्रस्तुत किए गए हैं	1991-92	1990-91	1990-91
	वर्ष जब तक लेखे प्रमाणित किए गए हैं	1991-92	1988-89	1990-91
2.	**विनियोग लेखे**			
	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए हैं	1991-92	1980-81	1989-90
	वर्ष जब तक लेखे प्रमाणित किए गए हैं	1990-91	1980-81	1987-88
3.	**मासिक लेखे**			
	मास जब तक लेखे प्रस्तुत गए किए हैं	फरवरी 1993	अप्रैल 1991	फरवरी 1992
	मास जब तक लेखे प्रमाणित किए गए हैं	अक्तूबर 1992	मार्च 1991	फरवरी 1992

यह देखा जा सकता है कि सभी तीनों विंगों के वार्षिक लेखे एवं विनियोजन लेखे, विशेष रुप से दि.वि.प्र.सं. एवं .ज.आ.म.व्य.सं. के बहुत अधिक बकाया सहित, बकाया में हैं।

5.1.4 बाह्य प्राप्तियों का असमाधान

यह भी देखा गया था कि दिल्ली प्रशासन की बहियों में दर्शाए गए सहायक अनुदानों तथा ऋणों के आंकड़े, दि.न.नि. के आंकड़ों से भिन्न थे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

तालिका 5.1.4 समाधान न किए गए लेखे

करोड़ रुपयों में

वर्ष	लेखाओं के अनुसार अनुदान एवं ऋण		
	दि.न.नि.	दिल्ली प्रशासन	अन्तर
1989-90	379.94	449.20	69.26
1990-91	469.01	555.25	86.24
1991-92	553.43	629.94	76.51
1992-93	602.21	676.19	73.98
जोड़	2004.59	2310.58	305.99

ये अन्तर 1992-93 में 305.99 करोड़ रु. तक बढ़ गए थे।

5.1.5 बकाया अग्रिम

अस्थाई अग्रिम आहरण की तिथि से एक मास की अवधि के अन्दर समायोजित किए जाने अपेक्षित है और यदि असमायोजित रह जाएं तो सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय को एक विस्तृत विवरण भेजा जाना अपेक्षित है।

यह देखा गया था कि सामान्य विंग में 385 लाख रु. तथा दि.वि.प्र.सं. में 48836 लाख रु. की राशि के अग्रिम दिसम्बर 1993 तक समायोजित नहीं किए गए थे, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 5.1.5 असमायोजित अग्रिम

(लाख रु. में)

अवधि	दि.न.नि.	दि.वि.प्र.सं.
1985-86 तक अदा किए अग्रिम	229.50	8043.98
1986-87 से 1991-92 तक अदा किए गए अग्रिम	57.77	23812.40
1992-93 के दौरान अदा किए गए अग्रिम	97.84	16979.62
	385.11	48836.00

दि.ज.आ. एवं म.व्य.सं., उपर्युक्त के बारे में कोई सूचना प्रदान करने में असमर्थ था। अग्रिमों की इतनी बड़ी राशियों का बड़ी देर तक असमायोजन गलत उपयोग के जोखिम से भरा से हुआ है। इन असमयोजित अग्रिमों के संबंध में कभी भी कोई रिर्पोट सम्बन्धित मंत्रालय को नहीं भेजी गई थी।

5.1.6 निगम मुख्य लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा

1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के वर्षों के लिए निगम मुख्य लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, क्रमशः अक्तूबर 1992, जनवरी 1993 तथा अगस्त 1993 में स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे।

क) निपटान हेतु प्रतीक्षित आपत्तियां

यह देखा गया था कि 1963-64 से 1990-91 की अवधि से सम्बन्धित 36348 आपत्तियों से निहित 6382 निरीक्षण प्रतिवेदन 31 मार्च 1991 तक निपटान हेतु प्रतीक्षित थी। 20628 आपत्तियां तथा 4043 निरीक्षण प्रतिवेदनें 1984-85 से पूर्व वर्षों से बकाया थी, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

तालिका 5.1.6 (क) बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा आपत्तियों का वर्षवार विवरण

	1984-85 तक	1985-89	1989-90	1990-91	कुल
सामान्य विंग					
निरीक्षण प्रतिवेदन	2204	856	215	136	3411
पैरें	12497	5809	1623	1198	21127
दि.वि.प्र.सं.					
निरीक्षण प्रतिवेदन	1268	470	123	84	1945
पैरें	5379	2826	799	560	9564
दि.ज.आ.म.व्य.सं.					
निरीक्षण प्रतिवेदन	571	337	64	54	1026
पैरें	2752	2004	462	439	5657

ख) गुम हुए वाऊचर

निगम मुख्य लेखापरीक्षा की वर्ष 1990-91 की प्रतिवेदन से प्रकट हुआ कि दि.न.नि. के तीन विंगों में 1450.76 लाख रु. के वाऊचर गुम थे जिनमें 1985-86 से पूर्व वर्षों से सम्बन्धित 288 लाख रु. की राशि के 4126 वाऊचर शामिल थे। इस सम्बन्ध में दि.ज.आ.म.व्य.सं. की स्थिति विशेष रुप से विपरीत है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

तालिका 5.1.6 (ख)- प्रतीक्षित वाऊचर तथा आदाता की टिकट लगी प्राप्तियां

(लाख रुपयों में)

जिस अवधि से आपत्तियां सम्बन्धित है	गुम हुए वाऊचर		आदाताओं की लापता टिकट लगी प्राप्तियां	
	मदों की संख्या	राशि	मदों की संख्या	राशि
(क) सामान्य विंग				
1985-86 से पूर्व	1045	80.72	347	28.93
1985-86 से 1990-91	703	105.23	13	1.19
जोड़	**1748**	**185.95**	**360**	**30.12**
(ख) दि.ज.आ.म.व्य.सं.				
1985-86 से पूर्व	2281	204.74	36	3.65
1985-86 से 1990-91	6652	1055.49	48	4.41
जोड़	**8933**	**1260.23**	**84**	**8.06**
(ग) दि.वि.प्र.सं.				
1985-86 से पूर्व	800	2.46	407	1.12
1985-86 से 1990-91	1312	2.12	--	--
जोड़	**2112**	**4.58**	**407**	**1.12**
कुल जोड़	**12793**	**1450.76**	**851**	**39.30**

5.2 220 कि.वा. उप स्टेशनों का निर्माण

5.2.1 प्रस्तावना

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (दि.वि.प्र.सं.) दिल्ली में विद्युत के उत्पादन तथा संचारण के लिए उत्तरदायी है। दिल्ली की वर्तमान विद्युत की आवश्यकता 1536 मै.वा. है जिसमें से 593 मै.वा.दि.वि.प्र.सं. से पूरी की जाती है तथा शेष उत्तरी ग्रिड से खरीदी जाती है। मांग की 1995 तक 2389 मै.वा. तथा 2001 तक 4000 मै.वा. तक बढ़ने की उम्मीद है।

बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए, दि.वि.प्र.सं. ने, दि.वि.प्र.सं. के अपने स्रोतों के अतिरिक्त, संचरण लाईनों को दि.वि.प्र.सं. की पद्धति से जोड़ने के लिए उन्हें बिछाने तथा तीन 400 कि.वा. तथा आठ 220 कि.वा. के उप स्टेशनों के निर्माण के माध्यम से, दिल्ली को विद्युत के संचरण की पद्धति को मजबूत करने हेतु अगस्त 1985 में प्रस्ताव किया। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 117 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर अगस्त 1986 में परियोजना की मंजूरी प्रदान कर दी।

इस नेटवर्क में उच्च वोल्टेज पर विद्युत के संचरण से इसकी लागत 7.43 पै.प्रति.कि.वा.एच. के वर्तमान स्तर से 3.8 पैसे प्रति कि.वा.एच. तक कम होने तथा आगे ऊर्जा की हानि 1988-89 से 21.10 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक कम होने की आशा थी।

परियोजना पर कार्य का अनुश्रवण योजना एवं निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है जिसका मुख्य अभियन्ता (यो.एवं नि.) है तथा जिसकी सहायता तीन अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं द्वारा की जा रही है। सिविल निर्माण कार्यों का निष्पादन मण्डलों, प्रत्येक का मुखिया कार्यकारी अभियन्ता है, के माध्यम से मुख्य अभियन्ता (सिविल) द्वारा किया जाता है।

5.2.2 लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र

लेखापरीक्षा ने दि.वि.प्र.सं. के योजना तथा निर्माण विभाग के साथ साथ रोहिणी तथा वसंतकुंज पर 220 कि.वा. के उप स्टेशनों के निर्माण कार्य से सम्बन्धित सिविल मंडलों की, अप्रैल से अक्तूबर 1993 के दौरान नमूना जांच की।

5.2.3 विशिष्टताएं

- **1987-92 के दौरान 220 कि.वा. के निर्माण कार्यों पर 155.58 करोड़ रु. खर्च किए गए थे परन्तु दि.वि.प्र.सं. परियोजना पर किए गए कुल प्रगामी व्यय के आंकड़ों की पुष्टि करने में समर्थ नहीं था।**

- मार्च 1990 तक पूर्ण किए जाने कि लिए निर्धारित 10 उपस्टेशनों में से केवल तीन उपस्टेशन समय पर पूरे किए गए थे। शेष सात में से पांच नवम्बर 1993 तक अभी पूर्ण किए जाने थे।

- लाईन कार्यों तथा विद्युत कार्यों को पूरा न किए जाने के कारण, वसन्त कुञ्ज उप स्टेशन पर 8.71 करोड़ रु. का किया गया निवेश निष्फल सिद्ध हुआ।

- 178 लाख रु. की लागत पर रोहिणी उप स्टेशन पर स्थापित दो ट्रांसफार्मर, केवल डेढ़ वर्ष के पश्चात् ही खराब हो गए, जिसके परिणामस्वरुप उनकी मरम्मत पर 75.58 लाख रु. (अनुमानित) का परिहार्य व्यय होने की आशा है।

- बवाना उप स्टेशन से 220 कि.वा. आपूर्ति प्राप्त करने के लिए रोहिणी पर स्थापित 31.67 लाख रु. के मूल्य का उपकरण उप स्टेशन के पूरा न होने के कारण अप्रयुक्त पड़ा रहा था।

- सामग्री की विलम्बित आपूर्ति हेतु शास्ति को कम करते हुए एक फर्म को 25.99 लाख रु. का अदेय लाभ प्रदान किया गया था।

5.2.4 निर्माण कार्यों में प्रगति

(क) व्यय

1987-88 से मार्च 1990 के वर्षों के दौरान 220 कि.वा. निर्माण कार्यों (परियोजना के 10 उप स्टेशनों तथा लाईन कार्यों सहित) पर किया गया कुल व्यय 62.95 करोड़ रु. था। जैसाकि लेखापरीक्षा द्वारा प्रारम्भिक अभिलेखों अर्थात सामान्य लेजरों से परिकलित किया गया था, मार्च 1992 तक व्यय 155.58 करोड़ रु. हो गया। 1991-92 के आंकड़े अनन्तिम थे। दि.वि.प्र.सं. परियोजनावार अथवा उपस्टेशन वार ब्यौरे उपलब्ध करने में असमर्थ था। इससे यह पता चलता है कि दि.वि.प्र.सं. का व्यय के प्रवाह पर कोई नियंत्रण नहीं है।

(ख) भौतिक प्रगति

उप स्टेशन सातवीं योजना के दौरान अर्थात् मार्च 1990 तक चालू किए जाने सम्भावित थे। कार्यों पर प्रगति, निर्धारित से बहुत कम है, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:-

तालिका 5.2.4 (ख) निर्माण कार्यों पर प्रगति

	उप स्टेशन का नाम	चालू होने की वास्तविक/सम्भावित तिथि
400/220 कि.वा.		
i	बवाना	मार्च 1994
ii	बमनौली	मार्च 1994
220/66-33 कि.वा.		
iii	रोहिणी	मार्च 1990*
iv	वसन्त कुन्ज	मार्च 1992*
v	शालीमार बाग	मार्च 1990*
vi	सरिता विहार	दिसम्बर 1991*
vii	पार्क स्ट्रीट	नवम्बर 1993
viii	नारायणा	मार्च 1995
ix	कश्मीरी गेट	दिसम्बर 1993
x	राजघाट	फरवरी 1989*

* चालू किये गये उप स्टेशनों को दर्शाती है।

सितम्बर 1993 तक बवाना तथा बमनौली में 400/220 कि.वा. उप स्टेशनों पर कोई विद्युतीय कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ था। आठ 220 कि.वा. उप स्टेशनों में से पांच उप स्टेशन मार्च 1992 तक पूर्ण किये गये थे। तीन उप स्टेशनों पर कार्य प्रगति में है। पूर्ण किए गए उप स्टेशनों में से चार चालू कर दिए गए हैं तथा विद्युत का परिवर्तन कर रहे हैं। वसन्त कुन्ज उप स्टेशन यद्यपि पूरा हो गया है, परन्तु 220 कि.वा. लाईन के उपलब्ध न होने के कारण अभी औद्योगिक प्रयोग हेतु शुरु नहीं किया गया है।

संचरण में ऊर्जा हानियों को कम करने के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया गया है। यह हानि 1991-92 में 22.56 प्रतिशत थी। 1991-92 के बाद की स्थिति का पता नहीं है क्योंकि दि.वि.प्र.सं. ने 1991-92 के अपने लेखाओं को अन्तिम रुप नहीं दिया है। संचरण की लागत में कमी के संबंध में दि.वि.प्र.सं. द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई थी।

5.2.5 वसन्त कुंज में 220 कि.वा. उप स्टेशन

वसन्त कुंज पर 220 कि.वा.उप स्टेशन का कार्य 1986-87 में प्रारम्भ किया गया था। एक उप स्टेशन में मुख्यत: लाईन कार्य तथा विद्युतीय कार्य निहित होते हैं।

(क) लाईन कार्य

टावर लाईन को खींचने में विलम्ब

महरौली से वसन्त कुंज तक 220 कि.वा. लाईन के खीचने, परीक्षण करने तथा चालू करने का कार्य, 9 मास अर्थात् जनवरी 1990 तक पूर्ण किए जाने के लिए 17.47 लाख रु. की लागत पर अप्रैल 1989 में एक ठेकेदार को सौंपा गया था। कार्य अगस्त 1989 में प्रारम्भ हुआ था।

कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, दि.वि.प्र.सं. को लोगों से आपत्तियां आमंत्रित करते हुए एक गजट अधिसूचना करना बाध्य था। जो नोटिस दि.वि.प्र.सं. ने जून 1988 में समाचार पत्रों में प्रकाशित किया था, वह एक ड्राफ्ट अधिसूचना थी जो कि कानून के अन्तर्गत एक मान्यता प्राप्त गजट अधिसूचना नहीं है। ऐसे ही एक मामले में शालीमार बाग बवाना 220 कि.वा. टॉवर लाईन को खींचने पर, ऐसी एक अधिसूचना मार्च 1990 में अवैध घोषित कर दी गई थी तथा कानून में मान्य नहीं थी।

स्थिति सं. 4 एवं 5 पर तोरणों के लिए नींव की खुदाई, एक फर्म द्वारा अधीकृत कृषीय भूमि पर सितम्बर 1989 में प्रारम्भ की गयी थी। अक्तूबर 1989 में, फर्म ने अपने परिसरों में दि.वि.प्र.सं. के ठेकेदारों का प्रवेश रोक दिया। इन दोनों स्थानों पर कर लिया बताया गया कार्य प्रतिवर्तित कर दिया बताया गया था। दि.वि.प्र.सं. द्वारा हानि 84773 रु. परिकलित की गई थी, परन्तु दि.वि.प्र.सं. द्वारा फर्म के विरुद्ध कोई आपराधिक अथवा सिविल कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई थी। दि.वि.प्र.सं. के, इस हानि को फर्म द्वारा उसके बिजली के बिलों में शामिल करके पूरा करने हेतु किये गये प्रयासों का फर्म द्वारा विरोध किया गया था तथा जो दि.वि.प्र.सं. को फरवरी 1992 में न्यायालय में ले गया। जब कि मामलों की सुनवाई की छः तिथियां बीत चुकी हैं, दि.वि.प्र.सं. ने अभी तक अपना प्रत्युत्तर भी फाईल नहीं किया है (सितम्बर 1993) तथा मामला कालातीत हो गया है।

महा प्रबन्धक, दि.वि.प्र.सं. ने न्यायालय से बाहर मामले का समाधान का प्रयत्न करने के लिए केवल फरवरी 1993 में एक समिति बनाई। फर्म ने समिति के समक्ष निम्नलिखित शर्तें पेश कीं:-

- बिजली की चोरी के मामले की वापसी।

- 84773 रु. के क्षति प्रभारों की वापसी।

- उसके परिसर में बिजली की वापसी।

- स्थिति 4 एवं 5 के बीच एक और टॉवर का प्रतिष्ठापन

- उसके परिसरों से गुजरने वाली 11 कि.वा. लाईन को हटाना अथवा बदलना।

प्रस्ताव अभी अक्तूबर 1993 तक विचाराधीन हैं।

वे परिस्थतियां, जिनके अन्तर्गत गजट अधिसूचना जारी नहीं की गई थी, सितम्बर 1993 में दि.वि.प्र.सं. से पूछी गई थीं; उत्तर जनवरी 1994 तक प्रतीक्षित है।

फरवरी 1993 में मण्डलीय प्राधिकारियों द्वारा यह अवलोकित किया गया था कि स्थान संख्या 5 को फर्म के परिसर से बाहर नए स्थल पर बदलना सम्भव था। चूंकि स्थान सं. 4 को बदलना सम्भव नहीं था, फर्म की प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए जिसके लिए दि.वि.प्र.सं. को 5.85 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा।

वसन्त कुंज का उप स्टेशन जिसे 795 लाख रु. की लागत पर मार्च 1992 में अर्जित किया जाना था, महरौली से 220 कि.वा. लाईन के उपलब्ध न होने के कारण, वाणिज्यक उपयोग हेतु प्रयोग नहीं किया जा सका। महरौली से वसन्त कुंज तक लाईन बिछाने के लिए 76.1 लाख रु. का व्यय किया गया है जो कि अभी भी खण्डशः अपूर्ण है। 871 लाख रु. का समस्त निवेश अप्रैल 1992 से निष्क्रय पड़ा हुआ है

(ख) विद्युतीय निर्माण कार्य

ख(i) भण्डारों की अनुलब्धता के कारण अपूर्ण पड़ा हुआ निर्माण कार्य

697.62 लाख रु. की अनुमानित लागत के निम्नलिखित पांच कार्य वसन्त कुंज उप स्टेशन के विद्युतीय कार्य संघटक बनेः-

तालिका 5.2.5 ख (i) बिजली के कार्यों में प्रगति

कार्य आदेश	राशि (लाख रु.में)	कार्य को सौपने की तिथि	समापन की निर्धारित तिथि	किए गए कार्य की स्थिति
1. 220/ कि.वा./66 कि.वा. स्विच यार्डों की स्थापना, विद्युत ट्रांसफार्मरों की स्थापना तथा सहायक उपकरण का प्रतिष्ठापन, जांच एवं उसे चालू करना	559.61	19.6.89	18.2.90	जुलाई 1993 तक 75 प्रतिशत
2. स्विच यार्डों को बिजली उपलब्ध कराना	3.06	10.1.90	8.2.90	पूर्ण किए गए
3. स्विच यार्डों में खड़ पट्ट निकालना तथा भूमि मेट बिछाना	4.90	10.1.90	23.2.90	पूर्ण किए गए
4. केपेसिटर बैंक का प्रतिष्ठापन	6.11	29.12.89	7.1.90	कार्य अभी शुरु किया जाना है
5. केपेसिटर बैंक की स्थापना, जांच एवं चालू करना	123.94	5.2.92	5.3.92	पूर्ण किए गए
जोड़	697.62			

इस कार्य की अधिकतर लागत अर्थात 400 लाख रु. दि.वि.प्र.सं. द्वारा आपूर्त की जाने वाली सामग्री की थी। मई 1990 में, एक ठेकेदार को इस सामग्री को 30 दिन के अन्दर दि.वि.प्र.सं. के भण्डार से स्थल पर लाने का कार्य सौपा गया था। ठेकेदार इस कार्य को नवम्बर 1993 तक पूरा करने में समर्थ नहीं हुआ है क्योंकि 23 लाख रु. के मूल्य की सामग्री दि.वि.प्र.सं. के भण्डारों में उपलब्ध नहीं थी। परिणामस्वरुप अब तक किया गया कुल निवेश निष्क्रिय रहा है।

मण्डलीय प्राधिकारियों ने बताया (जुलाई 1993) कि सामग्री की कमी को दर्शाने वाली मासिक प्रगति रिपोर्टें उच्च प्राधिकारियों को भेजी गई थी, परन्तु कार्य को पूरा करने के लिए सामग्री उपलब्ध कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

ख (ii) गारण्टी की अवधि के दौरान, विद्युत ट्रांसफार्मरों का चालू न किया जाना।

वसन्त कुंज 220 कि.वा. उप स्टेशन पर प्रतिष्ठापित तथा 31 मार्च 1992 को ऊर्जित किए गए चार विद्युत ट्रांसफार्मरों की चालू किए जाने की तिथि से एक वर्ष अथवा भण्डार में सामग्री की प्राप्ति के पश्चात् 18 मास, जो भी पहले हो, तक की गारण्टी थी।

इन ट्रांसफार्मरों को गारण्टी की अवधि के 12 अथवा 18 मास बीत जाने के पश्चात् प्रतिष्ठापित किया गया था, जैसाकि नीचे विवरण दिया गया है:-

तालिका 5.2.5 ख (ii)- ट्रांसफार्मरों के प्रतिष्ठापन में विलम्ब

(लाख रुपयों में)

	ट्रांसंफार्मर क्षमता	भण्डार में प्राप्ति की तिथि	गारण्टी अवधि के समाप्त होने की तिथि	लागत
1.	100 एम वी ए	29.3.90	सितम्बर 1991	89.00
2.	100 एम वी ए	10.4.90	अक्तूबर 1991	89.00
3.	20 एम वी ए	10.4.90	अक्तूबर 1991	29.46
4.	20 एम वी ए	10.4.90	अक्तूबर 1991	29.46
		कुल लागत		236.92

चूंकि अभी तक (अगस्त 1993) उप स्टेशन का वाणिज्यिक उपयोग प्रारम्भ नहीं हुआ है, ये ट्रांसफार्मर अभी अनुप्रयुक्त पड़े हुए हैं।

इन ट्रांसफार्ममरों के हिस्ट्री कार्ड अनुरक्षित नहीं किए गए हैं तथा क्योंकि ये चालू नहीं हैं, कोई परीक्षण अथवा आवधिक मरम्मत नहीं की गई है।

5.2.6 रोहिणी में 220 कि.वा. उप स्टेशन

(क) विद्युत ट्रांसफार्मरों को चालू करने में विलम्ब तथा उनकी अनुवर्ती असफलता

रोहिणी में उपयोग हेतु दो 100 एम वी ए विद्युत ट्रांसफार्मरों की प्राप्ति के लिए भा.है.इ.लि. को मार्च 1987 में एक आदेश दिया गया था। 89 लाख रु. प्रत्येक की लागत वाले ट्रांसफार्मर अक्तूबर 1988 तक प्राप्त हुए थे तथा उनकी, चालू होने की तिथि से एक वर्ष अथवा भण्डार में उनकी प्राप्ति के बाद अठारह महीने, जो भी

पहले हो, तक की गारण्टी थी। यह पाया गया था कि ट्रांसफार्मरों का वाणिज्यिक उपयोग केवल जुलाई 1990 तथा मार्च 1991 में ही प्रारम्भ किया गया था जिससे गारण्टी के सभी लाभों से वंचित होना पड़ा।

रोहिणी में 220 कि.वा. उप स्टेशन, इन ट्रांसफार्मरों में से पहले ट्रांसफार्मर के प्रतिष्ठापन के पश्चात् मार्च 1990 में चालू किया गया था। दूसरा मई 1990 में चालू किया गया था।

इन ट्रांसफार्ममरों का 35 वर्ष तक काम करना अपेक्षित था परन्तु वे दोनों डेढ़ वर्ष सक्रिय रुप से काम करने के पश्चात् असफल हो गए।

यद्यपि पहली असफलता जून 1992 में हुई थी, भा.है.इ.लि. को ट्रांसफार्मर (280 लाख रु. की लागत पर) वापसी भेजने के लिए केवल सितम्बर 1992 में, जब दूसरा ट्रांसफार्मर भी असफल हो गया था, कहा गया था। तदनुसार, एक अन्य ट्रांसफार्मर, जो सब्जी मण्डी उप स्टेशन पर प्रतिष्ठापित किया गया था, नवम्बर 1992 में रोहिणी में विपथित कर दिया गया था तथा फरवरी 1993 में उसका वाणिज्यिक उपयोग प्रारम्भ किया गया था। दूसरे ट्रांसफार्मर की वापसी अभी भी अगस्त 1993 तक प्रतीक्षित है।

इस प्रकार सितम्बर 1992 से फरवरी 1993 की अवधि के बीच रोहिणी उप स्टेशन पर कोई विद्युत ट्रांसफार्मर नहीं था।

मंडलीय प्राधिकारियों ने अगस्त 1993 में बताया कि दि.वि.प्र.सं. के पद्धति प्रचालन द्वारा स्थानीय प्रवाह के नियमन किए जाने के बाद उप स्टेशन 66 कि.वा. तथा 11 कि.वा. स्तरों पर क्रियान्वित रहा तथा इस प्रकार यह उप स्टेशन बेकार नहीं रहा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इस अवधि के दौरान उप स्टेशन ने अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं किया तथा दि.वि.प्र.सं. का वर्तमान नेट्वर्क सम्भवत: बिना दायर किए गए छप्परों के द्वारा नियमित अतिरिक्त भार के कारण था।

फरवरी 1993 से, रोहिणी में केवल एक ट्रांसफार्मर का उपयोग हो रहा है तथा 120 एम वी ए का भार वहन किया जा रहा है। पूछताछ समिति, जिसने ट्रांसफार्मरों की असफलता का अध्ययन किया था, ने जुलाई 1993 में बताया कि सामान्य परिस्थितियों के अधीन, उप स्टेशन का भार वहन करने के लिए एक ट्रांसफार्मर अपर्याप्त है।

ट्रांसफार्मरों की असफलता के लिए समिति ने निम्नलिखित सम्भव कारणों का संकेत किया:-

- रोधन असफलता के लिए कारीगरी की घटिया गुणवत्ता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

- प्रतिष्ठापन, चालू करने के लिए उत्तरदायी स्थल अभियन्ता को कार्य का पर्याप्त अनुभव नहीं था।

- ठेकेदार द्वारा चालू करने से पूर्व के परिणाम समुचित रुप से दर्ज नहीं किए गए थे।

- विशेष कर अस्त-व्यस्त प्रचालन स्थितियों मे ऐसे मंहगें तथा बड़े उपकरण को चलाने के लिए प्रचालन तथा अनुरक्षण स्टाफ को पर्याप्त रुप से प्रशिक्षित नहीं किया गया था।

समिति ने इन ट्रांसफार्मरों की असफलता के लिए उत्तरदायित्व नियत नहीं किया था।

समिति ने पाया कि निवारण अनुरक्षण अभिलेख उपयुक्त रुप से अनुरक्षित नहीं किए गए थे तथा परिणामस्वरुप निवारण अनुरक्षण की सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सका।

ट्रांसफार्मर झांसी में भा.है.इ.लि. की कार्यशाला को दिसम्बर 1992 में मरम्मत हेतु भेजे गए थे। एक ट्रांसफार्मर मरम्मत के पश्चात् मई 1993 में प्राप्त हुआ था तथा नजफगढ़ 220 कि.वा. उप स्टेशन पर प्रतिष्ठापित किया गया था। दूसरे ट्रांसफार्मर की अभी मरम्मत की जानी है (अक्तूबर 1993)। इन ट्रांसफार्मरों की मरम्मत की कुल अनुमानित लागत 75.58 लाख रु. हैं जिसमें उनके झांसी लाने पर व्यय किए गए 13.63 लाख रु. शामिल हैं।

(ख) अप्रयुक्त पड़ा हुआ फालतू प्रयोज्य ट्रांसफार्मर तेल

इन दो ट्रांसफार्मरों से 8400 लीटर ट्रांसफार्मर तेल निकाला गया था तथा 420 ड्रमों में रखा गया था। इसमें से 210 ड्रम नजफगढ़ में 220 कि.वा. उप स्टेशन पर भेजे गए थे जबकि 5.46 लाख रु. के मूल्य का शेष तेल जून-सितम्बर 1992 से रोहिणी में अप्रयुक्त पड़ा हुआ था (अक्तूबर 1993)।

(ग) केबिलों का अधिक उपभोग

रोहिणी उप स्टेशन पर उत्थापन कार्य हेतु नियंत्रण केबिलों के लिए उपयोग की जाने वाली मात्रा का अनुश्रवण किए बिना 7.8 लाख रु. का एक मुश्त अनुमान लगाया गया था। इन केबिलों पर वास्तव में 19.58 लाख रु. का व्यय हुआ था।

दि.वि.प्र.सं. ने अक्तूबर 1993 में बताया कि प्रयोग में लाई जाने वाली नियंत्रण केबिलों का ठीक से अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि स्थल आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए मडंल आम तौर पर कार्य के निष्पादन के दौरान केबिलों का साईज एक दूसरे से बदल लेते हैं। इसी कारण से केवल एक मुश्त प्रावधान किया जाता है तथा वास्तविक व्यय अनुमानों के अनुरुप नहीं होता। "आकस्मिकताओं" के अन्तर्गत किए गए प्रावधान के रुप में 151 प्रतिशत अधिक व्यय के उत्तर के औचित्य का पता लगाया जाना है।

(घ) **निधियों का अवरोधन**

बवाना में 400 कि.वा. उप स्टेशन से रोहिणी में 220 कि.वा. आपूर्ति प्राप्त करेन के लिए मार्च 1989 से मई 1990 की अवधि के बीच 31.67 लाख रु. की एक अनुमानित लागत पर एसोसिएटिड स्विच गियर सहित उपकरण की सात मुख्य मदें जैसे सरकट ब्रेकर्स, करंट ट्रांसफार्मर तथा लाईटनिंग अरेस्टर, उत्थापित तथा नमूना उर्जित की गई थी। ये उपकरण अप्रयुक्त पड़े हुए थे क्योंकि बवाना में 400 कि.वा. उप स्टेशन पर बिजली का कार्य अभी प्रारम्भ किया जाना है (सितम्बर 1993)। इसके परिणामस्वरुप मई 1990 से 31.67 लाख रु. की राशि की निधियों का अवरोधन हुआ।

5.2.7 **ठेकेदार को अदेय लाभ**

आदेश की तिथि से क्रमशः 12 मास तथा तीन मास तक सुपुर्द किए जाने के लिए 329.74 लाख रु. की एक लागत पर 40 कि.मी. की ट्रांसमिशन लाईनों के लिए दो टॉवर सामग्रियों की आपूर्ति हेतु दिसम्बर 1988 तथा जुलाई 1989 में एक फर्म को क्रय आदेश दिए गए थे। अनुबन्धों में अर्थदण्ड की निम्नलिखित धारा शामिल की गई थी:-

"निर्धारित तिथि अथवा बढ़ाई गई तिथि के पश्चात् सामग्री की आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता उपक्रम को प्रति सप्ताह अथवा उसके एक भाग के लिए अनुबन्ध के कुल मूल्य के एक प्रतिशत का 1/2 (आधे) पर परिकलित की गई राशि अदा करेगा। इस प्रकार की क्षति का मूल्य कुल अनुबन्ध मूल्य के 10 प्रतिशत तक सीमित होगा।"

फर्म आपूर्ति को समय पर पूरा नहीं कर सकी तथा समय में वृद्धि का उसका अनुरोध दि.वि.प्र.सं. जिसने विलम्ब के आधारों को तर्कसंगत नहीं पाया, द्वारा अक्तूबर 1990 में रद्द कर दिया गया था।

अक्तूबर 1990 में इण्डस्ट्रीयल डिवेलपमेण्ट कार्पोरेशन लि. उड़ीसा (जिसकी फर्म एक सहायक हैं) के मु.प्र.नि. द्वारा आपूर्ति को पूरा न करने के लिए सरकट टॉवरों के लिए बंगलौर से टेस्ट बैडों की प्राप्ति में विलम्ब को एक मुख्य कारण बताते हुए अर्थदण्ड को समाप्त करने का अनुरोध किया गया था। इस अनुरोध के आधार पर दि.वि.प्र.सं. ने जनवरी 1991 में, अर्थदण्ड की धारा को पूर्व प्रभाव से सुधारने तथा "सुपर्द न किए गए/ पूरा न किए गए कार्य का प्रति सप्ताह अथवा उसके एक भाग के लिए एक प्रतिशत का 1/2 (आधा)" प्रभारित करने का निर्णय लिया।

तदनुसार, दि.वि.प्र.से. ने अर्थदण्ड को 32.23 लाख रु. से 6.24 लाख रु. तक कम कर दिया तथा फर्म को 25.99 लाख रु. का अदेय लाभ अनुमत किया।

इन आधारों पर, कि पार्टी ने पहले ही 93.2 प्रतिशत सामग्री आपूर्त की थी, दी गई रियायत तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सुपुर्दगी की निर्धारित तिथि तक दूसरे आदेश के प्रति कोई सामग्री आपूर्त नहीं की गई थी।

उपर्युक्त मुद्दे रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार को दिसम्बर 1993 में भेजे गए थे; उनका उत्तर जनवरी 1994 तक प्रतीक्षित है।

5.3 दि.वि.प्र.सं. के सीमेण्ट भंडारों में सामग्री प्रबन्ध

5.3.1 प्रस्तावना

सीमेंट का प्रापण केन्द्रीय रुप से किया जाता है तथा दि.वि.प्र.सं. के 34 केन्द्रीय भण्डारों में से एक भण्डार में इसे प्राप्त तथा जारी किया जाता है। महा प्रबन्धक, दि.वि.प्र.सं. को पांच लाख रु. तक की लागत का सीमेण्ट खरीदने की शक्ति प्रदान की गई है तथा इससे ऊपर दिल्ली विद्युत आपूर्ति समिति (दि.वि.आ.स.) को सिफारिश की जाती है। सीमेंट के क्रय, भण्डारण तथा निर्गमन की विस्तृत प्रक्रिया दि.वि.प्र.सं. के भण्डार मैनुअल में निर्धारित की गई है, जिसे 1966 से अद्यतन नहीं किया गया है।

5.3.2 लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र

1989-90 से 1992-93 के वर्षों में सीमेंट के प्रापण, भण्डारण तथा उपयोग से सम्बन्धित अभिलेखों की जून 1993 से अक्तूबर 1993 के दौरान लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई थी।

*5.3.3 विशिष्टताएं

- **दि.वि.प्र.सं. सीमेंट की प्रति वर्ष मांग के प्रक्षेपण की गणना के विवरण लेखापरीक्षा को दिखाने में असमर्थ था। वे प्रक्षेपण बहुत अधिक बढ़े हुए पाए गए थे।**

- **दि.वि.प्र.सं. के प्रक्षेपण प्रयास अपर्याप्त पाए गए थे। 1989-92 के दौरान आदेशित 95224 मी.ट. सीमेंट में से केवल 50844 मी.ट. सीमेंट प्राप्त किया गया था।**

- **दि.वि.प्र.सं. के विभिन्न विंगों ने लगातार कई वर्षों से अपनी बहियों का समाधान नहीं किया है। परिणामस्वरुप, सीमेंट आपूर्तिकर्ताओं को किए गए अग्रिम भुगतान के आंकड़े 31 मार्च 1989 को 286 लाख रु. से 31 मार्च 1991 (इस तिथि के पश्चात् दि.वि.प्र.सं. कोई आंकड़े उपलब्ध कराने में असमर्थ था) को 654 लाख रु. तक बढ़ गए थे।**

- दि.वि.प्र.सं. ने नमूना तोल अथवा गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कोई सुव्यवस्थित, विवेकपूर्ण प्रक्रिया विकसित नहीं की थी।

- 1991-93 के दौरान सीमेंट के जांच किए गए पांच नमूनों में से, एक घटिया स्तर का पाया गया था। तथापि, 38.45 लाख रु. के मूल्य का समस्त सीमेंट परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति से पूर्व ही कार्य में उपयुक्त किया गया था।

5.3.4 वित्तीय परिव्यय

1989-90 से 1992-93 की अवधि के लिए सीमेंट की खरीद पर किए गए वास्तविक व्यय तथा संशोधित बजट अनुमानों के आंकड़े नीचे दिये गये अनुसार हैं:-

तालिका 5.3.4- सीमेंट पर किया गया वास्तविक व्यय एवं अनुमान

लाख रुपयों में

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	बचत
1989-90	560	212	348
1990-91	660	262	398
1991-92	650	278	372
1992-93	1100	339	761

वर्षानुवर्ष बचत, अपेक्षित मांग के प्रति दिए गए आदेशों से हमेशा आपूर्ति में कमी रहने के कारण थी।

5.3.5 सीमेंट की अधिप्राप्ति

(क) मांग का स्फीत प्रक्षेपण

वार्षिक मांग 1989-90 से 1991-92 के वर्षों में 30000 मी.ट. तथा 1992-93 में 45200 मी.ट. निर्धारित की गई थी। दि.वि.प्र.सं. ने बताया (सितम्बर 1993) कि सीमेंट की वार्षिक मांग का प्रारम्भिक निर्धारण, दि.वि.प्र.सं. में सभी मंडलों की मांग को जोड़ कर परिकलित किया जाता है। परन्तु वह परिकलन के विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करने में असमर्थ था (अक्तूबर 1993)।

1991-92 और 1992-93 के दौरान सीमेंट बैगों की कुल प्राप्तियां तथा निर्गमन निम्न प्रकार से थी:-

तालिका 5.3.5 (क)- सीमेंट बैगों की प्राप्ति एवं निर्गमन

(मीट्रिक टनों में)

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	निर्गमन	अन्त शेष
1989-90	-	17488	-	-
1990-91	-	16712	-	-
1991-92	891	18068	18869	90
1992-93	90	20779	18775	2094

वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

उपर्युक्त तालिका से यह ज्ञात होगा कि दि.वि.प्र.सं. के केन्द्रीय भण्डार से सीमेंट की औसत वार्षिक निकासी प्रत्येक वर्ष 18822 मीट्रिक टन थी। 1992-93 में, केवल इसी वर्ष सीमेंट की प्राप्ति की औसत बढ़ी थी, समस्त अतिरिक्त प्राप्ति स्टॉक में पड़ी हुई पाई गई थीं। इससे यह पता चलता है कि दि.वि.प्र.सं. प्रत्येक वर्ष लगभग 18822 मी.ट. से अधिक सीमेंट का उपयोग करने में सक्षम नहीं है। अत: इसकी वार्षिक मांग के प्रक्षेपण अत्याधिक स्फीत प्रतीत होते हैं।

(ख) कम आपूर्ति

निम्नलिखित तालिका 1989-90 से 1992-93 वर्षों के दौरान दिए गए क्रय आदेशों के प्रति सीमेंट की प्राप्ति को दर्शाती है:-

तालिका 5.3.5 (ख)- आदेश के प्रति सीमेंट की प्राप्ति

(मीट्रिक टनों में)

वर्ष	आदेशित मात्रा	आपूर्तित मात्रा	आपूर्तित प्रतिशतता	बकाया आपूर्ति की मात्रा
1989-90	*35224	17488	50	17736
1990-91	33000	16712	51	16288
1991-92	27000	16644	62	10356
1992-93	43564	19474	45	24090

* इसमें पुराने पांच विक्रेताओं, जिनके प्रति मार्च 1989 को 68.23 लाख रु. के मूल्य के अग्रिम बकाया थे, द्वारा आपूर्त किया जाने वाला 4874 मी.ट. सीमेंट शामिल हैं। 2340 मी.ट. उनसे 1989-90 में प्राप्त किया गया था।

तालिका दर्शाती है कि मार्च 1992 को आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए आदेशों के प्रति 44380 मी.ट. सीमेंट की आपूर्ति बकाया थी जिसमें से 21798 मी.ट. भा.सी.का. के प्रति तथा शेष अन्य छः के प्रति बकाया थी। जबकि अन्य छः के प्रति कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है, भा.सी.का. को 10000 मी.ट. का एक अतिरिक्त आदेश दिया गया था तथा पहले से ही समायोजन हेतु लम्बित अग्रिमों के बावजूद उसे 114 लाख रु. का अग्रिम दिया गया था। भा.सी.का. ने मार्च 1993 तक इस आदेश के प्रति आपूर्तियां प्रारम्भ नहीं की थीं।

यह साफ प्रकट होता है कि दि.वि.प्र.सं. क्रय आदेश देते समय आपूर्तिकर्ताओं की सक्षमता का आकलन नहीं कर सका। बार-बार उनके द्वारा की जा रही चूकों के बावजूद आपूर्तिकर्ताओं को नए आदेश दिए गए थे तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि, आपूर्तियां आदेशों की पूर्ति के लिए ही प्राप्त की गई थी, दि.वि.प्र.सं. द्वारा कोई उपचारी कार्यवाही नहीं की गई थी।

अप्रैल 1992 में, एक प्राईवेट फर्म V-क के साथ किया गया एक अनुबन्ध रद्द कर दिया गया था क्योंकि आपूर्तियां, उनको दिए गए आदेशों से हमेशा कम थी तथा आपूर्त की गई सामग्री घटिया स्तर की थी। चूंकि दि.वि.प्र.सं. ने फर्म द्वारा प्रतिभूमि के रुप में 4.3 लाख रु. के जमा को सुनिश्चित नहीं किया था, वह इस राशि को जब्त करने में असमर्थ था।

20048 मी.ट. सीमेंट की शेष मात्रा के लिए तीन फर्मों को आदेश दिए गए थे जो कि फर्म V क द्वारा अवरोक्त के जोखिम तथा लागत पर बिना आपूर्त किए ही रहा। इस कारण से फर्म से 26 लाख रु. वसूली योग्य थे, जो कि उनके प्रति 1.09 लाख रु. के पड़े असमायोजित अग्रिमों के अतिरिक्त है।

सीमेंट भण्डार, जब मांग के प्रति जारी करने के लिए सीमेंट नहीं होता तो दिए गए अनुपलब्धता प्रमाण पत्रों का अभिलेख नहीं रखता है। परिणामस्वरुप, लेखापरीक्षा परियोजना लक्ष्यों पर सीमेंट की अनुपलब्धता के पड़े प्रभाव का आकलन करने में समर्थ नहीं थी।

(ग) विलम्बित आपूर्तियों पर कोई अर्थदण्ड नहीं लगाया गया

भा.सी.का. के साथ किए गए अनुबन्ध में 1992-93 तक अर्थदण्ड के उद्ग्रहण की कोई धारा नहीं थी। यद्यपि यह धारा 1992-93 के क्रय आदेश में शामिल थी, भा.सी.का. द्वारा वर्ष के लिए क्रय आदेश के प्रति आपूर्ति प्रारम्भ न किए जाने पर अभी कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई है तथा फरवरी 1993 के बाद आपूर्तियां बन्द कर दी गई थी। अन्य सभी आपूर्तिकर्ताओं से कोई अर्थदण्ड प्रभारित नहीं किया गया था, यद्यपि अनुबन्ध में, विलम्ब अथवा आपूर्ति न किए जाने के मामले में 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा की शर्त के साथ प्रति सप्ताह आधा से एक प्रतिशत का अर्थदण्ड नियत था। 1992-93 में, एक फर्म ने आदेशित मात्रा के केवल 25 प्रतिशत की आपूर्ति की परन्तु उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई थी (सितम्बर 1993)।

5.3.6 अग्रिमों का भुगतान

भण्डार में सीमेंट की प्राप्ति की स्टोरकीपर द्वारा चालान की दोहरी प्रति पर पावती दी जाती है। भा.सी.का. के साथ 1989 में किए गए अनुबन्ध की शर्तों में यह प्रावधान था कि 90 प्रतिशत अग्रिम की अदायगी विधिवत् स्वीकृत चालान को प्रस्तुत करने पर की जाएगी तथा शेष अदायगी भण्डार द्वारा सामग्री के अनुमोदन के पश्चात् की जाएगी।

इस शर्त की 1991-92 में छूट दे दी गई थी जिससे भा.सी.का. सुपुर्दगी से पूर्व 100 प्रतिशत अग्रिम आहरित कर सकती थी। यही छूट प्राईवेट फर्म V- क के लिए भी लागू थी।

1992-93 में, भा.सी.का. इस छूट का लाभ उठाती रही, परन्तु अन्य तीन आपूर्तिकर्ताओं के लिए इसे सुपुर्दगी के प्रति 98 प्रतिशत तक संशोधित कर दिया गया था तथा शेष 2 प्रतिशत वस्तुओं के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जाता था।

(क) समाधान किये बिना अग्रिमों में बढ़ोतरी

1991-92 तथा 1992-93 वर्षों के लिये लेजर खातों को अभी तक अन्तिम रुप नहीं दिया गया है तथा इन वर्षों मे असमायोजित अग्रिम निर्धारित नहीं किए जा सके।

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से पता चला था कि असमायोजित अग्रिम 1988-89 में 286 लाख रु., 1989-90 में 521 लाख रु. तथा 1990-91 में 654 लाख रु. थे।

यह पाया गया था कि 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान, आपूर्ति की शर्तों के विरुद्ध भण्डार में सीमेंट की थैलियों की सुपुर्दगी से पूर्व आपूर्तिकर्ताओं को 100 प्रतिशत के अग्रिम दिए जा रहे थे।

यह देखा गया था कि 31 मार्च 1991 को, क्रय अनुभाग के अभिलेखों में दर्शाए गए अग्रिम निम्नलिखित मामलों में स्टोर बिलिंग अनुभाग में दर्ज की गई राशियों से भिन्न थे:-

तालिका 5.3.6 (क)- समाधान न किए गए अग्रिम

(लाख रुपयों में)

आपूर्तिकर्ताओं के नाम	31.3.1991 को बकाया अग्रिम		अन्तर
	स्टोर बिलिंग अनुभाग में	क्रय अनुभाग में	
फर्म V-ख	134.3	34.9	99.4
फर्म V- ग	13.0	0.3	12.7
फर्म V- ड.	16.5	4.6	11.9
फर्म V- च	6.9	शून्य	6.9
फर्म V- छ	26.0	शून्य	26.0
जोड़	196.7	39.8	156.9

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि दि.वि.प्र.सं. के क्रय तथा बिलिंग मंडल इन आंकड़ों का मिलान नहीं कर रहे थे। परिणामस्वरूप, दि.वि.प्र.सं., विभिन्न फर्मों, जिनसे सीमेंट अभी प्राप्त होना है, के प्रति बकाया अग्रिमों के सही आंकड़ों का पता लगा पाने में असमर्थ है।

(ख) सीमेंट की प्राप्ति के लेखांकन में कमियां

सीमेंट की प्राप्ति के लेखांकन में भी अनेक त्रुटियां देखी गई थी। उदाहरणार्थ, मार्च 1992 के अन्त में भा.सी.का. के प्रति लेखापरीक्षा द्वारा परिकलित किया गया सीमेंट का कुल बकाया 21798 मी.ट. था जबकि दि.वि.प्र.सं. द्वारा बताई गई मात्रा केवल 17516 मी.ट. थी। 1989-90 में, दि.वि.प्र.सं. के भण्डारों में से लेखापरीक्षा द्वारा किए गए परिकलन के अनुसार प्राप्त 17488 मी.ट. सीमेंट में से दि.वि.प्र.सं. द्वारा केवल 15148 मी.ट. सीमेंट लेखाबद्ध की गयी थी।

इसी प्रकार, अगस्त 1989 में भण्डार द्वारा स्टोर बिलिंग अनुभाग को प्रस्तुत की गई एक पावती ने 1739 बैगों की प्राप्ति एवं अनुमोदन दर्शाया जबकि उनके द्वारा स्टोर बिलिंग अनुभाग को प्रस्तुत बिल के अनुसार भा.सी.का. द्वारा केवल 600 बैग ही आपूर्त किए गए थे। इस अन्तर का समाधान नहीं किया गया था (नवम्बर 1993)।

इससे दि.वि.प्र.सं. की प्राप्तियों के लेखांकन की पद्धति की गम्भीर त्रुटियों का पता चलता है।

(ग) भा.सी.का. को अग्रिमों की अधिक अदायगी

1989-90 से 1992-93 के दौरान भा.सी.का. द्वारा आपूर्त की गई सीमेंट के मूल्य तथा उसे अग्रिमों की अदायगी की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि:-

- प्रतिवर्ष कई अवसरों पर भा.सी.का. को अग्रिम भुगताने की गई थी, यद्यपि जिन आपूर्तियों के प्रति भुगतान नहीं किए गए थे, भावी प्राप्तियां को कवर करने के लिए पर्याप्त थी। उदाहरणार्थ, अक्तूबर 1991 में कम्पनी को 50 लाख रु. का नया अग्रिम दिया गया था, यद्यपि 110 लाख रु. का बकाया अग्रिम अक्तूबर 1991 मास में की गई 34 लाख रु. की राशि की ही आपूर्तियां कवर कर सका। इसके परिणामस्वरुप, जिन अग्रिमों के प्रति सीमेंट प्राप्त नहीं हुई थी मार्च 1989 में 46 लाख रु. से बढ़ कर मार्च 1993 में 138 लाख रु. हो गये।
- एक मामले में, मार्च 1991 में, यद्यपि भुगतान किए जाने वाले अग्रिम की राशि 108.6 लाख रु. परिकलित की गई थी, 126.9 लाख रु. की एक राशि का भुगतान किया गया था, जिसके परिणामस्वरुप 18.3 लाख रु. का अधिक भुगतान हुआ।
- 1989-90 के दौरान, भा.सी.का. को 270 लाख रु. अग्रिम के रुप में दिये गये थे जिसके प्रति फर्म ने 70 रु. प्रति बैग की दर से 212 लाख रु. मूल्य के बैग आपूर्त किए। जुलाई 1990 में, 77 रु. प्रति बैग की दर पर सीमेंट की आपूर्ति हेतु एक नया क्रय आदेश जारी किया गया था। पूर्व आदेश के प्रति बाद में की गई आपूर्तियां भी उच्च दरों पर समायोजित की गई थी, जिसके कारण फर्म को 18.61 लाख रु. का अदेय लाभ हुआ।
- इसके अतिरिक्त एक पूर्व क्रय आदेश के प्रति अप्रैल तथा मई 1990 में आपूर्त किये गये 38199 बैग 77 रु. प्रति बैग की दर पर समायोजित किए गए थे, जिससे फर्म को 2.50 लाख रु. का अदेय लाभ हुआ।

5.3.7 सीमेंट बैगों का तौलीकरण

सीमेंट, पटसन अथवा उ.घ.पौ.* के प्रत्येक बैग में 50 कि.ग्रा.सीमेंट भर कर, आपूर्त किया जाता है। नमूना/बेतरतीब जांचों सहित बिक्रियों के तौलीकरण के लिए मानक पद्धतियां हैं। इन मानकों में यह निर्धारित है कि एक नमूने में औसत निवल मात्रा निर्दिष्ट मात्रा के समान अथवा उससे अधिक होगी।

सीमेंट बैगों के तौलीकरण से सम्न्धित भण्डार के अभिलेखों की एक नमूना जांच से निम्नलिखित त्रुटियां प्रकट हुई:-

- स्टोर बिलिंग अनुभाग के अभिलेखों से पता चला कि भण्डार में प्राप्त बैगों के भार की मार्च 1991 तक जांच नहीं की गयी थी।

* उच्च घनत्व पौलिथिलीन

- केन्द्रीय भण्डार पर तौलीकरण हेतु कोई सुविधाएं नहीं है तथा एक चालान पर भण्डार में भेजे गए ट्रकों की कुल संख्या में से कुछ ट्रकों को चुन कर प्राईवेट धर्मकांटों पर कम्प्यूटीकृत तौल के लिए भेजने की प्रथा प्रचलित है। तौल पर की गई लागत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अदा की जाती है। आधा दर्जन से अधिक कांटों, जिनके साथ दि.वि.प्र.सं. का औपचारिक अनुबन्ध नहीं है, से तौली करण पर्चि स्वीकार की जाती है।
- भरे हुए ट्रकों का भार तथा दि.वि.प्र.सं. के भण्डारों में ट्रकों को खाली करने के बाद उनका भार लिया जाता है तथा इन दोनों के बीच का अन्तर प्राप्त सीमेंट के औसत निवल भार के रुप में लिया जाता है।

खाली ट्रक का भार उसके औजारों तथा प्रसाधनों जैसे अतिरिक्त पहियों, टंकियों में पैट्रोल की मात्रा आदि पर निर्भर करता है तथा इन दोनों भारों के बीच यदि कोई परिवर्तन होता है तो बैगों के औसत भार के आंकड़े बदल जाएंगे। विभिन्न तिथियों को एक ही ट्रक के वजन में 300 से 800 कि.ग्रा. तक का अन्तर पाया गया। इस प्रकार, तौलीकरण पर्चियों पर दर्ज की गई निवल भार की मात्रा प्रमाणित नहीं की जा सकी।

निम्न तालिका 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान दि.वि.प्र.सं. के भण्डार में प्राप्त सीमेंट बैगों के औसत भार के विवरण दर्शाती है:-

तालिका 5.3.7- सीमेंट बैगों का औसत भार

	बैगों की संख्या	
	1991-92	**1992-93**
कुल प्राप्त बैगों की संख्या	332883	389482
कुल तोले गए बैगों की संख्या	17129	276827
प्रति बैग औसत भार कि.ग्रा. में		
i) पूरे 50 तथा ऊपर	4360	146428
ii) 50-49	5770	108176
iii) 49-48	2220	18973
iv) 48 से कम	4779	3250
50 कि.ग्रा. से कम भार के बैगों की कुल संख्या	12769	130399

- उपर्युक्त तालिका से यह देखा जाएगा कि प्राप्त बैगों में से 5 प्रतिशत बैगों का 1991-92 में नमूना भार किया गया था, जबकि 1992-93 में यह प्रतिशतता बहुत तेजी से बढ़ी तथा उस वर्ष के दौरान यह प्रतिशतता प्राप्त बैगों के लगभग तीन चौथाई तक पहुंच गई।

- कुल कम भार 1991-92 में 31798 कि.ग्रा. था जबकि 1992-93 में यह 75112 कि.ग्रा. था। 1991-92 में तोले गए कुल बैगों में से 74 प्रतिशत तथा 1992-93 में तोले गए 47 प्रतिशत औसत बैगों में औसत वजन 50 कि.ग्रा. से कम था।

- धर्म कांटों से प्राप्त वजन की पर्चियों में दर्ज की गई कम वजन की मात्रा स्टोरकीपर द्वारा आपूर्तिकर्ता के चालान में नोट नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, जब चालान की प्रतियां स्टोर बिलिंग अनुभाग को प्रस्तुत की गई थी, तो उसने आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों के प्रति समायोजित राशि में से कम वजन की लागत नहीं घटाई थी। स्टोर बिलिंग अनुभाग की प्राप्ति पर्चियों पर कम वजन को दर्शाने की प्रथा भी दिसम्बर 1992 से बन्द कर दी गई थी। तथापि, जिन ठेकेदारों को कार्यों में उपयोग हेतु ये सीमेंट बैग जारी किए गए थे, उन्हें धर्म कांटे की वजन की पर्चियों में दर्शाए गए कम वजन के लिए क्रेडिट दिया गया था। उन मामलों में जहां धर्म कांटे की पर्चियों ने 50 कि.ग्रा. से अधिक वजन दर्शाया था, ठेकेदार को जारी की गई अतिरिक्त सीमेंट की मात्रा की वसूली नहीं की गई थी। 1991-93 के दौरान, असमायोजित कम वजन के प्रति सीमेंट आपूर्तिकर्ताओं को दिया गया अदेय लाभ 1.77 लाख रु. का था, जबकि 50 कि.ग्रा. से अधिक के बैगों की लागत की वसूली न किए जाने के कारण ठेकेदारों को दिया गया अदेय लाभ 2.09 लाख रु. का था।

5.3.8 गुणवत्ता नियंत्रण

क्रय आदेशों में यह शर्त के रुप में निर्धारित किया गया था कि फर्म V- क के मामले में प्रत्येक क्षेप के साथ फैक्टरी परीक्षण प्रमाण-पत्र तथा अन्य आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त प्रत्येक ढेर के लिए सरकार से अनुमोदित परीक्षण गृह से एक परीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दि.वि.प्र.सं. ने भी आपूर्तियों में से बेतरतीब नमूनों के चयन हेतु अधिकार सुरक्षित रखा।

वर्ष 1992-93 से पूर्व प्राप्त आपूर्तियों से ली गई बेतरतीब या तो नमूनों की संख्या अथवा नमूनों की जांच के परिणामों को दर्शाने के लिए कोई रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किया गया था। 1992-93 में, यद्यपि भण्डारों में सीमेंट से भरे हुए 1463 ट्रक प्राप्त किए गए थे, वर्ष के दौरान नमूने केवल तीन बार ही लिए गए थे।

आपूर्तिकर्ता की फाईल की संवीक्षा से पता चला कि 1991-92 के दौरान फर्म V- क से प्राप्त आपूर्तियों से लिए गए दो नमूनों में से, अक्तूबर 1991 में लिया गया एक नमूना सम्पीड़क क्षमता तथा ध्वनि में भा.मा.सं. के प्रतिमानों को पूरा करने में असफल रहा।

इस प्रकार अप्रैल 1991 से जनवरी 1992 के दौरान फर्म V- क द्वारा आपूर्त 38.45 लाख रु. मूल्य के 42494 सीमेंट बैग निर्धारित मानक से कम थे।

इस नमूने की रिपोर्ट 5 मास के पश्चात् मार्च 1992 में प्राप्त हुई थी। सीमेंट, एक तीव्रता से इस्तेमाल हाने वाली मद होने के कारण, आपूर्त सामग्री पहले ही निर्माण कार्यों को जारी की जा चुकी थी तथा जिस समय तक यह पता चला कि वह घटिया स्तर की है, उसे प्रयोग में लाया जा चुका था।

रिपोर्ट की प्राप्ति पर, क्रय अनुभाग ने आपूर्तिकर्ताओं को, अन्य सरकारी प्रयोगशाला के प्रमाण पत्र सहित, यह बताते हुए कि सीमेंट भा.मा.सं. के प्रतिमानों की अपेक्षाओं की पुष्टि करता था, एक विनिर्माता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध करते हुए, मई 1992 में एक पत्र जारी किया।

आपूर्तिकर्ता को दिया गया क्रय आदेश अप्रैल 1992 में रद्द हो जाने के कारण कोई अर्थदण्ड प्रभारित नहीं किया जा सका।

फैक्टरी परीक्षण रिपोर्टों की प्राप्ति पर निगरानी के लिए भण्डार में कोई पृथक रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किया जा रहा है, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई परीक्षण गृह रिपोर्टें, उनके द्वारा आपूर्त किये गये क्षेपों पर नहीं थी।

फर्म V-ज ने नवम्बर 1992 में 20000 बैग आपूर्त किए, परन्तु क्षेप के साथ प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र, दिसम्बर 1989 में लिए गए नमूनों पर फरवरी तथा मार्च 1990 में किए गए परीक्षणों पर था।

एक अन्य फर्म V-झ द्वारा प्रस्तुत किया गया एक प्रमाण पत्र जुलाई 1992 में लिए गए नमूनों से सम्बन्धित था जबकि कम्पनी ने दि.वि.प्र.सं. को नवम्बर 1992 से सीमेंट की आपूर्ति प्रारम्भ की थी। इसी प्रकार फर्म V-च ने केवल नवम्बर 1992 से ही सीमेंट की आपूर्ति प्रारम्भ की थी परन्तु फर्म द्वारा आपूर्त सीमेंट के साथ संलग्न प्रमाण-पत्र, अगस्त 1992 में लिए गए नमूने से सम्बन्धित था।

आपूर्तिकर्ता भी आपूर्ति के प्रत्येक ढ़ेर के साथ नियमित रुप से फैक्ट्री परीक्षण रिपोर्टें प्रस्तुत नहीं कर रहे थे। फर्म V- क ने अगस्त 1991 के पश्चात् कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। नवम्बर 1992 के पश्चात् फर्म V- झ से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी तथा फर्म V- च ने नवम्बर 1992 से मार्च 1993 तक कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी।

अप्रयुक्त मुद्दे रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार को दिसम्बर 1993 में सूचित किए गए थे; उनका उत्तर जनवरी 1994 तक प्रतीक्षित है।

5.4 सफाई कर्मचारियों के लिए आवासों का निर्माण

5.4.1 प्रस्तावना

दि.न.नि. के सामान्य विंग में उपस्थिति पंजिका में 28146 सफाई कर्मचारी हैं, जिनमें से 31 मार्च 1993 तक केवल 440 कर्मचारियों को स्टाफ क्वार्टर मुहैया किये गए थे।

अप्रैल 1989 में, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस द्वारा हड़ताल को विफल करने के लिए, गृह मंत्रालय ने, दि.न.नि. में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को नौकरी के दौरान किश्तों पर मकान मुहैया कराने के लिए 20000 आवासों के निर्माण हेतु डा. अम्बेडकर सेनटेनरी आवास योजना के नाम से एक योजना प्रारम्भ की।

अक्तूबर 1989 में अनुमोदित योजना में 305 करोड़ रु. की लागत पर पांच वर्ष के लिए प्रति वर्ष 4000 आवासों के निर्माण पर विचार किया गया था। परियोजना पर निर्माण कार्य निगम के अभियन्ता विभाग द्वारा नियोजित एवं निष्पादित किया गया था।

5.4.2 लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र

निगम के अभियन्ता विभाग के छः मण्डलों द्वारा 1990-91 से 1992-93 के वर्षों के दौरान सफाई कर्मचारियों के लिए मकानों के निर्माण से सम्बन्धित अनुरक्षित अभिलेखों की जून 1993 से अगस्त 1993 के बीच लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई थी।

5.4.3 विशिष्टताएं

- **मार्च 1993 तक निर्मित किए जाने वाले 20000 मकानों के एक लक्ष्य के प्रति 3.85 करोड़ रु. की लागत से अगस्त 1993 तक केवल 640 मकान बनाए गए हैं; अन्य 960 मकानों पर निर्माण कार्य प्रगति में है। दि.न.नि. के पास उपलब्ध भूमि पर 2580 से अधिक मकान नहीं बनाए जा सकते हैं।**

- **दि.न.नि. को भूमि आबंटित करने के लिए दि.वि.प्रा. के बार-बार मना करने के बावजूद अप्रैल 1991 में उन्हें 1.2 करोड़ रु. की राशि का भुगतान किया गया था। दि.वि.प्रा. के पास पड़े हुए इस जमा के प्रति कोई भूमि आबंटित नहीं की गई है।**

- **दि.न.नि. द्वारा किए गए विलम्ब के कारण रोहिणी में 640 मकानों की निर्माण लागत में वृद्धि के रुप में 23.99 लाख रु. का भुगतान किया गया था।**

- **दि.न.नि., कर्मचारियों की मकानों के लिए भुगतान करने की सक्षमता के अनुसार उपयुक्त योजना बनाने में असफल रहा; 640 निर्मित मकानों के आबंटन के लिए केवल 38 आवेदक ही अहर्ता प्राप्त कर सके।**

5.4.4 लक्ष्य एवं उपलब्धियां

सफाई कर्मचारियों को आबंटन हेतु प्रत्येक वर्ष 4000 मकान बना कर 1989-90 से प्रारम्भ पांच वर्षों में 305 करोड़ रु. की लागत पर 20000 मकानों का निर्माण किया जाना था। योजना की कुल लागत को 136 करोड़ रु. तक कम करते हुए तथा प्रत्येक मकान की लागत को 68000 रु. तक कम करके मकानों के नक्शे तथा रुपरेखा 1990 में परिवर्तित कर दी गई थी। उसी वर्ष में, वार्षिक लक्ष्य भी, प्रति वर्ष केवल 500 मकान बनाने के हिसाब से संशोधित कर दिए गए थे।

निगम इस संशोधित लक्ष्य को भी पूरा नहीं कर सका तथा अगस्त 1993 तक 384.73 लाख रु. की लागत पर 640 मकानों का सिविल निर्माण कार्य पूरा किया गया है। आगे, 960 मकान निर्माण के विभिन्न स्तरों पर थे तथा मार्च 1993 तक 462.21 लाख रु. का व्यय किया गया था। सभी 640 निर्मित मकान दिसम्बर 1993 तक अनआबंटित पड़े हुए थे।

दि.न.नि. के कब्जे में केवल 41.23 एकड़ भूमि ही है, जिसके ऊपर 2580 मकानों से ज्यादा मकान नहीं बनाए जा सकते हैं, जैसा कि तालिका में दिया गया है:-

तालिका 5.4.4 - भूमि की उपलब्धता

	स्थान	उपलब्ध भूमि (एकड़ों में)	मकानों की संख्या
1.	रोहिणी	9.07	640
2.	नन्द नगरी	7.69	380
3.	जहांगीर पुरी	18.25	1100
4.	सुन्दर नगरी	6.22	460
	जोड़	**41.23**	**2580**

5.4.5 अवास्तविक लागत अनुमान

अक्तूबर 1989 में तैयार किया गया अनुमान नवम्बर 1990 में संशोधित कर दिया गया था, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:-

तालिका 5.4.5- लागत अनुमान

(लाख रुपयों में)

	अक्तूबर 1989 में	नवम्बर 1990 में
भूमि	0.17	0.14
विकास कार्य	0.13	0.16
भवन	1.23	0.38
प्रति मकान लागत	1.53	0.68
20000 मकानों के लिए	30500	13600

मूल तथा संशोधित दोनों अनुमान लेखापरीक्षा में अवास्तविक पाए गए थे। मूल अनुमान में भूमि की लागत 10 लाख रु. प्रति एकड़ अनुमानित की गई थी। संशोधित अनुमान में, यह निम्न दर अर्थात् 8.23 लाख रु. प्रति एकड़ रखी गई थी। इन दोनों अनुमानों के प्रति, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 1990 के लिए (नरेला तथा बाहरी क्षेत्रों को छोड़ते हुए) नियत भूमि की बाजार-दर अनुसूची में उद्धृत न्यूनतम दर पश्चिमी दिल्ली में 14.93 लाख रु. तथा शेष दिल्ली के लिए 19.27 लाख रु. थी। केवल रोहिणी में बनाए गए मकानों के लिए भवन निर्माण कार्य की अनुमानित लागत, भूमि तथा स्थल के विकास की लागत को छोड़कर, 93000 रु. है।

5.4.6 ऋण की गैर अदायगी

दि.न.नि. को ब्याज पर 12.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ऋण के आहरण के एक वर्ष पश्चात् से शुरु होने वाली 15 वार्षिक किश्तों में वापस किए जाने के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार द्वारा दो वर्षों अर्थात 1990-91 तथा 1991-92 में 490 लाख रु. का ऋण दिया गया था।

31 मार्च 1993 को 106.94 लाख रु. की राशि पुनर्अदायगी हेतु देय थी, जिसका दि.न.नि. द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। इसके ऊपर 2.75 प्रतिशत की दर पर अगस्त 1993 तक 2.41 लाख रु. का दाण्डिक ब्याज भी देय होगा।

दि.न.नि. ने बताया (दिसम्बर 1992) कि उसके पास निधियों की कमी होने के कारण ऋण की पुनअदायगी नहीं की गई थी तथा रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार को ऋणों को सहायक सुस्पष्ट अनुदानों में परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया था।

5.4.7 निधियों के अवरोधन के परिणामस्वरुप ब्याज की हानि

इस परियोजना के लिए अपेक्षित 250 एकड़ भूमि की लागत के प्रति अप्रैल 1991 में दि.वि.प्रा. के पास 1.2 करोड़ रु. जमा कराए गए थे। दिसम्बर 1991 में, दि.वि.प्रा. ने भूमि को आबंटित करने से मना कर दिया तथा चैक को मूल रुप में वापिस कर दिया। यह चैक दि.वि.प्रा. को फरवरी 1992 में वापिस भेजा गया था। तथापि, दि.वि.प्रा. द्वारा अगस्त 1993 तक कोई भूमि आबंटित नहीं की गई है तथा दि.वि.प्रा. ने दि.न.नि. को राशि वापिस नहीं की है।

दि.वि.प्रा. से कोई मांग आए बिना निगम की चैक भेजने की कार्यवाही के परिणामस्वरुप वर्तमान बाज़ार दरों पर 52.20 लाख रु. की राशि के ब्याज की हानि के अतिरिक्त 1.2 करोड़ रु. की राशि की निधियों का अवरोधन हुआ।

5.4.8 निर्माण में विलम्ब के कारण लागत में वृद्धि

रोहिणी में 800 यूनिटों के निर्माण का कार्य, प्रत्येक ग्रुप में 46.46 लाख रु. की निविदागत लागत से 55 प्रतिशत अधिक पर अप्रैल 1991 में आठ ठेकेदारों को सौंपा गया था।

निर्माणकार्य अप्रैल 1992 में पूरा किया जाना निर्धारित था। प्रत्येक ग्रुप में निर्माण कार्य का सिविल भाग अक्तूबर 1992 तक पूरा कर लिया गया था तथा बिजली का कार्य अगस्त 1993 को प्रगति में था। पांच मास का विलम्ब निम्नलिखित में विलम्ब के कारण था:-

तालिका 5.4.8 - विलम्ब के कारण

	दिन
स्पष्ट स्थल को सौंपना	93
नक्शों तथा आरेखण का सौंपना	25
भण्डारों से सीमेंट तथा स्टील की आपूर्ति करना	59

विलम्ब के परिणामस्वरुप, मार्च 1993 तक ठेकेदारों को लागत वृद्धि के रुप में 23.99 लाख रु. का भुगतान किया गया था।

5.4.9 समयपुर बादली में मकानों का निर्माण

(क) विवादित भूमि पर निर्माण कार्य सौंपना

दिसम्बर 1990 में समयपुर बादली में 278.8 लाख रु. की लागत पर छः वर्गों में 600 मकानों के निर्माण हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई थी।

निर्माण हेतु चुना गया स्थल पुराने स्टाफ क्वार्टरों तथा झुग्गी-झोपड़ी (स्लम) समूहों द्वारा अधिकृत किया हुआ था, जो पूरी तरह से बसा हुआ है। स्थल का सीमांकन करने के प्रयास कई बार किए गए थे लेकिन स्लम निवासियों के एक वर्ग द्वारा विरोध करने के कारण, निर्माणकार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका।

वैकल्पिक स्थल नन्दनगरी तथा जहांगीरपुरी में अभिज्ञात किये गये थे तथा निर्माण कार्य नीचे दिये गये अनुसार आरंभ किया गया था:-

तालिका 5.4.9 (क) - निर्माण कार्य का सौंपना

वर्ग	नए स्थान का नाम	निर्माण कार्य आरंभ करने की वास्तविक तिथि
I	नन्द नगरी	मार्च 1992
II	नन्द नगरी	फरवरी 1992
III	जहांगीरपुरी	अप्रैल 1993
IV	जहांगीरपुरी	फरवरी 1993
VI	नन्द नगरी	फरवरी 1992
	मकानों की कुल संख्या	**500**

यह अवलोकित किया गया था कि जहांगीरपुरी में ग्रुप-III, IV के लिये निर्माण कार्य आरम्भ करने में विलम्ब हुआ था, जबकि यह स्थल शीघ्रातिशीघ्र जून 1992 में वैकल्पिक स्थल के रुप में अभिज्ञात किया गया था। ग्रुप V के संबंध में, अभी तक कोई वैकल्पिक स्थल नहीं चुना गया है।

स्थल के परिवर्तन तथा ठेकेदार को स्पष्ट स्थल उपलब्ध कराने में एक वर्ष से अधिक समय का विलम्ब होने से क्षतिपूर्ति दावों तथा लागत में वृद्धि हो सकती है। ग्रुप IV के निर्माण कार्य का केवल 10 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है, जिसके लिए 14.52 लाख रु. (संविदात्मक राशि का 20 प्रतिशत) दिए गए हैं।

(ख) नन्दनगरी (300 यूनिट) में निर्माणकार्य की धीमी प्रगति

नन्दनगरी में निर्माणकार्य (ग्रुप I, II एवं VI) जून 1993 तक पूर्ण किया जाना था। निर्माणकार्य पूरा होने में एक वर्ष से अधिक समय तक विलम्ब होने की आशा की जाती है क्योंकि पूर्ण होने की निर्धारित तिथि

तक केवल 50 प्रतिशत निर्माणकार्य ही पूर्ण किया जा सका, जिसके विस्तृत ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

तालिका 5.4.9 (ख)- निर्माणकार्य की प्रगति

(लाख रुपयों में)

ग्रुप सं.	**जून 1993 तक दी गई राशि**	**संविदात्मक राशि**	**पूर्ण किए गए निर्माण कार्य की प्रतिशतता**
I	29.33	72.60	31
II	49.22	72.60	60
VI	49.30	72.60	63

निगम ने अगस्त 1993 में बताया कि विलम्ब ठेकेदारों को सीमेंट तथा स्टील की विलम्बित आपूर्ति के कारण था।

5.4.10 मकानों के आबंटन हेतु पंजीकरण

(क) योजना को अंतिम रुप देने में विलम्ब

निगम ने नवम्बर 1990 में 500 आबंटितियों की एक प्राथमिकता सूची तैयार करके किश्तों में निम्नानुसार शुल्क संग्रहण करने का निर्णय किया:-

तालिका 5.4.10 (क)- 500 मकानों के आबंटन हेतु शुल्क

(लाख रुपयों में)

विवरण	**दर**	**राशि**
प्रथम वर्ष		
पंजीकरण शुल्क	5000	25
दूसरा वर्ष		
चार तिमाही किश्तों में आबंटन पर संग्रहण किए जाने वाले जमा	25000	125
तीसरा वर्ष		
आवासीय विकास निगम से लिया जाने वाला ऋण	38000	190
जोड़	**68000**	**340**

परियोजना की लागत आवेदकों से संग्रहीत की गई निधियों तथा दिल्ली प्रशासन से प्राप्त ऋणों के द्वारा पूरी की जानी थी।

यद्यपि 1400 मकानों के निर्माण का कार्य 1991 में आरंभ कर दिया गया था लेकिन मकानों के आबंटन हेतु आवेदकों के पंजीकरण की योजना को केवल सितम्बर 1993 में ही अंतिम रुप दिया गया था।

(ख) पंजीकरण के प्रति कम प्रतिक्रिया

सितम्बर 1993 में, निगम ने रोहिणी में निर्मित 640 मकानों के आबंटन हेतु आवेदन आमंत्रित किए। पंजीकरण की मूल योजना को निम्नानुसार संशोधित किया गया था:-

- संसाधन तथा प्रशासन शुल्क को 500 रु. (वास्तव में 600 रु.) तक कम किया गया।

- आबंटन एवं मांग पत्र की प्राप्ति के एक माह के भीतर दी जाने वाली प्रथम किश्त को 15000 रु. (वास्तव में 25000 रु.) तक कम कर दिया गया।

आवेदनों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि का तीन बार समय बढ़ाये जाने तथा निगम के समस्त आंचलिक कार्यालयों के माध्यम से व्यापक प्रचार किए जाने के वावजूद केवल 168 सफाई कर्मचारियों ने पंजीकरण हेतु आवेदन किया, जिसमें से 69 को उनके भविष्य निधि लेखे से जमाओं के समायोजन हेतु प्रस्तावित किया गया। अन्तिम रुप से 38 आवेदकों ने मकानों के आबंटनों हेतु 15000 रु. जमा कराए हैं (दिसम्बर 1993)।

कम प्रतिक्रिया सफाई कर्मचारियों के पास कम निधियों के उपलब्ध होने के कारण थी। दि.न.नि. कर्मचारियों की मकानों हेतु भुगतान करने की सीमित वित्तीय क्षमता को जानने में तथा छोटी किश्तों में वापिसी योग्य सामूहिक आवासीय ऋणों के द्वारा निधियों की व्यवस्था हेतु एक योजना बनाने में असफल रहा।

उपर्युक्त मुद्दे रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार को अक्तूबर 1993 में सूचित किए गए थे; उनका उत्तर जनवरी 1994 तक प्रतीक्षित है।

5.5 रोड रोलरों का प्रचालन

उनको दिए गए ठेकों की शर्तों के अनुसार, ठेकेदारों को जो दि.न.नि. के लिए सड़कें बनाते तथा अनुरक्षित करते हैं, दि.न.नि. से रोड रोलर किराए पर लेने होते हैं। लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि यद्यपि दि.न.नि. के पास 21 रोड रोलर हैं जिसमें से 19 कार्यचालन स्थिति में हैं लेकिन किसी भी मामले में उसके सड़क निर्माण ठेकेदारों ने इनमें से किसी को किराए पर नहीं लिया। इसके बजाय, प्रत्येक मामले में दि.न.नि. ने अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र दिया जिसने इन ठेकेदारों को अपने स्वयं के रोड रोलरों का उपयोग करने में समर्थ

बनाया। इसके परिणामस्वरुप 1988-89 से 1992-93 तक पांच वर्षों के दौरान 34 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

1988-89 से पांच वर्षों के दौरान उपलब्ध 28500 रोड रोलर दिनों में से दि.न.नि. केवल 189 अर्थात केवल 0.7 प्रतिशत का ही गृह अनुरक्षण में तथा मरम्मत कार्य के लिए उपयोग करने में समर्थ था। 19 प्रचालन रोलरों में से अधिक से अधिक चार रोलर ही किसी एक दिन उपयोग में लाए जा सके। चूंकि इन रोड रोलरों के प्रचालन हेतु नौ ड्राइवरों तथा आठ बेलदारों तथा क्लीनरों की कार्य संख्या प्रदान की गई है इसलिए इस अवधि के दौरान केवल उनके वेतनों पर किया गया 20.36 लाख रु. का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ।

इस अवधि के दौरान इन मशीनों के अनुरक्षण तथा मरम्मत के लिए पुर्जों की खरीद पर किया गया 21.35 लाख रु. का व्यय भी निष्फल था। इन खरीदों की वर्कशॉप में अनुरक्षित दोष रजिस्टर में प्रविष्ट दोषों के प्रति ही की जाने की आशा की गई है।

रोड रोलर मरम्मत वर्कशाप के अभिलेख की संवीक्षा से भी प्रकट हुआ कि दो रोड रोलरों की, जिनको सितम्बर 1992 में बेकार घोषित कर दिया गया था, अभी तक नीलामी नहीं की गई थी।

उपर्युक्त मुद्दे रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार को दिसम्बर 1993 में सूचित किए गए थे; उनका उत्तर जनवरी 1994 तक प्रतीक्षित है।

नई दिल्ली नगर पालिका

5.6 लेखे

5.6.1 प्रस्तावना

नई दिल्ली नगर पालिका 42.74 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में फैली 8.5 लाख की जनसंख्या की आवश्कताओं को पूरा करती है।

यह दिल्ली संघ शासित क्षेत्र तक फैला हुआ एक नामित निकाय है तथा पंजाब म्युनिस्पिल अधिनियम, 1911 द्वारा शासित होता है। इसे फरवरी 1980 में हटाकर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक प्रशासक द्वारा स्थापनापन्न किया गया था।

प्रशासक की एक सचिव, एक वित्तीय सलाहकार, मुख्य अभियंता (सिविल तथा बिजली), निदेशक (सम्पदा, कर तथा बागवानी) तथा चिकित्सा अधिकारियों (स्वास्थ्य) तथा विभिन्न अन्य अधिकारियों द्वारा सहायता की जाती है।

न.दि.न.पा. के मुख्य कार्य नागरिक सुविधाएं प्रदान करना, जल विद्युतीय ऊर्जा मुहैया करना, सफाई के प्रबन्ध करना तथा लोक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, बच्चों के पार्कों, उद्यानों तथा सड़कों की तरफ ध्यान देना

है। न.दि.न.पा. कुछ विशेष सुविधाएं जैसे तरणतालों, स्टेडियम, पालिका क्लबों तथा छात्रावासों, कामकाजी महिला छात्रावास, युवा केन्द्रों, सामुदायिक केन्द्रों तथा बारातघरों की भी व्यवस्था करती है।

5.6.2 वित्तीय स्थिति

न.दि.न.पा. की पिछली चार वर्षों के दौरान प्राप्तियाँ तथा व्यय नीचे दिए गए हैं:-

तालिका 5.6.2- न.दि.न.पा. की प्राप्तियाँ एवं व्यय

(करोड़ रुपयों में)

		1989-90	1990-91	1991-92	1992-93
1.	प्राप्तियां				
	आंतरिक	126.73	147.29	210.45	227.85
	सरकार से				
(क)	अनुदान	17.61	22.06	23.48	22.65
(ख)	ऋण	13.83	11.51	9.77	11.95
	जोड़	158.17	180.86	243.70	262.45
2.	व्यय				
(क)	योजनेतर	133.89	152.96	217.51	231.67
(ख)	परियोजना	24.17	27.23	25.66	28.04
	जोड़	158.06	180.19	243.17	259.71

5.6.3 स्थानीय निधि लेखे की परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा करना

स्थानीय निधि लेखे, दिल्ली प्रशासन का परीक्षक, पंजाब म्युनिसिपल अधिनियम के अन्तर्गत न.दि.न.पा. के लेखाओं की लेखापरीक्षा करता है। परीक्षक ने 1985-86 तक के लेखाओं की लेखापरीक्षा की है तथा इन पर रिपोर्टें दिल्ली प्रशासन को प्रस्तुत की हैं।

5.6.4 आंतरिक लेखापरीक्षा

1990-94 वर्षों के दौरान केन्द्रीय रुप से लेखापरीक्षित किए जाने वाले 219 नियोजित यूनिटों में से आंतरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा 150 यूनिटों की लेखापरीक्षा की गई है। कुल 2439 आपत्तियां बकाया हैं। मार्च 1993 को इन आपत्तियों का वर्षवार ब्यौरा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

5.7 स्टाफ हेतु क्वार्टरों का निर्माण

5.7.1 प्रस्तावना

न.दि.न.पा. की उपस्थिति पंजी में 16700 कर्मचारी हैं जिनमें से 2530 कर्मचारियों को 31 मार्च 1985 तक स्टाफ क्वार्टर आबंटित कर दिए गए थे। आवासों की उपलब्धता को बढ़ाने हेतु, न.दि.न.पा. ने 1985-86 से 1992-93 की अवधि में 21 योजनाओं के समूह के रुप में आरंभ किये जाने वाले स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए प्रस्तावित किया। सातवीं योजना में 650 लाख रु. की कुल लागत पर 700 क्वार्टरों का निर्माण किया जाना था। आठवीं योजना में विभिन्न श्रेणियों के 500 क्वार्टरों के निर्माण हेतु 800 लाख रु. की राशि प्रस्तावित की गई थी। तथापि कोई परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं की गई तथा दिल्ली प्रशासन द्वारा वार्षिक रुप से तैयार किए गए प्रशंसात्मक विवरण के आधार पर निधियां जारी की गई थी।

5.7.2 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

न.दि.न.पा. के पांच सिविल मंडलों में 1985-86 से 1992-93 तक की अवधि के दौरान क्वार्टरों के निर्माण की योजना पर अनुरक्षित अभिलेखों की लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई थी।

5.7.3 विशिष्टताएं

- **न.दि.न.पा. ने परियोजना रिपोर्ट तैयार किए बिना अपने स्टाफ के लिए 1170 क्वार्टरों के निर्माण की परियोजना पर कार्य आरंभ कर दिया; परियोजना पर पहले ही 881 लाख रु. का व्यय किया जा चुका है।**

- **1170 क्वार्टरों का निर्माण मार्च 1993 को समाप्त होने वाले आठ वर्षों में किया जाना था। केवल 600 क्वार्टरों का निर्माण किया गया है जिसके परिणामस्वरुप योजना आबंटन में काफी अधिक बचत हुई।**

- **चार निर्माण कार्य निविदाएं आमंत्रित किए बिना तथा असामान्य ठेकागत शर्तों पर एक उपक्रम को प्रदान कर दिए गए थे। भूमि के स्वामित्व पर विवादों तथा इस फर्म द्वारा निर्माणकार्य की धीमी गति के परिणामस्वरुप इन निर्माणकार्यों में से दो की लागत में 92 प्रतिशत तक तथा प्रारंभिक अनुमानों में 85 प्रतिशत की वृद्धि हुई (नवम्बर 1993)।**

- न.दि.न.पा. को आरोप्य विलंबों के कारण ठेकेदारों के पक्ष में निर्णय दिए गए। 11 मध्यस्थता मामलों में उनको 42.59 लाख रु. दिए गए थे।

- 1990 में पांच एकड़ भूमि पर किया गया 97.38 लाख रु. का निवेश बेकार पड़ा रहा था क्योंकि उस प्लॉट पर कोई निर्माणकार्य आरंभ नहीं किया गया था। न.दि.न.पा. ने भी भूमि किराये के रुप में 7.12 लाख रु. की एक देयता को उत्पन्न किया।

- निर्माणकार्य पूर्ण होने में विलम्ब के कारण, न.दि.न.पा. को मकान किराए भत्ते के भुगतान तथा स्टैण्डर्ड लाइसेंस फीस की गैर वसूली के प्रति 37 लाख रु. का घाटा हुआ।

5.7.4 निर्माणकार्यों में प्रगति

1985-93 की अवधि के दौरान स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण में लक्ष्य तथा प्रत्यक्ष उपलब्धि निम्न तालिका में दिए गए हैं:-

तालिका 5.7.4.1- प्रत्यक्ष प्रगति

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां
1985-90	700	477
1990-91	160	80
1991-92	250	10
1992-93	60	33
जोड़	1170	600

यद्यपि इन आठ वर्षों में 1170 मकानों का लक्ष्य रखा गया था, अभी तक केवल 600 मकानों का निर्माण किया गया है (सितम्बर 1993)। इसके परिणामस्वरुप परियोजना हेतु उपलब्ध कराई गई निधियों में बचतें हुईं, जिसके विस्तृत ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

तालिका 5.7.4.2 - आबंटन तथा व्यय

(लाख रुपयों में)

वर्ष	बजट आबंटन	वास्तविक व्यय	बचत
1985-90	1065.5	716.5	349.0
1990-91	130.0	104.2	25.8
1991-92	140.0	60.6	79.4
1992-93	170.0	*	--
जोड़	**1505.5**	**881.3**	**454.2**

* आंकड़े लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

प्रत्येक वर्ष भारी बचतें होना न.दि.न.पा. द्वारा अपर्याप्त योजना तथा त्रुटिपूर्ण बजट बनाने का द्योतक है।

5.7.5 निर्माण कार्य की सुपुर्दगी

सातवीं योजना के दौरान तथा उसके बाद 1992-93 तक, 21 निर्माणकार्यों का निष्पादन आरंभ किया गया था, जिनमें से 17 निर्माणकार्य निविदाएं आमंत्रित करने के बाद प्राइवेट एजेंसियों को सौंपे गए थे। 186 क्वार्टरों के निर्माण के शेष 4 निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में फरवरी 1989 में यह निर्णय किया गया था कि चूंकि भूमि चरणों में उपलब्ध करायी जाएगी, निविदाएं आमंत्रित किए बिना निर्माण कार्य लोक उपक्रमों को प्रदान कर दिए जाएंगे। विभिन्न सरकारी संस्थानों से विचार-विमर्श करने के बाद, फरवरी 1989 में निर्माणकार्य 14 प्रतिशत जमा वास्तविक लागत आधार पर उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (उ.प्र.रा.नि.नि.) को सौंप दिये गये थे।

प्राइवेट एजेंसियों को सौंपे गए समस्त 17 निर्माणकार्य उन्होंने पूरे कर दिये। इन निर्माणकार्यों में से तीन पर स्पष्ट स्थल की अनुपलब्धता के कारण विलम्बों की वजह से 80.83 लाख रु. लागत वृद्धि के रुप में दिए गए थे।

उ.प्र.रा.नि.नि. को आबंटित किए गए चार निर्माणकार्यों में से 22 महीनों के विलम्ब के बाद केवल एक निर्माणकार्य ही पूरा किया गया है।

5.7.6 एक सरकारी उपक्रम को प्रदान किये गए चार निर्माणकार्यों में विलम्ब

(क) निर्माणकार्य पूर्ण होने में विलम्ब

समिति ने अगस्त 1988 में निश्चय किया कि यह सुनिश्चित करने से पहले कि भूमि का स्पष्ट स्वामित्व उपलब्ध है, निविदाएं आमंत्रित नहीं की जानी चाहिए। इन अनुदेशों के बावजूद दो निर्माणकार्य, जिनके नाम लक्ष्मीबाई नगर में 132 टाइप- II क्वार्टरों का निर्माण तथा विनय मार्ग में 36 टाइप-V फ्लैटों का निर्माण हैं, विवादित भूमि पर सौंपे गए थे, जिसके विस्तृत ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

क(i) लक्ष्मीबाई नगर में 132 टाइप II क्वार्टरों का निर्माण

मार्च 1989 में 181 लाख रु. की अनुमानित लागत पर उ.प्र.रा.नि.नि. को सौंपा गया निर्माणकार्य अप्रैल 1991 तक पूर्ण किया जाना था। भूमि का, जिस पर इन मकानों का निर्माण किया जाना था, न.दि.न.पा. से संबंधित भूमि के आर-पार नाले को आच्छादित करके पुनः दावा किया गया था।

निर्माण कार्य अप्रैल 1989 में आरंभ किया गया लेकिन एक मास के भीतर रोक दिया गया था क्योंकि शहरी विकास मंत्रालय के भूमि तथा विकास अधिकारी ने पुनर्दावित भूमि के स्वामित्व का दावा कर दिया। इस विवाद को निपटाने में 16 मास का समय लगा तथा फर्म केवल अगस्त 1990 में ही निर्माणकार्य आरंभ करने में समर्थ हुई थी। अप्रैल 1991 के बाद फर्म ने निर्माणकार्य रोक दिया था। पालिका ने समय-समय पर कारण बताओ नोटिस जारी किए तथा कार्यक्षेत्र को भी 132 से 93 क्वार्टरों तक घटा दिया, लेकिन फर्म ने अगस्त 1993 तक कार्य पुनः आरंभ नहीं किया था। अक्तूबर 1992 में इस निर्माणकार्य की अनुमानित लागत 92 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई थी। जब कभी ये क्वार्टर पूर्ण होंगे तो वास्तविक लागत के और बढ़ने की आशा की जाती है।

क(ii) विनय मार्ग पर 36 टाइप V फ्लैटों का निर्माण

36 टाइप V फ्लैटों के निर्माण हेतु मार्च 1989 में 145.8 लाख रु. की लागत पर उ.प्र.रा.नि.नि. को सौंपा गया निर्माणकार्य अक्तूबर 1990 तक पूर्ण किया जाना था। नाले को आच्छादित करके पुनः दावित भूमि के स्वामित्व पर भूमि तथा विकास अधिकारी के साथ उसी प्रकार के विवाद के कारण निर्माणकार्य अप्रैल 1989 में रोक दिया गया था। अक्तूबर 1990 में निर्माणकार्य आरंभ करने के लिए एक औपचारिक पत्र जारी किया गया था तथा एजेंसी को तत्काल कार्य आरंभ करने का अनुदेश दिया गया था।

उ.प्र.रा.नि.नि. ने आदेशों की अनुपालना इस आधार पर नहीं की कि न.दि.न.पा. द्वारा उनको देय संग्रहण अग्रिम समय पर जारी नहीं किया गया था। निर्माणकार्य सौंपने के 20 मास बाद नवम्बर 1991 में 9.5 लाख रु. संग्रहण अग्रिम के रुप में जारी किए गए थे तथा पूर्ण करने की लक्षित तिथि को संशोधित करके जून 1993 तक किया गया था। अप्रैल 1992 में यह देखा गया था कि निर्माणकार्य का केवल 8 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण

किया गया था। चूंकि प्रगति की गति धीमी थी, नगर पालिका ने निर्मित किए जाने वाले फ्लैटों की संख्या 17 तक बाद में 15 तक घटा दी (जून 1993)।

निर्माणकार्य अभी भी प्रगति में है तथा योजना पर किया गया 131.59 लाख रु. का व्यय (नवम्बर 1993) पहले ही 15 फ्लैटों की आनुपातिक अनुमानित लागत (71.14 लाख रु.) से 85 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

(ख) दण्ड के उद्ग्रहण हेतु कोई शर्त न होना

न.दि.न.पा. की ठेके की सामान्य शर्तों की शर्त 2 में दण्ड शर्त की व्यवस्था है जिसमें बताया गया है, "यदि निर्माणकार्य बिना आरंभ किए रहता है अथवा उचित तिथियों के बाद पूर्ण नहीं किया जाता है तो ठेकेदार एक प्रतिशत के बराबर राशि या बहुत थोड़ी राशि, जैसाकि मुख्य अभियंता द्वारा प्रतिदिन के लिए निश्चित किया जाए, का क्षतिपूर्ति के रुप में भुगतान करेगा। इस शर्त के अधीन क्षतिपूर्ति की समस्त राशि निर्माणकार्य की अनुमानित लागत का दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।" तथापि उ.प्र.रा.नि.नि. के साथ किये गये अनुबंध में इस प्रकार की कोई शर्त नहीं रखी गई थी। परिणामस्वरुप उ.प्र.रा.नि.नि. द्वारा संतोषजनक प्रगति से बहुत कम किए गए निर्माणकार्य की प्रगति के बावजूद न.दि.न.पा. कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं कर सकी। यदि दण्ड के उद्ग्रहण हेतु इस शर्त को समाविष्ट किया गया होता तो नगरपालिका द्वारा 36.49 लाख रु. का उद्ग्रहण किया जा सकता था।

(ग) संग्रहण अग्रिम का अनियमित भुगतान

अनुबन्ध की शर्त 7 में निर्धारित है कि उ.प्र.रा.नि.नि. को प्रत्येक निर्माणकार्य की अनुमानित लागत के 10 प्रतिशत के बराबर अधिकतम 10 लाख रु. राशि के संग्रहण अग्रिम का भुगतान किया जाना था। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अनियमितताएं देखी गई थीं:-

- योजना पर व्यय दिल्ली प्रशासन से प्राप्त ब्याज सहित ऋणों से किया गया था। फिर भी एजेंसी को 24.32 लाख रु. निशुल्क ब्याज दिए गए थे जो नियमों से अनुबंधित नहीं था। ब्याज मुक्त संग्रहण अग्रिम को अनियमित रुप से जारी करने के परिणामस्वरुप 18 प्रतिशत की दर से परिकलित 10.42 लाख रु. की हानि हुई (जून 1993)।

- नियमों के अन्तर्गत, संग्रहण अग्रिम केवल एक करोड़ रु. से अधिक लागत वाले प्रत्येक निर्माणकार्य के लिए दिए जाने होते हैं। तथापि उ.प्र.रा.नि.नि. को 38 लाख रु. तथा 12 लाख रु. की अनुमानित लागत वाले दो निर्माण कार्यों के लिए 4.8 लाख रु. का अग्रिम दिया गया था।

- साऊथेंड लेन में 6 टाइप IV फ्लैटों का निर्माणकार्य भूमि की अनुपलब्धता के कारण आरंभ नहीं किया जा सका तथा ठेका रद्द कर दिया गया था। निर्माणकार्य के लिए दिया गया एक लाख रु. का संग्रहण अग्रिम (मार्च 1989) नौ मास के विलम्ब के बाद दिसम्बर 1989 में वसूल किया गया था। स्पष्ट स्थल के अभाव में संग्रहण अग्रिम का भुगतान अनियमित था।

- एजेंसी को दिए गए अग्रिमों को चालू बिलों से वसूल किया जाना था। उ.प्र.रा.नि.नि. को 1989 में दिए गए 24.32 लाख रु. में से निर्माणकार्य की प्रगति धीमी होने के कारण जुलाई 1993 तक 6.75 लाख रु. अभी वसूल किए जाने हैं।

5.7.7 प्राइवेट एजेंसियों द्वारा निष्पादित किए गए निर्माणकार्य

(क) मध्यस्थता मामलों में ठेकेदारों का पंचाट

प्राइवेट एजेंसियों को दिए गए 17 निर्माणकार्यों में से 14 मध्यस्थता के लिए भेजे गए थे। 11 मामलों का निर्णय किया गया तथा सारे मामलों का ठेकेदारों के पक्ष में निर्णय हुआ। दी गई राशियां तथा इनके लिए कारण निम्नानुसार थे:-

तालिका 5.7.7(क)- मध्यस्थता मामलों के कारण प्राइवेट पार्टियों को देय राशि

(लाख रुपयों में)

पंचाट के कारण	पंचाट की राशि
निर्माणकार्य सौंपते समय इस्पात कार्यों हेतु भुगतान की शर्तों को अन्तिम रुप न दिया जाना (जिनको दरों की अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया था)	7.64
स्पष्ट स्थल तथा विस्तृत आरेखण तथा नक्शे उपलब्ध कराने में विलम्ब हेतु क्षतिपूर्ति	14.00
निर्माणकार्यों पर प्रयुक्त अतिरिक्त इस्पात का असमायोजन	1.68
भुगतान न करने के लिए	
(क) निर्माणकार्य जो निर्दिष्ट राशि के 50 प्रतिशत की विचलन सीमा से बढ़ गए	4.68
(ख) अतिरिक्त मदों का निष्पादन किया गया लेकिन उनके लिये न.दि.न.पा. द्वारा भुगतान नहीं किया गया	6.17
अंतिम भुगतानों के करने में विलम्ब	3.57
अन्य	4.85
जोड़	**42.59**

ठेकेदारों को 42.59 लाख रु. देने के अतिरिक्त, न.दि.न.पा. ने ब्याज के रुप में 10.65 लाख रु. का भुगतान करना पड़ा था जिसमें पंचाटों के विलम्बित भुगतान के कारण 5.69 लाख रु. शामिल थे

(ख) निविदाओं को अंतिम रुप देने में विलम्ब के कारण परिहार्य हानि

बाबर रोड पर 4 टाइप-II तथा एक चौकीदार क्वार्टर का निर्माण

दिसम्बर 1986 में नगर पालिका द्वारा 5.64 लाख रु. के प्रारंभिक अनुमान अनुमोदित किए गए थे। अनुमोदन के 17 महीनों के बाद मई 1988 में पहली बार निविदाएं आमंत्रित की गई थी। तदन्तर 20 बार निविदाएं आमंत्रित की गई जिसके लिए बोलियां 7वीं, 13वी, 16वीं में तीन बार प्राप्त की गई थी, जिनमें से सभी अस्वीकृत कर दी गई थी। अन्त में, फरवरी 1992 में 20वीं बार की बोली पर अनुमानित लागत से 95.19 प्रतिशत अधिक 7.54 लाख रु. पर निर्माणकार्य सौप दिया गया था।

यह पाया गया था कि 7वीं, 13वीं तथा 16वीं बार प्राप्त की गई निविदाएं अस्वीकृत कर दी गई थी क्योंकि प्रभाग निविदाओं को समय पर तैयार नहीं कर सका जिसके परिणामस्वरुप वे न.दि.न.पा. की वित्त शाखा में वैधता अवधि के समाप्त होने के काफी बाद प्राप्त किए गए थे, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:-

तालिका 5.7.7. (ख)- निविदाओं को अंतिम रुप दिये जाने में विलम्ब

बुलाने की संख्या	वैधता अवधि बीतने की तिथि	वित्त शाखा में प्राप्त होने की तिथि
7 वीं	24.12.1988	28.12.1988
13 वीं	7.10.1989	19.12.1989
16 वीं	31.7.1990	11.12.1990

यह भी देखा गया था कि 16 वीं बार मंगवाने में मंडलीय प्राधिकारियों ने प्रभाग में शीघ्र जांच करने तथा औचित्य की संवीक्षा करने का अनुरोध किया था। ठेकेदार ने अक्तूबर 1990 तक वैधता को भी बढ़ा दिया था लेकिन नगरपालिका बढ़ाए गए समय के भीतर तक निविदा को अंतिम रुप नहीं दे सकी।

7वीं बार में प्राप्त किया गया प्रस्ताव 5.32 लाख रु. का था तथा अन्त में फरवरी 1992 में निर्माणकार्य 7.54 लाख रु. पर सौंपा गया था। अनुमानों को 11.54 लाख रु. तक संशोधित किया जा रहा है (अक्तूबर 1993)।

न.दि.न.पा. ने केवल विज्ञापंन पर ही 75000 रु. खर्च किए जो लागत वृद्धि के प्रति 6.22 लाख रु. के घाटे के अतिरिक्त है।

(ग) **ठेके को रद्द करने में विलम्ब**

सरोजिनी नगर में 12 टाइप-III तथा 12 टाइप-IV क्वार्टरों का निर्माण

निर्माणकार्य अक्तूबर 1986 में 36.97 लाख रु. की लागत पर दिया गया था। कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि जनवरी 1988 थी जो निम्नलिखित कारणों से 150 दिनों तक बढ़ा दी गई थी:-

तालिका 5.7.7.(ग)- निर्माणकार्य में विलम्ब का ब्यौरा

कारण	**दिन**
ढांचे के आरेखण तथा डिजाइनों के नक्शे को अंतिम रुप देने में विलम्ब	120
पिछले भाग के भराव हेतु अपेक्षित भूमि तथा सीमेंट की अनुपलब्धता	23
रंग योजना का निर्णय करने में विलम्ब	7
जोड़	**150**

जून 1988 में जब 86 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो गया था तथा 31.81 लाख रु. खर्च किए जा चुके थे, ठेकेदार ने परियोजना का कार्य रोक दिया था। उसको कई कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे तथा अन्त में, ठेकेदार के कार्य रोकने के 15 मास बाद अर्थात सितम्बर 1989 में ठेकेदार के जोखिम तथा लागत पर ठेका रद्द कर दिया गया था। फरवरी 1990 ठेकेदार 29.80 लाख रु. के दावे के लिए न्यायालय में चला गया तथा मामला न्यायाधीन है।

मई 1990 में ठेकेदार पर लगाया गया 2.18 लाख रु. का अर्थदण्ड उससे वसूल नहीं किया गया था। शेष निर्माणकार्य का अगस्त 1990 में अनुमान लगाया गया था। ठेका रद्द करने के चार वर्ष के बाद न.दि.न.पा. द्वारा नवम्बर 1993 तक शेष निर्माण कार्य किसी अन्य ठेकेदार को देने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

यह बताया गया था (जून 1993) के ठेकेदार की जोखिम तथा लागत पर कोई निर्माणकार्य आरंभ नहीं किया गया था क्योंकि मामला मुकदमे के अधीन है।

(घ) **कुर्सी क्षेत्र का अधिक सम्मिलित किया जाना**

निर्माण एवं आवास मंत्रालय ने (मार्च 1981) मकानों की विभिन्न श्रेणियों हेतु कुर्सी क्षेत्र के लिए निम्नलिखित मानक नियत किए हैं:-

टाइप	**कुर्सी क्षेत्र (वर्ग मी.)**
III	72.40
IV	101.10

नगर पालिका द्वारा इन प्रतिमानों को अपनाया गया था (मार्च 1986) तथा यह निर्णय किया गया था कि इन मानकों में किसी विचलन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यह पाया गया था कि न.दि.न.पा. ने सरोजिनी नगर में निर्मित 12 टाइप- III तथा 12 टाइप IV क्वार्टरों में निर्धारित प्रतिमानों से अधिक 208.56 वर्ग मी. सम्मिलित करके इन मानकों को बढ़ा दिया था जिसके परिणामस्वरुप 4.08 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय हुआ।

5.7.8 क्वार्टरों के आबंटन में विलम्ब

क्वार्टरों को निर्माणकार्य पूर्ण होने के तत्काल बाद आबंटित किया जाना था। निर्माणकार्य पूर्ण होने में विलम्ब के कारण वसूल न किए गए लाइसेंस शुल्क तथा मकान किराए भत्ते के भुगतान के प्रति न.दि.न.पा. को 37 लाख रु. का घाटा हुआ (सितम्बर 1993)।

5.7.9 निधियों का अवरोधन

अगस्त 1983 में दि.वि.प्रा. को महरौली बदरपुर रोड पर 3000 आवासीय यूनिटों के निर्माण हेतु 60 एकड़ भूमि के आबंटन का अनुरोध किया गया था। छः वर्षों के बाद (मार्च 1989) रोहिणी में 5 एकड़ भूमि का एक भूखण्ड न.दि.न.पा. को आबंटित किया गया तथा मई 1990 में 97.38 लाख रु. का भुगतान करने के बाद दि.वि.प्रा. से कब्जा लिया गया था।

इस भूखण्ड पर 256 क्वार्टरों (36 टाइप-II तथा 220 टाइप III) के निर्माण करने की योजना बनाई गई थी। कोई निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया गया था क्योंकि मई 1993 तक भवन योजनाओं को अंतिम रुप नहीं दिया गया था।

कब्जा लेते समय दिए गए 97.38 लाख रु. के अतिरिक्त न.दि.न.पा. ने तीन वर्षों के लिए भू-किराए के रुप में 7.12 लाख रु. की देयता वहन की थी।

उपर्युक्त मुद्दे रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार की दिसम्बर 1993 में भेजे गए थे। उनका उत्तर जनवरी 1994 तक प्रतीक्षित है।

5.8 ओखला में लघु वर्कशॉप का निर्माण

न.दि.न.पा. के समस्त 405 वाहनों की मंदिर मार्ग स्थित ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में मरम्मत, अनुरक्षण, सफाई करके उसमें ईंधन भरा जाता है।

अक्तूबर 1982 में यह महसूस किया गया था कि यह वर्कशॉप स्थानकी कमी (यह 0.9 एकड़ भूमि पर है) के कारण अपने अनुकूलतम स्तर पर कार्य करने में असमर्थ थी। तीन एकड़ भूमि पर आधुनिक सुविधाओं वाली एक नई वर्कशॉप का अतिरिक्त सुविधा के रुप में निर्माण किए जाने का प्रस्ताव किया गया था।

यद्यपि इस परियोजना के लिए कोई निधियां उपलबध नहीं कराई गई थी फिर भी अगस्त 1983 में, ओखला में नगरपालिका के कम्पोस्ट संयंत्र के साथ लगी 1.5 एकड़ भूमि को न.दि.न.पा. को कृषिक योजनाओं हेतु उपलव्ध कराई गई योजनागत निधियों में से 11.4 लाख रु. का भुगतान करने पर दि.वि.प्रा. से ले लिया गया था।

चूंकि दिल्ली प्रशासन केवल कृषीय उद्देश्यों हेतु निधियाँ उपलब्ध कराने के लिए तैयार था, इसलिए न.दि.न.पा. ने 74.37 लाख रु. की अनुमानित लागत पर कम्पोस्ट संयंत्र ढांचे के भाग के रुप में इस भूमि पर एक लघु ऑटोमोबाइल वर्कशॉप के सृजन करने को न्यायोचित ठहराया।

नवम्बर 1989 में निविदाओं को आमंत्रित किए बिना 50.84 लाख रु. की अनुमानित लागत पर निर्माणकार्य एक सरकारी संस्थान, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (उ.प्र.रा.नि.नि.) को सौंप दिया गया था। किसी प्रकार की चूक के मामले में क्षतिपूर्ति तथा अर्थदण्डों से संबंधित सभी मानक शर्तों को फर्म के साथ किए गए अनुबंध में शामिल नहीं किया गया था।

यद्यपि निर्माणकार्य की लागत एक करोड़ रु. से कम थी जोकि नियमों के अन्तर्गत ब्याज वाले तथा संग्रहण अग्रिमों के भुगतान हेतु पात्र न्यूनतम कार्य मूल्य है, फिर भी उ.प्र.रा.नि.नि. को फरवरी 1990 में 5.08 लाख रु. का ब्याज मुक्त संग्रहण अग्रिम प्रदान किया गया था।

अनुबंध के अनुसार निर्माणकार्य के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि अगस्त 1991 थी लेकिन एजेंसी अक्तूबर 1991 तक निर्माणकार्य का केवल 29 प्रतिशत ही पूर्ण कर सकी जिसके लिए उनको 14.81 लाख रु. की राशि दी गई थी।

निर्माणकार्य की धीमी प्रगति के आधार पर न.दि.न.पा. ने फर्म की जोखिम तथा लागत के बिना अप्रैल 1992 में ठेका समाप्त कर दिया। शेष निर्माणकार्य 37.72 लाख रु. पर अनुमानित तथा परिमापित किया गया था (जुलाई 1992)। नवम्बर 1993 में पूर्ण किया जाने वाला यह निर्माणकार्य अगस्त 1992 में 41.92 लाख रु. पर सौंपा गया था। यद्यपि जुलाई 1993 तक केवल 11 प्रतिशत निर्माणकार्य ही पूर्ण किया गया था फिर भी ठेकेदार को 14.05 लाख रु. की राशि दी गई है।

उ.प्र.रा.नि.नि. को दिए गये 5.08 लाख रु. के अग्रिम में से अभी तक (अगस्त 1993) 1.85 लाख रु. की राशि वसूल कर ली गई है तथा 3.23 लाख रु. का शेष अभी तक बकाया है।

अभिलेखों की संवीक्षा करने पर यह पता चला था कि न.दि.न.पा. द्वारा आपूर्त की गई सामग्री की 32 मदें ठेका समाप्त करने के समय (अप्रैल 1991) स्थल पर ही रही थी जिसमें से 11525 रु. मूल्य वाले सीमेंट के 121 थैलों को न तो अन्य निर्माणकार्यों को जारी किया गया है और न ही सितम्बर 1993 तक भण्डार में वापिस किया गया है। इसके अलावा, एजेंसी ने नगरपालिका की अनुमति प्राप्त किए बिना 28575 रु. मूल्य वाले सीमेंट के 300 थैले स्थल से हटा लिए। एजेंसी से इसके प्रति कोई वसूली नहीं की गई है।

इस प्रकार, दण्डों, जिसका नगर पालिका उद्ग्रहण करने में असमर्थ थी, के अतिरक्त उ.प्र.रा.नि.नि. के पास कुल 3.52 लाख रु. असमायोजित रहे। नगर पालिका ने जुलाई 1993 में बताया कि उसकी वसूली से संबंधित मामला छानबीन अधीन है।

दिसम्बर 1990 में समिति द्वारा लघु वर्कशॉप के लिए अपेक्षित औजारों तथा संयंत्रों की खरीद हेतु 11.65 लाख रु. का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। वित्त विभाग के निदेशों, कि खरीदें भवन का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद की जाएं, के बावजूद मार्च 1991 में 7.38 लाख रु. की लागत पर औजार खरीदे गए थे।

औजारों को प्रतिष्ठापित नहीं किया जा सका तथा वे अप्रयुक्त पड़े हुए थे क्योंकि भवन का निर्माणकार्य पूर्ण नहीं हुआ है। इन औजारों की वारंटी अवधि भी समाप्त हो चुकी थी।

1990 के दौरान नगरपालिका ने इस वर्कशॉप के प्रबन्ध हेतु दो कार्यकारी अभियंताओं के पद संस्वीकृत करके भरे। पालिका ने बताया कि उनकी सेवाओं का मन्दिर मार्ग में स्थित मुख्य वर्कशॉप में उपयोग किया जा रहा था। जून 1993 तक उनके वेतन तथा भत्तों पर 4.67 लाख रु. खर्च किए गए हैं।

अविवेकपूर्ण निर्माणकार्य के सौंपे जाने तथा औजारों की खरीद करने के परिणामस्वरुप 51 लाख रु. का किया गया कुल निवेश निष्क्रिय रहा था। सिविल निर्माणकार्य, कार्य पूर्ण हाने की नियत तिथि के दो वर्षों के बाद केवल 40 प्रतिशत की सीमा तक पूरा किया गया था। अपेक्षा से बहुत अधिक अभियंताओं की नियुक्ति पहले ही कर दी गई थी जिसके परिणामस्वरुप केवल उनके वेतन तथा भत्तों पर 4.67 लाख रु. का निष्फल व्यय हुआ था।

मामला रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार को दिसम्बर 1993 में भेजा गया था; उनका उत्तर जनवरी 1994 तक प्रतीक्षित है।

अध्याय-VI

6.1 लेखे

दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम 1957 के अधिनियमन से दिल्ली के विकास को प्राप्त करने तथा बढ़ाने के उद्देश्य हेतु अस्तित्व में आया। इसके कार्यकलापों में, भूमि विकास, मकानों/दुकानों का निर्माण, स्लमों का सुधार, हरित क्षेत्रों का विकास, ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरण तथा योजना, नियमों एवं विनियमों को लागू करना, जिससे भारत के राजधानी शहर का नियोजित तथा सुव्यवस्थित विकास हो, सम्मिलित है।

दि.वि.प्रा. भूमि, भवनों तथा अन्य सम्पत्तियों के निपटान, केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदानों तथा ऋणों एवं शुल्कों तथा किराए आदि से अपनी निधियां प्राप्त करता है। दि.वि.प्रा. को तुलन-पत्र सहित लेखाओं के वार्षिक विवरण तैयार करने अपेक्षित होते हैं। दि.वि.प्रा. के लेखाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिनियम (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें), 1971 की धारा 19(2) के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 25(2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। यद्यपि, इन लेखाओं को 30 जून 1993 तक लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था,वर्ष 1992-93 के लिए दि.वि.प्रा. के लेखाओं को अभी तक अंतिम रुप नहीं दिया गया था (दिसम्बर 1993)।

दि.वि.प्रा. राशियां प्राप्त करके विभिन्न उद्देश्यों पर आधारित, जिनके लिए ये लेनदेन किए जाते हैं, आठ लेखा शीर्षों के अंतर्गत व्यय करता है। तथापि, दि.वि.प्रा. ने इन समस्त शीर्षों को सम्मिलित करते हुए कभी कोई आय एवं व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। वर्ष 1990-91 में दि.वि.प्रा. ने लेखापरीक्षा को 8 शीर्षों में से 5 के लिए लेखे प्रस्तुत किए है।

वर्ष 1991-92 के लिए पांच लेखा शीर्षों से संबंधित प्राप्तियों एवं भुगतानों का सारांश नीचे दिया गया है:-

तालिका 6.1- प्राप्तियों एवं भुगतानों का सारांश

विवरण	* सामान्य विकास लेखा	# नजूल लेखा-I	$ नजूल लेखा-II	+ नजूल लेखा-III	अ.रा.ब.अ.	कुल
					(लाख रुपयों में)	
अथ शेष	1907.66	679.89	2.78	648.09	-50.08	3188.34
प्राप्तियां						
वर्ष 1991-92 के लिए प्राप्तियां	107591.12	1385.32	34266.03	1042.90	655.96	144941.34
भुगतान						
वर्ष 1991-92 के लिए भुगतान	109371.72	1489.39	34233.07	1465.60	591.47	147151.25
अंत शेष	127.06	575.82	35.74	225.39	14.42	978.43

* सामान्य विकास लेखे में दि.वि.प्रा. की प्राप्त सम्पत्ति दिल्ली मास्टर योजना तथा आंचलिक योजना की तैयारी तथा कार्यान्वयन से सम्बद्ध कार्य के प्रबन्ध से संबंधित लेन-देन दर्ज किए जाते हैं।

\# नजूल लेखा-I में, दि.वि.प्रा. को प्रबन्ध तथा विकास हेतु सौंपी गई पुरानी नजूल सम्पदाओं से संबधित लेन-देन दर्ज किए जाते हैं।

$ नजूल लेखा-II में, दिल्ली में बड़े पैमाने पर भू-प्राप्ति, विकास तथा निपटान योजना से संबंधित लेन-देन दर्ज किए जाते हैं।

\+ नजूल लेखा-III में, झुग्गी-झोपड़ी हटाओ योजना से संबंधित लेन-देनों को दर्ज किया जाता है।

अंतर्राज्यीय बस अड्डा।

31 मार्च 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए दि.वि.प्रा. के लेखाओं पर विस्तृत लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दी गई हैं। तथापि कुछ निरन्तर देखी गई मुख्य अभ्युक्तियां नीचे दी गई हैं:-

6.1.1 अपूर्ण लेखे

जैसा कि दि.वि.प्रा. (बजट एवं लेखे) के नियम 1982 में निर्धारित है, प्राधिकरण के कार्यों तथा योजनाओं की वित्तीय पुनरीक्षण का पता लगाने के लिए प्रोफार्मा लेखाओं का वार्षिक लेखाओं के साथ संलग्न होना अपेक्षित है। दि.वि.प्रा. ने मार्च 1992 तक पूर्ण किए गए कार्यों एवं योजनाओं की सूची प्रस्तुत नहीं की थी। तथापि, अभी तक केवल 74 प्रोफार्मा लेखे ही तैयार किए गए हैं। स्थायी निर्माणकार्य जैसे बाजार, दुकानों आदि के संबंध में प्रशासनिक लेखे केवल अ.रा.ब.अ. के संबंध में ही तैयार किए गए थे।

6.1.2 लेखाओं को अंतिम रुप न दिया जाना

- वर्ष 1991-92 के लिए स्लम तथा झु.झो. (झुग्गी झोपड़ी)-I विंग तथा दिल्ली लॉटरियों के लेखाओं को अंतिम रुप नहीं दिया गया था।

- स्लम तथा झु.झो.-II विंग ने वर्ष 1991-92 के लिए प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा तैयार किया था लेकिन इस अवधि के आय एवं व्यय लेखे तथा तुलन-पत्र को अंतिम रुप नहीं दिया गया था।

- नजूल- II तथा नजूल-III लेखा विंगों के तुलन-पत्र तैयार नहीं किए गए थे तथा उसके अभाव में परिसम्पत्तियों तथा देयताओं को अभी तक लेखाओं में लेखाबद्ध नहीं किया गया था।

6.1.3 परिसम्पत्तियों तथा देयताओं के विवरणों को प्रस्तुत न किया जाना

- 31 मार्च 1992को दि.वि.प्रा. के सामान्य विकास लेखे के संबंध में विविध लेनदारों (220.54 करोड़ रु.) तथा विविध देनदारों (337.57 करोड़ रु.) के विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे, जिसके अभाव में इन शेषों/आंकड़ों की प्रामाणिकता को सत्यापित नहीं किया जा सका।
- न तो 320.18 करोड़ रु. मूल्य की सम्पति तथा स्टॉक (जैसाकि 31 मार्च 1992 को सामान्य विकास लेखे के तुलन-पत्र में दर्शाया गया है) के कोई समर्थित अभिलेख/रजिस्टर अनुरक्षित किए गए थे और न ही कोई प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्टें ही उपलब्ध कराई गई थी।

6.1.4 अन्य अनियमितताएं

- दिल्ली प्रशासन द्वारा दि.वि.प्रा. को अनधिकृत कालोनियों के नियमन तथा विकास हेतु 1979-80 से 1987-88 की अवधि के दौरान जारी किए गए 32.29 करोड़ रु. राशि के ऋण सामान्य विकास लेखे में नहीं दर्शाए गए थे।

- नजूल-I, II तथा III विंगों के रोकड़ शेषों का सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि दि.वि.प्रा. द्वारा कोई पृथक रोकड़ बहियां तथा बैंक लेखे अनुरक्षित नहीं किए जा रहे थे।
- भविष्य निधि में 35.43 करोड़ रु. की कुल देयता के प्रति दि.वि.प्रा.ने केवल 0.50 करोड़ रु. के ही निवेश किए थे।

6.2 आवासीय योजनाएं - लेखापरीक्षा पुनरीक्षा

6.2.1 प्रस्तावना

1957 में, दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.), दिल्ली में समाज के सभी स्तरों के लोगों को आश्रय तथा सम्बंधित सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से समाविष्ट किया गया था। दिल्ली विकास प्राधिकरण के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य विभिन्न श्रेणियों जैसे जनता, निम्न आय वर्ग, (नि.आ.व.), मध्यम आय वर्ग (म.आ.व.), स्वयं वित्तपोषित योजना (स्व.वि.यो.) के अन्तर्गत फ्लैटों का निर्माण तथा आबंटन* करना है। दि.वि.प्रा. द्वारा प्लॉटों के आबंटन हेतु प्रथम पंजीकरण योजना वर्ष 1969 में प्रारम्भ की गई थी। उसके बाद 16 और पंजीकरण योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं।

दि.वि.प्रा. ने 1979 में एक दूसरी योजना न्यू पैटर्न पंजीकरण योजना (न्यू.पै.पं.यो.) आरम्भ की जिसमें म.आ.व./नि.आ.व. तथा जनता फ्लैटों के बिक्री मूल्य में छूट देने पर विचार किया गया ताकि उनको आम आदमी की पहुंच के भीतर लाया जा सके। 1977 में दि.वि.प्रा. ने आवासीय कार्यों को बढ़ाने तथा निर्माण के दौरान अभीष्ट खरीददारों को शामिल करने के लिए एक स्वयं वित्तपोषित योजना (स्व.वि.यो.) आरम्भ की।

6.2.2 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

दो प्रमुख आवासीय योजनाएं, अर्थात

- **न्यू पैटर्न पंजीकरण योजना तथा**
- **स्वयं वित्तपोषित योजनाएं**

जिसके अंतर्गत अधिकांश फ्लैट हाल ही में दि.वि.प्रा.द्वारा निर्मित/आंबटित किए जा रहे, चुनी गयी थी।

* आबंटन का मतलब न्यू.पै. पं. यो. के अन्तर्गत किये गये आंबटन के सम्बन्ध में किराया देकर की गई खरीद तथा नकद मूल्य पर बिक्री से तथा स्व.वि.यो. के मामले में सीधे बिक्री से है।

लेखापरीक्षा में इन दो योजनाओं के आरम्भ करने से संबंधित सूचना तथा अभिलेख तथा सांख्यकीय सूचनाएं जैसे लक्षित, वास्तव में निर्मित तथा आबंटित फ्लैटों की संख्या, फ्लैटों के निर्माण तथा कब्जा देने में हुए विलम्बों, निर्माण, वार्षिक बजट, आबंटन, वार्षिक व्यय में कमी तथा इन योजनाओं की प्राप्तियाँ आदि मंगवाई गई थी।

दि.वि.प्रा. के सभी स्तरीय अधिकारियों को बार-बार अनुस्मारकों के दिए जाने के बावजूद दि.वि.प्रा. ने न तो संबंधित अभिलेख प्रस्तुत किए और न ही सूचना भेजी। जिसके परिणामस्वरुप लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र कम हो गया तथा लेखापरीक्षा संवीक्षा मुख्यत: दि.वि.प्रा. के निर्माण प्रभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए पूर्ण निर्माणकार्यों के अभिलेख तक सीमित हो गई थी। इंजीनियरिंग विभाग की नमूना जांच के परिणामों को आवासीय विभाग के अभिलेख के साथ सहसम्बद्ध नहीं किया जा सका।

6.2.3 **विशिष्टताएं**

- **दो मुख्य आवासीय योजनाओं जैसे न्यू पैटर्न पंजीकरण योजना तथा स्वयं वित्तपोषित योजना की लेखापरीक्षा पुनरीक्षा ने निर्माणकार्य में कुछ आवर्ती प्रमुख बातों को दर्शाया। कई मामलों में निर्माणकार्य दोषपूर्ण अथवा घटिया स्तर का या असामान्य विलम्बित होना पाया गया था। चूंकि ढांचा रुप रेखा तथा निर्धारित सामग्री की आपूर्ति में तथा अक्सर निर्माणस्थल उपलब्ध कराने में लगातार विलम्ब हो रहा था, इसलिए ठेकेदारों से अतिरिक्त लागत वसूल नहीं की जा सकी। इसके बजाए, कई ठेकेदारों को मध्यस्थता मामलों में बहुत अधिक राशियां दी गई थी। मुख्य परिणामों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-**

(क) **न्यू पैटर्न पंजीकरण योजना**

- **पीतमपुरा में फ्लैटों के निर्माण के दो निर्माणकार्य संदेहपूर्ण तकनीकी योग्यता तथा साधनों के ज्ञाता एक ठेकेदार को प्रदान करने से घटिया निर्माणकार्य को गिराने तथा उच्च लागत पर विलम्बित निर्माण करने के कारण 40.58 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय हुआ।**

- **जहांगीरपुरी में 336 म.आ.व.फ्लैटों का अपर्याप्त रुप से पर्यवेक्षण करने से घटिया निर्माणकार्य को गिराने तथा उच्च लागत पर विलम्बित निर्माणकार्य करने पर 114.63 लाख रु. का परिहार्य व्यय हुआ।**

- **इस तथ्य के बावजूद कि एक ठेकेदार को 1980 में दिये गये निर्माणकार्य को पूरा करने में उसकी गति बहुत धीमी थी, उसको जनवरी 1981 से मई 1982 तक छ: निर्माणकार्य और दे दिए गए। ठेकेदार**

इन सात निर्माणकार्यों में से एक भी निर्माणकार्य पूरा नहीं कर सका तथा इनको अन्य ठेकेदारों द्वारा कराने में हुए विलम्ब के परिणामस्वरुप 261.22 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय हुआ।

- एक ठेकेदार को, उसकी पूर्ववृत्त का सत्यापन किए बिना 96 नि.आ.व. तथा 96 म.आ.व. के फ्लैटों का निर्माणकार्य दे दिया गया था। ठेकेदार ने निर्माणकार्य पूरा नहीं किया तथा लापता हो गया, जिसके परिणामस्वरुप 11 वर्षों से अधिक का विलम्ब तथा 116.14 लाख रु. की हानि हुई।

- बोडेला में एक ठेकेदार द्वारा बनाए गए कुछ फ्लैट निर्माणकार्य के दौरान ही गिर गए। दि.वि.प्रा. कोई मुआवजा या अर्थदण्ड वसूल करने में असफल रहा क्योंकि इसने मध्यस्थता के परिशीलन हेतु कोई नक्शा प्रस्तुत नहीं किया जिसके परिणामस्वरुप विलम्बित निर्माण कार्य पर 55.98 लाख रु. का परिहार्य व्यय हुआ।

- दिलशाद गार्डन में 613 जनता फ्लैटों के निर्माण का कार्य दिल्ली नगर निगम से नक्शा अनुमोदित कराए बिना ही दे दिया गया था जिसके परिणामस्वरुप 82.90 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय हुआ।

- जबकि सितम्बर 1979 से 53255 पंजीकर्ता फ्लैटों के आबंटन की प्रतीक्षा कर रहे थे, अप्रैल 1993 को 12384 फ्लैट खाली पड़े हुए थे।

- दि.वि.प्रा. की किराया-खरीद योजना के 92 प्रतिशत लाभभोगियों ने किश्तों के भुगतान पर चूक की थी। 346.90 करोड़ रु. के बकाया राशियों को वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

(ख) स्वयं वित्तपोषित योजनाएं

- यद्यपि भूमि का अतिक्रमण किया हुआ था, तथापि दि.वि.प्रा. ने सरिता विहार में 5163 फ्लैटों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया। अन्त में केवल 4323 फ्लैटों का ही निर्माण किया गया था। उपलब्ध भूमि का आवेदन करने से मुकदमेबाजी होने के कारण निर्माणकार्य के क्षेत्र में कमी होने के परिणामस्वरुप क्षतिपूर्ति हेतु परिहार्य देयता तथा परियोजना के पूर्ण होने में लगभग चार वर्षों के विलम्ब के परिणामस्वरुप क्षतिपूर्ति भुगतानों पर 189.60 लाख रु. परिहार्य व्यय हुआ था।

- मादीपुर में फ्लैटों के निर्माण पर विलम्बों तथा लेखाविधि में गलतियों के परिणामस्वरुप 38.56 लाख रु. का परिहार्य व्यय किया गया था।

- निर्माणकार्य मे विलम्ब होने के परिणामस्वरुप योजना के पंजीकर्ताओं को ब्याज का भुगतान करने के कारण 36.14 करोड़ रु. का परिहार्य व्यय हुआ।

- चूंकि दि.वि.प्रा. ब्याज भुगतानों के सम्बन्ध मे स्रोत पर आय कर वसूल करने में असफल रहा, इसलिए आय कर विभाग ने दि.वि.प्रा. के बैंक लेखे से 3.95 करोड़ रु. जब्त कर लिए।

- इस योजना के अंतर्गत निर्मित 2653 फ्लैट अभी आबंटित किए जाने थे जिसमें से 400 फ्लैट तीन वर्षों से आंबटन की प्रतीक्षा में थे जबकि 1685 फ्लैट तीन वर्ष से कम समय से आंबटन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जिसके परिणामस्वरुप, इन खाली फ्लैटों हेतु भू-किराए के कारण 58.16 लाख रु. की आय की हानि के अतिरिक्त 157.65 करोड़ रु. का निवेश निष्क्रिय रहा था।

- फ्लैटों की लागत एकरुपता के आधार पर नहीं रखी गई थी। मादीपुर में निर्माणकार्य समाप्त होने से दो वर्ष पहले लागत नियत करने से 121 लाख रु. अधिक प्रभारित हुए।

- सरिता विहार के ए, बी एवं सी पॉकेटों में 1498 फ्लैटों के लागत विवरणों ने 78.56 लाख रु. कम प्रभारित हुए दर्शाए।

- सरिता विहार में डी एवं ई तथा एफ एवं जी पॉकेटों में 697 फ्लैटों की एकीकरण लागत में पॉकेट एफ एवं जी के फ्लैटों की यूनिट लागत में 22000 रु. से 25000 रु.प्रति फ्लैट तक वृद्धि हुई।

- 128.55 लाख रु. राशि के अन्तर श्रेणी समायोजन प्रभारों की भूमितल आबंटितियों से अनियमित रुप से वसूली की गई थी।

6.2.4 संगठनात्मक ढांचा

फ्लैटों के निर्माण तथा आंबटन के कार्य की देखभाल क्रमशः अभियन्ता सदस्य तथा प्रधान आयुक्त द्वारा की जाती है जो उपाध्यक्ष के समग्र नियंत्रण तथा पर्यवेक्षणाधीन कार्य करते हैं। केन्द्रीय आवास लेखा द्वारा फ्लैटों की लागत को अंतिम रुप देकर दि.वि.प्रा.के उपाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

6.2.5 न्यू पैटर्न पंजीकरण योजना

लेखापरीक्षा को निर्माण हेतु लक्षित फ्लैटों, वास्तव में निर्मित किए गए फ्लैटों तथा निर्माण में कमी; यदि कोई हो, की संख्या से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा 5 प्रभागों द्वारा पूर्ण निष्पादित किए गए निर्माणकार्यों से संबंधित अभिलेखों की जांच की गई थी तथा नमूना जांच के परिणाम निम्नलिखित पैराग्राफों में दिए गए हैं:-

6.2.6 निर्माणकार्यों का विश्लेषण

क) 936 जनता फ्लैटों का निर्माण

पीतमपुरा (पूर्वी), पॉकेट -V में 888 जनता फ्लैटों (936 की योजना के प्रति) के निर्माण का कार्य अक्तूबर 1980 में 86 लाख रु. की निविदागत राशि पर ठेकेदार "क" को सौंपा गया था, हालांकि कार्यकारी अभियंता ने निम्नलिखित आधारों पर ऐसा न करने का परामर्श दिया था:-

- ठेकेदार की साधनसम्पन्नता तथा तकनीकी योग्यता संदेहपूर्ण थी,
- सितम्बर 1979 में उसको आबंटित आंतरिक विकास के कार्य सहित ठेकेदार की पीतमपुरा -पॉकेट-आर (उत्तरी) में 504 म.आ.व. फ्लैटों के निर्माण कार्य के निष्पादन की गति बहुत धीमी थी।

निर्माण कार्य अक्तूबर 1980 में आरम्भ करके अक्तूबर 1981 तक पूर्ण किया जाना था।

ठेकेदार ने कार्य आरम्भ करने में चार मास का विलम्ब किया। उसे आगे समय नष्ट किए बिना निर्माणकार्य पूरा करने के लिए कहा गया था (मई 1981)। तथापि, ठेकेदार ने कार्य पूरा नहीं किया तथा इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि ठेकेदार निर्माणकार्य पूरा करने में असमर्थ था, दि.वि.प्रा. ने नवम्बर 1982 में ठेका रद्द कर दिया तथा उस समय तक ठेकेदार "क" ने 17.95 लाख रु. मूल्य का कार्य निष्पादित किया था। शेष निर्माणकार्य अक्तूबर 1983 में 92.40 लाख रु. की निविदागत लागत पर ठेकेदार "ख" को दिया गया था।

दि.वि.प्रा. ने दिसम्बर 1983 में केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (के.म.अ.सं.) रुड़की को ठेकेदार "क" के निर्माणकार्य का तकनीकी परीक्षण करने का अनुरोध किया। के.म.अ.सं. ने मार्च 1984 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में बताया कि निम्नलिखित क्षेत्रों में किए गए निर्माणकार्य का स्तर घटिया तथा दोषपूर्ण था:-

- नीव कंकरीट दोषपूर्ण था,
- ईंट की चिनाई बहुत घटिया स्तर की थी,
- नींव की चिनाई में सही ढंग से कदम नहीं दिए गए थे,
- नींव की चौड़ाई नक्शे में निर्दिष्ट 75 सेमी. से 100 सेमी. के प्रति 41 सेमी. से 71 सेमी. तक की थी।

तदनुसार के.भ.अ.सं. ने यह सिफारिश की कि नींव चिनाई की समस्त दीवार गिराकर उचित ढंग से नींव भरनी चाहिए।

दोषपूर्ण ढांचे को गिराने का निर्णय लम्बित होने से ठेकेदार "ख" को 888 फ्लैटों के निर्माण हेतु पूर्ण स्थल उपलब्ध नहीं कराया जा सका। जिसके परिणामस्वरुप ठेकेदार "ख" 18.23 लाख रु. की लागत पर केवल 108 फ्लैटों का निर्माण करने में समर्थ था।

यह केवल के.भ.अ.सं. द्वारा रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण की तिथि के दो वर्ष बाद अर्थात अप्रैल 1986 में हुआ था कि दि.वि.प्रा. ने ठेकेदार "क" द्वारा 17.95 लाख रु.मूल्य के किए गए घटिया निर्माणकार्य को गिराने का निर्णय लिया। मार्च 1987 में निर्माण कार्य गिराने का कार्य ठेकेदार "ग" को दिया गया था तथा जुलाई 1987 तक पूर्ण किया जाना था। ठेकेदार "ग" द्वारा पूर्ण किए गए निर्माणकार्य के ब्यौरे लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे

सितम्बर 1987 में, दि.वि.प्रा. ने 780 जनता फ्लैटों के निर्माण का शेष कार्य ठेकेदार "क" की जोखिम तथा लागत पर ठेकेदार "घ" को उसकी 163.16 लाख रु. की निविदागत लागत पर दे दिया। निर्माणकार्य सितम्बर 1987 में आरम्भ करके सितम्बर 1988 तक पूर्ण किया जाना था। तथापि, ठेकेदार "घ" द्वारा कार्य आरम्भ करने में 3 मास का विलम्ब हुआ था क्योंकि दि.वि.प्रा. ठेकेदार "ग" द्वारा गिराये जाने वाले कार्य के पूर्ण होने में विलम्ब के कारण ठेकेदार "घ" को पुन:स्पष्ट स्थल उपलब्ध नहीं करा सका। जुलाई 1990 में 182.85 लाख रु. की लागत पर 780 जनता फ्लैटों का निर्माणकार्य पूर्ण हुआ था। स्थल पर वृक्ष होने के कारण 774 फ्लैटों का निर्माण जुलाई 1990 तक ही किया जा सका। संपूर्ण रुप में दि.वि.प्रा. 882 फ्लैटों का ही निर्माण करा सका। दि.वि.प्रा. ने 40.58 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय किया जो ठेकेदार "क" से वसूली योग्य था। तथापि अतिरिक्त व्यय की राशि वसूल नहीं की जा सकी क्योंकि ठेकेदार मध्यस्थता में चला गया था तथा मामला मध्यस्थ के पास लम्बित था (जुलाई 1993)

इस प्रकार, ठेकेदार "क", को जो साधनों तथा तकनीकी योजना की कमी का ज्ञाता था, निर्माणकार्य देने के परिणामस्वरुप 40.58 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय हुआ तथा फ्लैटों की लागत में परिणामी वृद्धि हुई। इसके अलावा निर्माणकार्य, जो अक्तूबर 1981 में पूर्ण किया जाना था, में लगभग नौ वर्ष का विलम्ब हुआ था।

ठेकेदार "क" पीतमपुरा पॉकेट-आर (उत्तरी) में 504 म.आ.व. फ्लैटों का निर्माणकार्य, जो उसे सितम्बर 1979 में दिया गया था, पूर्ण करने में भी असफल रहा। दोषपूर्ण कारीगरी के कारण ठेका जून 1982 में रद्द कर दिया गया था। शेष निर्माणकार्य ठेकेदार "क" की जोखिम तथा लागत पर दूसरे ठेकेदार को दे दिया गया था। परिणामत: दि.वि.प्रा. ने 48.08 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय किया जिसको वसूल नहीं किया जा सका क्योंकि ठेकेदार मध्यस्थता में चला गया था तथा मध्यस्थ द्वारा दि.वि.प्रा. के समस्त प्रति दावे इस

आधार पर अस्वीकृत कर दिए गए थे कि ठेके को मुख्यत: दि.वि.प्रा. द्वारा समय पर नींव आरेखणों को जारी करने में उसकी असमर्थता से भंग किया गया था तथा इसलिए उन्हें ठेकेदार "क" को दण्डित करने का हक नहीं था। दि.वि.प्रा. ने उच्च न्यायालय में मध्यस्थता के निर्णय को चुनौती दी लेकिन निर्णय रुका हुआ था।

ख) **जहांगीरपुरी में 336 म.आ.व फ्लैटों का निर्माण**

यह निर्माणकार्य 132.51 लाख रु. की निविदागत लागत पर ठेकेदार "ड़" को दिया गया था। यह कार्य फरवरी 1982 में आरम्भ करके फरवरी 1983 तक पूरा किया जाना था।

29.34 लाख रु. की सीमा तक निर्माणकार्य किए जाने के बाद दि.वि.प्रा. के गुणवत्ता नियंत्रण विंग द्वारा मार्च 1983 में जांच की गई जिसमें कुछ दोष पाए गए थे। दोषों का सुधार किए जाने की बजाय ठेकेदार ने जनवरी 1984 में मध्यस्थता प्राप्त कर ली। जब दि.वि.प्रा. द्वारा कोई मध्यस्थ नियुक्त नहीं किया गया तो ठेकेदार उच्च न्यायालय में चला गया तथा न्यायालय के निर्देशों पर दि.वि.प्रा. ने दिसम्बर 1984 में एक मध्यस्थ नियुक्त किया।

इसी बीच निर्माणकार्य भ.अ.सं. रुड़की को भी स्तर जांच हेतु भेजा गया था जिसमें उसने अपनी रिपोर्ट में (अगस्त 1985) कुछ खण्डों को गिराने तथा कुछ खण्डों में मंजिलों की संख्या में चार से दो तक कमी करने का सुझाव दिया। दि.वि.प्रा. ने गिराई जाने वाली मंजिलों की कुल संख्या निश्चित करने के लिए तीन मुख्य अभियंताओं की एक सुविज्ञ समिति नियुक्त की। समिति ने अपनी रिपोर्ट (अगस्त 1985) में निम्नानुसार सुझाव दिए :-

- भूमितल स्तर पर प्रत्येक 4 क्वार्टरों से बने उन 11 खण्डों को जो अभी प्रथम तल के स्तर तक नहीं पहुंचे थे, पूरी तरह से गिरा देना चाहिए।
- उन 3 खण्डों को, जो भूमितल के छत स्तर से ऊपर प्रगति में थे, भी पूरी तरह से गिरा देना चाहिए।
- उन दो खण्डों को, जो प्रथम तल स्तर से ऊपर प्रगति में थे,गिरा देना चाहिए जिससे केवल दो मंजिलों का निर्माण रहता रहे।

समिति के सुझावों के परिणामस्वरुप निर्माणकार्य का कार्यक्षेत्र 336 म.आ.व. फ्लैटों से घटकर 224 फ्लैटों तक रह गया था। ढांचे जिनपर 12.86 लाख रु. खर्च किए गए थे, 1.77 लाख रु. की लागत पर गिरा दिए गए थे।

निर्माण कार्य 104 फ्लैटों तथा 120 फ्लैटों के दो समूहों में विभाजित किया गया था जो 85.52 लाख रु. तथा 292.80 लाख रु. की लागत पर जून 1990 तथा मई 1992 पूर्ण किया गया था। दोनों निर्माणकार्य ठेकेदार "ड." के जोखिम तथा लागत पर किए गए थे। यह भी पाया गया था कि वास्तविक ठेकेदार को जारी की गई 5.64 लाख रु. मूल्य की सामग्रियां लापता पाई गई थी। आगे शेष निर्माणकार्य पर किया गया 100

लाख रु. का अतिरिक्त व्यय, ठेकेदार "ड." से वसूल नहीं किया जा सका क्योंकि मामला पंचाट में था (जून 1993)। जून 1993 तक ठेकेदार पर कोई अर्थदण्ड नहीं लगाया गया था।

इस प्रकार, पर्यवेक्षण की कमी के परिणामस्वरुप गिराये जाने के बाद निर्माणकार्य पर 20.27 लाख रु. का निष्फल व्यय हुआ, ठेकेदार से 100 लाख रु. की वसूली नहीं हुई तथा निर्मित फ्लैटों की लागत में 120.27 लाख रु. की वृद्धि हुई। चूंकि 336 फ्लैटों की भूमि पर अन्तिम रुप से केवल 224 फ्लैटों ही बनाए गए थे इसलिए दि.वि.प्रा. ने 112 आवेदकों को वैकल्पिक तथा विलम्बित आवास उपलब्ध कराने थे।

ग) पीतमपुरा में 384 नि.आ.व. के फ्लैट तथा अन्य निकटवर्ती निर्माणकार्य

फरवरी 1980 में दि.वि.प्रा. ने पीतमपुरा (पूर्वी) पॉकेट-एल में 384 नि.आ.व. के फ्लैटों के निर्माण का कार्य ठेकेदार "च को उसकी 52.08 लाख रु. की निविदागत राशि पर सौंपा। निर्माणकार्य को फरवरी 1980 में आरम्भ करके फरवरी 1981 तक पूर्ण किया गया था।

अप्रैल 1980 में कार्यकारी अभियंता ने कार्य का निरीक्षण किया तथा पाया कि ठेकेदार की निर्माणकार्य निष्पादन करने की गति धीमी थी तथा उसमें कुछ गंभीर दोष थे। ठेकेदार ने न तो दोषों को सुधार किया और न ही कार्य की गति बढ़ायी। धीमी गति तथा दोषपूर्ण कार्यों के बावजूद दि.वि.प्रा. ने ठेकेदार को पीतमपुरा में तीन और अर्थात 396 नि.आ.व. के फ्लैटों (पाकेट-डब्ल्यू), 324 नि.आ.व. के फ्लैटों (पांकेट डब्ल्यू) तथा 160 म.आ.व. के फ्लैटों (पाकेट क्यू (यू)) के निर्माण का कार्य सौंप दिया (जनवरी-फरवरी 1981)।

सितम्बर 1981 में दि.वि.प्रा. द्वारा किए गए इन तीनों निर्माणकार्यों के निरीक्षण ने भी दर्शाया कि ठेकेदार की कार्य की गति न केवल धीमी ही थी बल्कि निष्पादन कार्य में दोष भी थे। अक्तूबर 1981 से मई 1982 के दौरान दि.वि.प्रा. ने पीतमपुरा में स्व.वि.यो. (पाकेट एल)के अंतर्गत 64 तीन बेडरुम (टाइप III), 64 दो बेडरुम (टाइप II), 96 स्कूटर गैराजों, 256 म.आ.व. ग्रुप-II फ्लैटों (पाकेट-के (पी)) तथा 192 म.आ.व. ग्रुप-I (पांकेट-के (पी)) के निर्माण से संबंधित तीन और निर्माणकार्य पुनः उसी ठेकेदार को दे दिए।

256 म.आ.व. ग्रुप-II फ्लैटों (पांकेटों-के (पी)) तथा 192 म.आ.व. ग्रुप-I फ्लैटों (पाकेट-के (पी)) के दो निर्माणकार्यों में ठेकेदार की कार्य निष्पादन की गति न केवल धीमी थी बल्कि उसने इन दो कार्यों के स्थल से 7.11 लाख रु. मूल्य की सामग्री, जिसके लिए दि.वि.प्रा. ने रक्षित अग्रिम दिया था, भी हटा ली थी। यद्यपि ठेकेदार को सामग्री वापिस करने के लिए कहा गया था (अक्तूबर 1982) तथापि सामग्री स्थल या भण्डार में वापिस नहीं की गई थी।

अन्त में दि.वि.प्रा. ने दिसम्बर 1983 तथा जुलाई 1984 में समस्त सातों निर्माणकार्य रद्द कर दिए। शेष निर्माणकार्य तथा दोषों का सुधार ठेकेदार "च" की जोखिम तथा लागत पर अन्य ठेकेदारों से कराए गए थे। इस प्रक्रिया में दि.वि.प्रा. ने 168.64 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय किया।

दि.वि.प्रा. इस व्यय को वसूल करने में असमर्थ था क्योंकि ठेकेदारों ने मध्यस्थता प्राप्त कर ली तथा सात मामलों में से छः में मध्यस्थ ने दि.वि.प्रा. के एक निर्माणकार्य से संबंधित दि.वि.प्रा. के 25.20 लाख रु. के प्रति दावे के प्रति दोषों के सुधार के 2 लाख रु. के अलावा 237.51 लाख रु. तक बढ़ाए गए समस्त प्रतिदावों को अस्वीकृत कर दिया। सातवें निर्माणकार्य (324 नि.आ.व.के फ्लैटों का निर्माण) हेतु मध्यस्थ जुलाई 1993 तक अभी नियुक्त किया जाना था। दि.वि.प्रा. ने इस निर्माण कार्य पर 25.71 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय किया था जो ठेकेदार से वसूली योग्य था।

लेखापरीक्षा को कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे जिससे यह प्रकट हो कि ठेके देने से पहले कभी ठेकेदार की तकनीकी तथा वित्तीय क्षमता का निर्धारण किया गया हो।

इस प्रकार, यह जानने,कि ठेकेदार का निर्माण कार्य बहुत धीमी गति का तथा दोषों से पूर्ण था, के बावजूद एक क्रमिक निर्माण कार्यों के अविवेकपूर्ण सौंपने के परिणामस्वरुप अतिरिक्त व्यय, दोषपूर्ण निर्माण कार्यों की लागत, क्षतिपूर्ति तथा राजस्व की हानि के प्रति 261.22 लाख रु. का घाटा हुआ।

घ) दिलशाद गार्डन में 96 नि.आ.व. तथा 96 म.आ.व. के फ्लैटों का निर्माण

यह निर्माण कार्य मार्च 1981 में 97.92 लाख रु. की निविदागत लागत पर ठेकेदार "छ" को सौंपा गया था। निर्माणकार्य मार्च 1981 में आरम्भ करके मार्च 1982 तक पूरा किया जाना था।

ठेकेदार कार्य पूरा करने में असफल रहा तथा इसे छोड़ दिया। तदनुसार, ठेका सितम्बर 1985 में रद्द कर दिया गया था उस समय तक ठेकेदार ने 67.37 लाख रु. मूल्य का निर्माणकार्य निष्पादित किया था। गुणवत्ता नियंत्रण विंग तथा के.म.अ.सं. द्वारा कार्य के किए गए निरीक्षण से कई दोष प्रकट हुए जो निर्माणकार्य को मजबूत करने तथा अन्य सुधार के लिए अपेक्षित थे।

शेष निर्माण कार्य तथा गजबूती प्रदान करने वाले कार्य, दोनों ठेकेदार "च के जोखिम तथा लागत पर, सितम्बर 1990 में 48.34 लाख रु. तथा 1986-89 के दौरान 35.05 लाख रु. की निविदागत लागत पर, अन्य ठेकेदारों को सौंपे गए थे। शेष निर्माण कार्य, जो अप्रैल 1991 में पूर्ण किए जाने निर्धारित थे, अभी तक पूर्ण नहीं किए गए थे (अगस्त 1993)। कार्य को पूरा न किए जाने के कारण, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त, 116.14 लाख रु. ठेकेदार "च" से वसूली योग्य थे।

116.14 लाख रु. की राशि की वसूली नहीं की जा सकी क्योंकि ठेकेदार का पता नहीं लग रहा था। अभिलेख ऐसा कुछ नहीं दर्शाते थे कि क्या ठेकेदार "च" दि.वि.प्रा., के.लो.नि.वि. अथवा किसी राज्य के.लो.नि.वि. के साथ पंजीकृत था। अभिलेख ऐसा भी कुछ नहीं दर्शाते थे कि क्या पुलिस के पास कोई प्र.सू.रि. दर्ज कराई गई थी। एक ठेकेदार को बिना उसके पूर्ववृत्त सत्यापन के कार्य सौंपने के परिणामस्वरुप 116.14 लाख रु. की हानि हुई। 11 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी निर्माण कार्य अभी अधूरा पड़ा था।

ड.) **बोडेला में 288 म.आ.व.फ्लैटों का निर्माण**

बोडेला में 288 म.आ.व.फ्लैटों के निर्माण का कार्य, 114.30 लाख रु. की निविदागत लागत पर जनवरी 1982 मे एक ठेकेदार "ज" को सौंपा गया था। निर्माण कार्य जनवरी 1982 में प्रारम्भ होना था तथा जनवरी 1983 तक पूर्ण किया जाना था।

दिसम्बर 1982 में, जब 57.60 लाख रु. की राशि का कार्य कर लिया गया था, दो ब्लाकों में कुछ फ्लैट गिर गए। ठेका मार्च 1983 में निरस्त कर दिया गया था। तत्पश्चात निर्माण कार्य का अप्रैल 1983 में, दि.वि.प्रा.की एक तथ्य ढूढ़ने वाली समिति द्वारा निरीक्षण किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि फ्लैट, घटिया कारीगिरी तथा उपयुक्त सामग्री की हल्की गुणवत्ता के कारण गिरे थे। समिति ने शेष ब्लॉकों के ढांचे को मजबूत करने की सिफारिश की।

दि.वि.प्रा. ने दोषों की मजबूती, पुनर्निर्माण, तथा संशोधन का कार्य अन्य ठेकेदारों से ठेकेदार "ज" के जोखिम तथा लागत पर 32.69 लाख रु. की लागत पर करवाया। इसके अतिरिक्त, 23.29 लाख रु. ठेकेदार से वसूली योग्य थे।

तथापि, दि.वि.प्रा. अतिरिक्त व्यय को वसूल नहीं कर सका क्योंकि ठेकेदार "ज" मध्यस्थता के लिए चला गया तथा निर्णायक ने 55.98 लाख रु. की राशि का, दि.वि.प्रा. का प्रतिदावा फरवरी 1993 में निम्नलिखित आधारों पर रदद कर दिया:-

- मध्यस्थता के दौरान दि.वि.प्रा. ने यह दर्शाने वाले अभिलेख, कि खण्डों का गिरना पूर्णतः ठेकेदार "ज" को ही आरोप्य था, नहीं दिखाए थे।
- दि.वि.प्रा., तथ्य ढूढने वाली समिति द्वारा स्थल के निरीक्षण के समय ठेकेदार "ज" को सहयोग करने में असफल रहा तथा उसने ठेकेदार को अपनी रिपोर्ट की प्रति भी आपूर्त नहीं की।
- ढांचे के नक्शे, निर्णायक के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए थे जिससे बिना किसी सन्देह के यह जाहिर होता था कि दि.वि.प्रा. कुछ छुपा रहा था तथा फ्लैटों को गिरना पूर्णतः ठेकेदार को आरोप्य नहीं था।

यह पता चलता है कि निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान व्यावसायिक क्षमता की कमी तथा पर्यवेक्षण के अभाव के परिणामस्वरुप 55.98 लाख रु. की हानि हुई जिसमें बोडेला में 288 फ्लैटों के निर्माण के लिए ठेकेदार से प्राप्य 23.29 लाख रु. सम्मिलित थे।

च) **दिलशाद गार्डन, पाकेट-क्यू में 613 जनता फ्लैटों का निर्माण**

यह निर्माण कार्य 98.01 लाख रु. की निविदागत राशि पर मार्च 1983 ठेकेदार "झ" को सौंपा गया था। निर्माण कार्य अप्रैल 1983 में प्रारम्भ तथा अप्रैल 1984 में पूरा किया जाना था।

यद्यपि निर्माण कार्य वास्तव में जुलाई 1983 में प्रारम्भ हो गया था, अप्रैल 1985 तक, केवल 25 प्रतिशत कार्य ही पूरा हुआ था। ठेकेदार द्वारा निर्माणकार्य में पूरा होने में विलम्ब, दि.न.नि. से अनुमोदित मलजल विकास नक्शे उपलब्ध न होने तथा कुछ समय के लिए स्टील के उपलब्ध न होने पर लगाया गया था। ठेकेदार से कार्य की प्रगति को बढ़ाने के लिए कहा गया था, परन्तु ढाई वर्ष बीत जाने के पश्चात भी, ठेकेदार निर्माण कार्य का केवल 52 प्रतिशत कार्य ही पूरा कर सका जिसके प्रति 51.18 लाख रु. का भुगतान किया गया था। दि.वि.प्रा. ने अन्त में नवम्बर 1986 में ठेका निरस्त कर दिया।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि दि.वि.प्रा. ने मलजल तथा जल पाईपलाइनों के नक्शे दि.न.नि. को केवल अक्तूबर 1989 तथा दिसम्बर 1990 में ही अनुमोदनार्थ भेजे थे जो दि.न.नि. द्वारा केवल क्रमशः अक्तूबर 1989 तथा अगस्त 1991 में अनुमोदित किए गए थे।

शेष निर्माण कार्य एक अन्य ठेकेदार द्वारा मूल ठेकेदार के जोखिम तथा लागत पर अगस्त 1991 में 129.73 लाख रु. की लागत पर पूरा किया गया था। जबकि दि.वि.प्रा. ने 82.90 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय किया, ठेकेदार "झ" से वसूली योग्य राशि 70.55 लाख रु. परिकलित की गई थी जो अभी तक वसूल नहीं की गई थी (अक्तूबर 1993)। जिस आधार पर 70.55 लाख रु. की वसूली परिकलित की गई थी, वह लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

इस प्रकार, दि.न.नि. को नक्शों को देर से प्रस्तुत करने के परिणामस्वरुप, 82.90 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय हुआ। चूंकि विलम्ब का समस्त आरोप दि.वि.प्रा. पर ही लगाया था, यह स्पष्ट नहीं था कि दि.वि.प्रा. अतिरिक्त व्यय को पहले ठेकेदार से वसूल करने की उम्मीद कैसे कर रहा था।

ङ) पीतमपुरा पाकेट-क में 208 म.आ.व. फ्लैटों का निर्माण

यह निर्माण कार्य ठेकेदार "अ" को 77.31 लाख रु. की निविदागत लागत पर अप्रैल 1982 में सौंपा गया था। निर्माणकार्य अप्रैल 1982 में प्रारम्भ तथा अप्रैल 1983 में पूर्ण किया जाना था।

निर्माण कार्य की प्रगति प्रारम्भ से ही असन्तोषजनक थी। निर्माण कार्य का दि.वि.प्रा. के गुणवत्ता नियंत्रण विंग तथा तथ्य ढूढने वाली समिति द्वारा निरीक्षण किया गया था तथा यह संकेत दिया गया था कि ठेकेदार द्वारा किया गया कार्य विनिर्देशनों से निम्न था। ठेकेदार को दोषों को दूर करने के लिए कहा गया था परन्तु ठेकेदार द्वारा दोषों को दूर करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। तदनुसार, ठेका दि.वि.प्रा. द्वारा निरस्त कर दिया गया था तथा निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा अन्त में जून 1985 में पूरी तरह से छोड़ दिया गया था।

शेष निर्माणकार्य ठेकेदार "ट" द्वारा 5 लाख रु. की अतिरिक्त लागत पर दिसम्बर 1989 में निष्पादित किया गया था। दि.वि.प्रा. ने भी दोषों का संशोधन तीन अन्य ठेकेदारों द्वारा 5.44 लाख रु. की लागत पर कराया। ठेकेदार से अन्य वसूलियां 19.75 लाख रु. परिकलित की गई थी।

ठेकेदार से वसूली योग्य कुल राशि 30.19 लाख रु. परिकलित की गई थी।

दि.वि.प्रा. ठेकेदार से राशि की वसूली नहीं कर सका क्योंकि ठेकदार का पता नहीं चल रहा था (सितम्बर 1992) तथा वह दि.वि.प्रा. को उसके द्वारा दिए गए पते पर नहीं रह रहा था। ऐसा कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था जिससे यह पता चलता कि दि.वि.प्रा. ने ठेकेदार निष्कपटता का सत्यापन किया था तथा उसे निर्माण कार्य सौंपने से पूर्व ठेकेदार की तकनीकी तथा वित्तीय सक्षमता का मूल्यांकन किया था।

6.2.7 प्रोफार्मा लेखे

दि.वि.प्रा. द्वारा प्रत्येक पूर्ण किए गए निर्माण कार्य एवं योजना की वित्तीय समीक्षा करवाना तथा इन निर्माण कार्यों तथा योजनाओं में हुए लाभों तथा दीर्घकालीन हानियों के निर्धारण हेतु प्रोफार्मा लेखे तैयार करना अपेक्षित है। तथापि, दि.वि.प्रा. ने 1991-92 तक 74 प्रोफार्मा लेखे तैयार किए थे, जिनमें से 29 योजनाओं में दि.वि.प्रा. को 811.92 लाख रु. के योग की हानियां हुई थी।

6.2.8 घटिया सामग्री

दि.वि.प्रा. के गुणवत्ता नियंत्रण विंग के 1989-90 से 1991-92 के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि लगभग 69 प्रतिशत निर्माण कार्यों में फ्लैटों के निर्माण हेतु उपयोग में लाई गई सामग्री जैसे कि रेत, पत्थर, ईंट, सीमेंट, तार, जल, आदि घटिया स्तर की थी जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:-

तालिका 6.2.8- नमूना परीक्षणों के परिणाम

वर्ष	नमूनों की संख्या			
	एकत्रित	जो अपेक्षित परीक्षण में सफल रहे	जो अपेक्षित परीक्षण में असफल रहे	जिनके परीक्षण परिणाम प्रतीक्षित थे
1989-90	138	38	100	--
1990-91	114	26	88	--
1991-92	136	55	80	1
जोड़	388	119	268	1

दि.वि.प्रा. द्वारा की गई कार्यवाही अथवा ठेकेदारों द्वारा फ्लैटों के निर्माण में उपयुक्त घटिया सामग्री को प्रयोग करने के लिए ठेकेदारों से की गई वसूलियों के विवरण लेखापरीक्षा को अक्तूबर 1993 तक प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

6.2.9 फ्लैटों का आंबटन

योजना का पंजीकरण 1 सितम्बर को खुला था तथा 30 सितम्बर 1979 को बन्द हुआ था।

फ्लैटों का आंबटन चिट्ठियों के ड्रा द्वारा किया गया था तथा सभी आवेदकों, जिन्होंने स्वयं को सितम्बर 1979 में पंजीकृत कराया था, की समान प्रवरता थी।

फ्लैटों के आबंटन हेतु दि.वि.प्रा. द्वारा पंजीकृत लोगों की संख्या तथा मार्च 1992 को सभी पंजीकर्ताओं को आबंटित फ्लैटों की वास्तविक संख्या नीचे दी गई है:-

तालिका 6.2.9 फ्लैटों का आबंटन

श्रेणी	पंजीकर्ताओं की संख्या	आबंटनों की संख्या	आबंटन की प्रतीक्षा में पंजीकर्ताओं की संख्या
म.आ.व.	47521	20620	22280
नि.आ.व.	67502	39574	25857
जनता	56249	50923	5118
जोड़	171272	*111117	*53255

* आंकड़ों में अन्तर, आबंटनों को रद्द करने/वापस करने के कारण है।

यह देखा गया था कि 53255 पंजीकर्ता, 13 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी, आबंटन की प्रतीक्षा कर रहे थे।

6.2.10 खाली फ्लैट

जबकि एन. पी.आर.एस. के 53255 पंजीकर्ता फ्लैटों के आबंटन की प्रतीक्षा कर रहे थे, इंजीनियरिंग विभाग के अभिलेखों ने दर्शाया कि अप्रैल 1993 तक 12384 फ्लैट खाली पड़े थे जिनमें से 9335 फ्लैट 1976-77 से 1991-92 के दौरान निर्मित किए गए थे। खाली फ्लैटों में से, 7264 फ्लैट आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी से सम्बन्धित थे।

आवास विभाग के अभिलेखों के अनुसार खाली पड़े फ्लैटों की संख्या लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी; जिन कारणों से ये फ्लैट खाली पड़े थे, वे भी लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किए गए थे।

पंजीकर्ताओं को फ्लैटों के आबंटन न किए जाने के परिणामस्वरूप, इन पर 175.78 करोड़ रु. की राशि की निधियां अवरुद्ध रहीं।

6.2.11 किश्तों की गैर-वसूली

एन. पी. आर. एस. के अन्तर्गत फ्लैटों का आबंटन नकद-जमा तथा खरीद हेतु दिये गये किराये के आधार पर किया जाना था। खरीद हेतु किराये पर आबंटित फ्लैटों के मामले में, भूमि की लागत जमा फ्लैट की लागत का 20 प्रतिशत, प्रारम्भिक जमा के रूप में, आबंटन के समय वसूल किया जाना था। शेष राशि, म.आ.व. के मामले में 7 वर्ष, नि.आ.व. के मामले में 10 वर्ष तथा जनता फ्लैटों के मामले में 15 वर्ष में बांटी गई अवधि में मासिक किश्तों में वसूल की जानी थी।

81864 पंजीकर्ताओं, जिन्हें 1981 से 1991 के दौरान फ्लैट किश्तों पर आबंटित किए गए थे, में से 75254 आबंटितियों ने किश्तों तथा विलम्ब से किए गए अथवा न किए गए भुगतानों के लिए लगाए गए अर्थदण्डों का भुगतान नहीं किया था। मार्च 1992 को, उनसे 346.90 करोड़ रु. बकाया थे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

तालिका 6.2.11-किश्तों वाले आबंटितियों से वसूली के लिए देय राशियां

(करोड़ रुपयों में)

श्रेणी	आबंटित फ्लैटों की संख्या	दोषियों की सं.	वसूली योग्य किश्तों की राशि	किश्तों के भुगतान में विलम्ब पर अर्थदण्ड	किश्तों का भुगतान न करने पर अर्थदण्ड	जोड़
म.आ.व.	12779	9875	45.77	16.58	41.10	103.45
नि.आ.व.	28275	25878	64.35	14.28	56.32	134.95
जनता	40810	39501	53.14	5.99	49.37	108.50
जोड़	81864	75254	163.26	36.85	146.79	346.90

92 प्रतिशत आबंटिती चूककर्ता पाए गए थे।

अपनी सामान्य आवास योजना में, दि.वि.प्रा., पंजाब राजस्व अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत भू-राजस्व के बकाया के रूप में चूककर्ताओं से किश्तों की वसूली कर रहा था। तथापि, एन पी आरएस में,

चूककर्ताओं को नोटिस जारी करने के अतिरिक्त, 1981 से बकाया अतिदेय किश्तों की वसूली सुनिश्चित करने के लिए चूककर्ताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया था कि वसूली करने के लिए सम्पदा अधिकारी को एक भी मामला नहीं भेजा गया था (अक्तूबर 1993)।

6.2.12 नकद भुगतान करने वाले आबंटितियों से गैरवसूली

योजना के अतंर्गत म.आ.व. और नि.आ.व. के फ्लैटों का आबंटन करते समय, 40 प्रतिशत फ्लैट नकद भुगतान के आधार पर तथा 60 प्रतिशत खरीद हेतु किराये के आधार पर आबंटित किए जाने थे। योजना के अन्तर्गत् नकद भुगतान आधार से खरीद हेतु किराये के आधार में परिवर्तन का कोई प्रावधान नहीं था। लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. ने स्वयं 1991-92 के दौरान 145 आबंटितियों को यह अनुमति दे दी, यद्यपि उन्हें केवल नकद भुगतान के आधार पर ही फ्लैटों का आबंटन किया गया था। दि.वि.प्रा. ने स्वीकार किया (अगस्त 1992) कि किश्त वाले आबंटितियों से खरीद हेतु किराये की किस्तों का भुगतान न करने का खतरा था तथा उसने दि.वि.प्रा. के एक लेखा अधिकारी को इन मामलों के पृथक अनुश्रवण के लिए अनुदेश दिए कि उनके द्वारा पूर्ण भुगतान न किए जाने तक इन आबंटितियों को फ्लैटों का कब्जा नहीं दिया जाना था।

न तो लेखा अधिकारी और न ही कम्प्यूटर सैल यह निर्धारित कर सका कि क्या इन आबंटितियों द्वारा पूर्ण भुगतान किया गया था। आयुक्त (आवास) भी न तो इस बात की पुष्टि कर सका और न ही ऐसे कोई अभिलेख प्रस्तुत कर सका जिससे यह पता चलता कि इन आबंटितियों का फ्लैटों का कब्जा फ्लैटों की पूरी कीमत वसूल करने के पश्चात ही दिया गया था।

6.2.13 स्व वित्तपोषित योजना (स्व.वि.यो.)

प्रथम स्वयं वित्तपोषित आवास पंजीकरण योजना दि.वि.प्रा. द्वारा दिल्ली में आवास गतिविधियां बढ़ाने तथा निर्माण की प्रक्रिया के दौरान इच्छुक खरीदारों की वित्तीय भागीदारी प्राप्त करने, ताकि फ्लैट उन्हीं के धन से निर्मित किए जा सकें, की दृष्टि से 1977 में निर्मित की गई थी। 1985 तक सेवानिवृत्त तथा सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष स्व.वि.यो. सहित छः और योजनाएं प्रारम्भ की गई थीं।

कुल मिलाकर 77672 खरीदारों ने सात योजनों के लिए अपने नामों का पंजीकरण करवाया। 61093 मामलों में फ्लैट आबंटित किए गए थे अर्थात स्थिति तथा भुगतान की योजना सूचित की गई थी। 7177 मामलों में पंजीकरण रद्द कर दिए गए थे अथवा प्रतिदाय दिया गया था। 5वीं तथा 6वीं योजनों के सम्बन्धित शेष सभी 9402 पंजीकर्ता 31 जुलाई 1993 तक आबंटन की प्रतीक्षा कर रहे थे।

प्रथम चार योजनाएं तथा सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों की विशिष्ट योजना अब पूरी हो गई थी परन्तु दि.वि.प्रा. ने इन योजनाओं में हुए दीर्घकालीन लाभों और हानियों के प्रोफार्मा लेखे प्रस्तुत नहीं किए थे।

6.2.14 दक्षिणी- पूर्वी मण्डल के अन्तर्गत सरिता विहार में 1792 फ्लैटों का निर्माण

दि.वि.प्रा. ने मार्च 1993 तक 5163 स्व.वि.यो. फ्लैटों के निर्माण का लक्ष्य रखा था जिसके प्रति वास्तव में 4323 फ्लैटों का निर्माण किया गया था। 840 फ्लैटों के निर्माण में कमी भूमि के स्थगन/अतिक्रमण के कारण थी। मार्च 1993 तक निर्मित 4323 फ्लैटों में से 1622.54 लाख रु.की अनुमानित लागत से निर्मित 1792 फ्लैटों के निर्माण से सम्बन्धित नौ निर्माण-कार्यों की लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई थी जिन्होंने यह दर्शाया कि उनमें निम्न विवरण के अनुसार निर्माण में विलम्ब था:-

तालिका 6.2.14 -निर्माण में विलम्ब

फ्लैटों की संख्या	निर्माण में विलम्ब
1400	3 वर्ष 7 मास
182	3 वर्ष 11 मास
210	प्रगति में

विभिन्न तत्व जिनके कारण निर्माण में विलम्ब हुआ था निम्न प्रकार से थे:-

तालिका 6.2.14 (क)- फ्लैटों के निर्माण मे विलम्ब के कारण

विलम्ब का स्वरूप	निर्माण कार्यों की संख्या	फ्लैटों की संख्या	विलम्ब की अवधि (दिनों में)
ठेकेदारों को स्थल का उपलब्ध न कराया जाना	9	1792	4658
निर्धारित सामग्री जैसे, सीमेंट/स्टील की अनुपलब्धता	7	1386	1959
रंग योजना का अनुमोदन न किया जाना	8	1582	2568
निधियों की कमी	6	1176	1648
दरवाजों के पर्दों की अनापूर्ति	7	1414	1514
जल तथा विद्युत मीटरों, जी आई पाईपों आदि से सम्बन्धित निर्णयों की अनुपलब्धता	6	1162	1852

इन विलम्बों का आरोप दि.वि.प्रा. पर था तथा ठेकेदारों को समय में वृद्धि की स्वीकृति बिना अर्थदण्ड के दी गई थी। विनिर्देशनों, नक्शों तथा निर्धारित सामग्री की उपलब्धता निर्माण कार्य को सौंपने से पूर्ण सुनिश्चित की जानी थी। चूंकि दि.वि.प्रा. इसे सुनिश्चित करने में असफल रहा, इसे अनुबन्ध की वृद्धि की धारा के अन्तर्गत ठेकेदारों को 189.60 लाख रु. प्रतिपूर्ति के रुप में देने पड़े जिसके कारण उपर्युक्त निर्माण कार्यों की लागत बढ़ गई जिसके परिणामस्वरुप आबंटितियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा।

विलम्बों के कुछ पहलुओं पर नीचे चर्चा की गई है:-

क) स्थल का उपलब्ध न होना

क(i) ग्रुप-IV, पॉकेट-ए, सरिता विहार में 28 ब्लॉकों का निर्माण

पॉकेट ए, श्रेणी III(112), श्रेणी II(84) तथा ग्रुप- IV में 140 स्कूटर गैराजों के अन्तर्गत 28 ब्लॉकों में 196 फ्लैटों का निर्माणकार्य, जनवरी 1986 तक पूर्ण किए जाने के लिए, 255 लाख रु. (अनुमानित लागत 171.16 लाख रु.) की निविदागत लागत पर सितम्बर 1984 में एक ठेकेदार को सौंपा गया था। निर्माण कार्य सौंपते समय दि.वि.प्रा. को यह पता था कि भूमि केवल 10 ब्लॉकों के लिए उपलब्ध थी। दि.वि.प्रा. ने ठेकेदार को सूचना दी (अक्तूबर 1984) कि कार्य का क्षेत्र सम्भवत: 50 प्रतिशत कम होना था तथा ठेकेदार भी इस बात से सहमत हो गया कि यदि निर्माण कार्य के प्रारम्भ होने की तिथि (अक्तूबर 1984) के 9 माह के अन्दर स्पष्ट स्थल उपलब्ध होगा तो वह शेष कार्य को निष्पादित करने के लिए बाध्य होगा। तथापि, दि.वि.प्रा. दिसम्बर 1985 तक केवल 10 ब्लॉकों के लिए ही स्थल उपलब्ध करा सका। निर्माणकार्य को 10 ब्लॉकों तक कम करने का नोटिस ठेकेदार को दिसम्बर 1987, अर्थात समापन की निर्धारित तिथि (जनवरी 1986) के 23 मास के पश्चात, जारी किया गया। इस प्रकार, ठेकेदार उसे सौंपे गए 196 फ्लैटों के प्रति 70 फ्लैटों (10 ब्लॉकों) का ही निर्माण कर सका।

ठेकेदार ने काम को सौंपे जाने से सन्तुष्ट न होते हुए, इस आधार पर कि उद्धृत दरें 255 लाख रु. की निविदागत लागत के संदर्भ में कार्य की मात्रा पर आधारित थी जबकि वास्तव में निष्पादित निर्माण कार्य केवल 89.52 लाख रु. परिकलित किया गया था, मध्यस्थता के लिए अनुरोध किया तथा लाभ की हानि के प्रति 16.55 लाख रु. के दावे सहित 31.88 लाख रु. के दावे प्रस्तुत किए। पंचाट का निर्णय प्रतीक्षित था (अक्तूबर 1993)। यदि मूल निविदा तथा निर्माण कार्य को सौंपे जाने को वास्तव में उपलब्ध भूमि क्षेत्र को विभाजित अथवा समयोजित किया जाता तो अनावश्यक मुकद्दमेबाजी तथा सम्भावित निष्फल व्यय से बचा जा सकता था।

क(ii) सरिता विहार, पॉकेट - सी, ग्रुप-II में 34 ब्लॉकों का निर्माण

श्रेणी III के 136, श्रेणी II के 102 फ्लैटों तथा 34 खण्डों में ग्रुप II पॉकेट-सी, में 170 स्कूटर गैराजों का निर्माण कार्य 306.49 लाख रु. (अनुमानित लागत 207.83 लाख रु.) की निविदागत लागत पर

सितम्बर 1984 में सौंपा गया था। प्रथम ब्लाक का स्थल, 196 दिनों के विलम्ब के पश्चात अप्रैल 1985 में सौंपा गया था तथा शेष 33 ब्लॉकों के लिए स्थल थोड़ा थोड़ा करके मई 1985 से अगस्त 1986 के बीच उपलब्ध कराए गए थे। इस प्रकार, अन्तिम क्षेत्र को समापन की निर्धारित तिथि के 8 मास पश्चात देने तथा सम्पूर्ण स्थल को सौंपने में 23 मास का विलम्ब था।

ठेकेदार ने मध्यस्थता के लिए आवेदन किया तथा फरवरी 1991 में एक निर्णायक नियुक्त किया गया था। निर्णायक ने मजदूरी की प्रतिपूर्ति तथा ठेके को लम्बा करने के कारण अन्य आकस्मिक प्रभारों के रुप में 2.80 लाख रु. सहित, मई 1993 में ठेकेदार के पक्ष में 15.18 लाख रु. का निर्णय दिया।

आगे, ठेकेदार द्वारा अन्तिम बिल को समापन की तिथि के 6 मास के अन्दर अन्तिम रुप दिए जाने के लिए निविदागत लागत पर 0.50 प्रतिशत की दर से छूट का प्रस्ताव दिया गया था। दि.वि.प्रा. ऐसा करने में असफल रहा तथा परिणामस्वरुप 1.44 लाख रु. की छूट प्राप्त नहीं कर सका।

क(iii) निर्धारित सामग्री का उपलब्ध न कराया जाना

सामान्यत: एक अनुबन्ध में दि.वि.प्रा. द्वारा निर्धारित सामग्री जैसे सीमेंट, स्टील तथा जी.आई.पाईप की आपूर्ति हेतु प्रावधान होता है। अन्य सामग्रियां, जैसे ईंटें, बजरी, रेत, आदि का प्रबन्ध ठेकेदार द्वारा किया जाता है तथा वे अनिर्धारित सामग्री के नाम से जानी जाती है। 108 श्रेणी III, 81 श्रेणी IIफ्लैटों तथा ग्रुप II, पॉकेट -बी में 135 स्कूटर गैराजों के निर्माण कार्य के मामले में, सीमेंट की अनियमित आपूर्ति के कारण, कुल 251 दिनों की बाधा थी। लेखापरीक्षा में स्थल-पर सीमेंट लेखा-सीमेंट रजिस्टर की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि बाधा की अवधि के दौरान ठेकेदार को 1742.50 मी.ट. सीमेंट आपूर्त की गई थी जो कि इस निर्माण कार्य हेतु उपयुक्त कुल सीमेंट की मात्रा का 48 प्रतिशत थी। अनुबन्ध के अन्तर्गत लागत में वृद्धि के प्रति ठेकेदार को इस लेखे में किए गए भुगतान का परिकलन नहीं किया जा सका क्योंकि विवरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

क(iv) निधियों की कमी

लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षित छ: निर्माण कार्यों में 1648 दिनों अर्थात चार वर्ष से अधिक का विलम्ब था जो निधियों में कमी के कारण बताया गया था। चूंकि योजना "स्व वित्त पोषित थी तथा क्योंकि पंजीकर्ताओं ने जब तथा जैसे ही उन्हें कहा गया, किश्तों का भुगतान किया था, इसके प्रति विलम्ब, या तो दि.वि.प्रा. द्वारा समय पर किश्तों के लिए मांग न भेजने या फिर एकत्रित निधियों के किसी अन्य उद्देश्य के लिए विपथन के कारण था।

6.2.15 मादीपुर में, पॉकिट-III, श्रेणी-II के 356 स्व.वि.यो.फ्लैटों का निर्माण

क) ग्रुप I तथा II में 224 फ्लैटों का निर्माण

ग्रुप I (132 फ्लैट) तथा ग्रुप II (92 फ्लैट) में 224 फ्लैटों के निर्माण के कार्य, निर्माण कार्य सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों पर निम्नतम निविदाकर्ता को क्रमश: मई 1988 तथा जुलाई 1988 में सौंपे गए थे, यद्यपि कार्यकारी अभियन्ता ने निम्नतम निविदाओं को रद्द करने की सिफारिश की थी क्योंकि ठेकेदार ने एक अन्य स्व.वि.यो. का कार्य, जो कि उसकी लागत तथा जोखिम पर निष्पादित किया जाना था, छोड़ दिया था। लेखापरीक्षा द्वारा यह देखा गया था कि ठेकेदार ने एक अन्य मण्डल में तीन अन्य निर्माण कार्यों में निविदा देने के 90 दिनों के अन्दर अपना प्रस्ताव वापिस ले लिया था तथा दि.वि.प्रा. के ठेकेदार पंजीकरण बोर्ड ने ठेकेदार को इस कार्य के लिए चेतावनी दी थी।

ग्रुप I तथा ग्रुप II में समापन की निर्धारित तिथि जून 1989 थी। निर्माण कार्य वास्तव में क्रमश: जनवरी तथा मार्च 1993 में पूरे हुए थे। निर्माण कार्यों को पूरा करने में विलम्ब 3 वर्षों से भी अधिक था। यह देखा गया था कि दि.वि.प्रा. द्वारा स्थलों को तथा निर्धारित सामग्री को उपलब्ध कराने में असफल रहने के कारण ही कार्यों के निष्पादन में विलम्ब हुआ था। जबकि, स्थल के उपलब्ध न होने के कारण विलम्ब था, भूमि का आन्तरिक विकास भी दि.न.नि. द्वारा मलजल तथा जल आपूर्ति योजनाओं के अनुमोदन में विलम्ब के कारण पूरा नहीं किया जा सका। ठेकेदार को, समापन की निर्धारित तिथियों के पश्चात मजदूरी की दर तथा सामग्री की कीमतों में वृद्धि के कारण, अनुबन्ध में वृद्धि की धारा के अन्तर्गत, 14.64 लाख रु. का भुगतान किया गया था। इससे निर्माण कार्य की लागत बढ़ गई जिससे आबंटितियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा

दि.वि.प्रा. के भण्डार- मण्डल ने मई 1985 में सीमेंट की निर्गमन दर 1370 रु. प्रति मी.ट. नियत की थी। तथापि, अनुबन्ध में यह निर्धारित था कि ठेकेदार को सीमेंट 1070 रु. प्रति मी.ट. की दर पर जारी किया जायेगा। ठेकेदार को 1070 रु. प्रति मी.ट. की दर पर कुल 3080.40 मी.ट. सीमेंट जारी किया गया था। इसके परिणामस्वरुप ठेकेदार को 9.24 लाख रु. का अदेय लाभ हुआ तथा आबंटितियों पर इतना ही अतिरिक्त बोझ पड़ा।

सोमेंट की निर्गमन- दर पुन: नवम्बर 1989 से 1500 रु. प्रति मी.ट. तथा अगस्त 1991 से 2100 रु. प्रति मी.ट. संशोधित किया गया था। इसके परिणामस्वरुप निर्माण कार्यों की कुल लागत में 2.48 लाख रु. की वृद्धि हुई, यदि कार्य समय पर पूरे कर लिए जाते तो इससे बचा जा सकता था।

ख) ग्रुप-III में 132 फ्लैटों का निर्माण

यह निर्माण कार्य 123 लाख रु. की अनुमानित लागत से 20.5 प्रतिशत अधिक पर एक ठेकेदार को मार्च 1989 में सौंपा गया था। ठेकेदार कार्य को प्रारम्भ नहीं कर सका क्योंकि एक अन्य निष्पादन एजेंसी

स्थल पर पुंज संस्थापन का कार्य निष्पादित कर रही थी। लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि सुपुर्दगी पत्र की शर्तों के अनुसार ठेकेदार ने दि.वि.प्रा. के साथ कोई अनुबन्ध हस्ताक्षरित नहीं किया। उसकी बयाना राशि, मंडल द्वारा जुलाई 1989 में जब्त कर ली गई थी तथा, यद्यपि कोई अनुबन्ध हस्ताक्षरित नहीं किया गया था तथा, इस कानून में कोई अनुबन्ध विद्यमान नहीं था, यह अविद्यमान अनुबन्ध अगस्त 1989 में निरस्त कर दिया गया था। ठेकेदार ने एक निर्णायक की नियुक्ति हेतु आवेदन किया तथा दि.वि.प्रा. के अभियन्ता सदस्य ने इस अविद्यमान अनुबन्ध के लिये अगस्त 1989 में एक निर्णायक नियुक्त किया। ठेकेदार ने 18.61 लाख रु. की राशि के दावे प्रस्तुत किए जिनके प्रति निर्णायक ने अगस्त 1981 से दिसम्बर 1992 की अवधि के लिए 18 प्रतिशत ब्याज सहित 13.87 लाख रु. के दावे अनुमत किए। अविद्यमान अनुबन्ध को निरस्त करने अथवा निर्णायक को नियुक्त करने का कोई औचित्य नहीं था।

निर्माण कार्य बाद में, पूर्व ठेकेदार के जोखिम तथा लागत पर 168.16 लाख रु. पर, जो 123 लाख रु. की अनुमानित लागत से 36.65 प्रतिशत अधिक था, दिसम्बर 1989 में एक अन्य ठेकेदार को सौंप दिया गया। एक ऐसे ठेकेदार, जिसके साथ दि.वि.प्रा. का एक औपचारिक अनुबन्ध ही नहीं था, के जोखिम तथा लागत पर निर्माण कार्य को सौंपने का कोई औचित्य नहीं था।

ग्रुप-III में निर्माण कार्य के समापन की निर्धारित तिथि मार्च 1991 थी। निर्माण-कार्य, वास्तव में, कार्यक्रम के लगभग एक वर्ष पश्चात मार्च 1992 में पूरा किया गया था। 14 मार्च 1990 से 22 अप्रैल 1991 तक मुख्य बाधा सीमेंट की कमी थी, जिसे दि.वि.प्रा. द्वारा ठेकेदार को आपूर्त किया जाना था। स्थल पर सामग्री लेखा सीमेंट रजिस्टर से दृष्टिगत हुआ कि टेकेदार को इस अवधि के दौरान सीमेंट की निर्धारित मात्रा का 77 प्रतिशत, 1528 मी.ट. सीमेंट जारी किया गया था। जिस आधार पर बाधा दर्ज की गई थी उसके औचित्य में कमी थी। दूसरे ठेकेदार को समापन की निर्धारित तिथि से परे मजदूरी की दरों तथा अनिर्धारित सामग्री की दरों में वृद्धि के कारण, वृद्धि धारा के अन्तर्गत, 12.20 लाख रु. का भुगतान किया गया था जिसके कारण आबंटितियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा।

6.2.16 रोहतक रोड पर ग्रुप-I में श्रेणी II एवं III के 120 स्व.वि.यो. फ्लैटों का निर्माण

इस निर्माणकार्य हेतु निविदाएं 4 जून 1986 को प्राप्त की गई तथा खोली गई थी, परन्तु 25 मार्च 1987 अर्थात 9 से अधिक महीनों के पश्चात स्वीकृत की गई थी।

निर्माण कार्य, लगभग 2 वर्ष तथा 9 मास के विलम्ब के पश्चात दिसम्बर 1990 में पूरा किया गया था। विलम्ब मुख्यतः देरी से प्राप्त नक्शों तथा प्लिंथ स्तर पर निर्णय एवं सीमेंट की कमी के कारण था। समस्त विलम्ब का आरोप दि.वि.प्रा. पर था तथा निरीक्षीय अभियन्ता द्वारा प्रतिपूर्ति के उद्ग्रहण के बिना नियमित किया

गया था। तथापि, 7.22 लाख रु. की राशि ठेकेदार को मजदूरी की दरों तथा अनिर्धारित दरों में वृद्धि के कारण दी गई थी। इसके कारण आबंटितियों के फ्लैटों की लागत में वृद्धि हुई।

6.2.17 विकासपुरी, बोडेला में 560 स्व.वि.यो. फ्लैटों का निर्माण

ग्रुप-I में 224 म.आ.व. फ्लैटों तथा ग्रुप-II में 336 म.आ.व. फ्लैटों के निर्माण का कार्य 221.71 लाख रु. की निविदागत लागत पर जून 1982 में सौंपा गया था। समापन की निर्धारित तिथि 7 जून 1983 थी जबकि निर्माण कार्य वास्तव में अप्रैल 1988 में, लगभग पांच वर्ष के विलम्ब के पश्चात् पूरा किया गया था।

समस्त विलम्ब का आरोप दि.वि.प्रा. पर लगाया गया था तथा समय की वृद्धि, किसी प्रतिपूर्ति के उदग्रहण के बिना अप्रैल 1988 तक स्वीकृत (अक्तूबर 1988) की गई थी।

ठेकेदार ने मई 1989 में, निर्माण कार्य को पूरा करने के एक वर्ष पश्चात, एक निर्णायक की नियुक्ति के लिए आवेदन किया तथा अभियन्ता सदस्य ने सितम्बर 1989 में एक निर्णायक नियुक्त किया। ठेकेदार ने 53.40 लाख रु. के 12 दावे प्रस्तुत किए। तथापि, दि.वि.प्रा. द्वारा कोई प्रतिदावा प्रस्तुत नहीं किया गया था। निर्णायक ने ठेकेदार के पक्ष में 13.17 लाख रु. का निर्णय दिया।

दि.वि.प्रा. के निर्माण कार्य की समुचित योजना बनाने में असफल रहने के परिणामस्वरूप अनावश्यक मुकद्दमेबाजी हुई।

6.2.18 पीतमपुरा में 160 स्व.वि.यो. फ्लैटों का निर्माण

श्रेणी III के 80, श्रेणी II के 80 फ्लैटों तथा 120 स्कूटर गैराजों के निर्माण का कार्य एक ठेकेदार को 128.60 लाख रु. की निविदागत लागत पर अक्तूबर 1981 में सौंपा गया था। निर्माण कार्य जुलाई 1982 में पूर्ण किया जाना था। चूंकि कार्य की प्रगति बहुत धीमी थी, ठेकेदार को मई 1982 में एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। ठेकेदार ने आरेखणों और निर्दिष्ट सामग्री के बहुत विलम्ब से प्राप्त होने को देरी का कारण बताया (जून 1982)। जुलाई 1983 में दि.वि.प्रा. के गुणवत्ता नियंत्रण कक्ष द्वारा कार्य का निरीक्षण किया गया था जिसने बताया कि यह निम्न प्रतिमान और निर्माणात्मक रूप में असुरक्षित था। कक्ष ने दोषों के सुधार और किए गए दोषपूर्ण कार्य के लिए घटी दरों पर भुगतान की अनुशंसा की। ठेकेदार से दोषों के सुधार के लिए समय- समय पर कहा गया था। इस तथ्य कि ठेकेदार को समय-समय पर नोटिस जारी किए गए थे, के बावजूद दोषों के बिना कोई सुधार किए निर्माण कार्य अक्तूबर 1986 में पूरा किया गया था। अगस्त 1987 तक ठेकेदार को दरों में कोई कमी किए बिना 137.26 लाख रु. का भुगतान किया गया था। जब दि.वि.प्रा. ने 1991 में अन्तिम बिल बनाया तो यह देखा गया था कि भुगतान किए गए 137.26 लाख रु. के प्रति वास्तव में किए गए निर्माण कार्य का मूल्य 135.64 लाख रु. परिकलित किया गया। ठेकेदार से वसूलनीय राशि 3.14 लाख रु. (देय वसूलियों के कारण 1.52 लाख रु. की और भी राशि सहित) थी।

चूंकि पूरा होने में देरी थी, कार्यकारी अभियन्ता ने कोई हर्जाना वसूल किए बिना चूंकि विलम्ब दि.वि.प्रा.पर आरोपणीय था, अक्तूबर 1986 तक समय बढ़ाने के लिए कार्योत्तर स्वीकृति की मई 1989 में सिफारिश की। अधीक्षक अभियन्ता ने मई 1989 में समय बढ़ाते हुए अनुबन्ध के अन्तर्गत 3100 रु. की सांकेतिक शास्ती लगाई।

ठेकेदार ने उसको किए गए भुगतानों से सन्तुष्ट न होने के कारण मार्च 1990 में मध्यस्थता के लिए अनुरोध किया और जून 1990 में एक मध्यस्थ नियुक्त किया गया था। ठेकेदार ने कुल 45.70 लाख रु. के दावे किए तथा दि.वि.प्रा. ने 3.14 लाख रु. के प्रतिदावे किए। मध्यस्थ ने फरवरी 1993 में अपने फैसले में अवलोकित किया कि कार्य अक्तूबर 1986 में पूरा हो गया था, पूर्व अन्तिम बिल अगस्त 1987 में अदा किया गया था और बिल को 1991 में अन्तिम रुप दिया गया था अर्थात कार्य के पूरा होने के साढ़े चार साल बाद। उसने यह भी देखा कि विलम्ब विभाग पर आरोपित था। मध्यस्थ ने दि.वि.प्रा. के प्रतिदावे को रद्द करते हुए ठेकेदार के पक्ष में 13.49 लाख रु. का फैसला दिया। दि.वि.प्रा. ने पंचाट निर्णय के विरुद्ध अपील की थी।

अनुबन्ध की शर्तों के पालन में असफल रहने के कारण दि.वि.प्रा. के 16.63 लाख रु. अतिरिक्त व्यय करने की संभावना थी।

6.2.19 मोतिया खान में स्व वित्तपोषित फ्लैटों को गिराया जाना

मोतिया खान में 120 म.आ.व. फ्लैट ग्रुप IV के निर्माण का कार्य 33.38 लाख रु. की अनुमानित लागत से 92.75 प्रतिशत अधिक पर फरवरी 1982 में ठेकेदार "ठ" को दिया गया था। जब ठेकेदार 12 फ्लैटों में छत तक तथा दो अन्य फ्लैटों में लैन्टर स्तर तक 7.64 लाख रु. के मूल्य का कार्य कर चुका था तो एक झुकाव देखा गया था। धीमी प्रगति बताते हुए ठेके को जुलाई 1985 में निरस्त कर दिया गया था।

दि.वि.प्रा. ने आगे निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व फ्लैटों को गिराने तथा बाढ़ेदार नींव की गुणवता की जांच करने का जून 1988 में निर्णय किया। बचीकुची सामग्री के विक्रय से प्राप्त 0.53 लाख रु. की राशि को छोड़ते हुए ढांचे को गिराने की लागत 1.62 लाख रु. लगाई गई। 9.26 लाख रु. ठेकेदार से वूसली योग्य हो गए। नींव की जांच करने के लिए नियुक्त किये गये सलाहकार ने नवम्बर 1991 में प्रस्ताव किया कि पक्की जमीन तक मिट्टी को पूरी तरह हटाने के बाद एक नई नींव रखी जाये।

फ्लैटों, उनके अलावा जो गिरा दिए गए और दुबारा बनाए गए, के दोषों को सुधारने का कार्य ठेकेदार "ठ" की जोखिम और लागत पर ठेकेदार "ड" और "ढ" से 4.22 लाख रु. से कराया गया था।

गिराए गए फ्लैटों के पुनर्निर्माण का कार्य नवम्बर 1991 में ठेकेदार "ण" को 44.75 लाख रु. की समझौता की गई लागत पर दिया गया था। प्रारम्भ और पूरा करने की तिथियाँ क्रमश नवम्बर 1991 तथा जुलाई 1992 थी।

कार्य सुपर्दगी का पत्र प्राप्त करने के बाद ठेकेदार "ण" ने नींव को खोदना शुरु किया। उसने नींव में आर.सी. सी. जाल की छत तक खोदने का कार्य पूरा किया। उसके बाद उसने कार्य बन्द कर दिया क्योंकि आर. सी. सी. जाल और खोदी हुई फालतू मिट्टी मलवा, चट्टान आदि का हटाना न तो अनुबन्ध और न ही निविदाएं आमंत्रित करने वाले नोटिस के अन्तर्गत आता था।

ठेकेदार "ण" से अनुबन्ध के अन्तर्गत बाड़दार नींव को तोड़ने के लिए कहा गया था परन्तु वह सहमत नहीं हुआ क्योंकि सम्बन्धित धारा के अन्तर्गत उद्धृत दरें उसके लिए अलाभकारी परिकलित की गई। तदनुसार सितम्बर 1992 में कार्य रद्द कर दिया गया था। इस प्रकार निविदाएं आमंत्रित करने वाले नोटिस में नींव को खोदने से सम्बन्धित मद शामिल न करने के परिणामस्वरुप ठेका रद्द हुआ।

ठेकेदार "ठ" ने जिसको कार्य प्रारम्भ में दिया गया था, एक मध्यस्थ को नियुक्त करने के लिए अनुरोध किया। मध्यस्थ ने नवम्बर 1991 में अपने निर्णय में देखा कि गलत डिजाइन बनाने और ठेकेदार को उचित अनुदेश देने में असफल होने को दि.वि.प्रा. की मुख्य कमी थी तथा ठेकेदार के पक्ष में 7.54 लाख रु. देने का निर्णय प्रदान किया।

मध्यस्थ ने दि.व.प्रा. के हर्जाने और अनुबन्ध के अन्तर्गत प्रतिभूति को जब्त करने, ठेकेदार की जोखिम और लागत पर कार्य अर्थात 14 म.आ.व. फ्लैटों के गिराने और पुनर्निर्माण के कारण 31.96 लाख रु. के प्रति दावे रद्द कर दिए।

इस प्रकार दि.वि.प्रा. द्वारा दोषपूर्ण डिजाइन और ठेकेदार को उपयुक्त अनुदेश देने में उसके असफल होने से, मध्यस्थ के निर्णय के अन्तर्गत 7.54 लाख रु. के किए जाने वाले भुगतान के अतिरिक्त 13.48 लाख रु. की हानि हुई। दि.वि.प्रा. के भाग पर कमी से, जिससे ठेकेदार "ठ" के साथ ठेका रद्द हुआ, अतिरिक्त घाटा होने की संभावना है। इन फ्लैटों का निर्माण अभी शुरु नहीं किया गया है।

6.2.20 गुणवत्ता नियंत्रण कक्ष द्वारा नमूनों की जांच

दि.वि.प्रा. के गुणवत्ता नियंत्रण कक्ष ने 1990-91 से 1992-93 के दौरान स्व वित्तपोषित फ्लैटों के लिए कार्य कर रहे विभिन्न प्रभागों से 328 नमूने इकट्ठे किए। नमूने विद्युत क्षेत्र सहित सभी छः क्षेत्रों से लिए गए थे।

लेखापरीक्षा द्वारा यह देखा गया था कि गुणवत्ता नियंत्रण कक्ष द्वारा लिए गए 328 नमूनों में से नमूनों के 76.92 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हुए 250 नमूने जांच में असफल हो गए।

यह कार्यकारी मंडलों के पर्यवेक्षण में कमी और परिणामस्वरुप निम्न स्तर के कार्य कौशल को दर्शाता था। गुणवत्ता नियंत्रण कक्ष के जांच परिणामों पर की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

6.2.21 स्व वित्तपोषित योजना फ्लैटों के विलम्बित निर्माण के कारण हानि

दि.वि.प्रा. द्वारा स्व वित्त पोषित योजना 1977 में चलाई गई थी। सेवानिवृत्त एवं सेवानिवृत्त होने वाले जन सेवकों के लिए भी एक विशेष स्व वि.पो. यो. 1977-85 के बीच शुरू की गयी थी। इन योजनाओं के अन्तर्गत, फ्लैटों की लागत आबंटितियों द्वारा पांच किस्तों में अदा की गई थी तथा आबंटितियों को फ्लैटों का कब्जा ढाई साल में दिया जाना था। फ्लैटों को दिए जाने में विलम्ब के मामले में दि.वि.प्रा. किस्तों की प्राप्त राशि पर 7 प्रतिशत ब्याज देगा।

चूंकि दि.वि.प्रा. ढाई वर्ष में फ्लैटों के निर्माण/सौंपने में असफल हो गया, 19 बस्तियों में विभिन्न योजनाओं के पंजीकृत व्यक्तियों को मार्च 1993 तक 36.14 करोड़ रु. का ब्याज अदा करना पड़ा।

6.2.22 आय कर प्राधिकारियों द्वारा दि.वि.प्रा. बैंक लेखा की संलग्नता

एक आयकर अधिकारी ने जनवरी 1991 में एक नोटिस जारी किया और स्व.वि.पो.यो. आबंटितियों को निर्माण में विलम्ब होने के कारण भुगतान किए गए ब्याज से स्रोत पर आयकर न काटने के लिए 3.96 करोड़ रु. की मांग की। स्रोत पर इस प्रकार की कोई कटौतियाँ नहीं की गई थी परिणामस्वरुप दि.वि.प्रा. 3.96 करोड़ रु. की राशि जमा नहीं कर सका। आयकर प्राधिकारी ने मार्च 1991 में दि.वि.प्रा. के साथ बैंक लेखा सम्मिलित करके 3.95 करोड़ रु. आहरित कर लिए। दि.वि.प्रा. ने अगस्त 1991 में आयकर न्यायाधिकरण के पास एक अपील की। न्यायाधिकरण ने मई 1992 में अपील को सुनने की अपनी असमर्थता व्यक्त की और दि.वि.प्रा. को भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अध्यधीन गठित समिति को इस मामले को भेजने की सलाह दी। सितम्बर 1993 तक आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

दि.वि.प्रा. ने सितम्बर 1993 में बताया कि कर की वसूली के लिए स्व.वि.पो.यो. आबंटितियों को नोटिस जारी किए जा रहे थे परन्तु आबंटितियों से अभी तक की गई वसूलियां मालूम नहीं हो सकी। नोटिस जारी करने और आबंटितियों से वसूलियां करने से सम्बन्धित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

6.2.23 आबंटितियों की अधिक जमाओं के लम्बित निपटान

गुलाबीबाग में 130 स्व.वि.पो.योज.फ्लैटों का निर्माण अक्तूबर 1985 में पूरा हो गया था और पंजीयकों को फ्लैट अक्तूबर 1985 से मई 1986 के दौरान आबंटित कर दिये गये थे। मांग और संग्रहण रजिस्टर तथा वैयक्तिक लैजरों की समीक्षा से पता लगा कि कुछ मामलों में दि.वि.प्रा. द्वारा भुगतान की गई ब्याज सहित आबंटितियों द्वारा जमा किया गया धन उनसे प्राप्य राशि से अधिक था। लेखापरीक्षा में एक नमूना जांच से पता लगा कि अकेले इन स्व.वि.पो.यो.फ्लैटों के मामले में 2.87 लाख रु. आबंटितियों को वापस किए

जाने थे। दि.वि.प्रा. द्वारा प्राप्त अधिक राशि की मात्रा और अन्य स्व.वि.पो.योजनाओं में वापसी के लिए देय राशि परिकलित नहीं की जा सकी क्योंकि सम्बन्धित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

6.2.24 स्व.वि.पो.यो. फ्लैटों के खाली रहने के कारण निधियों का अवरोधन

दि.वि.प्रा. के आवास विभाग ने इंजीनियरिंग विंग द्वारा आबंटन के लिए अपने नियंत्रण में रखे हुए परन्तु 31 मार्च 1993 को खाली पड़े हुए फ्लैटों के बारे में लेखापरीक्षा को सूचना नहीं दी। सभी छः क्षेत्रों की वर्ष 1993-94 के लिए कार्ययोजना की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि मार्च 1993 को 152 स्व.वित्त पोषित पाकेटों से सम्बन्धित 157.65 करोड़ रु. की लागत (सम्बन्धित एवं संलग्न क्षेत्र के लिए दी गई निम्नतम निपटान लागत के आधार पर परिकलित की गई) के 2653 फ्लैट खाली पड़े हुए थे। 2653 फ्लैटों में से 56 फ्लैट 5 वर्षों से अधिक, 344 फ्लैट 3 वर्षों से अधिक, 1685 फ्लैट 3 वर्षों से कम समय से खाली पड़े हुए थे। शेष 568 फ्लैटों के बारे में पूरा होने का वर्ष लेखापरीक्षा को उपलब्ध नही कराया गया था।

इस प्रकार फ्लैटों के अनाबंटन के कारण इस तथ्य के बावजूद कि 9402 स्व.वि.पो.यो. के अन्तर्गत पंजीयक मार्च 1993 को आबंटन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, 157.65 करोड़ रु. की राशि की निधियां अवरुद्ध रहीं।

आगे, फ्लैटों की लागत के भाग के रुप में, भूमि अधिशुल्क पर ढाई प्रतिशत की दर से भूमि किराया भी दि.वि.प्रा. को देय था। चूंकि ये फ्लैट खाली रहे, दि.वि.प्रा. को भूमिकिराए के कारण 58.16 लाख रु. का घाटा हुआ।

6.2.25 स्व.वि.पो.यो. फ्लैटों की अन्तिम निपटान लागत

स्व.वि.पो.यो. फ्लैटों की अन्तिम निपटान लागत केन्द्रीय आवास लेखा (लेखा) द्वारा कार्यकारी प्रभागों यथा सिविल, विद्युत और बागवानी, द्वारा निर्धारित लागत फार्मूला के अनुसार दिए गए वास्तविक व्यय के आधार पर निकाली जाती है। चूंकि निर्माण कार्यों के वास्तव में पूरा होने से पहले ये ब्यौरे लेखाओं को भेज दिए जाते हैं, उनमें किए गए कार्य की वास्तविक लागत और पूर्वानुमानित व्यय सम्मिलित हैं। इन ब्यौरों के आधार पर प्लिन्थ क्षेत्र दर (प्लि.क्षे.द.) परिकलित की गई थी और तब प्रत्येक फ्लैट के लिए अन्तिम लागत विभागीय प्रभार, प्रशासनिक प्रभार और अन्तर्संवर्गीय समायोजन प्रभारों को जोड़ने के बाद उनके प्लिन्थ क्षेत्र के आधार पर परिकलित की जाती है।

लेखापरीक्षा मे नमूना जांच से निम्न लिखित बातें प्रकट हुईं:

क) **मादीपुर पाकेट -III में 356 स्व वि.पो.यो. फ्लैट**

निर्माण कार्य ग्रुप-I (132 फ्लैट), ग्रुप-II (92फ्लैट) और ग्रुप-III (132 फ्लैट) सम्मिलित हैं।

ग्रुप-I और II का निर्माण कार्य अनुमानित लागत से 7.01 प्रतिशत अधिक पर दिया गया था। ग्रुप-III

में कार्य अनुमानित लागत से 36.65 प्रतिशत अधिक पर दिया गया था। आगे ग्रुप-I एवं ग्रुप-II में निर्माण कार्य क्रमशः जनवरी 1993 और मार्च 1993 में पूरा हुआ था। ग्रुप-III में निर्माण कार्य मार्च 1992 में पूरा हुआ था।

दि.वि.प्रा. ने मार्च 1991 में ग्रुप-I और II के मामले में कार्य के पूरा होने से दो वर्ष पहले तथा ग्रुप-III का कार्य पूरा होने से एक वर्ष पहले इन फ्लैटों की निपटान लागत को अन्तिम रुप दिया था।

2.78 लाख रु. औसत लागत के प्रति वास्तविक औसत लागत 2.44 लाख रु. परिकलित की गई जो प्रति आबंटती से वूसल की गई थी। इसके परिणामस्वरुप 121 लाख रु. अधिक वसूल किए गए।

यह भी देखा गया था कि वास्तविक निर्मित क्षेत्र नियोजित से 1279 वर्गमीटर कम था और सम्पूर्ण लागत नियोजित से 162 लाख रु. अधिक थी। इस प्रकार आबंटित प्रतिवर्ग मीटर की लागत मूल अनुमान से 25 प्रतिशत अधिक थी।

ख) **रोहतक रोड पर 120 स्व.वि.पो.यो. फ्लैट**

इन फ्लैटों की अन्तिम निपटान लागत तय करने के लिए सिविल कार्यों पर किया गया 247.96 लाख रु. का व्यय लेखाओं में सम्मिलित था। जैसा कि सितम्बर 1993 में लेखापरीक्षा में देखा गया सिविल कार्यों पर वास्तविक व्यय 232.36 लाख रु. था। इस प्रकार 15.60 लाख रु. अधिक वसूल किये गए थे।

अन्तिम लागत पर पहुंचने को मध्यस्थता के लिए 10 लाख रु. का प्रावधान किया गया था। अप्रैल 1993 में लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि इस कारण से कोई व्यय नहीं हुआ था।

ग) **सरिता विहार के पॉकेट "क,"ख" और "ग" में 1498 स्व.वि.पो.यो. फ्लैटों के लिए कम वसूली**

पॉकेट-क (266 फ्लैट), पॉकेट -ख (560फ्लैट) और पॉकेट-ग (672 फ्लैट) में 1498 फ्लैटों की लागत को लेखा द्वारा जनवरी 1989 में अन्तिम रुप दिया गया था।

लेखाओं में अन्तिम निपटान लागत परिकलित करने के उददेश्य के लिए अनुबन्ध के वृद्धि - धारा के अंतर्गत किए गए एवं किए जाने वाले व्यय के प्रति 127.53 लाख रु. के आंकड़े अपना लिए गए जिसके प्रति जैसाकि लेखापरीक्षा में देखा गया , कार्यकारी प्रभाग ने मार्च 1993 तक 206.09 लाख रु. अदा किए। इस प्रकार अन्तिम निपटान लागत में 78.56 लाख रु. की कम वसूली हुई थी।

पॉकेट क, ख और ग में निर्माणकार्यों के लिए मध्यस्थता के कारण अन्तिम निपटान लागत में 247.58 लाख रु. की राशि जोड़ दी गई है। ग्रुप-II पॉकेट-ग में मध्यस्थता के निर्णय की लेखापरीक्षा संवीक्षा में देखा गया कि दि.वि.प्रा. विभिन्न अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी था और ठेकेदार को 15.18 लाख रु. अदा करने का उत्तरदायी ठहराया गया था। इस प्रकार कार्य की सुचारु रुप से योजना बनाने में असफल होने के परिणामस्वरुप मध्यस्थता पर अतिरिक्त व्यय एवं फ्लैटों की लागत में वृद्धि हुई थी।

घ) सरिता विहार में पाकेट च एवं छ तथा पाकेट घ एवं ड. में 697 फ्लैट

ग्रुप-II में पॉकेट घ एवं ड.(497), च एवं छ (140) तथा ग्रुप III,IV, VII और VIII में च एवं छ (60) 697 फ्लैटों की लागत को लेखाओं द्वारा फरवरी 1992 में अन्तिम रुप दिया गया था। इन तीन पॉकेटों में प्लिन्थ क्षेत्र दर 2617.94 रु. (पॉकेट घ एवं ड.), 2333.09 रु. (पॉकेट च एवं छ में 60 फ्लैट) और 2359.56 रु.(पॉकेट च एवं छ में 140 फ्लैट) प्रतिवर्ग मीटर परिकलित की गई थी। प्लिन्थ क्षेत्र दर पर आधारित इन पॉकेटों के लिए औसत प्लिन्थ क्षेत्र के आधार पर प्रत्येक पॉकेट मे फ्लैट की लागत 3.04 लाख रुपये (पॉकेट घ एवं ड.), 2.73 लाख रु. (पॉकेट च एवं छ में 60 फ्लैट) और 2.76 लाख रु. (पॉकेट च एवं छ में 140 फ्लैट) परिकलित की गई थी।

दि.वि.प्रा. ने अपनी लागत जोड़ी और इन फ्लैटों के लिए 2541.14 रु.प्रतिवर्ग मीटर की सामान्य प्लिन्थ क्षेत्र दर परिकलित की। जोड़ के परिणामस्वरुप प्रत्येक फ्लैट की लागत 25000 रु. (पॉकेट च एवं छ में 60 फ्लैटों की), 22000 रु. (पॉकेट च एवं छ में 140 फ्लैटों की) बढ़ गई। जबकि पॉकेट घ एवं ड. में (497) फ्लैट 9000/-रु. तक सस्ते हो गए। इस प्रकार लागत के एकत्रीकरण से पॉकेट च एवं छ में आबंटितियों पर उलटे प्रभाव पड़े।

ड.) अन्तर्संवर्गीय समायोजन प्रभार

दि.वि.प्रा. 2000/- रु. की सीमा तक अपेक्षाकृत कमजोर वर्ग फ्लैटों को आर्थिक रुप से सहायता करने के लिए केवल भूतल के आबंटितियों से अन्तिम निपटान लागत में साढ़े पांच प्रतिशत की दर से अन्तर्संवर्गीय समायोजन प्रभार वूसल कर रहा है। यह दशनि के लिए कि क्या इन प्रभारों को वसूल करने के लिए भारत सरकार की अनुमति ली गई थी, कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे। दि.वि.प्रा. ने 885 भूतल आबंटितियों से 128.55 लाख रु. संग्रहीत किए जिसके प्रति उतनी ही संख्या के आर्थिक रुप से कमजोरतर वर्ग फ्लैटों की सहायता के लिए 17.70 लाख रु. देय थे। लेखापरीक्षा को कोई अभिलेख यह दशनि के लिए कि क्या 17.70 लाख रु. की राशि वास्तव में निर्धारित व्यवस्था में प्रयोग के लिए स्थानान्तरित की गई थी, उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

6.2.26 उपसंहार

दोनों एन. पी. आर. एस. और स्व.वि.पो.यो.में न केवल निर्माण कार्य में विलम्ब हुआ था अपितु बड़ी संख्या में परिहार्य अतिरिक्त व्यय के मामले थे। बहुत से मामलों में निर्माणकार्य दोषपूर्ण या अवस्तर का पाया गया था। पंजीयक दस वर्ष से अधिक समय से आबंटन की प्रतीक्षा कर रहे थे जबकि फ्लैट खाली पड़े हुए थे जिसमें दि.वि.प्रा. की निधियां अवरोधित थी।

उपर्युक्त प्वाइन्ट (मामला) शहरी विकास मंत्रालय को दिसम्बर 1993 में भेजा गया था; जनवरी 1994 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

6.3 दुकानों का निपटान न किया जाना- निधियों का अवरोधन

दिल्ली मास्टर प्लान ने वाणिज्यिक क्षेत्रों अर्थात खरीद केन्द्रों के निष्क्रमण की एक पांच टीयर व्यवस्था की परिकल्पना की। तदनुसार दि.वि.प्रा. दिल्ली के निवासियों के लिए खरीददारी की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खरीददारी केन्द्रों का विकास कर रहा था। निर्माण के बाद इन दुकानों को वित्त विभाग द्वारा निश्चित एवं दि.वि.प्रा. के उपाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित मूल्य पर चिरस्थायी पट्टेदारी आधार पर निर्धारित संवर्गों (भूमि अभिग्रहण से बेदखली, शारीरिक विकलांग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता सैनानी) को या तो नीलामी द्वारा या आबंटन द्वारा बेच दिया जाता है।

वर्ष 1974 से मार्च 1993 के दौरान दि.वि.प्रा. ने 11991 दुकानों का निर्माण किया, जिनमें से 5470 दुकानों के शेष जो अभी बेची जानी थी, को छोड़ते हुए 6521 दुकानों का निपटान या तो नीलामी अथवा आबंटन द्वारा कर दिया था। निर्मित बेची गई दुकानों और बेचने के लिए शेष रही दुकानों के वर्षबार ब्यौरे, जो लेखापरीक्षा द्वारा दि.वि.प्रा. के अभिलेखों से परिकलित किए गए, नीचे दिए गए हैं:-

तालिका 6.3 क- निर्मित एवं बेची गई दुकानों* की संख्या

(लाख रुपयों में)

निर्माण का वर्ष	निर्मित की गई दुकानों की संख्या	बेची गई दुकानों की संख्या	अभी बेची जाने वाली दुकानें	अभी बेची जाने वाली दुकानों का सुरक्षित मूल्य
1974 से 1989	6624	4978	1646	5636.34
1990	1680	765	915	2011.90
1991	726	309	417	759.80
1992	2401	464	1937	3910.70
1993 (मार्च तक)	560	5	555	869.00
जोड़	**11991**	**6521**	**5470**	**13187.74**

* स्टाल, सब्जी के लिए चबूतरे कार्यालय एवं गोदामों सहित

इस तालिका से यह देखा जाएगा कि 1974 से 1993 तक बनाई गई 46 प्रतिशत दुकानें नहीं बेची गई थी। शेष रही दुकानों का समयवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

तालिका 6.3ख - न बेची गई दुकानों का समयवार ब्यौरा

(लाख रुपयों में)

समय जिससे अनाबंटित रखी गई	दुकानों की संख्या	मूल्य
दस वर्ष और अधिक	249	349.52
पांच वर्ष से दस वर्ष	612	1695.25
दो वर्ष से पांच वर्ष	2117	6363.27
दो वर्ष से कम	2492	4779.70
जोड़	5470	13187.74

दि.वि.प्रा. ने निर्माण की गई, नीलामी या आबंटन द्वारा बेची गई, खाली पड़ी रही अथवा अप्राधिकृत कब्जे में ली गई दुकानों की संख्या का कोई समेकित अभिलेख अनुरक्षित नहीं किये थे। शॉपिंग काम्प्लैक्सों के विकास से पूर्व दि.वि.प्रा. में बाजार-मांग के निर्धारण के लिए कोई पद्धति प्रचलन में नहीं थी।

लेखापरीक्षा में दुकानों के न निपटाए जाने के कारणों के विश्लेषण से निम्नलिखित पता लगा:-

बनाई गई दुकानों की लागत इंजीनियरिंग विभाग द्वारा व्यय की गई लागत-विवरणों के आधार पर वित्त विभाग द्वारा निश्चित की जाती हैं। दि.वि.प्रा. ने कोई समय सीमा निश्चित नहीं की थी जिस तक दि.वि.प्रा.के उपाध्यक्ष द्वारा बनाई गई दुकानों की लागत अनुमोदित की जानी चाहिए थी। लेखापरीक्षा द्वारा किए गए अभिलेखों के पुनरीक्षण से प्रगट हुआ कि बिना बिकी पड़ी हुई 5470 दुकानों में से 1685 दुकानों का सुरक्षित मूल्य अभी तक निश्चित नहीं किया गया था (अक्तूबर 1993)। 1685 दुकानों, जिनकी लागत को अभी तक अन्तिम रुप दिया जाना है, के समयवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

तालिका 6.3 ग- लागतों का अन्तिम रुप न दिया जाना

समय	दुकानों की संख्या
(क) पांच वर्ष के लिए	128
(ख) पांच वर्ष से कम परन्तु तीन वर्ष से अधिक	410
(ग) तीन वर्ष से कम परन्तु एक वर्ष से अधिक	922
(घ) एक वर्ष से कम	225

इस प्रकार बनाई गई यूनिटों की लागत को अन्तिम रुप न दिए जाने के परिणामस्वरुप दुकानों का निपटान नहीं हुआ। इसके परिणामस्वरुप दि.वि.प्रा. इन दुकानों में किए गए अपने प्रारम्भिक निवेश भी अर्जित नहीं कर सका।

निर्मित दुकानों की कीमत के अन्तिमीकरण में भी विलम्ब था। विलम्बों के समयवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

तालिका 6.3 घ- लागत अन्तिमीकरण में विलम्ब की सीमा

	विलम्ब की सीमा	दुकानों की संख्या
i)	दस वर्ष से ऊपर	67
ii)	दस वर्ष से कम परन्तु 3 वर्ष से ऊपर	305
iii)	3 वर्ष से नीचे परन्तु एक वर्ष से ऊपर	671

शॉपिंग केन्द्र इंजीनियरिंग विंग द्वारा एक विशेष मार्केटिंग काम्प्लैक्स के लिए स्वीकृत योजनाओं के आधार पर बनाए जाते हैं। शॉपिंग कम्प्लैक्सों के निर्माण से पूर्व न तो विशिष्ट मांग निर्धारित की गई थी और न ही कभी कोई सर्वेक्षण किया गया था। लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि 1977 से 1993 के दौरान कतिपय स्थानों पर निर्मित 775 दुकानों में से अक्तूबर 1993 तक एक भी दुकान का निपटान नहीं किया गया था, यद्यपि ये बार-बार नीलामी के लिए रखी गई थीं।

इससे अनुपयुक्त योजना प्रकट हुई जिसके कारण दि.वि.प्रा. की निधियों का अवरोधन हुआ।

मामले को दिसम्बर 1993 में दि.वि.प्रा. एवं शहरी विकास मंत्रालय को सूचित किया गया था।

6.4 एशियाड टॉवर रेस्तरां - निष्क्रिय निवेश

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एशियन खेल गांव काम्प्लैक्स में 72 लाख रु. की लागत पर जून 1982 में ढांचे भवन का जल आपूर्ति टैंक के रुप प्रयोग करते हुए एक टावर रैस्टरोरैन्ट का निर्माण किया। एशियन ओलम्पिक - 1982 के लिए इच्छित रैस्टोरैन्ट खेलों के दौरान चालू नहीं किया जा सका क्योंकि सुविधाएं पूरी नहीं थी और दी गई निविदा रैस्टोरैन्ट चलाने वालों द्वारा वापस ले ली गई थी। जून 1984 से सितम्बर 1989 तक टावर रैस्टोरैन्ट 50,000/-रु. मासिक लाइसैंस शुल्क (या कुल प्राप्तियों का 5 प्रतिशत जो भी अधिक था) पर पट्टे पर दे दिया गया था।

दिसम्बर 1988 में दि.वि.प्रा. ने टॉवर रैस्टोरैन्ट का 97.17 लाख रु. सुरक्षित मूल्य और 32275 रु. वार्षिक भूमि किराया परिकलित किया। टावर के चारों ओर रैस्टोरैन्ट होने के लिए आवश्यक समझे गये

भू-दृश्य क्षेत्र में जल पम्पिंग के लिए एक विद्युत उप-स्टेशन भी था। 1989 के पूरे समय मे दि.वि.प्रा., ऊंचे स्तरों पर, लम्बे पट्टे पर या टावर के बेचने के लिए सोचता रहा परन्तु लगभग 1 करोड़ रु. सुरक्षित मूल्य का विचार किया जो बहुत अधिक था। दिसम्बर 1988 तक भी सुरक्षित मूल्य क्रमाही संशोधन के अध्यधीन था।

टावर रैस्टोरैन्ट को अप्रैल 1990 में बिक्री के लिए रखा गया था परन्तु 1 करोड़ रु. की उच्चतम दर रद्द कर दी गई थी क्योंकि प्राप्त बोली सुरक्षित मूल्य से सीमान्तक उच्चतर थी। दूसरी नीलामी सितम्बर 1990 में अधिसूचित की गयी, को भी वापस ले लिया गया था क्योंकि एक अतिरिक्त विद्युत उप स्टेशन, चारों ओर की भूमि, पार्किंग क्षेत्र आदि की बहुत सी समस्याओं जिनके बारे में, दि.वि.प्रा. को बहुत समय से अच्छी जानकारी थी, को नीलामी विज्ञापन में ठीक प्रकार से नहीं दिखाया या स्पष्ट किया गया था। अगस्त 1990 में सुरक्षित मूल्य को 108.27 लाख रु. संशोधित कर दिया गया था।

नवम्बर 1993 में टावर रैस्टोरैन्ट को जैसे है,जहां है" के आधार पर अर्थात सीधी बिक्री आधार पर 1.24 करोड़ रु. के सुरक्षित मूल्य के साथ "30 वर्षीय पट्टा प्राप्ति आधार पर" एक बार फिर नीलामी के लिए रखा। निम्नस्तर निविदादाता को अपना स्वयं का विद्युत उप स्टेशन स्थापित करना अपेक्षित था परन्तु फुब्बारे तथा प्रकाशीय सुविधा सहित एक अलग लाइसेंस शुल्क जो किसी भी समय निरसनीय था भूमि के 2000 वर्ग गज का प्रयोग करना था, कोई बोलियां नहीं लगाई गई थी।

इस प्रकार 1982 में 72 लाख रु. की लागत पर बना टावर रैस्टोरैन्ट 1984-89 के दौरान पांच वर्ष के पट्टे के अलावा निष्क्रिय रहा है।

मामला दिसम्बर 1993 में दि.वि.प्रा. एवं शहरी विकास मंत्रालय को भेजा गया था: उनका उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

6.5 खेल काम्प्लैक्सों के सदस्यों के प्रति भारी बकाया

दि.वि.प्रा. के नागरिकों में विभिन्न खेल-क्रिया कलाप और आपसी सहयोग की भावना तथा सदिच्छा का विकास करने के लिए मई 1989 से जनवरी 1991 की अवधि के दौरान सिरीफोर्ट, रोहिणी, पश्चिम विहार, साकेत, अशोक विहार, हरि नगर और तहीरपुर में सात खेल कम्प्लैक्स स्थापित किए गये थे।

सदस्यता नियमों के अनुसार एक व्यक्ति निर्धारित दरों पर प्रवेश शुल्क और मासिक अंशदान अदा करने पर सदस्यता के लिए पात्र हो सकता है। मासिक अंशदान अनुवर्ती महीने की 10 तारीख तक देय है और दो तथा अधिक माह के लिए सदस्यता देय का भुगतान करने में असफल होने के मामले में प्रबन्धक बोर्ड सदस्यता खारिज कर सकता है। विलम्बित अदायगी के मामले में जैसा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाय उपयुक्त दर पर ब्याज की वसूली का सदस्यता नियमों में प्रावधान दिया गया है। सात खेल काम्प्लैक्सों में से चार के

अभिलेखों के पुनरीक्षण से पता लगा कि सदस्यगण नियमित रुप से मासिक अंशदान की अदायगी नहीं कर रहे थे। 31 मार्च 1993 को 110.68 लाख रु. सदस्यों से वसूलनीय थे जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

तालिका 6.5 खेल कम्प्लैक्सों के सदस्यों के प्रति बकायों के ब्यौरे

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	खेल कम्प्लैक्स	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	योग
1.	सिरीफोर्ट	2.14	9.64	20.82	--	32.60
2.	साकेत	--	2.33	13.00	24.12	39.45
3.	अशोक विहार	--	--	4.59	16.90	21.49
4.	हरिनगर	--	--	4.37	12.77	17.14
	जोड़	**2.14**	**11.97**	**42.78**	**53.79**	**110.68**

उपर्युक्त से यह देखा जाएगा कि चार काम्प्लैक्सों में सदस्यों से वूसलनीय 225.66 लाख रु. की कुल राशि के प्रति वसूली केवल 114.98 लाख रु. थी अर्थात वसूलनीय कुल राशि का लगभग आधा। कम्प्लैक्सों के अभिलेखों की नमूना जांच से निम्नलिखित प्रकट हुआ:-

- साकेत काम्प्लैक्स में 85 सदस्यों ने जिनसे 1.81 लाख रु. वसूलनीय थे, सदस्यों के रुप में प्रवेश की तिथि से अपने अंशदानों का भुगतान नहीं किया था। इन 85 सदस्यों में से 10 सदस्यों ने सदस्यता फार्म भी नहीं भरे थे। दोषी सदस्यों की या तो सदस्यता निरस्त करने या नियमों के अनुसार बकाया देयों पर ब्याज वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। काम्प्लैक्सों के वित्तीय हितों की सुरक्षा के विचार से सदस्य को नामांकित करने से पहले जमानत धन/प्रतिभूति लेने की कोई प्रक्रिया नहीं है।

- 31 मार्च 1993 को चार खेल काम्प्लैक्सों में सदस्य बनने के इच्छुक व्यक्तियों से मासिक अंशदान और प्रवेश शुल्क के रुप में कुल 0.41 लाख रु. और 3.16 लाख रु. के चैक प्राप्त किए। ये चैक जमा करने पर बैंकों द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए। परक्राम्य विलेख अधिनियम की धारा 138 के अन्तर्गत या तो वसूली करने के लिए या प्रवेश शुल्क के लिए जिनके चैक अस्वीकृत हो गए थे (सितम्बर 1993), व्यक्तियों की सदस्यता निरस्त करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

- सिरीफोर्ट काम्प्लैक्स ने सदस्यों के लेखे अनुरक्षित करने के लिए अक्तूबर 1991 में 1.08 लाख रु. की लागत पर कम्प्यूटर खरीदे। प्रशिक्षित स्टाफ की अनुपलब्धता के कारण कम्प्यूटरों को सितम्बर 1993 तक प्रयोग में नहीं लाया गया था।

मामला दि.वि.प्रा. तथा शहरी विकास मंत्रालय को अक्तूबर 1993 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर नवम्बर 1993 तक प्राप्त नहीं हुआ है।

6.6 गोल्फ ड्राइविंग रेंज पर निष्फल व्यय

साकेत में खेलकूद कम्प्लैक्स मई 1990 में प्रारम्भ किया गया था। "प्रो-सोप" और स्नेक बार सहित, रात में अभ्यास की सुविधा सहित 27.48 लाख रु. के मूल्य पर (घेराबन्दी की कीमत 14.55 लाख रु. समाविष्ट करते हुए) 150 गज लम्बा और 50 गज चौड़ा एक गोल्फ चालन क्षेत्र की सुविधा विकसित हुई थी। लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि गोल्फ चालन क्षेत्र, दि.वि.प्रा. के सिरीफोर्ट खेलकूद काम्प्लैक्स से जो 250 गज लम्बा तथा 92 गज चौड़ा था, बहुत अधिक कम था।

अनुबन्ध के आधार पर गोल्फ चालन क्षेत्र को चलाने के लिए मई 1991 में निविदाएं आमंत्रित की गयी थी। कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए थे, तथा इसके पश्चात क्षेत्र को चलाने के लिए, अगस्त 1992 में अनुबन्ध एवार्ड करने के लिए प्रयास कार्यान्वित नहीं हुए। मार्च 1992 में खेलकूद प्रबन्ध समिति ने टेनिस, वालीबाल, बास्केट बाल सुविधाओं के एक भाग को कवर करते हुए क्षेत्र को बढ़ाने का निर्णय लिया ताकि गोल्फ चालन क्षेत्र परिचालन में हो जाए तथा घेराबन्दी की उंचाई में भी बढ़ोत्तरी हो सके। न तो समिति का निर्णय लागू किया गया था और नहीं अगस्त 1993 तक चालन क्षेत्र संविदा पर दिया गया था। चूंकि गोल्फ क्षेत्र परिचालन में नहीं हो सका था, खेलकूद प्रबन्ध समिति ने सितम्बर 1992 में गोल्फ क्षेत्र के लिए मार्क जगह पर घुड़सवारी सुविधा विकसित करने का निर्णय लिया। जून 1993 में यह अनुमान लगाया गया था कि गोल्फ क्षेत्र को घुड़सवारी स्कूल में परिवर्तित करने के लिए दि.वि.प्रा. को 5 लाख रु. और खर्च करने होगें। सितम्बर 1993 में घुड़सवारी स्कूल का निर्माण कार्य 4.24 लाख रु. के निविदागत मूल्य पर एक ठेकेदार को एवार्ड किया गया था। निर्माण कार्य दो माह में पूर्ण किया जाना निर्धारित किया गया था।

इस प्रकार, दि.वि.प्रा. द्वारा की गयी त्रुटिपूर्ण योजना के परिणामस्वरुप 27.48 लाख रु. का निष्फल व्यय हुआ।

मामले की सूचना दि.वि.प्रा. तथा शहरी विकास मंत्रालय को जुलाई 1993 में दी गयी थी; उनका उत्तर नवम्बर 1993 तक प्रतीक्षित है।

6.7 प्राइवेट सुरक्षा किराए पर लेने के कारण निष्फल व्यय

स्टाफ निरीक्षण यूनिट, वित्त मांलय ने अपनी अध्ययन रिपोर्ट (मार्च 1988 से जनवरी 1991) में विभिन्न अभियांत्रिक मंडलों में अपेक्षाओं से फालतू 2072 सुरक्षा गार्डों/चौकीदारों की पहचान की थी।

सात खेलकूद काम्प्लैक्सों के प्रबन्ध बोर्ड ने मार्च 1990 में हुई अपनी बैठक में देखभाल करने के लिए प्राइवेट सुरक्षा एजेन्सियों को किराये पर लेने का निर्णय लिया चूंकि यह एक सस्ता विकल्प होगा और शर्तों के

अध्यधीन बहुत अधिक सजग और दक्ष होगा और इसे केवल, संबंधित मुख्य अभियन्ता से यह प्रमाण पत्र लेकर कि सुरक्षा कार्मिक पहले से उनके पास उपलब्ध नहीं है, लेने के उपरान्त किया जाए।

तथापि, इनमें से चार खेलकूद काम्प्लैक्सों की लेखापरीक्षा से पता चला कि इनमें से किसी भी कम्प्लैक्स ने बोर्ड के अनुदेशों का पूर्णतया पालन नहीं किया था। इन चार काम्प्लैक्सों ने 1990-93 की अवधि के लिए 14.88 लाख रु. के लागत पर प्राइवेट सुरक्षा एजेन्सियों को किराए पर लिया था।

एक मामले में वापस उपलब्ध सुरक्षा कार्मिक दि.वि.प्रा. के कार्मिक विभाग को भेज दिए गए थे और उनके एवज में प्राइवेट सुरक्षा गार्डों को किराए पर रखा गया था।

फालतू सुरक्षा गार्डों/चौकीदारों की उपलब्धता के बावजूद प्राइवेट सुरक्षा गार्डों का लगाया जाना अन्यायोचित ही नहीं था अपितु इसके परिणामस्वरुप दि.वि.प्रा. के फालतू सुरक्षा गार्डों की तन्ख्वाह के भुगतान से अलग 14.88 लाख रु. (सात कम्प्लैक्सों में से चार की नमूना जांच की गई थी।) की राशि का निष्फल व्यय हुआ।

मामले की सूचना दि.वि.प्रा. तथा शहरी विकास मंत्रालय को अगस्त 1993 में भेजी गयी थी; नवम्बर 1993 तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

6.8 उच्च दरों पर सीमेंट की खरीद

1991-92 के दौरान दि.वि.प्रा. ने विभिन्न विनिर्माताओं से लगभग 3.21 लाख टन सीमेंट खरीदा था। सीमेंन्ट आपूर्तिकर्ताओं से अनुबन्ध के अनुसार अभियन्ता प्रभारी वास्तविक अपेक्षाओं के अनुसार सामग्री की मात्रा में आपूर्ति आर्डर के 10 प्रतिशत की कमी या बढ़ोतरी कर सकता है।

1991-92 के दौरान सीमेंट संभरकों द्वारा प्रस्तुत आर्डरों की नमूना जांच से पता चला कि यद्यपि संभरकों ने आदेशित मात्रा आपूर्त की थी, दि.वि.प्रा. की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार 10 प्रतिशत अनुमत्य सीमा तक आदेशित मात्रा की बढ़ोतरी के लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी। इसके बजाय उच्च दरों पर संभरकों को नए आर्डर प्रस्तुत किए गए थे।

अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार लाभ न उठाने की चूक के परिणामस्वरुप सीमेंट की खरीद पर 11.16 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय हुआ था।

मामले की सूचना दि.वि.प्रा. तथा शहरी विकास मंत्रालय को अक्तूबर 1993 में की गयी थी; दिसम्बर 1993 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

6.9 घटिया सीमेंट की खरीद

30 मार्च 1991 को दि.वि.प्रा. के भंडार मंडल ने एक प्राइवेट फर्म को 32862 मी.ट. पोर्टलैण्ड पुजोलना सीमेंट, जूट बैग में 1780 रु. प्रति मी.ट. की दर तथा एच.डी.पी.ई. बैगों में 1760 रु. प्रति मी.ट.की

दर से सीमेंट आपूर्ति के आर्डर प्रस्तुत किए। आर्डर प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 75 दिनों के अन्दर सीमेंट की समस्त मात्रा की आपूर्ति की जानी थी। खरीद आर्डर की शर्तों के अनुसार अप्रैल- जून 1991 में 574.70 लाख रु. का अग्रिम भुगतान किया गया था जिसके प्रति फर्म ने 292 लाख रु. की एक बैंक गारंटी प्रस्तुत की जो अनुबन्ध के संतोषजनक समापन के लिए 4 मार्च 1992 तक वैध थी।

फर्म ने अप्रैल 1991 से आपूर्ति प्रारम्भ की तथा जनवरी 1992 तक 28 लाटों में 39256 मी.ट. सीमेंट आपूर्त की। आपूर्ति आदेश के अनुसार सामग्री की जांच की जानी थी और कमी होने पर 60 दिनों के अन्दर विर्निमाताओं द्वारा बदली जानी थी। सीमेंट बैगों से प्राप्त हुए नमूने समय-समय पर अप्रैल 1991 से जनवरी 1992 के दौरान श्री राम औद्योगिक अनुसंधान दिल्ली को जांच के लिए भेजे गए थे। 28 लाटों में प्राप्त 39256 मी.ट. की कुल मात्रा में से 252.52 लाख रु. के मूल्य पर 16 लाटों में प्राप्त 14348 मी.ट. जांच में फेल हो गए थे क्योंकि ये नमूने निर्धारित विनिर्देशनों की पुष्टि नहीं करते थे। विनिर्माता ने मई 1992 तक 110.51 लाख रु. मूल्य की 6279 मी.ट. घटिया सीमेन्ट बदली जिसमें शुद्रता के लिए फेल हो गयी सीमेंन्ट शामिल थी। बाकी की 8069 मी.ट. घटिया सीमेंन्ट जो शुद्रता के लिए फेल हो गयी थी; संभरकों द्वारा बदली नहीं जा सकी क्योंकि यह मई से सितम्बर 1991 के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए जारी की गयी थी। ये लाट जांच के दौरान बाद में घटिया पाए गए थे।

इस प्रकार 142 लाख रु. मूल्य वाली 8069 मी.ट. की घटिया सीमेंन्ट, पूर्ण जांच परिणामों की प्रतीक्षा किए बगैर, निर्माण कार्यों में खपत हो गयी थी।

दि.वि.प्रा. ने नवम्बर 1993 में बताया कि यह कहना गलत था कि सीमेंन्ट मजबूती-जांच में फेल हो गयी थी और केवल 7 दिनों के संतोषजनक जांच परिणामों के प्राप्त होने के उपरान्त निर्माण कार्यों के लिए जारी की गयी थी, सीमेंन्ट एक उपभोक्ता प्रमाण पत्र मार्क उत्पाद है और उपभोक्ता द्वारा इसकी जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। यह भी कहा गया था कि सीमेंन्ट के फेल होने का कारण कुछ नमूनों के उपयुक्तता मूल्य के सम्बन्ध में था। उत्तर तर्क संगत नही है क्योंकि सीमेंन्ट के खरीद आर्डर की मानक शर्तों के अनुसार दि.वि.प्रा. को आपूर्त की गयी सीमेंन्ट की जांच करनी होती है। 16 लाटों में से 4 सीमेंन्ट की कम मजबूती के कारण और अन्य उपयुक्तता तथा सल्फाइट के कारण फेल हो गए थे। सम्बन्धित आई. एस. आई. विर्निदेशन अभिलेख विशेष तौर पर उल्लेख करता है कि जब कभी कोई नमूना किसी विर्निदेशन की पुष्टि करने में, उसकी उपयुक्तता सहित फेल हो जाता है तो समस्त लाट जिससे नमूना लिया है रद्द कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त संभरक ने 6279 मी.ट. बदल दी और दि.वि.प्रा. जून 1993 से घटिया पायी गयी सीमेंट की शेष मात्रा की दरों में कटौती करने के दबाब डाल रहा था।

अनुबन्ध में जांच के उपरान्त सीमेंन्ट का उपयोग करने का प्रावधान था जैसाकि मानक संहिता में उपबन्धित है। लेखापरीक्षा के ध्यान में आया था कि प्रथम जांच के उपरान्त, 28 दिनों के अन्दर की गयी जांच के परिणामों की प्रतीक्षा किए बिना, निर्माण कार्यों को सीमेंन्ट जारी की गयी थी। मानक विनिर्देशनों में निर्धारित 3000 सै.मी.^{2}/कि.ग्रा. के प्रति, जांच की गयी सीमेंन्ट का उपयुक्तता मूल्य 2460 और 2810 सै.मी.^{2} कि.ग्रा. था।

6.10 अनुमानित प्रभारों को जमा न कराने के कारण अतिरिक्त व्यय

आवास कम्प्लैक्सों, शापिंग केन्द्रों का बाह्य विद्युतिकरण निर्माण कार्य, दि.वि.प्रा. की मार्फत जमा निर्माण कार्य के रूप में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (दि.वि.प्र.सं.) द्वारा निष्पादित किया गया है।

जनवरी 1989 में, दि.वि.प्रा. ने एक स्थानीय शापिंग केन्द्र "एम" ब्लाक बोडेला विकास पुरी मे विद्युतिकरण के लिए दि.वि.प्र.सं. से सम्पर्क स्थापित किया। दिसम्बर 1989 में निर्माण कार्य अनुमानतः 39.27 लाख रु. मूल्य का था, जिसमें से 20.63 लाख रु. दि.वि.प्रा. द्वारा 90 दिनों की अवधि में अर्थात 22 मार्च 1990 तक भुगतान योग्य थे, जिसका भुगतान न होने पर, श्रम तथा सामग्री के मूल्य के संदर्भ में योजना पुर्नमूल्यांकन योग्य हो जाएगी। कट आफ तिथि के लगभग एक वर्ष बाद यह राशि मार्च 1991 में जमा करायी गयी थी। इस बीच दि.वि.प्र.सं. ने पुर्नमूल्यांकन कार्यवाही की थी और दिसम्बर 1991 में 45.06 लाख रु. का एक संशोधित अनुमान भेजा था जिसमें दि.वि.प्रा. द्वारा 23.61 लाख रु. की भुगतान योग्य राशि शामिल थी। दि.वि.प्रा. ने 2.98 लाख रु. की शेष राशि मार्च 1992 में अदा की।

दि.वि.प्रा. द्वारा अग्रिम राशि के विलम्ब से जमा कराए जाने के परिणामस्वरुप 2.98 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय हुआ।

इस कम्प्लैक्स से सम्बन्धित समस्त सिविल निर्माणकार्य 18.74 लाख रु. के मूल्य पर जुलाई 1990 तक पूर्ण होने थे। अग्रिम राशि को विलम्ब से जमा कराए जाने पर इस काम्प्लैक्स के समापन पर विलम्ब हुआ, चूंकि विद्युतिकरण निर्माण कार्य अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है (अगस्त 1993)। इस प्रकार दो वर्षों से अधिक समय से समस्त निवेश निष्क्रिय पड़ा रहा है।

इसी प्रकार दो अन्य विद्युतिकरण निर्माण कार्यों के मामले में, अर्थात

- जिला केन्द्र, जनकपुरी में प्लाट नम्बर 1 पर बहुमंजिले भवन का विद्युतिकरण और
- जिला केन्द्र जनकपुरी में प्लाट नम्बर 2 पर बहुमंजिलें भवन का विद्युतिकरण

दि.वि.प्रा. 90 दिनों की वैध अवधि के अन्दर दि.वि.प्र.सं. के पास अनुमानित प्रभारों को जमा कराने में फेल हो गया था तथा इस प्रकार अनुमानों में संशोधन के कारण 3.48 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा था। कुल अतिरिक्त व्यय 6.46 लाख रु. परिकलित हुआ था।

अधिशासी अभियन्ता ने अगस्त 1993 में बताया कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा मांगी गयी राशियां निधियों की गैर उपलब्धता के कारण 90 दिनों की वैध अवधि के अन्दर जमा नहीं करायी गयी थी। तथापि, उत्तर के समर्थन में संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

दि.वि.प्रा. ने बताया (नवम्बर 1993) कि निष्पादन के साथ अतिरिक्त राशि दि.वि.प्र.सं. में वास्तव में प्रबल मूल्यों के कारण है और यह अतिरिक्त राशि अन्यथा फिर भी दि.वि.प्रा. द्वारा भुगतान योग्य थी। यह भी कहा गया था कि विद्युतिकरण निर्माण कार्य अगस्त 1993 तक पूर्ण हुए थे। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि दि.वि.प्रा. द्वारा निर्धारित अवधि में अपने भाग का भुगतान न करने के कारण दि.वि.प्र.सं. ने पुर्नमूल्य निर्धारण कार्यवाही की थी। अगस्त 1993 में, अधिशासी अभियन्ता ने पुष्टि की थी कि प्लाट नं.1 और 2 पर जनकपुरी जिला केन्द्र में बहुमंजिले भवन के सम्बन्ध में दि.वि.प्र.सं. ने विद्युतिकरण कार्य प्रारम्भ नहीं किया था तथा शापिंग केन्द्र राम ब्लाक बोडेला का कार्य प्रगति पर था।

6.11 अनुबन्ध को अनियमित ढंग से रद्द करने के कारण अतिरिक्त व्यय

सामुदायिक हाल पॉकेट के और एल सरिता विहार का निर्माण कार्य फरवरी 1989 में 8.15 लाख रु. की एक निविदागत राशि पर एक ठेकेदार को सौंपा गया था जो 6.15 लाख रु. के अनुमानित मूल्य 32.50 प्रतिशत अधिक पर था। निर्माण कार्य मई 1989 तक पूर्ण होने के लिये निर्धारित था।

चूंकि निर्माण कार्य की प्रगति बहुत धीमी थी, अधिशासी अभियन्ता ने मई 1989 में 30 सितम्बर 1989 तक की बढ़त प्रदान की थी। समय बढ़त प्रदान करने का पत्र जारी नहीं किया गया था। अधिशासी अभियन्ता ने 28 सितम्बर 1989 को 6 अक्तूबर 1989 तक निर्माण कार्य के समापन के लिए समय बढ़त प्रदान करते हुए बढ़ाए गए समय में निर्माण कार्य के समापन की प्रतीक्षा किए बिना 29 सितम्बर 1989 से अनुबन्ध रद्द कर दिया था। सितम्बर 1989 तक 5.46 लाख रु. मूल्य का 67 प्रतिशत निर्माण कार्य पहले ही पूर्ण हो चुका था।

शेष निर्माण कार्य 2.92 लाख रु. के निविदागत मूल्य पर (जो अनुमानित मूल्य 1.87 लाख रु. से 56 प्रतिशत अधिक था) जनवरी 1990 में प्रथम ठेकेदार के मूल्य एवं जोखिम पर दूसरे ठेकेदार को दिया गया था तथा मार्च 1990 में 3.74 लाख रु. के मूल्य पर पूर्ण हुआ था।

सितम्बर 1990 में प्रथम ठेकेदार के अनुरोध पर एक मध्यस्थ नियुक्त किया गया था। ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत 3.72 लाख रु. के दावे के प्रति, दि.वि.प्रा. ने ठेकेदार के पांचवे व अंतिम बिल में वसूली योग्य 2.20 लाख रु. की राशि के विरुद्ध दावा प्रस्तुत किया। ऐसा ध्यान में आया था कि ठेकेदार से अंतिम बिल में वसूली योग्य राशि 2.11 लाख रु. थी। मध्यस्थ ने अपने मार्च 1993 के एवार्ड में, दि.वि.प्रा. के दावे को रद्द करते हुए, अधिशासी अभियन्ता के अनुबन्ध को रद्द करने की कार्यवाही को गलत ठहराया था तथा ठेकेदार के पक्ष में 2.26 लाख रु. एवार्ड किए थे।

इस प्रकार अनुबन्ध को गलत ढंग से रद्द करने के परिणामस्वरुप निविदागत मूल्य पर 4.37 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय हुआ था।

दि.वि.प्रा. ने बताया (नवम्बर 1993) कि ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया गया था तथा मध्यस्थ के एवार्ड को न्यायालय में चुनौती दी गयी थी। आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित थी।

6.12 पुनः निविदाएं आमंत्रित करने के कारण अतिरिक्त व्यय

रोहिणी सैक्टर-IX में आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों (आ.क.व.) के 832 मकानों के निर्माण के लिए मई 1991 में निविदाएं आमंत्रित की गयी थी तथा इसके प्रत्युत्तर में चार निविदाएं प्राप्त हुई थी जिसमें 17.56 लाख रु. के अनुमानित मूल्य से ऊपर 27.87 प्रतिशत से 59 प्रतिशत की सीमा तक की दरें उद्धृत की गयी थी। ठेकेदार "पी", जिसने निम्नतम दरें उद्धृत की थी उसे अपनी वित्तीय और तकनीकी सक्षमता प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इस पूर्ण आकलन की प्रतीक्षा किए बिना, यह निर्माण कार्य ठेकेदार "पी" को जून 1991 में एवार्ड कर दिया था क्योंकि उसे दि.वि.प्रा. के दूसरे मंडल में एक कार्यकारी ठेकेदार के रुप में बताया गया था। क्या ठेकेदार की तकनीकी और वित्तीय सक्षमता के बारे में मंडल से कोई जांच पड़ताल की गयी थी, इसका अभिलेख मे कोई उल्लेख नहीं था। जब ठेकेदार ने 22 जून 1991 को काम करने से मना कर दिया, दि.वि.प्रा. ने गैर विद्यमान अनुबन्ध समाप्त कर दिया।

यद्यपि, द्वितीय निम्नतम प्रस्ताव (17.56 लाख रु. के अनुमानित मूल्य से 42.80 प्रतिशत अधिक उद्धृत) और तृतीय निम्नतम निविदाएं 4 सितम्बर 1991 तक वैध थी, दि.वि.प्रा. ने निविदाएं पुनः मंगाने का निर्णय लिया। तीन निविदाकर्ताओं की पेशगी राशि जुलाई/अगस्त 1991 में वापस कर दी गयी थी। संशोधित निविदाएं जुलाई 1991 में आमंत्रित की गयी थी तथा इसके प्रत्युत्तर में तीन निविदाएं प्राप्त हुई थी। निर्माण कार्य सितम्बर 1991 में 28.97 लाख रु. के निविदागत मूल्य पर निम्नतम निविदाकर्ता को एवार्ड किया गया था जो प्रथमतः द्वितीय ठेकेदार द्वारा निम्नतम उद्धृत 25.07 लाख रु. की निविदाकृत दर के प्रति,17.56 लाख रु. के अनुमानित मूल्य से 65 प्रतिशत अधिक था। निर्माण कार्य जून 1992 में 31.32 लाख रु. के मूल्य पर पूर्ण हुआ था।

इस प्रकार, इस तथ्य के बावजूद कि पहली निविदाओं के उत्तर में प्राप्त प्रस्ताव अभी भी वैध थे, निर्माण कार्य के लिए पुनः निविदाएं मांगने के परिणामस्वरुप 3.90 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय हुआ था।

दि.वि.प्रा. ने नवम्बर 1993 में बताया कि एवार्ड पत्र के जारी होने के उपरान्त, बाकी की निविदाओं को रद्द करते हुए छोड़ते हुए, निविदाओं की प्रक्रिया पूर्ण की थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निम्नतम निविदाकर्ता ने सात दिनों की निर्धारित समय अवधि के अन्दर एवार्ड पत्र स्वीकार नहीं किया था और प्रस्ताव के समय द्वितीय निम्नतम निविदाकर्ता वैध था।

6.13 निर्माण कार्य का गैर योजनाबद्ध एवार्ड

ट्रांस यमुना क्षेत्र, गांव घरोली में एक सड़क (फेज I) का निर्माण कार्य ठेकेदार को निम्नतम 47.22 लाख रु. के निविदाकृत मूल्य पर अगस्त 1984 में एवार्ड किया गया था, यद्यपि स्थल का एक भाग उस समय तक उपलब्ध नहीं था। निर्माण कार्य सितम्बर 1984 में प्रारम्भ होना था तथा मार्च 1985 तक पूर्ण होना था। स्थल की गैर उपलब्धता के कारण, ठेकेदार को, जनवरी 1987 तक, बगैर क्षतिपूर्ति उद्ग्रहण के, समय बढ़त प्रदान की गयी थी, जिस तारीख तक ठेकेदार 16.35 लाख रु. की राशि का केवल 35 प्रतिशत निर्माण कार्य निष्पादित कर सका था।

ठेकेदार के अनुरोध पर अनुबन्ध के अंतर्गत मुख्य अभियन्ता (पूर्व क्षेत्र अंचल) ने जनवरी 1987 में अनुबन्ध बन्द कर दिया था चूंकि दि.वि.प्रा. द्वारा पूर्ण स्थल उपलब्ध नहीं कराया गया था। अनुबन्ध के असामयिक बन्द होने के कारण चूंकि ठेकेदार को लाभ की हानि उठानी पड़ी थी, उसने मध्यस्थता के लिए मार्च 1988 में आवेदन दिया। ठेकेदार ने ब्याज सहित 4.90 लाख रु. का दावा प्रस्तुत किया था। दि.वि.प्रा. ने कोई प्रतिदावा प्रस्तुत नहीं किया। जुलाई 1988 में नियुक्त हुए प्रथम मध्यस्थ ने फरवरी 1989 में त्याग पत्र दे दिया और दूसरा मध्यस्थ दि.वि.प्रा. के इंजीनियर सदस्य द्वारा मार्च 1989 में नियुक्त किया गया था। दूसरे मध्यस्थ ने ठेकेदार के पक्ष में क्षतियां तथा लाभ की हानि होने के कारण 3.81 लाख रु. नवम्बर 1990 में एवार्ड किए थे। एवार्ड को प्रारम्भ में दि.वि.प्रा. द्वारा चुनौती दी गयी थी परन्तु इस राशि का बगैर ब्याज के जून 1991 में समाधान किया गया था।

चूंकि साफ स्थल निर्माण कार्य के लिए पूर्व अपेक्षित है, निर्माण कार्य के गैर योजनाबद्ध एवार्ड के परिणामस्वरुप 3.81 लाख रु. की हानि हुई थी।

मामले की सूचना दि.वि.प्रा. तथा शहरी विकास मंत्रालय को जून 1993 में दी गयी थी; दिसम्बर 1993 तक अभी उत्तर प्रतीक्षित है।

6.14 निविदा प्रक्रिया में विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय

अधिशासी अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ता को निविदाओं की संवीक्षा तथा निपटान के लिए अधिकतम अनुमत्य समय क्रमशः 10 और 7 दिनों का है।

आवास योजना, पुल पहलादपुर के लिये एक उपचयन तालाब (सीवरेज) के निर्माण के लिए दि.वि.प्रा. द्वारा नवम्बर 1989 में निविदाएं आमंत्रित की गयी थी, जिसके प्रत्युत्तर में चार निविदाएं प्राप्त हुई थी। प्रस्ताव 27 फरवरी 1990 तक वैध थे। निम्नतम निविदाकर्ता ने अनुमानित मूल्य 3.30 लाख रु. से 49.47 प्रतिशत अधिक उद्धृत किया था।

अधिशासी अभियन्ता ने मार्च 1990 में अर्थात निविदा की वैध अवधि (अप्रैल 1990) की समाप्ति के तुरन्त बाद अधीक्षण अभियन्ता को निम्नतम प्रस्ताव की मंजूरी के लिए सिफारिश की थी। इस बीच दि.वि.प्रा. के मौखिक अनुरोध पर निम्नतम निविदाकर्ता ने अपने प्रस्ताव की अवधि 31 मार्च 1990 तक तथा इसके उपरान्त 30 अप्रैल 1990 तक बढ़ायी थी। अधीक्षण अभियन्ता ने निम्नतम प्रस्ताव को मुख्यतः इस आधार पर कि निविदाएं केवल वैध अवधि की समाप्ति के बाद अनुमोदन के लिए भेज दी गयी थी क्योंकि निर्माण कार्य उचित योजनाबद्ध तरीके से निर्धारित नहीं हुआ था, चूंकि वास्तुकार से विचार विमर्श करके स्थान निर्धारित किया जाना था, रद्द कर दिया गया (10 मई 1990)। अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निविदा का रद्द किया जाना तर्क संगत नहीं है चूंकि अधिशासी अभियन्ता ने निम्नतम निविदाकर्ता की सिफारिश करते समय कहा था (मार्च-अप्रैल 1990) कि स्थल का निर्णय कर लिया गया है और निम्नतम निविदा 30 अप्रैल 1990 तक वैध थी।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा फरवरी 1991 में निविदाएं पुनः आमंत्रित की गयी थी, जिसके प्रत्युत्तर में केवल दो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। निर्माण कार्य 6.16 लाख रु. की निविदागत लागत पर 9 मई 1991 को निम्नतम निविदाकर्ता को एवार्ड किया गया था जो 3.30 लाख रु. के अनुमानित मूल्य से 86.70 प्रतिशत अधिक था। निर्माण कार्य वास्तव में 15.88 लाख रु. के मूल्य पर जनवरी 1992 में पूर्ण हुआ था। म.आ.यु. आवासों के अतिरिक्त निकास की पूर्ति के लिए दो आक्सीकरण तालाबों के निर्माण के कारण मुख्यतः मूल्य में बढोतरी हुई थी। निर्माण कार्य को एवार्ड करने से पूर्व क्या कोई प्रशासनिक और तकनीकी अनुमोदन लिया गया था, इसका अभिलेखों में कोई उल्लेख नहीं था।

इस प्रकार वैध अवधि के अन्दर निम्नतम निविदा के रद्द किए जाने के कारण अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ था।

मामले की सूचना दि.वि.प्रा. तथा शहरी विकास मंत्रालय को अगस्त 1993 में दी गयी थी; उनका उत्तर दिसम्बर 1993 तक प्राप्त नहीं हुआ है।

सुनील वर्मा

नई दिल्ली
दिनांक 13 फरवरी 1994

(सुनील वर्मा)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित

सि. जि. सोमैया

नई दिल्ली
दिनांक 18 मार्च 1994

(सि. जि. सोमैया)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

अनुबन्ध -2क-अनुदान/विनियोगों में अधिक बचतों के मामलों के ब्यौरे

(देखें पैरा संख्या 2.2.1)

(करोड़ रु.में)

	लेखाशीर्ष	मूल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत(-)	बचत(-) की प्रतिशतता
1.	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण क-23(1)(1) अन्य राहत उपाय	18.85	13.20	(-)5.65	(-)30
2.	2210- मेडिकल एवं लोक स्वास्थ्य झ-1(1)(3)(2) गो.ब.पन्त अस्पताल	21.52	14.81	(-)6.71	(-)31
3.	2210- मेडिकल एवं लोक स्वास्थ्य झ-1(1)(3)(6) दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल	12.73	9.40	(-)3.33	(-)26
4.	2202- सामान्य शिक्षा अ-1(3)(1)(1) उच्चतर शिक्षा संस्थान	6.00	3.93	(-)2.07	(-)35
5.	2236-आहार ड.2(1)(1)(1) विशेष आहार कार्यक्रम	4.42	0.26	(-)4.16	(-)94
6.	5075- अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय प प 1(1)(1) अन्य व्यय	2.41	0.59	(-)1.82	(-)76
7.	4202-शिक्षा, खेलकूद आदि पर पूंजीगत परिव्यय फ फ-2(2)(1)(1) तकनीकी संस्थानों के लिए भवनों का निर्माण	9.25	5.57	(-)3.68	(-)40
8.	5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय फ फ-17(1)(2)एम.आर.टी.एस. के लिए भूमि अधिग्रहण	25.00	4.87	(-)20.13	(-)81
9.	5075-अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय फ फ-18(1)(1) अन्य व्यय	2.10	0.60	(-)1.50	(-)71
10.	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ब ब-2(2)(2)(2) अन्य जल निकास कार्य	3.75	1.85	(-)1.90	(-)51

अनुबन्ध 2ख - अनुदान/विनियोगों से अधिक,अधिक व्यय के मामले के ब्यौरे

(देखें पैरा संख्या 2.2.1)

(करोड़ रु.में)

	लेखा शीर्ष	मूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	प्रतिशतता आधिक्य(+)
1.	2055- पुलिस क -14(3X1X1) सुरक्षा	9.64	11.18	(+) 1.54	(+) 16
2.	2055-पुलिस क-14(3X1X2) विशेष शाखा	4.50	5.54	(+) 1.04	(+) 23
3.	2055-पुलिस क-14(5X2) दक्षिणी जिला	11.11	12.30	(+) 1.19	(+) 11
4.	2055-पुलिस क-14(5X9)- उत्तर पूर्वी जिला	5.62	6.97	(+) 1.35	(+) 24
5.	2056-जेलें क-15(1X1)- जेल स्थापना	4.52	6.17	(+) 1.65	(+) 36
6.	2236- आहार ड-2(1X1X2) आहार कार्यक्रम	3.81	7.52	(+) 3.71	(+) 97
7.	3075- अन्य परिवहन सेवाएं घ-4(1X1) अन्य व्यय	1.00	4.76	(+) 3.76	(+) 376
8.	2059- लोक निर्माण कार्य फ 2(1)- सामान्य फ 2(1X6)- उद्यन्त	5.06	10.25	(+) 5.19	(+) 103
9.	3054- सड़क और पुल फ 6(1X1)-अन्य व्यय	6.00	7.64	(+) 1.64	(+) 27
10.	4515- अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय ग ग -1(1) ग्रामीण विकास	4.10	7.98	(+) 3.88	(+) 95
11.	6801-विद्युत परियोजना के लिए कर्ज ड.ड.-1(2X1) विद्युत आपूर्ति योजना-दि.न.नि.	178.95	186.03	(+) 7.08	(+) 4
12.	4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय फ फ 1- कार्यालय भवन फ फ -1(1X1X1) भवन	13.75	25.19	(+)11.44	(+) 83
13.	4210- मेडिकल एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय फ फ -3(1X1X1) भवन	15.68	19.54	(+) 3.86	(+) 25

अनुबन्ध -2ग- जहां पुनर्विनियोग विवेकहीन था, के मामलों के ब्यौरे

(देखें पैरा संख्या 2.2.2)

(लाख रुपयों में)

	लेखाशीर्ष	पुनर्विनियोग की राशि	अन्तिम बचत की राशि (-)
1.	2053-जिला प्रशासन क-12(1)-जिला स्थापना	10.37	(-) 44.78
2.	2075-विविध सामान्य सेवाएं क-17(3) अन्य व्यय	13.45	(-) 29.52
3.	2210-मेडिकल एवं लोक स्वास्थ्य झ-1(3) मेडिकल शिक्षा झ-1(3)(1)(1)(1) मौलाना आजाद मेडिकल महाविद्यालय	19.77	(-) 29.32
4.	2203- तकनीकी शिक्षा ञ-2(5)(5) दिल्ली तकनीकी संस्थान को सहायक अनुदान	21.00	(-) 24.35
5.	2041-वाहन कर घ-1(3)(7) समग्र सड़क परिवहन परियोजना अध्ययन का संचालन	24.00	(-) 21.88
6.	2041- वाहन कर घ-1(3)(8) वाहन सड़क उपयुक्तता प्रमाणन के लिए यन्त्रीकरण ढांचा	150.00	(-) 114.90
7.	2059-लोक निर्माण कार्य फ -2(1) सामान्य फ -2(1)(4) अनुरक्षण एवं मरम्मत	51.58	(-) 28.15
8.	6801- विद्युत परियोजना के लिए कर्जे ड.ड.(1) थर्मल पावर जैनरेशन ड.ड. 1(3)(1) पार्बती जल विद्युत परियोजना	249.00	(-) 227.50

अनुबन्ध - 2घ - जहां पूरक अनुदान विवेकहीन था, के मामलों के ब्यौरे

(देखें पैरा संख्या 2.2.2)

(लाख रुपयों में)

	लेखाशीर्ष	अनुदान/विनियोग की राशि		वास्तविक	बचत (-)
		मूल	पूरक	व्यय	
1.	2055-पुलिस	1268.69	725.00	1178.08	(-)815.61
	क-14(1) निर्देशन एवं प्रशासन				
2.	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	55.80	2.00	39.05	(-) 18.75
	क-16(1)(1) प्रशिक्षण निदेशालय				
3.	2210- मेडिकल एवं लोक स्थास्थ्य	2151.88	59.00	1480.63	(-)730.25
	झ-1(1)(3)(2) गो.ब.पन्त अस्पताल				
4.	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1.00	24.00	1.00	(-) 24.00
	ड.1(1)(2)(13) सरोजनी नगर में बालिका छात्रावास के निर्माण के लिए न.दि.न.पा. को सहायक अनुदान				
5.	2230- श्रम एवं रोजगार	42.30	3.00	37.74	(-) 7.56
	त-2(2)(1)(1) रोजगार निदेशालय				
6.	2059- लोक निर्माण कार्य	1597.74	45.00	1493.35	(-)149.39
	फ-2(1)(1)(1) स्थापना प्रभार				
7.	4217- ग्राम्य विकास पर पूंजीगत परिव्यय	1000.00	1136.00	1853.85	(-)282.15
	फ फ -5(1)(1)(1) दिल्ली में भूमि का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण, विकास एवं निपटान				

अनुबन्ध -2ड.-योजनाओं के चालू न किए जाने के कारण बचतों के ब्यौरे
(देखें पैरा संख्या 2.2.4)

(करोड़ रुपयों में)

	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)
1.	2810-ऊर्जा का अकृत्रिम स्रोत ड.4(2X1X1)बैटरी बसों को चलाने के लिए दिल्ली ऊर्जा विकास एजेन्सी को सहायक अनुदान	0.80	-	(-)0.80
2.	2210-मेडिकल एवं लोक स्वास्थ्य त-1(1X1X1)-कर्मचारी राज्य बीमा निगम को अंशदान	2.18	-	(-)2.18
3.	2215-जल आपूर्ति एवं सफाई फ -3(1X1X2) अप्राधिकृत कालोनियों में पीने योग्य पानी प्रदान करने के लिए दिल्ली जल आपूर्ति एवं मलजल व्ययन संस्थान को सहायक अनुदान	1.00	-	(-)1.00
4.	2217- शहरी विकास फ 5(3X1) एन. सी. आर. निधि को अंशदान	1.00	-	(-)1.00
5.	7615- विविध कर्जे क क-5(1X1) दि.न.नि. को विशेष कर्जे	1.00	-	(-)1.00
6.	4851-ग्राम्य एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय ढ ढ-1(1X1)- दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम	0.50	-	(-)0.50
7.	4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय फ फ -5(2X1)-स्लम बोर्ड एवं आ.क.व. आवास बोर्ड को साम्य पूंजी	8.00	-	(-)8.00

अनुबन्ध 2च- व्यय कम करने में समायोजित की गई वसूलियों के ब्यौरे

(देखें पैरा संख्या 2.2.5)

(करोड़ रु.में)

	उपशीर्ष	बजट अनुमान	वास्तिक वसूलियां	आधिक्य (+) कमी (-)
1.	शहरी विकास मंत्रालय 2059-निर्देशन एवं प्रशासन उचंत	3.92	8.69	(+)4.77
2.	2217-शहरी विकास स्लम क्षेत्र सुधार स्थानीय निकायों, निगम, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्ड को सहायता	0.01	0.59	(+)0.58
3.	2217-शहरी विकास स्थानीय निकायों, नगर सुधार बोर्ड को सहायता	0.01	1.16	(+)1.15
4.	2202- सामान्य शिक्षा स्थानीय निकायों को सहायता	0.01	10.17	(+)10.16
5.	2202- सामान्य शिक्षा गैर सरकारी महाविद्यालयों तथा संस्थानों को सहायता		0.61	(+)0.61
6.	2711- निदेशन एंव प्रशासन मशीनरी एवं उपस्कर		1.00	(+)1.00
7.	2210- मेडिकल एवं लोक स्वास्थ्य स्थानीय निकायों को सहायता		0.58	(+)0.58
8.	जल संसाधन मंत्रालय 2702-अन्य छोटे सिंचाई निर्माण कार्य	0.61	-	(-)0.61
9.	2711- जिला एवं प्रशासन औजार एवं संयंत्र	1.21	--	(-) 1.21
10.	4217- भूमि की विक्रय प्रक्रिया एवं दिल्ली भूमि का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण, विकास और निपटान	226.88	194.04	(-)32.84

अनुबन्ध 4 क-बिक्रियां छिपाये जाने के मामले
(देखें पैरा संख्या 4.9)

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	वार्ड संख्या	लेखांकन वर्ष	सांविधिक फार्मों के प्रति खरीद	व्यापार लेखा के अनुसार खरीदें	खरीदों का छिपाया जाना (4-5)	कुल सीमा तक लाभ सहित बिक्रियों का छिपाया जाना	कर	ब्याज	शास्ति	अभ्युक्तियां
1.	3	1987-88	384.13	355.32	28.81	29.33	1.47	0.91	3.67	विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)।
2.	3	1987-88	165.17	47.31	117.66	127.18	8.90	7.12	22.26	16.70 लाख रु.(कर 9.23 लाख रु.और ब्याज 7.47लाख रु.) की मांग उचित कर दी गई थी। विभाग द्वारा व्यापारी पर 23 लाख रु. की शास्ति भी लगाई गई थी (मार्च 1993)।
3.	3	1986-87	55.92	43.47	12.45	13.25	0.93	0.73	2.32	विभाग ने व्यापारी का पुनर्निधारण किया (सितम्बर 1993) और 7.29 लाख रु. की मांगे उद्ग्रहित थी।
4.	3	1987-88	32.68	26.96	5.72	6.47	0.65	0.52	1.62	विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)।
5.	3	1987-88	24.55	19.42	5.13	5.38	0.37	0.30	0.94	विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)।
6.	3	1987-88	32.58	30.28	2.30	2.51	0.18	0.15	0.44	विभाग ने बताया कि 0.81 लाख रु.के लिए व्यापारी का पुनर्निर्धारण किया गया था।
7.	10	1987-88	113.52	109.75	3.77	3.95	0.28	0.20	0.70	विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)।
8.	10	1987-88	111.92	96.38	15.54	16.08	1.61	1.17	4.02	विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)।
9.	19	1987-88	23.02	20.64	2.38	2.75	0.27	0.22	0.69	विभाग ने व्यापारी का पुनर्निधारण (जनवरी 1994) किया और 0.92 लाख रु. की मांग उठाई।
10.	20	1987-88	123.96	117.91	6.05	6.52	0.46	0.39	1.14	विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)।
11.	21	1987-88	30.61	25.76	4.85	5.19	0.36	0.27	0.91	विभाग ने व्यापारी का पुनर्निधारण (अगस्त 1993) किया और 0.90 लाख रु. की मांग बनाई।
12.	23	1986-87	221.73	174.19	47.54	47.65	3.34	3.03	8.34	विभाग ने व्यापारी का पुनर्निधारण (फरवरी 1993) किया और 16.08 लाख रु.की मांग बनाई।
13.	26	1987-88	191.84	173.76	18.08	18.75	0.94	0.78	2.34	विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)।
14.	27	1987-88	36.33	34.72	1.61	1.78	0.18	0.13	0.45	विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)।
15.	28	1987-88	79.81	63.33	16.48	17.01	1.70	1.31	4.25	विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)।
16.	28	1987-88	21.02	16.32	4.70	5.09	0.72	0.50	1.80	विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)।
17.	28	1987-88	20.88	15.81	5.07	5.92	0.59	0.45	1.48	विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)।
18.	34	1986-87	35.59	33.95	2.64	2.91	0.47	0.41	1.17	विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)।
19.	34	1986-87	48.70	45.32	3.38	4.20	0.29	0.29	0.74	विभाग ने व्यापारी का पुनर्निधारण (दिसम्बर 1993) किया और 1.21 लाख रु. की अतिरिक्त मांग की।
		1987-88	33.56	32.94	0.62					
20.	35	1987-88	100.65	90.27	10.38	10.76	0.75	0.61	1.88	विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)।
21.	38	1986-87	46.26	38.10	8.16	9.02	0.90	0.83	2.25	विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)।
22.	39	1987-88	455.67	436.17	19.50	20.67	2.07	1.77	5.17	विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)।
23.	39	1987-88	134.91	100.47	34.44	35.29	1.41	1.21	3.53	विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1994)।
24.	41	1987-88	68.52	60.07	8.45	8.88	0.89	0.77	2.22	विभाग ने व्यापारी का पुनर्निधारण (जनवरी 1994) दिया और 3.88 लाख रु. की मांग उठाई।
25.	42	1987-88	173.59	143.22	30.37	33.48	3.35	3.01	8.37	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)।
26.	43	1985-86	251.96	225.02	26.94	29.60	2.40	2.09	6.00	विभाग ने व्यापारी का पुनर्निधारण (अगस्त 1993) किया और 1.12 लाख रु. की मांग उठाई।
	43	1988-89	434.05	416.56	17.49	18.41				
27.	43	1988-89	192.00	165.00	27.00	27.00	1.08	0.63	2.70	विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)।
28.	43	1987-88	155.56	146.66	8.90	8.90	0.62	0.52	1.56	विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)।
29.	43	1987-88	89.21	84.66	4.55	4.87	0.34	0.28	0.85	विभाग का उत्तर (जुलाई 1993) तर्क संगत नहीं है जैसा लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया था (अक्तूबर 1993)।
30.	43	1987-88	88.45	73.26	15.19	15.66	0.63	0.51	0.57	विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)।
31.	43	1986-87	88.23	69.97	18.26	18.53	0.74	0.75	1.85	विभाग ने बताया (जुलाई 1993) कि उसी लॉट के बीजकों के प्रति फार्म एस टी-35 दोबार जारी किए गए थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एस टी फार्म-35 में दी गई बीजक संख्या और तिथियाँ प्रत्येक खरीद से मेल नहीं खातीं।
32.	43	1987-88	63.09	56.79	6.30	9.98	0.49	0.40	1.21	विभाग ने व्यापारी का पुनर्निधारण (अगस्त 1993) किया और 2.10 लाख रु. की मांग की।
33.	43	1988-89	35.54	32.27	3.27	3.67	1.06	0.61	2.65	विभाग ने बताया (मई 1993) कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की मूल वस्तु एक व्यापारी की वस्तुओं का खरीद मूल्य नहीं होगा जो दूसरे व्यापारी की भी बिक्री है। विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि दिल्ली विक्रय कर अधिनियम 1975 की धारा 2(एच) और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 की धारा 2(एच) के अन्तर्गत उत्पाद शुल्क विक्रय मूल्य का एक भाग है जिसको खरीददार को सामान्यतः अदा करना पड़ेगा।
		1989-90	78.44	68.51	9.93	11.49				
34.	43	1987-88	30.10	26.23	3.87	4.21	0.42	0.35	1.05	विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)।
35.	46	1985-86	31.36	15.62	15.74	19.05	1.33	1.68	3.33	विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)।
36.	47	1987-88	33.33	15.67	17.66	19.71	1.97	1.44	4.93	विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)।
37.	48	1987-88	76.02	67.18	8.84	9.91	0.99	0.72	2.48	विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)।
38.	50	1987-88	102.79	97.74	5.05	5.51	0.39	0.28	0.96	विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)।
39.	50	1987-88	68.16	57.13	11.03	12.06	1.25	0.91	3.11	विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)।
40.	50	1987-88	41.24	37.75	3.49	4.15	0.29	0.21	0.73	विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)।
41.	50	1987-88	30.28	26.91	3.37	3.69	0.26	0.20	0.65	विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1993)।
42.	50	1987-88	26.66	22.27	4.39	4.72	0.33	0.25	0.83	विभाग ने व्यापारी का पुनर्निधारण (अगस्त 1993) किया और 1.56 लाख रु. की मांग की।
43.	50	1987-88	13.62	9.36	4.26	4.83	0.24	0.18	0.60	विभाग ने व्यापारी का पुनर्निधारण (दिसम्बर 1993) किया और 1.10 लाख रु. की मांग उद्ग्रहित की।
		जोड़ - कम वसूली					47.91	39.09	118.76	